बुन्दलेखण्ड संभाग के ग्रामीण विकास में महारानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का योगदान (झाँसी जनपद के विशेष संदर्भ में)

बुन्दलेखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की अर्थशास्त्र विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध - प्रबन्ध

2006 - 2007

निदेशक :
डॉ० आर०पी० सक्सेना
रीडर – वाणिज्य संकाय
बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, झाँसी

शोधार्थी
मनीष कुमार श्रीवास्तव

शोध - केन्द्र
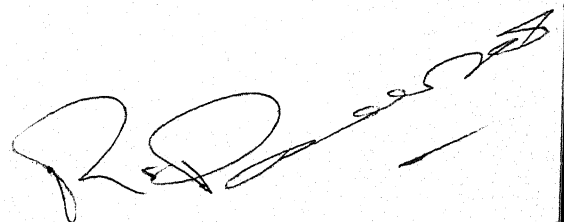
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी (उ०प्र०)

डॉ आर0 पी0 सक्सेना
(रीडर वाणिज्य संकाय)
बुन्देलखण्ड महाविद्यालय,झाँसी

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मनीष कुमार श्रीवास्तव अर्थशास्त्र विषय की शोध उपाधि हेतु ''बुन्देलखण्ड सम्भाग के ग्रामीण विकास में महारानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का योगदान'' पर किया गया शोध कार्य मौलिक होकर मेरे मार्ग दर्शन में पूर्ण किया गया। शोधार्थी ने उपर्युक्त कार्य मेरे समीप 200 दिवस भी उपस्थिति देकर किया। यह शोध प्रबन्ध विश्वविद्यालय की शोध उपाधि हेतु निर्गमित अध्यादेश की प्रति पूर्ति करता है। यह शोध प्रबन्ध परीक्षकों को प्रेषित करने योग्य है।

मैं शोधार्थी के उज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

(डॉ0 राम प्रकाश सक्सेना)
शोध निदेशक

आभार

प्रस्तुत शोध कार्य " बुन्दलेखण्ड सम्भाग के ग्रामीण विकास में रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का योगदान " (जनपद झाँसी के विशेष सन्दर्भ में)

मूल रूप से पिछड़े एवं ग्रामीण अंचल की ज्वलनत समस्याओं को रेखाकिंत करने की दिशा में किया गया उन अकिंचन प्रयास है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के पर्यवेक्षक डा0 आर0पी0 सक्सेना (वरिष्ट–रीडर वाणिज्यक संकाय,रीडर) बुन्देलखण्ड महाविद्यालय झाँसी का आभार शब्दों में ब्यक्त करना मेरे लिए असम्भव सा है। उनके अनवरत् प्रोत्सहन, सुस्पष्ट मार्गदशन शोध ा सम्बन्धी जटिलताओं का सूक्ष्म विश्लेषण एवं सम्यक् निराकरण आदि के अभाव में मैं इस कार्य की पूर्णता को प्राप्त न कर पाता । मैं श्रद्धेय डा0 आर0पी0 सक्सेना जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

शोध प्रबन्ध को पूर्ण करने में मै श्री डा. फूल सिंह जी (अध्यक्ष) रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। जिन्होने शोध कार्य में मुझे महत्वपूर्ण शोध सामाग्री के संकलन में अमूल्य सहयोग प्रदान किया। समय समय पर उनसे हुए गवेषणात्मक विमर्श के आंकड़ों को खोजने में बहुत उपयोगी सिद्व हुए है।

डा0 बी एल शर्मा जी विभागाध्यक्ष वाणिज्य – संकाय वीर भूमि राजकीय महाविद्यालय महोबा जिनका कि विषय ज्ञान मेरे लिए अत्यन्त लाभप्रद रहा, को धन्यवाद स्थापित करना अपना नैतिक कर्तव्य समझता हूँ।.

डा0 एम0एस0 निगम जी (वरिष्ट रीडर वाणिज्यक संकाय) एवं डा0 डी0सी0अग्रवाल, (वरिष्ठ – रीडर वाणिज्यक संकाय) बुन्देलखण्ड महाविद्यालय झाँसी एवं डा0 एम0 एल0 मौर्य (विभागाध्यक्ष बैंकिंग अर्थशास्त्र एवं वित्त संस्थान) एवं प्रो0 ए0 के0 सक्सेना जी (संकाय अध्यक्ष वाणिज्य) बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी जिन्होने मुझे शोध कार्य हेतु आवश्यक सामाग्री शोध केन्द्र में उपलब्ध कराने हेतु सहायता प्रदान की, का मैं आभार प्रकट न करना अंकृतज्ञता होगी।

शोध प्रबन्ध के प्रेरणा श्रोत मेरे पापा, मम्मी, श्री विपिन बिहारी श्रीवास्तव एवं श्रीमती कुसुम श्रीवास्तव जी एवं श्री राजकिशोर श्रीवास्तव का मैं विशेषतया उल्लेख करना चाहता हूँ जिन्होने मुझे इस कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया।

इसके अतिरिक्त इस कार्य के सम्पन्न कराने में मुझे मेरी पत्नी पूजा श्रीवास्तव से मुझे सहयोग प्राप्त हुआ।जिन्होने यह कार्य सम्पन्न कराने में प्रेरणा की श्रोत का कार्य किया।

अन्त में शोध प्रबन्ध के कार्य को पूर्ण कराने में मुझे मेरे भाई (चचेरे) मनीष श्रीवास्तव जो कि ग्रासलेन्ड में रिसर्च स्कोलर है पूर्ण सहयोग मिला। शोध प्रबन्ध को आकर्षक एवं सुस्पएट टंकण हेतु में विभू जैन (सिटी कम्पयूटर) का आभार व्यक्त करता हूँ। जिन्होने शोध ग्रन्थ को सुसज्जित करने में अपना अमूल्य योगदान दिया।

(मनीष कुमार श्रीवास्तव)

एम0काम0 वाणिज्य

संकाय,झाँसी

विषय - सूची

विवरण		पृष्ठ संख्या

विवरण		पृष्ठ संख्या

तालिका सूची

ग्राफ - सूची

अध्याय – प्रथम

1. शोध समस्या का परिचय
2. अध्ययन का महत्व
3. शोध समस्या का स्वरूप वर्तमान प्रासंगिकता एवं समस्या के श्रोत
4. अध्ययन के उद्देश्य
5. अध्ययन क्षेत्र
6. अनुसंधान विधि
7. परिकल्पना

शोध समस्या का परिचय

प्राक्कलन :-

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात् दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में ग्रामीण बैंका को स्थापित करना जो ग्रामीण समस्याओं के पहचान एंव स्थानीय सोच में तारतम्य स्थापित कर सके और जिसमें सरकार संस्थाओं जैसे गुण व व्यापारिक बैंकों के समान व्यवसाय संगठन का गुण हो, जमाओं को गतिशील बनाने की योग्यता हो , केन्द्रीय मुद्रा बाजार में पहुंच हो। लघु एवं समान्त कृषकों तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों की वित्तीय आवश्यकताओं तथा कृषकों को परम्परागत ऋण व्यवस्था से छुटकारा दिलाने की दृष्टि से सरकार द्वारा वर्ष 1972 में आर.जी.सरैया की अध्यक्षता में एक बैकिंग आयोग का गठन किया गया साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण की स्थापना का सुझाव दिया। इस सुझाव की उपयुक्तता पर विचार करके एम. नरसिम्हम की अध्यक्षता में गठित समिति ने कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ग्रामीण बैंक स्थापित किये जाने को उचित बताया। इस प्रतिवेदन के आधार पर भारत सरकार ने 26 सितम्बर 1975 को एक अध्यादेश द्वारा देश भर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने की घोषणा की। इस अध्यादेश के आधार पर 2 अक्टूबर 1975 को 4 राज्यों में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गयी आज ग्रामीण बैंक प्रत्येक गांव के आर्थिक जीवन का सबल आधार बन गया है। झॉसी जनपद में रानीलक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दिनांक 30 मार्च 1982 को स्थापित हुआ और बैंक को पी0एन0बी0 बैंक द्वारा प्रवर्तित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होने का गौरव प्राप्त है। यह बैंक रिर्जव बैंक आफ इण्डिया के अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में अनुसूची वाणिज्यिक बैंक के रूप में सम्मिलित है चूंकि लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हमारे झाँसी की महान रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ा हुआ है।क्योंकि यह एक एतिहासिक एवं वीरगाथा नगरी है।

बुन्देलखण्ड सम्भाग के ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है ग्रामीण क्षेत्र में विकास संबधी विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम में अनेक ऐसी योजनाएं चलायी जा रही है। जो साधारण और जरूरतमन्द ग्रामीणों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करती है। ये योजनाए आजादी के बाद से लेकर अब तक की आधी सदी से भी अधिक अवधि से ग्रामीणजनों को रोजगार मुहैया करा रही हैं।

" बेरोजगारी एक विकट समस्या बनती जा रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनो की। गांव से युवक शहरों की ओर पलायान कर रहा है। शहरों से महानगरों की ओर महानगरों से समुद्र पार विदेशों की ओर यह सिलसिला जारी है। परन्तु समस्या का निदान दूर दूर तक नही दिखाई दे रहा है। भले ही प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक में कुछ समय पहले देश की अर्थव्यवस्था की दशा सुधारने की लिए आठ सूत्री कार्यक्रम के तहत, प्रतिवर्ष एक करोड़ रोजगार के नए अवसरों के सृजन की बात कही थी। परन्तु हर साल रोजगार के एक करोड़ अवसर कही दिखाई देते प्रतीत नही हो रहे है।

अर्थव्यवस्था व्यवस्था में गिरावट तीव्र प्रतिस्पर्धा बढ़ती मंदी, कर्ज, अकाल की स्थिति, औद्योगीकरण की दर में कमी व विनिवेश की नीति रोजगार के अवसरों में निरन्तर हो रही कमी के लिए जिम्मेदार है।

आज सैकड़ों उद्योग धन्धे बन्द हो रहे हैं और हजारों औद्योगिक रूगणता के शिकार है राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है। मुद्रा स्फीति की दर भी निरन्तर ही बढ़ रही हैं

शिक्षित बेरोजगार की बढ़ती भीड़ बढ़ती जनसख्या और आर्थिक असमानता ने नई पीढ़ी के लिए ऐसा माहौल बना दिया है कि उनमें आपराधिक प्रवृत्तियां भी बढ़ती जा रही है। यदि शिक्षित बेरोजगार को रोजगार नही मिला तो सामाजिक अराजकता विकराल रूप धारण कर सकती है। इसको दुष्प्रभाव हम सभी को झेलने पड़ेगें। इसके पीछे युवा वर्ग की कुंठा और हताशा को नकारा नहीं जा सकेगा। निश्चित रूप से बढ़ती बेरोजगारी और उससे उत्पन्न हो रहे खतरों पर विचार करना देश की पहली राष्ट्रीय आवश्यकता है।

जिसमें पंचायतों की भूमिका क्रांतिकारी और सृजन की दशा में परिवर्तनकारी सिद्व हो सकती है। हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे है जो भूमिहीन ,श्रमिक या कारीगर है, अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए उनके पास पूंजी का अभाव है ऐसे में पंचायतें जिन्हें स्थानीय सरकार कहा गया है। और लोकतन्त्र की पहली सीढ़ी अपने क्षेत्र में उपलब्ध संसाधन लोगों की क्षमताओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए स्थानींय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ये क्षेत्र प्राथमिकता के अनुसार निम्नांकित हो सकते है। ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्योग उन अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण सतम्भ है जो गांव में हर वर्ग शिक्षित, अशिक्षित, को महिला –पुरूष को रोजगार से जोड़ते है।

वन एवं खनन

जनसंख्या के बढ़ते दबाव ने चारागाहों और वनों का अत्याधिक विनाश किया है। पंचायतों के माध्यम से विकास पर अभी भी अगर ध्यान दिया जाए तो बनों से रोजगार की विपुल संभावनाऐं है।

कृषि एवं पशुपालन

गांव में रोजगार बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका से पंचायतें ऐसी योजनाऐं बनाए जिनमें बेरोजगार परिवार को कृषि योग्य भूमि परती भूमि ओर बंजर भूमि पर रोजगार उपलब्ध कराया जा सकें। पशुपालन भी गाँवों के लोगों के लिए एक अच्छा रोजगार का माध्यम हो सकता है अतः गाँव की पंचायतों को ऐसी योजनायें बननी चाहिये जिससे गाँव के लोगों को पशुपालन से उपलब्ध रोजगार की जानकारी के साथ साथ उसको अपनाने में सहयोग प्रदान करे।

अध्ययन का महत्व :-

एक अर्द्धविकसित देश में औद्योगिक एवं कृषि विकास के लिए वित्तीय संस्थाओं का महत्व विकसित देशों की अपेक्षा ओर भी अधिक है क्योंकि अंग्रेजी शासक एवं शासकों की नीतियों के कारण स्वतन्त्रता के पूर्व भारत में वित्तीय संस्थाओं का समुचित विकास नही हो सका। स्वतन्त्रता के पश्चात् कृषि की आवश्यकता को प्राथमिकता देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 1951 में प्रो0 गाड़गिल की अध्यक्षता में भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण समिति का गठन किया। इस समिति की रिपोर्ट 1954 से प्रकाशित हुयी। समिति की सिफारिशों के अनुसार कृषि को उदारतापूर्वक ऋण सहायता देने के लिए रिजर्व बैंक के द्वारा दो कोषों से राज्य सरकार की गारण्टी पर केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों तथा ग्रामीण बैंकों का दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन ऋण तथा कृषि साख दीर्घकालीन कोष से राज्य सरकारों को सहकारी बैंक के अंश खरीदने, कृषि विकास के उद्देश्यों से ग्रामीण बैंकों को मध्यकालीन ऋण प्रदान करने तथा केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों के ऋणपत्र खरीदने एवं राष्ट्रीय कृषि साख स्थरीकरण कोष की सहायता से ग्रामीण बैंकों को सूखे बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय राजकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने की सुविधा दी जाती रही है। ग्रमीण साख के क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक का यह मत्वपूर्ण योगदान है।

भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण समिति के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि साख उपलब्ध कराने हेतु सहकारी संस्थाओं एवं ग्रामीण बैकों का विकास किया गया है। यद्यपि वित्तीय समस्याओं के रूप में सर्वप्रथम व्यापारिक बैंकों की स्थापना की गयी। किन्तु कृषि के दीर्घकालीन दिवस की दृष्टि से उपयुक्त न थी। इसका कारण भारतीय कृषि का असंगठित एवं जीवन निर्वाह स्वरूप था। व्यापारिक बैंकों ने राष्ट्रीयकरण से पूर्व कृषि क्षेत्र को साख की दृष्टि से उपेक्षित रखा और बैंक की शाखाओं का विस्तार अधिकांशतः उन्ही स्थानों में हुआ जो विकसित थे इनके द्वारा साख सुविधायें केवल बड़े उद्योगों तथा पूँजीपतियों को प्रदान की जाती थी। ग्रामीण क्षेत्रों तथा कृषकों के विकास की इनके द्वारा उपेक्षा हुयी जबकि भारत जैसे

कृषि प्रधान देश में विकास के लिए कृषि विकास तथा कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आवश्यक है। बैंकों के राष्ट्रीकरण के पश्चात् व्यापारिक बैंकों की ऋण नीति में व्यापक परिवर्तन हुए है। जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग एवं छोटे व्यवसायों के साख के संदर्भ में प्रथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यापारिक बैंकों के लिए कुछ निश्चित लक्ष्य एवं उपलक्ष्य निश्चित करके उनकी सहभागिता निर्धारित की गयी। जून 1970 से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा विभिन्न राज्यों में प्राथमिक साख समितियों को वित्तीय सहायता देने के योजना आरम्भ की गयी। चूंकि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्य निर्धन वर्ग के पक्ष में साख का प्रवाह बढ़ना भी था जिससे निर्धनता उन्मूलन की निति द्वारा सामाजिक न्याय के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, निः संदेह सरकार की ग्रामीण साख विस्तार नीति के परिणामस्वरूप ग्रामीण साख की उपलब्धता में व्यापक विस्तार हुआ है लेकिन बैंकिग सुविधाओं का लाभ फिर भी ग्रामीण धनी काश्तकारों तक ही सीमित रहा है , क्योंकि ग्रामीण निर्धन वर्ग पर्याप्त परिसम्पत्ति के अभाव और ब्याज की ऊंची दरों के कारण बैकिंग साख सुविधाओं का लाभ नही उठा सका है।

ग्रामीण निर्धन वर्ग की साख सम्बंधी आवश्यकताओं एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों के कार्यकारी दल (1975) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की सिफारिश की ताकि ये बैंक व्यापारिक बैंक एवं सहकारी बैकों के प्रयासों के पूरक के रूप में वित्त पोषण का कार्य करें। इस दल की सिफारिशों के आधार पर 1975 में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये। धीरे–धीरे इन बैकों का विकास एवं विस्तार हो रहा है।

कृषकों की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण वह महाजनों तथा साहूकारों के चुंगल में फंसा था। जिसका कृषि उत्पादन पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था, यह स्थिति देश के विकास में बाधक थी। कृषि व्यवसाय जो देश का मुख्य व्यवसाय है कि स्थिति सुधारने हेतु कृषि वित्त की समुचित व्यवस्था करना आवश्यक है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास करना, कृषकों की स्थिति सुधारना, सामाजिक

विषमता दूर करना तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना था। इसलिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाओं की स्थापना एवं उनके विकास को महत्व दिया गया।

प्रस्तुत शोध ग्रन्थ में शोध कार्य के वर्तमान सन्दर्भ में अत्यन्त प्रासंगिकता है सारांशतः वर्तमान शोध कार्य के प्रासंगिकता को अग्रांकित बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

1. जनपद में इस प्रकार की शोध समस्या का चयन प्रथम बार किया गया है। अब यह बहुत ही समसायिक नव प्रवर्तनकारी है।
2. यह सर्वविदित तथ्य है कि किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए वित्तीय समस्यायें जैसे बैंक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः इस जनपद का अध्ययन अन्य क्षेत्रों के लिए भी लाभकारी सिद्व होगा।
3. झाँसी जनपद के लिए कोई भी सामाजिक,आर्थिक अनुसंधान, निश्चित रूप से वास्तविक तथ्यों से छात्रों , शोधकर्ताओं , सरकार, योजनाकारों, नीति नियन्ताओं, आम जनता को अवगत कराने का प्रयास है।, ताकि झाँसी जनपद में कई नियोजित विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, अत्यधिक ग्रामीण भारतीय संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद ग्रामीण जनता की गरीबी के क्या कारण है। इन्हें स्पष्ट किया जा सके तथा रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने झाँसी जनपद में कृषि सुविधाओं के विस्तार,गरीबी उन्मूलन तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के जीवन स्तर के उन्नयन हेतु क्या –क्या वित्तीय सुविधायें उपलब्ध कराई है तथा यह बैंक इस कार्य में कहां तक सफल हुआ है इसका अध्ययन प्रस्तुत शोध विषय की प्रासंगिकता स्वयं बयान करता है।
4. वर्तमान शोध समस्या की इस रूप में भी प्रासंगिकता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस शोध अध्ययन से लाभ प्राप्त कर यह निश्चय कर सके कि कुशल एवं प्रभावी ग्रामीण बैंकिग व्यवसाय के लिए किस प्रकार सार्थक नीतियां बनाई जायें।

शोध समस्या का स्वरूप, वर्तमान प्रासंगिकता एवं समस्या के स्त्रोत

कृषि एवं ग्रामीण विकास भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण समस्या है ओर इसके वर्तमान 21 वी0 शताब्दी में आर्थिक चिन्तन को केन्द्र बिन्दु माना गया है। किसी भी तरह कोई भी आर्थिक क्रिया हो उसका वित्त से धनिष्ठ सम्बंध होता है। कृषकों को उर्वरक, बीज, कृषि यन्त्र एवं कीट नाशक दवाइयां खरीदने लगान और मजदूरी का भुगतान करने, भूमि में सरचनात्मक सुधार करने कृषि तकनीकी में नवीनीकरण करने विभिन्न उपभोग योग्य वस्तुओं की प्राप्ति एवं पुराने ऋणों के पुर्नभुगतान हेतु वित्त की आवश्यकता होती है। अधिकांशतः कृषक अपने निजी आय स्त्रोंतों द्वारा कृषिगत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते है। जिसके परिणामस्परूप कृषि साख की समस्या का उदय होता है। कृषि वित्त का स्वरूप औद्योगिक तथा व्यापारिक वित्त के स्वरूप से काफी भिन्न होता है कृषि वित्त का स्वरूप औद्योगिक तथा व्यापारिक वित्त के स्वरूप से काफी भिन्न होता है क्योंकि यदि ऋण का उद्देश्य उत्पादन में वृद्वि कर व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्वि करना हो तो इस प्रकार का विनियोग माना जायेगा और इसका अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा किन्तु ऋण का अनुत्पादन तथा अनावश्यक कार्यो के लिय दुरूप्रयोग करना भविष्य में विपत्ति का कारण बन जाता ह। दुर्भाग्यवश भारतीय किसान विवाह , मृत्यु, मुकदमेबाजी आदि जैसे अनुत्पादन कार्यो के लिए तथा अपने उपभोग पर व्यय करने के लिए उंची व्याज दर पर बड़ी मात्रा के ऋण प्राप्त कर लेता है इस प्रकार कृषि साख की वास्तविक समस्या ऋण की विधि, इसके सम्बंध मे अनियमिततओं तथा उसकी दुरूप्रयोग पूर्ण या अनुत्पादक व्यय विधि से सम्बंधित है। नियोजन के पूर्व कृषि का स्वरूप मूलतः परम्परावादी रहा अतः उस समय कृषि साख की आवश्यकता बहुत कम थी जिसकी पूर्ति मुख्यतः दृष्टिगोचर हुआ है। जिसका प्रमुख कारण कृषि की नवीन तकनीकि का प्रादुर्भाव है सामान्य रूप से कृषकों को तीन प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती है।

1. अल्पकालीन व मौसमी साख :-

खेती के चालू खर्चो ,बीज, उर्वरक, मजदूरी तथा किसान के घरेलू व्यय आदि को चलाने के लिए अल्पकालीन साख की आवश्यकता होती है।

कृषि में अस्थायी सुधार करने, सिचाई की सुविधाओं का विस्तार करने कृषि हेतु उपयोगी पशु खरीदने आदि के लिए मघ्यमकालीन, ऋण की आवश्यकता होती है।

2. दीर्घकालीन साख :-

भूमि खरीदने, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने, कृषि सम्बंधी यत्रं खरीदने तथा पुराने ऋणों को चुकाने आदि के लिए दीर्घकालीन साख की आवश्यकता होती है।

कृषि साख स्त्रोत :-

भारत में कृषि साख का आकार से सम्बन्धित समय पर अलग अलग अध्ययन किये गये है। एडवर्ड मैक्लागन, एम.एल0डार्लिंग, पी0जे0 टामस, केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के प्रयास मुख्य रूप से उल्लेखनीय रहे है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और सम्बद्व क्रियाओं के लिए विभिन्न अभिकरणों से साख आपूर्ति होती है। समान्यतः कृषि की आपूर्ति करने वाले अभिकरणों का दो भागों में बाँटा गया है।

1. गैर संस्थागत स्त्रोत :

गैर संस्थागत स्त्रोतों में ग्रामीण साहूकार, महाजन, सम्बंधी भू– स्वामी एवं दलाल इसके प्रमुख संधटक तत्व रहे है। इनकी अत्यधिक ऊंची ब्याज दरों, निर्दयतापूर्वक वसूली, समय पर आवश्यकता की पूर्ति न करना वित्त का यह स्त्रोत कृषि एंव ग्रामीण विकास के लिए न काफी सिद्ध हुआ है।

2. संस्थागत साख के स्त्रोत :-

तेजी से बदलते हुए आर्थिक एवं परिवर्तनशील कृषि ढांचे के अनुरूप साख की आपूर्ति करने तथा निजी क्षेत्रों की दोषपूर्ण ओर शोषणकारी नीति के फलस्वरूप 1901 के अकाल आयु ने कृषि साख के निजी स्त्रोत में निहित दोषों को दूर करने के लिए वैकल्पिक ऋण साधनों की स्थापना पर जोर दिया था। कृषि साख के संस्थागत ढांचे में सरकारी समितियों और व्यापारिक बैकों को मुख्यतया सम्मिलित किया जाता है। योजनाकाल में ग्रामीण और कृषि साख की संरचना में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। तथापि ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त साख की आवश्यकता लगातार बनी रही है।

यह अनुभव किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्गो लघु एवं सीमान्त कृषकों ,भूमिहीन श्रमिकों ग्रामीण संस्थागत स्त्रोत से अपेक्षित ऋण सहायता नही मिल पाती हैं इसी को ध्यान में रखरते हुए 30 जुलाई सन् 1975 को श्री नरसिम्हम् समिति की रिपोर्ट तथा संस्तुतियों के आधार पर 20 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये।

संस्थागत साख संरचना के क्षेत्र में ग्रामीण बैंक अपेक्षाकृत अधिक नवीन संगठन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रस्तावना में यह कहा गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने की दृष्टि से कृषि उद्योग, व्यापार और ग्रामीण क्षेत्र के अन्य उत्पादक क्रियाओं की प्राप्ति के लिए विशेषकर लघु एवं सीमान्त कृषकों पेशेवर ग्रामीण शिल्पकारों , खेतिहर मजदूरों, लघु उद्यमियों तथा अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को साख सुविधायें प्रदान की जायेगी। यह माना गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तत्कालन साख के विकल्प के रूप में नही बल्कि अनुपूरक आधार पर कार्य करेंगे तथा उनमें ग्रामीण संस्थाओं और व्यापारिक बैकों के गुण निहित होंगे।

चयनित शोध समस्या का स्वरूप :-

झाँसी जनपद राज्य के दक्षिण पश्चिम में 25.13° ओर 25.57° उत्तरी अंक्षाश एवं 78.48° और 79.25° पूर्वी देशान्तर रेखाओं के मध्य स्थित है। जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 5024 वर्ग किमी. है, इसकी पश्चिमी तथा दक्षिण सीमा पूर्ण तरह से म.प्र0 से धिरी है तथा उत्तर में जनपद जालौन एवं पूर्व में जनपद हमीरपुर स्थित है।

झाँसी जनपद के एक बड़े भू–भाग में कठोर पत्थर की चट्टानें पायी जाती है तथा जनपद चिरगांव मोंठ गुरसंराय, बामौर,मऊरानीपुर,बगरा, बबीना, बड़ागांव में कुल 8 ब्लाकों में विभाजित है। यहां की मिट्टियों में मुख्यतः मार (MAR) काबर (Kabar) रान्कर (rankar) परवा (paruwa) मुख्य रूप में पायी जाती है। इस जनपद में कृषि जोत में संलग्न श्रमिकों का प्रतिशत 60.38 प्रतिशत है। 26.35 प्रतिशत भूमि कृषि कार्यो में संलग्न है 1.78 प्रतिशत कृषि से सम्बंधित सहायक क्रियाओं में संलग्न है। सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। कृषि जोतों का आकार छोटा है तथा वाणिज्यिक एवं नकदी फसलों के बोये जाने का क्षेत्र मात्र 5.62 प्रतिशत हैं। सिंचाई सुविधाओं का पर्याप्त अभाव है भूमि की उर्वरा शक्ति कम है तथा औद्योगिक विकास की दर लगभग शून्य है उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के बाद स्वदेशी उद्योग धंधे लगातार बन्द हो रहे है, जिससे उसमें लगे श्रमिक बेकारी की समस्या से जूझ रहे है। जनपद में आधारभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। तथा विद्युत उत्पादन की दर नगण्य हैं।

इस प्रकार झाँसी जनपद की अर्थव्यवस्था अत्यन्त पिछड़ी हुयी कही जा सकती हैं जिससे गरीबी का दुश्चक्र क्रियाशील है। अध्ययनतगत विषय के चयन का महत्वपूर्ण निहितार्थ यही है कि जनपद के कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण का क्या योगदान है अर्थात यह बैंक जनपद की कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को दूर करने में कहा तक सफल हुआ है तथा उसके समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ है ? तथा जिन्हें कैसे दूर किया जा सकता है।

अध्ययन के उद्देश्य :-

प्रस्तावित शोध अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है।

1. जनपद झाँसी में ग्रामीण बैंक के रूप में रानीलक्ष्मी बाई ग्रामीण बैंक द्वारा जनपद के विकास में योगदान का वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करना।
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में रानीलक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबन्ध, प्रशासन वं संगठन पर प्रकाश डालना।
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में रानीलक्ष्मीबाई बैंक के विकास का विवरण प्रस्तुत करना।
4. रानीलक्ष्मीबाई ग्रामीण बैंक द्वारा विभिन्न उत्पादक तथा अनुत्पादक कार्यो हेतु दिये जाने वाले अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋणों का विश्लेषण करना।
5. रानी लक्ष्मी बाई ग्रामीण बैंक द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली तथा बकाया ऋणों की समस्या पर प्रकाश डालना।
6. रानीलक्ष्मी बाई ग्रामीण बैंक की पूंजी निक्षेप एवं सुरक्षित कोषों का विवरण प्रस्तुत करना।
7. रानी लक्ष्मीबाई ग्रामीण बैंक द्वारा कोषों के निवेश का विवरण प्रस्तुत करना।
8. रानीलक्ष्मी बाई ग्रामीण बैंक के लाभ एवं हानि का अध्ययन करना।
9. रानीलक्ष्मी बाई ग्रामीण बैंक के समक्ष आ रही कठिनाइयों एवं समस्याओं को प्रकाश में लाना तथा उन्हें हल करने की दृष्टि से व्यवहारिक सुझाव देना।
10. प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का प्रमुख उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक झाँसी जनपद के लघु एवं सीमान्त कृषकों , कृषि श्रमिकों कलाकारों , पेशेवर , लधु उद्यामियों एवं ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों से ऋण सुविधायें उपलब्ध कराने में कहां तक सफल रहे है।

11. इस अध्ययन का उद्देश्य इन बैंकों के संगठनात्मक वित्तीय ढांचे एवं क्रिया विधि का विश्लेषण कर यह निष्कर्ष निकालना भी है कि यह बैंक अपनी स्थापना के उद्देश्यों में कहाँ तक सफल हुए है।
12. इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की क्रियाविधि में सुधार की क्या संभावनायें है ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोटे आदमियों के लिए बैंक की अपनी वर्तमान रूपरेखा को बनाये रखे तथा क्षेत्रीय और कायात्मक साख अन्तराल को पूरा करने, कमजोर, वर्गो की आर्थिक क्रियाओं को बढ़ाने और स्थानीय जनाओं को गतिशील बनाने के उद्देश्यों में सफल हो सके।
13. बुन्देलखण्ड क्षेत्र के झाँसी जनपद का अध्ययन हेतु चयन व्यष्टि स्तर पर तथ्यों के विश्लेषण के लिए किया गया है। ताकि यह अध्ययन हेतु चयन व्यष्टि स्तर पर आर्थिक लाभदायक हो सके तथा व्यष्टि स्तर पर प्रभावी योजनायें बनाकर क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने का प्रयास किया जाये तथा पिछड़े हुए क्षेत्रो के लिए ग्रामीण बैंक अपनी प्रभावी भूमिका निभा सके।

अध्ययन क्षेत्र

1. झाँसी जिले के समस्त रानीलक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अध्ययन ही हमारा कार्य क्षेत्र है। प्रस्तुत शोधकार्य पूर्णत : द्वितीयक समंकों पर आधरित है समंक जिला झाँसी के क्षेत्रीय रानीलक्ष्मी बाई ग्रामीण बैंक के विभिन्न प्रकाशित एवं अप्रकाशित अभिलेखों , प्रतिवेदनों तथा प्रकाशनों से संग्रहित किये गये है। इसके साथ ही जिला सांख्यकीय पत्रिका जनपद झाँसी

के विभिन्न संस्करण से सामग्री संग्रहीत की गयी है। इसके साथ ही प्राथमिक संमकों का संकलन प्रश्नावली के माध्यम से गादृच्छिक प्रतिचयन के माध्यम से किया गया है।

ग्रामों के विकास में अवरोध के कई कारण है गांव के विकास की गतिहीनता देखकर मन बैठ – सा जाता है। न जाने विकास की गाड़ी गांवों में पिछले 57 वर्षो से कुछ यू अटकी है। कि आगामी 57 वर्ष भी इसे गति प्रदान करने में अक्षम प्रतीत होते है। प्रथम संसद के गठन से लेकर आज तक गांवों के विकास के लिए जितनी भी कोशिशें हुई सभी की सभी सफलता से दूर रह गई। यदि इनके विकास हेतु आंवटित धनराशि के मौटेतोर पर आंकड़े देखे तो यह लगता है कि उनका 25% भी सही तरीके से खर्च होता तो आज भारत गांवों का गरीब देश नही बल्कि विकसित गांवों का विकसित भारत बन गया होता ।

हम सभी को अपने सुन्दर, अतीत सशक्त वर्तमान व सुनहारे भविष्य हेतु गांवो को गति शील बनाना ही होगा।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का योगदान ग्रामों के विकास से की ओर लाना है। ग्रामों के विकास में योगदान जरूरी है या ग्रामों में विकास की लहर लाना है।

ग्रामों में बैंक की स्थापना , मुख्य रूप से सुदूर ग्रामीण अचलों में जिन्हें कतिपय कारणों से अन्य व्यवसायिक बैंकों की पर्याप्त सेवा नही मिल पा रही थी। उन ग्रामीणों को बैंकिग सुविधायें उपलब्ध कराने। व उन ग्रामिण जब समूहों की बचतों के संग्रहण के दृष्टिकोण से की गई है।

इसके साथ साथ यह भी अपेक्षा की गई है कि बैंक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे जन समूह को उनके आर्थिक क्रिया कलापों को संचालित करने हेतु सक्षम बनाने के लिए ऋण सुविधांए प्रदान करनी चाहिए।

जिससे ग्रामों में विकास के लिए कृषि कुटीर एवं लघु उद्योगो फुटकर व्यवसाय दुग्ध उत्पादन व अन्य सहायक क्रिया कलापों को संचालित कर सके/ रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्र ग्रामीण बैंक झाँसी अपने इन उद्देश्यों में पूर्ण मनोयोग से लगा हुआ है एवं सफल भी रहा है।

2. जनपद उ0प्र0 राज्य के पिछड़े हुए सम्भाग बुन्देलखण्ड काएक बड़ा हुआ क्षेत्र है। जिसका कुछ क्षेत्रफल 5024 वर्ग किमी. है। इस जनपद के उत्तर में जालौन पूर्व में हमीरपुर एवं दक्षिण में ललितपुर के मध्य जनपद स्थित है। भौगोलिक दृष्टि यह जनपद 28,57^{0} से 30 30^{0} उत्तरी अंक्षाश तथा 80.40^{0} 82.35 पूर्वी देशान्तर में स्थित हैं

झाँसी जनपद की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसर 1744931 है। जिसमें उसमें पुरूषों की जनसंख्या 4,11711 तथा स्त्रियों की जनसंख्या 3,33810 है। इस जनपद ग्रामीण जनसंख्या कुल 419217 है। जिसमें पुरूष 222170 और स्त्रियों की संख्या 7047 है। झाँसी जनपद की अधिकाश जनसंख्या के जीवन का आधार कृषि ही है। परन्तु कृषि भी परम्परागत ढंग से की जाती है। सिंचाई के साधनों के अभाव के कारण उत्तम प्रकार के बीज तथा रसायनिक उर्वरकों का स्तर अत्यन्त निम्न है। साथ ही जनपद की तीनों फसलों रबी, खरीफ , जायद में परम्परागत फसलें बोई जाती है। जिनमें खरीफ में धान, ज्वार, बाजार, उर्द, मूंग अरहर आदि का स्थान प्रमुख हैं जबकि रबी की फसलों में गोहूं ,जौ, मसूर, अलसी आदि फसलें प्रमुख रूप से बोई जाती हैं। जायद की फसलों में खीरा ककड़ी , खरबूजा ,तरबूज आदि मुख्य रूप से नदियों तथा नालों के किनारे उगाई जाती हैं यही कारण है कि जनपद की अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुयी है। जिसमें लधु एवं मध्यम आकर के कृषकों , भूमिहीनों की स्थिती दयनीय अवस्था में है।

3. झाँसी जनपद उ0प्र0 के राज्य के पिछड़े हूए सम्भाग बुन्देलखण्ड का एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसके अध्ययन से पूंजी की उपलब्धता भी पर्याप्त न होने के कारण लद्यु सीमान्तएवं मध्यम आकार के कृषकों को अपनी आय बढ़ाने हेतु शासन द्वारा संचालित स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार एवं विभिन्न प्रकार की ऋण योजनाओं के तहत साख सहायता उपलब्ध करा रहा है जिन मध्यम आकार के कृषकों भूमिहीन ग्रामीण को ऋण सुविधायें उपलब्ध करा रहा है।

पूंजी का अभाव होने के कारण देश की अर्थ व्यवस्था का विकास उस अर्थव्यवस्था में आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता तथा उनके उत्पादक प्रयोग पर निर्भर करता है। संसाधनों का प्रयोग एवं उत्पादकता संसाधनों की गुणवत्ता तथा उनके प्रयोग कराने हेतु उपलब्ध तकनीक एवं उसके निरन्तर विकास पर निर्भर करता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था चाहे वह समग्र अर्थव्यवस्था का समस्टिगत अध्ययन हो या क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का वयस्टिट पर एक अध्ययन हो के विकास के अध्ययन का प्रश्न अनिवार्य रूप से अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या के परिमाणात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन के साथ जुढ़ जाता है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में उपयुक्त दृष्टिकोण से जनपद झाँसी क्षेत्र में बुन्देलखण्ड सम्भाग के ग्रामीण विकास में रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों का योगदान का अध्ययन प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। झाँसी जिला अपनी विशेष स्थिती के कारण संक्रमण की स्थिती से गुजर रहा हैं साथ ही साथ यह जिला इस संक्रमण दौर में नगरीय ग्रामीण जनांकिकी प्रवृत्तियों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए बहुत ही उपयुक्त है क्योंकि आकार में बहुत बड़ा होने के कारण इस जिले का बहुत बड़ा भाग ऐसा है जहा औद्योगिक एवं ग्रामीण विकास छू भी नही पाया है। इस जिले में नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या के साथ साथ बढ़े ग्रमों का नगरीय कारण के दौर में इस जनांकिकी प्रवृति का अध्ययन विशेष महत्वपूर्ण हो ।

अनुसंधान विधि

प्रस्तुत शोध्र प्रबन्ध में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों ही प्रकार के संमकों का प्रयोग किया जायेगा।

प्राथमिक संमकों के लिए अनुसंधान कर्ता द्वारा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनंसधान विधि का प्रयोग किया जायेगा। जिसमें एक पशनावली तथा अनुयूची तैयार करके प्रत्यक्ष सम्पर्क विधि द्वारा सूचनायें अंकित की जायेगी। यह कार्य द्वितीयक संमकों को प्रकाशित या अप्रकाशित शोध ग्रन्थ पत्र पत्रिकाओं, सरकारी कार्यालयों (जनजातय संख्यिकि कार्यालय) खण्ड विकास कार्यालय आदि से प्राप्त किये जायेग। यह कार्य निम्नलिखित स्तरों पर सम्पन्न किया जायेगा। ग्रामीर्ण विकास के रानीलक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाओं का चुनाव झाँसी जनपद में वर्तमान समय 23 शाखाओं है जिसका प्रधान कार्यालय ग्वालियर रोड पर स्थित है।

इनमें से 8 शाखाअें का दैव निदर्शक पद्विति के आधार पर किया गया। प्रत्येक शाखा के कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्त शाखाओं की एक सूची तैयार की गयी। इस सूची के आधार पर प्रत्येक शाखा के कार्यक्रम में पड़ने वाली समस्त ग्राम सभाओं में से देव निदेर्शन के आधार पर 2--2 ग्राम सभाओं का चुनाव किया गया। अध्ययन के दौरान शोध कर्ता ने प्रश्नावली (प्रति संलग्न) निर्गित की जिनकी संख्या लगभग 50 थी। प्रश्नावली को शोध कर्ता द्वारा ब्यक्तिगत तौर पर एकत्रित किया गया।

समंकों का विश्लेषण :

अध्ययनगत् विवेचन हेतु विभिन्न स्त्रोतों एवं उपकरणों द्वारा संकलित समंकों के विश्लेषण में निम्नांकित प्रविधियों का प्रयोग किया गया है।

चिट्ठा विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण आय व्यय खाता विश्लेषण, प्रवृत्ति विश्लेषण कार्यशील प्रबन्ध विश्लेषण, ग्राफ एवं रेखाचित्र प्रदर्शन प्रविधि आदि का उपयोग किया गया हैं

पाशचात्य देशों में इन पद्धतियों का प्रयोग साख विश्लेषण के लिए प्रारम्भ हुआ था। सन् 1914 केसाख प्रदान करने वाले केवल वित्तीय विवरणों की वस्तुस्थिति पर विश्वास करके साख प्रदान करते थे परन्तु धीरे धीरे इन विवरणों में प्रदत्त समंकों का विश्लेषण महत्वपूर्ण माना जाने लगा इनके लिए अनेक विधियां का विकास हुआ।

अनुपात विश्लेषण :

बैंकिंग जगत में इनके तथ्यों का व्यक्तिगत रूप में कोई महत्व नही होता है इनके आधार पर कोई भी उचित निष्कर्ष उस समय तक नही निकाला जा सकता है जब तक कि विभिनन मदों के बीच कोई सम्बंध स्थापित न किया जाये दो या दो से अधिक मदों के बीच एक तर्कयुक्त व नियमवद्ध पद्धति के आधार पर सम्बंध स्थापना का परिणाम ही अनुपात कहलाता है।

अनुपात विश्लेषण से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है प्रमुख रूप से प्रबन्ध के आधारभूत कार्य योजना समन्वय, नियंत्रण संवहन एवं पूर्वानुमान के कार्य में सहायता पहंचना ही अनुपात विश्लेषण का उद्देश्य होता है। इस तकनीकि के अन्तर्गत लेखांकन अनुपातों का निर्धारण अनुपातों की गणना निकाले गये अनुपातों की प्रमापित अनुपातों से तुलना, अनुपातों का निर्वहन अनुपातों के आधार पर प्रक्षेपित वित्तीय विवरण तैयार करना शामिल होता है। इसके अतिरिक्त अनुपात वित्तीय विवरणों की विभिन्न मदों के मध्य पारस्परिक संख्यात्मक सम्बंध को व्यक्त करता है।

तुलनात्मक विवरण

तुलनात्मक वित्तीय विवरण किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के इस प्रकार बनाये गये विवरण होते है जो विभिन्न तत्वों पर विचार करने के लिए समय परिप्रेक्षप को दृष्टिगत रखते हुय किये जाते है विश्लेषण हेतु तुलनात्मक विवरणों को तैयार करते समय इस बात कोध्यान में रखा जाता है कि किसी संस्था के जितने समय के वित्तीय इतिहास का अध्ययन किया जाता हो उस समय के दौरान समंकों एवं सूचनाओं के एकत्रीकरण एवं प्रस्तुतिकरण की विधियों में भिन्नता न हो।

तुलनात्मक विवरणों में तुलनात्मक चिट्ठा विवरण, तुलनात्मक लाभ हानि खाता कार्यशील पूंजी का तुलनात्मक विवरण आदि महत्वपूर्ण व इन तुलनात्मक विवरणों में वित्तीय आंकड़ों एवं सूचनाओं को निम्न प्रकार से दिखलाया जाता हैं।

1. निरपेक्ष अंकों मुद्रा मूल्य के रूप में
2. निरपेक्ष अंकों में वृद्धि या कमी के रूप में
3. निरपेक्ष अंकों में हुयी वृद्धि या कमी के प्रतिशत के रूप में
4. समान आकार वाले विवरणों के रूप में

वित्तीय विवरणों को तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करके दो वित्तीय विधियों में हुए परिवर्तनों की जानकारी तथा वित्तीय स्थिति एवं संचालन के परिणामों की दिशा ज्ञात की जा सकती है।

प्रवृत्ति विश्लेषण :-

प्रवृत्ति विश्लेषण सामान्य रूप में एक साधरण रूख को कहते है। बैंकिंग तथ्यों की प्रवृत्ति का विश्लेषण प्रवृत्ति अनुपात या प्रतिशत एवं विन्दुरेखी पत्र या चार्ट पर अंकित किया जा सकता है इसके अन्तर्गत लाभ हानि खाते या चिट्ठे के किसी भी मद के सम्बंध में उसकी प्रवृत्ति ज्ञात की जा सकती है अथवा तीन चार वर्षों के अन्तर्गत उस मद में क्या परिवर्तन हुए है अर्थात् उसमें प्रतिवर्ष कमी हुयी है अथवा वृद्वि हुयी इसे हम प्रवृत्ति विश्लेषण के द्वारा ज्ञात कर सकते है इसके आधार पर पिछले पांच वर्षो के लाभ की राशि को एक जगह रखकर हम देख सकते है कि प्रतिवर्ष उसमें कितनी वृद्वि या कितनी कमी हो रही है और उसके आधार पर अगले वर्ष के लिए लाभ का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है।

आय व्यय खाता विश्लेषण :-

गैर बैंकिंग संस्थाओं एवं अन्य पेशेवर व्यक्तियों द्वारा वित्तीय वर्ष की शुद्ध आय एवं हानि ज्ञात करने के लिए आय व्यय खाता तैयार किया जाता है प्रस्तुत शोध कार्य बैंकिग संस्थान सम्बंधित है अतः व्यय खाता पद्धति के स्थान पर लाभ हानि खाता विश्लेषण पद्वति को निष्कर्ष आगणन हेतु प्रयुक्त किया गया है।

कार्यशील पूंजी विश्लेषण

जिस प्रकार वित्तीय प्रबन्ध में पूंजी शब्द का प्रयोग अनेक अर्थो में किया है। उसी प्रकार ब्यवसायिक जगत तें कार्यशील पूंजी का अर्थ भी विवादास्पद है कुछ ब्यक्ति कार्यशील पूंजी को चालू सम्पत्तियों का योग मानते है। जबकि कुछ ब्यक्तियों का योग मानते है जवकि कुछ ब्यक्ति चालू दायित्वों पर चालू सम्पत्तियों के आधिक्य को कार्यशील पूंजी मानते है।

परिकल्पना :

इस अध्ययन में निम्नलिखित परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया।

1. यह कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने सहकारी द्वारा समितियों द्वारा छोड़े गये साख अन्तराल को पूरा किया है।
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थव्यवस्था के उन कमजोर वर्गो को वित्तीय सुविधायें उपलब्ध कराने में सक्षम सिद्ध हुए है। जिन्हें सहकारी समितियों साख सुविधायें उपलब्ध कराने में असफल रही।
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय ढांचा संतोषप्रद है तथा वह ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गो की साख सम्बंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है।
4. यह कि जनपद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा उपलब्ध करायी गयी वित्तीय सहायता से इस बैंक द्वारा लाभान्वितों का जीवन स्तर आर्थिक रूप से निश्चय ही उन्नत हुआ है।
5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जनपद का व्यवसाय इसकी स्थापना वर्ष से निरन्तर प्रगति पर है। इस बैंक ने जनपद की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास तथा निर्धन वर्गो के लोगों को आर्थिक स्थित सुधारने में पर्याप्त योगदान किया है।
6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थव्यवस्था में गरीबी उन्मूलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे है।

रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वित्तीय विश्लेषण

1. **रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के गत आठ वर्षों के चिट्ठों के आधार पर विश्लेषण**

2. **वित्तीय विश्लेषण की विधियां**

3. **अनुपात विश्लेषण**

4. **प्रवृत्ति विश्लेषण**

5. **कार्यशील पूँजी प्रबन्ध विश्लेषण**

रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वित्तीय विवरण

किसी व्यवसाय के संचालन एवं नियन्त्रण हेतु वित्तीय लेखे उसी प्रकार महत्वपूर्ण औजार होते है, जैसे एक सफल यान चालन के लिए वायु मापक यन्त्र दिशा सूचक यन्त्र और चार्ट्स होते है। वित्तीय ढांचे से अभिप्राय किसी भी मौलिक ढांचे से हो सकता है जो किसी व्यवसाय या उद्योग के सम्बंध में आवश्यक वित्तीय सूचनाओं को प्रदर्शित करता हो अर्थात् यह महत्वपूर्ण अवधि में हुए व्यवसायों का सारांश होता है। वित्तीय विवरण प्रायः वार्षिक आधार पर बनाये जाते है और इनके आधार पर ही बैंकिंग संस्था की उन्नति, विकास एवं भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता हैं।

विज्ञान के विकास के साथ साथ व्यापार एवं उद्योग में उन्नति होती जा रही है व्यवसाय अद्योगों आदि के विकास पर ही राष्ट्र का विकास एवं समृद्वि निर्भर करता है। व्यवसाय उद्योगों के लिए वित्तीय विवरणों के अभाव में प्रबन्धक न तो कोई योजना बना सकता है और न ही संचालन एवं नियन्त्रण का कार्य सरलतापूर्वक कर सकता है। वित्तीय विवरण निश्चित अवधि में हुए लाभ या हानि और एक निशचित तिथि को मौजूद वित्तीय स्थिति को दर्शाते हैं इसके अतिरिक्त इन वित्तीय लेखों से विवरणात्मक रूप में उन कारणों का भी ज्ञान हो जाता है जो व्यवसायिक स्थिति के परिणाम के लिए उत्तरदायी होते है। बैकिंग कम्पनी के लिए भी वित्तीय लेखों का बहुत अधिक महत्व है। वित्तीय लेखे बैंक को बैंकों की साख सम्बंधी विशलेषण में सहायक होते हैं। बैंक ऋण देते समय अपने ग्राहकों की वित्तीय स्थिति विशेषतः साख शोध क्षमता एवं लाभार्जन आदि के सम्बंध में विश्लेषणात्मक सूचना प्राप्त करना चहाता है, और वे सूचनायें वित्तीय लेखों से प्राप्त की जा सकती है।

वित्तीय ढांचे की व्यूह रचना।

वर्तमान में वित्तीय ढांचे के अन्तर्गत, दो विवरणों को तैयार किया जाता है। जिन्हे लेखपाल किसी निश्चित अवधि के अन्त में तैयार करता है ये विवरण दो प्रकार के हाते है। स्थिति विवरण जिसे आर्थिक चिट्ठा भी कहते है।

लाभ/हानि या आय विवरण

हाल ही में व्यवसायिक संस्थाओं द्वारा एक तीसरा विवरण भी तैयार किया जाता है, जिसे अधिक्य विवरण या बचत लाभ विवरण के नाम से जानते हैं।

स्थिति विवरण (Balance Sheet)

स्थिति विवरण को आर्थिक चिट्ठा, वित्तीय स्थिति का विवरण, सम्पत्ति एवं दायित्वों का विवरण साधनों एवं दायित्वों का विवरण, सम्पत्तियों, दायित्वों एवं पूंजी का विवरण इत्यादि नामों से जाना जाता है। यह विवरण यह बताता है कि एक निश्चित समय बिन्दु पर व्यवसाय की आर्थिक स्थिति क्या है। ? फांसिस आर स्टीड के अनुसार, "स्थिति विवरण किसी निश्चित समय पर चालू बैंकिग की वित्तीय स्थिति का एक चित्र है" हावर्ड तथा अपटन के मतानुसार स्थिति विवरण का विवरण पत्र है। जो कि उपक्रम के स्वामित्वयुक्त सम्पत्ति मूल्यों और इन सम्पत्तियों के विरूद्व ऋृणदाताओं तथा स्वामियों के दावों को सूचित करता है। "[2] गुथमैन के अनुसार " स्थिति विवरण को किसी उपक्रम के दोहरे वित्तीय चित्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जो कि एक और तो इसके प्रयोग में आने वाली सम्पत्तियों तथा दूसरी ओर उन सम्पत्तियों के स्त्रोतों को दर्शाता है।" [3]

जान एन मायर के अनुसार , " इस प्रकार की स्थिति विवरण मूलाधार या संरचना समीकरण का विस्तृत प्रारूप है यह किसी उद्यम की वित्तीय संरचना के सामने रखता हैं यह प्रत्येक प्रकार की सम्पत्तियों की प्रत्येक दायित्वों की तथा स्वामी या स्वामियों के स्वामिगत स्वार्थ की प्रकृति राशि को बताती है "[4]

कापर के शब्दों में " स्थिति विवरण लाभ हानि खाते में सभी आगम मदों को बन्द करने के पश्चात् बचे खातों के शेष का वर्गीकृत सारांश है [5]'

---

1 " The Blance sheet is screen picture of the financial position of a going banking at a coatain moment" - Francis R. Stead.

2- "The Balance sheet is a stetement which reports the values owned by the enter prise and the claims of the creditors and owners against these properties" - Howard and Upton.

3- "The balance sheet might be difined as the dual financial picture of an enterprise Depicting on the one hand the eproperties that it utilizes and on the other hand the sources of those properties." - H.G.Guthman

4- "Te balances sheet is thus a detailed from of the fundamental or structural equation it sets forth the financial structure of an enterprise it states the nature and amount of each of the various assets of each of liabilities and of the proprietory interest of the owners."

5- "A balance Sheet in a Classified summary of the ledger balance remaining after closing all revenue items into profit & loss account." - L.C. Cropper

साधरणतया आर्थिक चिट्ठे को सन्तुलन पत्र भी कहते है। जिसे एक निश्चित तिथि को प्रायः वर्ष के अन्तिम दिन सम्पत्ति पक्ष में सम्पत्तियों एवं देनदारियों के मूल्यों को तथा दायित्व पक्ष में स्वामित्व फण्ड ऋण एवं दायित्वों के मूल्यों को प्रदर्शित करके सन्तुलन मैं लाया जाता है। मूल्यों की रकम वही होती है। जो प्रत्येक मद के व्यक्तिगत खातों के खतौनी और बाकी निकालने के बाद शेष बचती है। दोहरा लेखा प्रणाली में जमा एवं नाम की प्रविष्ट समान धनराशि होने के फल स्वरूप आर्थिक चिट्ठे के दोनों पक्षों का योग भी समान होता है। चिट्ठे में सम्पत्ति की तरफ उस प्रारूप को दर्शाया जाता है। जिसमें व्यवसाय के फण्ड का प्रयोग किया जाता है, और दायित्व पक्ष से यह पता लगता है कि उस फण्ड को प्राप्त करने कि लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। वैसे आर्थिक चिट्ठे को कई ओर नामों से भी जानते है। जैसे

1. सम्पत्तियों एंव दायित्वों का विवरण
2. साधनों एवं दायित्वों का विवरण
3. आर्थिक चिट्ठा या समान्य आर्थिक चिट्ठा
4. वित्तीय स्थिति या दशा का विवरण
5. सम्पत्तियों एवं दायित्वों का विवरण एवं स्वामी फण्ड का विवरण आदि।

आर्थिक चिट्ठे को दो भागों में बांटकर बनाया जाता है बायी तरफ दायित्वों को तथा दायी तरफ सम्पत्तियों को दिखाया जाता है। इस प्रारूप को खाता प्रारूप वाला चिट्ठा कहते है। इस प्रारूप को ही भारत वर्ष में कानूनी मान्यता प्राप्त है इसलिए इस प्रारूप को कम्पनी विधान में अपनाया गया है। भारत में बैंकिग व्यवसाय के लिए खाता प्रारूप में ही आर्थिक चिट्ठे को प्रस्तुत किया जाता हैं।

Balance Sheet

	Liabilities		Assets
1.	share Capital (Authorised. Issued and Subscribed called UP & paid UP)	1-	Fixed assets (Goodwill land & building machine furniture vehicles etc.
2-	Reserves and surplus (Gen Reserve Debenture Redemption reservel P&L ACT)	2-	Investment
3-	Secured Loans (Debenture Bank Loan)	3-	Current Assets & Loan Advances Closing stock loose tools working Progress (B/r) prepaid exp. cash and Bank Balance
4-	Unsecured loans Loans From Public	4-	Misc. Expenditure & Losses (Not Provided for prelininary Exp. Share Issue exp discount on issue of Share)
5-	Current Liabilities & Provision	5-	Ps. A/c If there is no general re serve fund. Which this loss can be deducted.
A-	Current Liabilities		
B-	Provisions (Income tax res proposed dividend unclaimed divident advance receipts		
6-	Contigent liabilities not provided for		

स्थिति विवरण की विभिन्न मदों का संक्षिप्त वर्णन :-

स्थिति विवरण को प्रमुख रूप से दो भागों में विभक्त किया जाता है। प्रथम दायित्व पक्ष (Liabilities Side) तथा द्वितीय (Assets Sides) सम्पत्ति पक्ष में मुख्यतः निम्न पांच शीर्षक होते है :

1. अंश पूजी (Share Capital)
2. संचय एवं अधिक्य (Reserve and Surplus)
3. सुरक्षित ऋण (Secured Loan)
4. असुरक्षित ऋण (Unsecured Loan)
5. चालू दायित्व और आयोजन (Current Liabilities and Provisions)

सम्पत्ति पक्ष में मुख्यतः निम्न पांच शीर्षक होते है।

1. स्थायी सम्पत्तियां (Fixed Assets)
2. विनियोग (Investments)
3. चालू सम्पत्तियों ऋण तथा अग्रिम (Current Assets loans and advances)
4. विविध खर्च (Miscellianeous Expenditure)
5. लाभ हानि खाता नाम शेष (Debit Balance of profit and loss account)

दायित्व पक्ष की मदों का विवरण

(Description of Items of Liabilities)

1. अंश पूंजी

स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में प्रथम मद अंश पूंजी होती है। इसे अधिकृत पूंजी निगर्मित पूंजी तथा अभिदत्त एवं चुकता पूंजी के रूप में अलग अलग दिखाया जाता हैं इन सभी रूपों में प्रदर्शित अंश पूंजी में विभिन्न प्रकार के अंशों सामान्य एवं पूर्वाधिकार अंश शोधन की शर्ते शोधनीय अशोधनीय परिवर्तनशील आदि। प्रतिफल हरण किये गये अंशों की राशि सहायक कम्पनियों में अंश तथा अग्रिम मांग के सम्बंध में अलग–अलग विवरण दिया जाता हैं

2. संचय एवं आधिक्य

स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में दूसरी मद संचय एवं आधिक्य की होती है। इसके अन्तर्गत मुख्यतः संचय अंश प्रीमियम एवं आधिक्य की राशि दिखायी जाती है। संचय की राशि को दिखाते समय इनको संचयों के विभिन्न प्रकारों के अनुसार अलग अलग वर्गीकृत दिखाया जाता हैं

3. सुरक्षित ऋण

सुरक्षित ऋृणों के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा निर्गमित ऐसे ऋण पत्र बैंक से लिये गये ऋण एंव अग्रिम आते है। जिनकी राशि कम्पनी की किसी सम्पत्ति की प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित होती है।

4. असुरक्षित ऋण

सुरक्षित ऋणों के अलावा अन्य सभी प्रकार के ऋण एवं निक्षेप असुरक्षित ऋणों में सम्मिलित किये जाते हैं इसे बैकों के लिए अल्पकालीन ऋण जनता से प्राप्त धनराशि निक्षेप तथा प्रबंधकों से लिये गये ऋणों को सम्मिलित किया जाता हैं।

5. चालू दायित्व एवं आयोजन

चालू दायित्वों में विविध लेनदार देय बिल न भुगतान किया गया लाभांश ऋणों पर देय ब्याज एवं बकाया व्ययों को सम्मिलित किया जाता है। आयोजन में कर के लिये आयोजन प्रस्तावित लाभाशं इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। संदिग्ध दायित्व को स्थिति विवरण में केवल टिप्पणी के रूप में दर्शाया जाता हैं

सम्पत्ति पक्ष की मदों का विवरण

1. स्थायी सम्पत्ति

स्थायी सम्पत्तियों के अन्तर्गत भवन, भूमि संयत्र मशीनरी , फर्नीचर आदि को सम्मिलित किया जाता है। स्थायी सम्पत्तियां विवरण मे अपलिखित लागत पर दर्शायी जाती हैं।

2. विनियोग

विनियोग में मुख्यतया कम्पनी द्वारा अन्य संस्था के अंशों, बाण्डों एंव ऋणों पत्रों सरकारी प्रतिभूतियों व अन्य अचल सम्पत्त्यिों में किया गया विनियोग सम्मिलित किया जाता है इन्हें स्थिति विवरण में लागत मूल्य पर दिखाया जाता है।

3. चालू सम्पत्तियों ऋण अग्रिम एवं जमा

चालू सम्पत्ति में मुख्यातया स्टाक, स्कन्ध, देनदार प्राप्त बिल एंव नकद व बैंक शेष को सम्मिलित किया जाता है। ऋण अग्रिमों एवं जमाओं में कम्पनी द्वारा दिये गये ऋण एवं पूतिकर्ताओं को तथा समझौतों के अन्तर्गगत दी गयी अग्रिम रशियों एवं अन्य पक्षों को जमा राशियों को सम्मिलित किया जाता हैं

विविध खर्चे

विविध खर्चो के अन्तर्गत प्रारम्भिक खर्चे अंशों एवं ऋणपत्रों के अभिगोपन तथा दलाली सम्बधित खर्चे अशों एवं ऋणों पर दिया गया बट्टा निर्माण के दौरान पूंजी में दिया गया ब्याज विकास सम्बंधी खर्चे इत्यादि को सम्मिलित किया जाता हैं।

2. लाभ हानि खाता या आय विवरण

(Profit Loss Account or Income Statement)

लाभ हानि खाते को आय विवरण अर्जित आधिक्य का विवरण अर्जनों का विवरण, आय लाभ एंव हानि का विवरण तथा आय एवं खर्चो का विवरण आदि नामों से जाना जाता है। इसका सबसे प्रचलित नाम आय विवरण है। आय विवरण एक अमेरिकी शब्द है। अमेरिकी संस्थाओं में लाभ हानि का हिसाब एक विवरण के रूप में तैयार किया जाता है। अतः वहां उसे आय विवरण के नाम से जाना जाता है। जबकि भारत में लाभ हानि के हिसाब को एक खाते के रूप में तैयार किया जाता है। अतः यहां इन लाभ हानि खाते के नाम से जाना जाता हैं

लाभ हानि खाता एक निश्चित अवधि के व्यवहारों का परिणय दर्शाता है। यह एक प्रावैगिक प्रलेख है क्योंकि यह एक निश्चित अवधि की सभी घटनाओं का निर्दर्शन करता है। हावर्ड तथा अपटन के मतानुसार " किसी अवधि की क्रियाओं के फलस्वरूप स्वामियों के दावे या समता के परिवर्तनों का समुचित विन्यासित सारांश लाभ हानि विवरण कहा जाता है।"[1]

रार्बट एन एन्थानी के शब्दों में ' किसी लेखांकन अवधि के आगम मदो व्यय मदों एवं उनके मध्य अन्तर शुद्व आय को संक्षिप्त करने वाला लेखांकन प्रतिवेदन आय विवरण अथवा लाभ हानि विवरण अर्जनों का विवरण या क्रियाकलापों का विवरण कहलाता है।"[2]

पैटन तथा पैटन के शब्दों में, " किसी व्यवसायिक उपक्रम की किसी दी हुयी अवधि ा के आगामो व्ययों एवं अन्य कटौतियों तथा शुद्व आय की क्रमबद्व ऋृंखला आय विवरण अथवा लाभ हानि खाता कहा जा सकता है।"[3]

The summary of changes in the owner's claim or equity relsuting from Operations of a period of time are properly arranged is called te profit & loss statement.

- Howard & uptan

The accounting report which summarizes the revenue item the expense items & the different between them Net income for an accounting period is called the income statement or the profit and statement of earnings or statement of operation.

- Robert N. Anthony

The income statement sometimes refessed to as the profit and loss statement be defied and/ systematic array of the sevenunes expenses and other deductions adn net name of a business for started period

- Paton & Paton

राय ए0 फालके के अनुसार " आय विवरण वह विवरण है जो व्यवसाय के एक निश्चित अवधि के आय एवं व्यय को प्रदर्शित करता है। एवं तदुपरान्त लेखा अवधि के लाभ एवं हानि की अन्तिम राशि को प्रदर्शित करता हैं।"[4]

हैरी जी गुथमन्न के अनुसार लाभ तथा हानि की विवरण ऐसे आय एवं खर्चों का वर्गीकृत व संक्षिप्त अभिलेख है जो एक निश्चित अवधि के लिए स्वामी हित में परिवर्तन के कारण होते है।"[5]

फोसटर के मतानुसार, "यह लाभ हानि खाता अभी व्यतीत हुयी वित्तीय अवधि के क्रियाकलापों की कहानी बताता है।"[6] लाभ हानि विवरण के सम्बंध में मत व्यक्त करते हुए विनियमपैटन ने लिखा है कि यह लाभ हानि विवरण एक निश्चित अवधि के लिए आय के आंकड़ों की आय में कटौतियों में विनियोग कर्ताओं में विवरण को एक सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है।

लाभ हानि खाता एक निश्चित लेखा अवधि में व्यवसाय संचालन के परिणाम का प्रतिवेदन होता है। लाभ और हानि का विवरण उन समस्त आयों तथा व्ययों का वर्गीकृत एंव संक्षिप्त अभिलेख होता है। जो एक निश्चित अवधि के अन्तर्गत स्वामी हित में परिवर्तन के कारण होते है हैरी जी गुथमन्न के अनुसार,"आर्थिक चिट्ठे से केवल यह ज्ञात होता है कि एक निश्चित तिथि को संस्था की वित्तीय स्थिति क्या है। परन्तु प्रत्येक व्यवसायिक लेन देन का शीघ्र ओर प्रत्यक्ष प्रभाव आर्थिक चिट्ठे की मदों पर पड़ता है। ओर परिवर्तन हो जाता है। परन्तु इस परिवर्तन को तत्काल मापना अथवा ज्ञात करना सम्भव नहीं होता है। क्योंकि आर्थिक चिट्ठा एक विशेष तिथि को ही तैयार किया जाता हैं

4- The Income statement is the schedule that shows the income and expenditure of a business enterprise over a prriod of time given the final fugure sepresening the amount of profit or loss for the accounting period. - Roy A Foulke

5- The statement of profit and loss is the condensed and classified record of the gains and losses causing changes in the owner's interest in the business for a period fo time - Harry. G. Guthmann

6- It tells the story of operations over th efisical period just passed - Lousis O Foster.

रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्तीय विश्लेषणों का विवरण :-

वित्तीय विवरण एक संस्था के किसी ऐसे प्रलेख को कहा जाता है कि जिसमे संस्था से सम्बंधित आवश्यक वित्तीय सूचनाओं का वर्णन किया गया हो। हावर्ड तथा अपटन के अनुसार " यद्यपि ऐसा औपचारिक विवरण जो मुद्रा मूल्यों में व्यक्त किया गया हो वित्तीय विवरणों के नाम से जाना जाता है। लेकिन अधिकतर लेखांकन एवं व्यवसायिक लेखक इसका उपयोग केवल स्थिति विवरण तथा लाभ हानि विवरण के अर्थ में ही करते है।"[1]

बैकिंग व्यवसाय में वित्तीय विवरण वित्तीय वर्ष के अन्त में बनाये जाते है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च तक चलता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र या चिट्ठा तथा लाभ हानि खाता प्रमुख होते है। इन विवरणों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों द्वारा कुछ अनुसूचियों का प्रयोग भी किया जाता है। जो इन विवरणों में दिये गये आंकड़ों एवं सूचनाओं के सहायक के रूप में कार्य करती है। विश्लेषण एवं निर्वाचन करते समय इन अनुसूचियों को वित्तीय विवरणों का ही एक भाग माना जाता है। कुछ सूचनायें ऐसी होती हैं जो तुलन पत्र द्वारा प्रकट नहीं होती अत एव व्यवहार में एक कोष प्रवाह विवरण भी तैयार किया जाता है जो कि वित्तीय विवरणों का ही एक भाग होता है। विवरणों में किन विवरणों को शामिल किया जाये इस विचार पर विभिन्न विद्वान एक मत नही है।

उन प्रमुख विचारको के मत इन सम्बंध में निम्नलिखित है।

गुथमैन के अनुसार,"स्थिति विवरण एंव लाभ हानि खाता ही वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाना चाहिए"[2]

---

1. Although any formal statements expressed in money value might be thought of as financial statements the term has come to be limited by most accounting and business writers to mean the balance sheet and the proft and loos statement.
   - Howard and upton

2. There are two financial statements the balance sheet and the profit & loss
   - Hanr. G. Guthman

3. जे0 एन0 मायर के अनुसार, " शब्द वित्तीय विवरण जैसा कि आधुनिक व्यवसाय में प्रयुक्त होता है,दो विवरण जिनको कि लेखपाल व्यवसायिक संस्था के लिए एक निश्चित समयावधि के पश्चात् तैयार करता है के लिये प्रयुक्त होता है ये विवरण या वित्तीय स्थिति विवरण तथा आम विवरण या लाभ हानि विवरण है।"[3]

4. कैनेडी एवं मूलर के शब्दों में, "वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एवं निर्वचन एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा वित्तीय विवरणों के समंकों की महत्ता एवं आशय निर्धारित किया जाता है। , ताकि भावी अर्जनों देयतिथियों पर ऋणों (चालू व दीर्घकालीन दोनों)एवं ब्याज के भगुतान की योग्यता और एक सुदृढ लाभांश नीति का लाभदायकता की संभावनाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सके।"[4]

वित्तीय अवधि (Financial Period)

वित्तीय अवधि से आशय उस लेखा अवधि से है जिसके अन्त में वित्तीय विवरण तैयार किये जाते है। भारतीय कम्पनी अधिनियम एवं आयकर अधिनियम के अनुसार सारधारणतया : किसी संस्था का वित्तीय वर्ष 12 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए संस्था को अपना वित्तीय वर्ष कैलेण्डर वर्ष या अन्य किसी प्रचलित समयावधि के अनुसार समाप्त करना आवश्यक नही है। साधारणतया व्यवसायिक संस्थायें किसी ऐसी तिथि को अपना वित्तीय वर्ष समाप्त करती है जो उनके वार्षिक बैंकिग चक्र का प्राकृतिक समापन बिन्दु (Natural Ending Point of the Banking Cycle) होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि " सम्पत्तियों दायित्वों एवं स्वामित्वों के विवरण को सामान्यता: स्थिति विवरण के रूप में माना जाता है।"[5]

3- The term financial statements as used in moder business refers to the two statements which the accountant prepares at the end of a period of time for a business enterprises. They are the balance sheet or st atement of financial position and the statement or profit & loss statement. - Joh.N.Myer

4- The analysis and interpretation of financial statements of the financial statement all an attempt to delemine the significance and meaning of the financial statement date so that the forcast may be made of the prospectets for picture earnings ability to pay interest and debt maturities (Both current & longterm) and profictability of a sound disidend policy - Kannedy & muller.

5- Statement of assets liabilities and proprietorship is usually referred to as a balance sheet. - Maurice and lousis

वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एवं निर्वचन

(Analysis and Interpretation of Financial Statements)

वित्तीय विवरण अपने आप में लक्ष्य न होकर साधन मात्र होते है अतः इनसे निष्कर्ष निकालने के लिए इनका विश्लेषण करना आवश्यक है जिस प्रकार मानव शरीर को स्वस्थ्य बनाये रखने के लिए डाक्टर शरीर की सामयिक परीक्षण की सलाह देता है। ठीक उसी प्रकार व्यवसाय को वित्तिय दृष्टि से सुदृढ एवं लाभप्रद बनाये रखने के लिए वित्तीय विश्लेषण की आवश्यकता होती है। वित्तीय विवरण जितने अधिक बड़े तथा भारी होते है उतने ही उच्च प्रबन्ध के लिए बेकार होते है।"[6] वित्तीय विश्लेषण के माध्यम से वित्तीय विवरणों के परिणामों को संक्षिप्त में प्रबन्ध के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है। जिससे उन्हें तुरन्त निर्णय लेने में सहायता प्राप्त हो सकें, वित्तीय विवरण संस्था से सम्बंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को अंकात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं कि ये अंकात्मक तथ्य मूक होते है। अपने आप किसी निष्कर्ष को नही बताते है। इसके लिए आवश्यक होता है कि रचना की तरह किसी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके इन अंकात्मक तथ्य मूक होते है। अपने आप किसी निष्कर्ष को नहीं बताते है। इसके लिए आवश्यक होता है कि रचना की तरह किसी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके इन अंकात्मक तथ्यों से कहलाये जाये जब प्रयोगकर्ता ऐसा प्रयास करता है तो उस क्रिया को वित्तीय विवरण का निर्वचन करते है।

स्पाइसर एवं पैगलर का कथन है कि लेखों के निर्वचन को वित्तीय समंकों को इस प्रकार अनुवाद करने की कला एवं विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ताकि जिससे व्यवसाय की आर्थिक शक्ति तथा कमजोरी संवारण प्रकट हो सके।"[7]

वित्तीय विवरणों का निर्वचन सचमुच एक कला है इसके अन्तर्गत उपलब्ध तथ्यों का विश्लेषण ,अनुविन्यसन सम्बंध स्थापना व उनके आधार पर निष्कर्ष निकालना आदि क्रियायें शामिल होती है निर्वचन का कार्य आधुनिक लेखपालन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक कार्य माना जाता है। निर्वचन के अन्तर्गत निम्नलिखित को भी शामिल करते है।

---

1. The Financial Statements are frequently voluminous combersome and detailed to the point Where they are almost useless to top management.

2. Interpretation of Accounts may be defined as the art and Science of translating the figuress therein their in such a way as to several the financial strength and weekness of a business and the causes which have contributed there to

   \- - Spicer and pegier

1. विश्लेषण (Analysis)
2. प्रवृत्ति का अध्ययन(Study of Trend)
3. तुलना (Comparision)
4. निष्कर्ष निकालना (Drawing Conclusion)

1. विश्लेषण (Analysis)

वित्तीय विवरणों के अंक न केवल खातों की बाकिंया होती है। बल्कि कई खातों की बाकियों के समूह भी होते है। फलस्वरूप उनमें एकरूपता नही होती है इस प्रकार न केवल उनका निर्वचन करना कठिन होता है बल्कि असंख्य लेन देनों का निर्वचन में प्रयोग भी नही होता है। वित्तीय विवरणों में प्रदत्त अंक व उनसे सम्बंधित लेखों का निर्वचन करने के पूर्व बीच की अनेक सुचनओं की आवश्यकता पड़ती है। इन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए वित्तिय विवरण में प्रदर्शित मदों के योग को कई भागों में विभाजित करना पड़ता है। करना पड़ता है उदाहारण के लिए वित्तीय विवरणों के आधार पर यह ज्ञात करना है कि व्यवसाय में एक विशेष तिथि को ऋण की सीमा क्या है ? यह सूचना कुल दायित्व की मदद से प्राप्त होती है परन्तु व्यवहार में दायित्व दो प्रकार का हो सकता है पहला जो अल्पकाल में भुगतान योग्य हो दूसरा जो दीर्घकालीन के रूप में दिखाया जाता है। परन्तु केवल चालू दायित्व के सम्बंध में ही ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होता है यह भी ज्ञात करना आवश्यक होता है कि तीस दिन साठ दिन या नब्बे दिन में भुगतान योग्य दायित्व कितने है इस कार्य के लिए कुल दायित्व का उपभोग में विभाजन करना होगा इस क्रिया को विश्लेषण कहते है।

किने एवं मिलर के शब्दों में " वित्तीय विवरण विश्लेषण में कुछ निश्चित योजनाओं के आधार पर तथ्यों का विभाजन करना निश्चित दशाओं के अनुसार उनकी वर्ग में रचना करना और सुविधाजनक एवं सरल पाठ्य एवं समझने योग्य रूप में उन्हें प्रस्तु करना शामिल है।"

जान मियर के अनुसार " वित्तीय विश्लेषण व्यापक रूप से किसी व्यवसाय में विवरणों के एक अकेले समूह द्वारा प्रकट किये गये विभिन्न वित्तीय कारकों के बीच सम्बंधों ओर विवरणोंकी एक ऋंखला में दर्शायी गयी इन कारकों की प्रवृत्तियों का अध्ययन है। "

---

1. Financial statement analyssi is laugely a study of r elationship among the various finincial factors in a business as disclosed by a single set of statements and a study of the trends of these factors as shown in a series of statements.
- John. Myer.

इसी प्रकार मोग्स, जॉनसन तथा केलर ने लिखा है कि "वित्तीय विशलेषण चयन सम्बन्ध तथा मूल्याकन की प्रक्रिया है"। प्रमुख रूप से विश्लेषण प्रक्रिया के अन्तर्गत निम्न को शामिल कर सकते है।

अंकों का सन्निकटता

इसके अन्तर्गत वित्तीय विवरण में प्रदर्शित मौलिक अंकों को सन्निकटता के आधार पर पूर्णाक बना लिया जाता है। साधारणतया सैकड़ा हजार या लाख में पूर्णाक बनाते समय जिस सीमा तक अंकों को पूर्णक बनाना हो उसके बाद की आधे से कम राशि को छोड़ दिया जाता है। तथा उससे अधिक राशि को मानकर जोड़ लिया जाता है इसके साथ ही हजार या लाख में बनाये गये पूर्णकों को लिखते समय उनको बोध कराने वाले शून्यों को भी लोप किया जा सकता है। और केवल संख्याओं को ही लिखा जा सकता है। परन्तु ये संख्यायें हजार या लाख में है इसका संकेत किसी उपयुक्त स्थान पर देना आवश्यक होता है।

2. तुलना (Comparision)

वित्तीय विवरणों की मदों का विभिन्न भागों में उपभोग में वर्गीकरण करने के बाद उनकी सापेक्षित मात्रा को मापना आवश्क होता है। जैसे चालू दायित्वों की रकम ज्ञात करने के बाद उनकी चालू सम्पत्तियों से तुलना करने पर ही उचित निष्कर्ष निकल सकता है। यही नही चालू सम्पत्तियों के विभिन्न उपभोग की आपस में तुलना करना भी आवश्यक होता है। यदि चालू दायित्वों व चालू सम्पत्तियों की निरपेक्ष रकम के आधार पर संस्था की भुगतान क्षमता सुदृढ़ दिखायी दें परन्तु जब देय रकम और प्राप्त रकम की तिथिवार तुलना की जाये तो स्थिति कुछ और भी स्पष्ट हो सकती है। अतः शुद्व निर्वचन के लिए तुलना आवश्यक होती है।

3. प्रवृत्ति का अध्ययन (Study of Trend)

निर्वचन के लिए वित्तीय विवरणों के योग को ही अलग करना जरूरी नहीं होता हैं बल्कि उनकी तुलना करना भी आवश्यक होता है इसके अतिरिक्त गत कई वर्षों के अन्दर व्यवसाय से सम्बंधित विवरण मदों में जो भी परिवर्तन हुए है उनका अध्ययन भी इसके लिए

1- Finaicial Analysis is the process of selection relation adn evaluation
- Moges jonsun Kajer.

अवश्यक है गत वर्षो के वित्तीय विवरणों के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण मदों की प्रवत्ति की माप करना व उनका विश्लेषण करना आवश्यक है इसके लिए क्षैतिज विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। प्रवृत्ति अनुपात, प्रवृत्ति औसत का प्रयोग करके ही क्षैतिज विश्लेषण सम्पादित होता हैं।

4. निष्कर्ष निकालना (Drawing Conclusion)

वित्तीय विवरणों के निर्वचन का मुख्य उद्देश्य संस्था की वित्तीय दशा के सम्बंध मे राय प्रकट करना होता है यह राय केवल वित्तीय समंकों के विश्लेषण, तुलना एवं प्रवृत्ति अध्ययन के आधार पर कायम नही की जा सकती इन समंकों के आधार पर उचित विचार या धारणा को आर्थिक तथ्यों पर आधारित करना पड़ता हैं।

वित्तीय विश्लेषण की विधियां

पाश्चात्य देशों में इस पद्धति का प्रयोग साख विश्लेषण के लिए प्रारम्भ हुआ था। सन् 1914 तक साख प्रदान करने वाले केवल वित्तीय विवरणों की वस्तु स्थिति पर विश्वास करके साख प्रदान करते थे परन्तु धीरे धीरे इन विवरणों में प्रदत्त समंकों का विश्लेषण महत्वपूर्ण माना जाने लगा और इनके लिए अनेक विधियों का विकास हुआ। वर्तमान में वित्तीय विश्लेषण की निम्न विधियां है।

1. तुलनात्मक वित्तीय विवरण (Comparative Financial statement)
2. वित्तीय अनुपात (Financial Ratios)
3. समानाकार वित्तीय विवरण (Common Size Financial Statements)
4. प्रवृत्ति विश्लेषण (Trend Analysis)
5. कोष प्रवाह विवरण (Funds Flows Analysis)
6. नकद प्रवाह विवरण (Cash Flows Statements)
7. सम विच्छेद विश्लेषण (Break Even Analysis)

यह आवश्यक नही है कि एक वित्तीय विश्लेषण में उपयुक्त सभी तकनीकी का प्रयोग किया जाये । वित्तीय विश्लेषण की तकनीकी का चुनाव विश्लेषण के उद्देश्य पर निर्भर करता है विशिष्ट परिस्थितियों को घ्यान में रखते हुए विश्लेषणकर्ता का उन परिस्थितियों के लिऐ उपयुक्त तकनीकी का चुनाव करना चाहिए। एक विश्लेषण के लिए जो तकनीकी उपयुक्त साबित होती है दूसरे के लिए विल्कुल अनुपयुक्त साबित हो सकती है। इस शोध का विश्लेषण वित्तीय अनुपात विधि के अन्तर्गत किया गया हैं।

वित्तीय विश्लेषण का महत्व (Importance of Financial Analysis)

वित्तीय विश्लेषण का बैंकिग निर्णयों में सर्वोपरि महत्व हैं। वित्तीय विश्लेषण की पद्धतियां बैंक को उसके नियोजन तथा नियंत्रण दोनों ही कार्यो में सहायक होती है। वित्तीय नियोजन के समय मैनेजर यह देख सकता हैं कि उसके द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों का बैंक की आर्थिक स्थिति तथा लाभदायकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वित्तीय नियंत्रण के क्षेत्र में इन पद्धतियों के माध्यम से मैनेजर अपने भूतकालीन निर्णयों की विवेकशीलता तथा उनमें रही कमियों का पता लगा सकता हैं जो भावी निर्णयों में उसका मार्गदर्शन करते हैं अतः वित्तीय विश्लेषण भी बैंकर्स के निर्णयों को विवेकपूर्ण बनाकर कार्यक्षमता में वृद्वि करती है। इसके कुछ लाभ निम्न है।

1. सहज ज्ञान एवं बिना विश्लेषण के लिए गये निर्णय भ्रामक एवं हानिकारक हो सकते है वित्तीय विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर लिये गये निर्णय तर्कपूर्ण एवं वैज्ञानिक होते हैं अतः उनके त्रृटिपूर्ण होने के संभावना कम रहती है।
2. वित्तीय विश्लेषण से प्राप्त परिणामों के आधार पर सहज बोध द्वारा लिये गये निर्णयों की पृष्टि की जा सकती हैं
3. सहज बोध के आधार पर लिये गयें निर्णयों का औचित्य निर्णयकर्ता के अतिरिक्त अन्य पक्षकारों के समझ में आना कठिन होता हैं वित्तीय विश्लेषण पर आधारित निर्णयों का स्वरूप एवं औचित्य अन्य व्यक्तियों के भी समझ मे आ सकता है। अतः ये निर्णय विश्वसनीय एवं मूल्यवान समझे जाते है।

वित्तीय विश्लेषण का महत्व बैंक के आंतरिक प्रबन्ध तक ही सीमित नही है। बल्कि इनका प्रयोग अन्य पक्षों तथा विनियोजकों ऋणदाताओं तथा जमादाताओं द्वार भी किया जाता है। वित्तीय विश्लेषण मुख्यतः निम्न पक्षों के लिए अधिक महत्व रखता हैं।

1. बैंक के लेनदार तथ अन्य पक्ष जो बैंक के साथ व्यवहार करते हैं
2. ऋण पत्र धारक
3. ऋणदेय संस्थायें जैसे वित्तीय निगम तथा बैंक इत्यादि
4. वर्तमान व भावी विनियोजक
5. बैंक से सम्बंधित अंशधारक या विनियोजक जो बैंक के साथ कोई दीर्धकालीन समझौता करना चाहते हो।
6. संसद सदस्य सार्वजनिक लेखा समिति तथा सरकार द्वारा स्थापित अनुमान समिति। उपर्युक्त में से महत्वपूर्ण पक्षों के लिए वित्तीय विश्लेषण के महत्व की विवेचना नीचे करेंगे।

1. ऋणदाताओं के लिए महत्व

ऋणदाताओं को दो प्रमुख वर्ग अल्पकालीन तथा दीर्धकालीन में विभक्त किया जा सकता है अल्पकालीन ऋणदाताओं का प्रमुख स्वार्थ बैंक की तरलता में निहित होता है अतः ये बैंक को कोष प्रवाह के माध्यम से यह जानना चाहते है कि उनका कर्ज चुकाने के लिए बैंक के पास समय पर नकद कोष होंगे या नही दीर्धकालीन ऋणदाताओं का स्वार्थ दीर्धकालीन होता है अतः ये बैंक की दीर्धकालीन लाभ अर्जन क्षमता के विश्लेषण से यह देखना चाहते है कि दीर्धकाल में क्या बैंक की अर्जन क्षमता उनके ऋणों के भुगतान के लिए पर्याप्त धन संचित रखेगी या नही। अतः ये बैंक की लाभ अर्जन क्षमता पूंजी संरचना तथा भावी कोष प्रवाह का विश्लेषण करते हैं

2. विनियोजकों के लिए महत्व

विनियोजकों का मुख्य स्वार्थ विनियोजन का सुरक्षा तथा बैंक की लाभ अर्जन क्षमता में होता हैं विनियोजक बैंक में विनियोग की सुदढ़ता के सम्बंध में स्वंय अपनी धारणा बनाते है। विनियोजक इस आशय के लिए प्रति अंश लाभांश की गणना कर सकते है तथा इस लाभांश को अंश के बाजार मूल्य से तुलना कर प्रति अंश मूल्य लाभांश अनुपात ज्ञात कर सकते है।

3. सरकार के लिए महत्व

सरकार की वित्तीय नितियों के संचालन में वित्तीय विश्लेषण एक बैंक से दूसरे बैंक तथा उद्योग से तुलना में सहायक होते है। लाभार्जन अनुपात तथा आवर्त अनुपात सरकार के लिए विशेष महत्व के होते हैं।

4. प्रबन्ध के लिए महत्व

प्रभावशाली नियोजन व नियंत्रण के लिए बैंक के प्रबन्ध की रूचि प्रत्येक वित्तीय पहलू में होती है। प्रबन्ध को विभिन्न अंश धाराकों को संतुष्ट करना होता है। तथा ब्राहय पूंजी की प्राप्ति में अपनी विनिमय करने की शक्ति में वृद्धि करनी होती है। अतः वे अपने वित्तीय विश्लेषण में पूंजी संरचना तरलता स्थिति लाभार्जन शक्ति आदि सभी बातों का समावेश करते है। वित्तीय विश्लेषण के माध्यम से बैंकर्स अपनी नीतियों व निर्णयों की प्रभाावशीलता माप सकते हैं नई नितियों व पद्धतियों के धारण के औचित्य का निर्धारण कर सकते है ताकि स्वामियों को अपने वित्तीय प्रयत्नों का प्रमाण दे सकते हैं।

5. जमाकर्ताओं के लिए महत्व

जमाकर्ताओं को वित्तीय विश्लेषण के द्वारा बैंक की वित्तीय स्थिति का पता चलता रहता है उसकी दशा अच्छी है तो जमा के साथ साथ उस बैंक में विनियोग करना उचित समझते है जो कि बैंक की लाभार्जन क्षमता को बढ़ाती है।

वित्तीय विवरणों की प्रकृति
(Nature of Financial Statements)

वित्तीय विवरणों लिपिबद्ध किये गये तथ्यों के आधार पर तैयार किये जाते है ये लिपिबद्ध तथ्य ऐसे होते है जिन्हें मौद्रिक मूल्यों में व्यक्त किया जा सकता है सामान्य व्यक्ति यह समझता है कि किसी संस्था के प्रकाशित वित्तीय विवरणों में सम्पत्तियों एवं दायित्वों को वास्तविक एवं निरपेक्ष मूल्य पर दिखाया जाता है परन्तु यह धारणा उचित नही है क्योंकि वित्तीय विवरणों में उल्लेखित समंक लिपिबद्व तथ्य लेखांकन परम्पराओं स्वयं सिद्वियों तथा लेखपाल के व्यक्तिगत निर्णयों का सामूहिक परिणाम होते है।

1. लिपिबद्व तथ्य (Recorded Facts)

इनसे आशय लेखांकन अभिलेखों से लिये गये समंकों से होता है बैंकिंग व्यवहारों का लेखा बैंकिंग पुस्तकों में उसी तिथि को तथा उसी मूल्य पर किया जाता हैं जब ये व्यवहार किये जाते है ये अभिलेख वास्तविक लागत आंकड़ों के आधार पर रखे जाते है। विभिन्न लेने देनों के अभिलेखों के लिए मूल लागत या ऐतिहासिक लागत आधार होती है। विभिन्न खातों जैसे – हतस्थ रोकड़ बैंक में रोकड़ प्राप्त विपत्र., विविध देनदार स्थायी सम्पत्तियों इत्यादी के अंक वे ही होते है जो लेखांकन पुस्तकों में लिपिबद्व होते है अत' वित्तीय विवरण लिपिबद्व तथ्यों पर आधारति होते है।

2. लेखांकन परम्परायें (Accounting Conmcentions)

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कुछ निश्चित लेखांकन परम्पराओं का अनुसरण किया जाता है। वित्तीय विवरणों में दिखाये गये तथ्य वास्तविक एवं निरपेक्ष नही होते है। लेखांकन की सारता की प्रथा के अनुसार कम मूल्यों की वस्तुओं के क्रय जैसे पैन, स्टेशनरी, बल्ब आदि को उस वर्ष के आगमन व्यय में सम्मिलित कर लिया जता है जबकि मंहगी बस्तुओं को क्रय जैसे मशीनरी , फनीर्चर इत्यादि को सम्पत्ति में सम्मिलित किया जाता है।

3. स्वयंसिद्धियां (Postulates)

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय लेखपाल कुछ बातों की स्वयंसिद्धि मानकर चलता है चाहे उनकी सत्यता संदेहजनक ही क्यों न हो उदाहरणार्थ लेखपाल देश की मुद्रा रूपये का मूल्य स्थिर मानकर चलता है तथा विभिनन तिथियों को किये गये लेन देनों मे कोई अन्तर नहीं करता । इसी प्रकार व्यवसाय की चालू स्थिति की मान्यता के आधार पर स्थायी सम्पत्तियों को उनके लागत मूल्यों पर दर्शाया जाता है।

4. व्यक्तिगत निर्णय (Personal Judgement)

वित्तीय विवरणों पर लेखपाल के व्यक्तिगत निर्णयों का भी प्रभाव पड़ता हें लेखपाल के बहुत से ऐसे क्षेत्र होते है। जहां पर लेखांकन की अनेक वैकल्पिक पद्वतियां अपनाई जाती है। जैसे असंग्रहयोग ऋण का अनुमान लगाने की अनेक विधियों में से किसी एक विधि को अपनाना।

वित्तीय विवरणों की सीमायें।
(Limitations of Financial Statements)

1. अत्यधिक सूक्ष्मता का प्रभाव (Lank of High Accuracy)

वित्तीय विवरणों के तथ्यों में अधिक सूक्ष्मता नही होती है। क्योंकि इनकी विषय सामग्री ऐसे मामलों में सम्बंधित है जिसे सूक्षमता से व्यक्त नही किया जा सकता है ये तत्व लेखांकन मान्यताओं व प्रथाओं पर आधारित होते है।

गैर – मौद्रिक तथ्यों का संमावेश
(Do not inclute Non Monetary Items)

वित्तीय विवरण व्यवसाय का सही चित्र प्रस्तुत नही करते है क्योंकि इनमें केवल मौद्रिक तथ्यों को ही सम्मिलित किया जाता है। जबकि गैर – मौद्रिक तथ्य भी व्यवसाय को प्रभावित करते है उदाहरण के लिए व्यवसाय की साख कर्मचारियों का मनोबल, प्रबन्ध की कुशलता आदि। लेकिन इन तत्वों को वित्तीय विवरणों में नही दर्शाया जाता है।

ऐतिहासिक प्रलेख (Historical Records)

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक प्रलेख होते है अतः व्यवसाय की वर्तमान स्थिति का सही चित्रण नही करते है।

भूतकालीन घटनाओं पर आधारित (Bais on Part Events)

वित्तीय विवरण भूतकालीन घटनाओं पर आधारित होते है भविष्य के बारे में जानकारी नही देते हैं

ऊपरी दिखावे (Window Dressing)

वित्तीय विवरणों में ऊपरी दिखावे का सहारा लेकर संस्था की स्थिति का वास्तविक से अधिक अच्छा दिखाया जा सकता हैं

अन्तरिम प्रतिवेदन (Interim Report)

वित्तीय विवरण अन्तरिम प्रतिवेदन होते है क्योंकि व्यवसाय के वास्तविक लाभ की जानकारी व्यवसाय के समापन होने के बाद ही जानी जा सकती है।

भूल परिवर्तन को न दर्शाना (Do not reftect price level change)

वित्तीय विवरणों मूल्य परिवर्तनों को नही दर्शाते अतः विभिन्न वर्षो को वित्तीय विवरणों में दिखायी गये तथ्य तुलनीय नही होते है इनकी सीमाओं के पश्चात् बैंक स्वामित्व निधि जमा उधार से सम्बन्धित तालिका को आगे दर्शाया गया हैं।

तालिका न0 2.1

रा0ल0ब0क्षे0ग्रामीण बैंक के निवेश उन पर अर्जित ब्याज का तुलनात्मक विवरण (रू0 हजार में)

वर्ष	विवरण					
	कुल निवेश	औसत कुल निवेश	अर्जित ब्याज आय	निवेश पर अर्जन दर		राशि लाखों में
1998 – 99	–	–		–		–
1999 – 2000	–	–		–		–
2000 – 01	2750.04	2598.30	280.20	10.81		
01 – 02	3355.47	3144.11	295.86	9.41		
02 – 03	4025.59	3677.99	315.33	8.57		
03 – 04	5247.02	441283	252.97	5.73		
04 – 05	4946.86	5429.33	329.71	6.07		

स्त्रोत :– रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन

तालिका न0 2.2

डी0ए0पी0/एम0ओ0यू0 वर्षों की अपेक्षायें एवं उपलब्धियां (रूपये हजार में)

विवरण	2000 — 2001 अपेक्षायें	उपलब्धियां	2001 — 2002 अपेक्षायें	उपलब्धियां	2002 — 2003 अपेक्षायें	उपलब्धियां	2003 — 2004 अपेक्षायें	उपलब्धियां	2004 — 2005 अपेक्षायें	उपलब्धियां
1. निजी	—		—		—		—		—	
स्वामित्व	—		—		—		—		—	
निधि	—		—		—		—		—	
अ अंश पूंजी	—		—		—		—		—	
व प्रारक्षतियां	—		—		—		—		—	
स अंश जमा पूंजी	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
जमा	850000	834438	1100000	1002266	1250000	1144889	1400000	1308166	151000	1503049
अ मांग जमा	382500	396900	583000	489234	650000	571756	750000	708657	90000	958928
वृद्वि %	34.02%	39.12%	46.89%	23.26%	32.86%	16.87%	31.17%	23.94%	27%	35.32%
स सावधि जमा	467500	437500	517000	513032	600000	573133	650000	599509	610000	544121
उधार	90700	55381	97000	115570	156100	159581	206900	238000	229000	210799
अ वृद्वि प्रतिशत	83.23%	11.97%	75.15%	109%	35.07%	38.08%	29.65%	49.14%	3.78%	11.43%
B NABARD	78400	51800	91900	100260	117800	144271	171600	229700	219000	210798
प्रवर्तक बैंक	12300	3600	5100	15310	38300	15310	35300	8300	10000	1

स्त्रोत रा0 ले0 ब0 क्षे0 ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेन

उपर्युक्त सारिणी तालिका के अन्तर्गत विकास कार्य योजना तैयार कर प्रवर्तक बैंक पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर बैंक द्वारा हस्ताक्षर किये गये जिसके अन्तर्गत विभिन्न मानदण्डों वित्तिय वर्ष 2004 – 05 हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर सहमति प्रदान की गयी। एम0ओ0यू0 के अन्तर्गत बैंक के लिए निर्धारित लक्ष्य एवं उनके सापेक्ष बैंक द्वारा की गयी प्राप्तियों का विवरण सारिणी में दिया गया है जिसके अनुसार 2000 – 01 में 10,000 की अंश पूंजी से अपेक्षा की गयी जिसकी उपलब्धियों भी 10000 हुयी इन वर्षो में प्रारक्षितियों यानि रिजर्व नही थे और अंश पूंजी जमा 85000 लाख थी इस लक्ष्य में 834438 लाख रूपये की उपलब्धियां हुयी जो कि लक्ष्य के अनुसार 977 थी यही स्थिति 2005 तक रही वर्ष 2003–04 में कुछ रिजर्व भी थे वर्ष 2004 – 05 में 1094.52 लाख का रिजर्व का लक्ष्य रखा गया था जिसमें केवल 585.89 तक की उपलब्ध्यिों हो पाई ।

यदि जमा की स्थितियां को देखा जाये तो वर्ष 2000 – 2002 तक कोई भी मांग जमा लक्ष्यों के अनुसार पूर्ति नही कर पा रही है परन्तु 2002 – 03 में 6500 लाख रूपये के लक्ष्यों पर उससे अधिक रूपये 5718 लाख की पूर्ति की गयी जो कि अच्छी स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। 2003–04 वर्ष 2004–05 में भी कमी की स्थिति रही।

राष्ट्रीय बैंक से जो उधार इस बैंक को मिला है वह उसका लक्ष्य सन् 2004–05 में 219000 लाख रूपये का था जिसकी उपलब्धियां 210799 रही और प्रवर्तक बैंकों से मिला उधार शून्य की स्थिति दर्शा रहा हैं

तालिका

निवेश एवं उन पर अर्जित ब्याज का तुलनात्मक विवरण (रूपये हजार में)

तालिका

प्रतिभूतियों पर विवेश एवं उन पर अर्जित ब्याज का तुलनात्मक विवरण (रूपये हजार में)

वर्ष विवरण

	अनुमोदित प्रतिभूतियों में निदेश	औसत अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	अर्जित ब्याज आय	अनुमोदित प्रतिभूतियां पर अर्जन दर
2001 – 01	275004	259830	28090	10.81
2001 – 02	335547	314411	29586	9.41
2002 – 03	402559	367799	31533	8.57
2003 – 04	524702	441283	25297	5.73
2004 – 05	494686	542933	32971	6.07

स्त्रोत रानी लक्ष्मीबाई क्षे. ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन।

उपुर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2001 में बैंक ने कुल रू0 2750.4 हजार का निवेश करते हुए पिछले वर्ष की तुलना में 22.31 प्रतिशत की वृद्वि अर्जित की है जिसकी अर्जन दर 1998 से 1999 तक घटकर .79 प्रतिशत का अन्तर प्रदर्शित कर रही है वर्ष 2002 से 3355 लाख का कुल निवेश था जो कि 2001 की तुलना में 17.55 प्रतिशत रहा है अगर इसी प्रकार हम इसकी तुलना करें तब सन् 2003 में कुल निवेश कर अर्जन दर 9.69 प्रतिशत हो गयी जो घटती जा रही है वर्ष 2005 में बैंक का कुल निवेश रूपये 4946.86 लाख है यह कुल जमा राशियों का 39 30 प्रतिशत है जो कि गत वर्ष 55.23 प्रतिशत था।

इसी प्रकार यदि हम रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्र ग्रामीण बैंक की अंशपूंजी जमाराशि कोदेखें तो यह 1998 में थी जो कि जिस पर अर्जित ब्याज आय हजार थी और जमाराशि पर अर्जन दर प्रतिशत हुआ। यह पिछले वर्ष के सापेक्ष 189.07 प्रतिशत की वृद्वि प्रदर्शित कर रहा है वर्ष 2000 में जमाराशि 139694 लाख है जो कि 2003 तक है फिर 2004 में अंश पूजी जमा राशि 143963 लाख रूपये हो गयी जो कि पिछले वर्षो के सापेक्ष 3.05 प्रतिशत की वृद्वि दर्शते है। 143963 पर अर्जित ब्याज आय 84.04 हजार रूपये प्राप्त हुयी जो कि जमाराशि अर्जन दर 5.84 प्रतिशत थी। 2004–05 की जमाराशि समान होते हुए इसकी अर्जित ब्याज आय मं परिवर्तन होने के कारण इसकी अर्जन दर में परिवर्तन आ गया है।

यदि हम वर्षवार बैंक की अनुमोदित प्रतिभूतियों में किये गये निवेश को देखें तो यह 2000 व 2001 में 275004 लाख रूपये हुआ जिसमें अर्जित की गयी ब्याज आय 28090 हजार व 29586 हजार रूपये आयी ओर इसकी अर्जन दर क्रमश: 10.81 प्रतिशत व 9.41 प्रतिशत थी।यदि हम 2003 की 2002 में तुलना करें तो प्रतिभूतियों में निवेश 22.09 प्रतिशत की कमी दर्शाता है परन्तु यह निवेश 2004 में बढ़कर 524702 रह गयी जिस कारण इसकी अर्जित की गयी ब्याज आय में भी परिवर्तन आ गया यह 2004 की अपेक्षा 2031 हजार रूपये का अन्तर दर्शाती है जो कि 5 46 प्रतिशत हैं

सारिणी में कुल निवेश बढ़ता जा रहा है और उसकी अर्जन दर कम होती जा रही है इसका एक कारण तो यह है कि बैंक ने पहले जो निवेश किया उस वक्त ब्याज दर अधिक रखी और बाद में ब्याज दर कम कर दी जिसके कारण अर्जन दर घटती जा रही है और इसके घटने का दूसरा कारण यह है कि बैंक इस विनियोग को ऐसी जगह कर रहा है जो कि अच्छा लाभ नही दे रही है इसके लिए प्रबन्धक को इस और ध्यान देना चाहिए ताकि बैंक अपना निवेश ऐसी जगह करे जहां से उसकी अर्जन दर में बढ़ोत्तरी हो।

उपर्युक्त तीनों तालिकाओं की अर्जन दरों को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

ग्राफ – 1

PRODUCTIVITY (2001 TO 2005)

तालिका न0 2.3

रानी लक्ष्मीबाई क्षे. ग्रामीण बैंक जमायें।(रूपये हजार में)

वर्ष	चालू खाते में जमा		बचत जमा	मियादी जमा		कुल योग
	बैंकों से	अन्य		बैंकों से	अन्य	
1992 – 99	–					
99 – 2000	–					
00 – 01	–	21235	375696	–	437507	834438
01 – 02	–	26841	462393	–	513032	1002266
02 – 03	–	25597	546159	–	573133	1144889
03 – 04	–	21506	687151	–	599509	1308166
04 – 05	–	65677	869737	–	567635	1503049
योग						5792808

उपर्युक्त सारिणी में चालू खाते में जमा व बचत खाते तथा मियादी जमा वर्ष – बार बढ़ता गया है जो कि अच्छी स्थिति का सूचक है।

तालिका न0 2.4
अर्जित आय एवं ब्याज व्यय (रूपये हजार में)

क्रम सं0	जमा का	1999 – 2000	2000 – 2001	2001 – 2002	2002 – 2003	2003 – 2004	2004 – 2005	2004 – 2005
अ	आय स्त्रोत							
1.	श्रृणों एवं अग्रिमों पर ब्याज	–	–	28493	39865	51065	58724	69248
2.	निवेश पर ब्याज	–	–	28090	31533	25297	32971	
3.	निवेश पर अन्य आय	–	–	–	–	–	–	–
4.	बैक अवशेषों पर	–	–	–	–	–	–	–
5.	गौर निधि व्यवसाय से गैर	–	–	–	–	–	–	–
6.	विविध आय अपरलिखित खातों में प्राप्त वसूली सहित	–	–	7600	12374	27221	32683	24597
	योग	–	–	64183	81825	109819	116704	229035
ब	व्यय स्त्रोत	–	–	–	–	–	–	–
	1. जमा पष्र	–	–	50632	56725	59040	60506	57876
	2. उधार पर	–	–	3917	6047	9738	11642	14424
	3. कार्यगत पर	–	–	–	–	–	–	–
	योग	–	–	54549	62772	68778	72148	72300

तालिका न0 2.5

रानी लक्ष्मी बाई क्षे. ग्रामीण बैंक का जमायें

क्रम सं0	जमा का स्वरूप	1999 – 2000		2000 – 2001		2001 – 2002		2002 – 2003		2003 – 2004		2004 – 2005	
		खाते	राशि	खाते	राशि	खाते	राशि	खाते	राशि	खाते	राशि	खाते	राशि
1.	बचत खाता	76876	2770	80274	3757	89212	4627	97628	5462	100731	6956	103483	869737
2.	चालू खाता	936	83	2341	212	2405	268	2615	256	2194	363	3011	89191
3.	कुल मांग जमा	77812	2853	82615	3969	91617	4892	100243	5718	102925	7319	106494	958928
4.	सावधि जमा	19939	3831	20007	4375	22210	5131	22402	5731	21867	5763	16899	544121
	योग	97751	6684	102622	8344	113827	10023	122645	11449	124792	13082	123393	1503049

तालिका नं0 में विभिन्न आय स्त्रोतों का वर्णन किया गया है यदि हम रानी लक्ष्मीबाई क्षे. ग्रामीण बैंक की आय के साधनों पर गौर करें तो ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज 1997 – 98 में हजार था जो कि 1999 – 2000 में बढ़कर हजार हो गया वह वृद्वि 28.4 प्रतिशत बढ़ी इसी प्रकार यह वृद्वि 2000 – 2001 में 28493 थी यदि इसकी तुलना 2004–05 से की जाये तो यह बढ़कर 114.2 प्रतिशत तक बढ़ी।

इसी प्रकार बैंक को निवेशों पर ब्याज बढ़ती हुयी दर से प्राप्त हुआ इसका कारण ब्याजदर का उच्च होना है और जिससे प्रदर्शित होता है कि बैंक ने निवेशों पर उपयोग सही जगह किया है परन्तु 2004 – 05 में निवेशों पर ब्याज कम प्राप्त हुआ इसी प्रकार निवेशों पर अन्य प्रकार की आय वर्ष 2003 – 04 में 58724 हजार रूपये प्राप्त हुयी। और 2004 – 05 में यह केवल हजार रूपये हुयी इसका कारण बैंक द्वारा इस वर्ष कम निवेश किये गये।

बैंक अवशेषों पर 1997 – 98 में 1153 हजार रूपये प्राप्त हुआ जिसकी तुलना यदि हम 2001 से करें तो इसमें 68 प्रतिशत लगभग की वृद्वि अर्जित की गयी और यदि इसकी तुलना 2004 – 05 से की जाये तो यह 42 प्रतिशत की कमी दर्शाती है। विविध आय अपलिखित खातों में वसूली 2003 – 04 में 32683 हजार थी जिसमें वर्ष 2004 – 05 में 139 प्रतिशत की वृद्वि दर्ज की गयी।

इसी प्रकार उपर्युक्त सारिणी से यदि हम व्यय स्त्रोतों की गणना करें तो वर्ष 1997 – 98 में 56608 हजार रूपये किये गये जिसकी वृद्वि दर 1998 – 99 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक रही। बैंक द्वारा जमा पर किये गये व्यय वर्ष 1997 – 98 में 6077 रूपये थे जो कि वर्ष 2004 – 05 की तुलना में 139 प्रतिशत बढ़ गये इसी प्रकार कार्यगत पर किये गये व्यय वर्ष 1997 – 98 से 2004 – 05 तक 123 प्रतिशत बढ़े।

इसी प्रकार यदि हम वर्ष 2004 – 05 के कुल आय स्त्रोतों की तुलना कुल व्यय स्त्रोतों से करें तो इनमें 156735 का अन्तर पाया जाता है जिससे 19.5 प्रतिशत आय अधिक रही।

तालिका न0 2.6

रानी लक्ष्मीबाई क्षे. ग्रामीण बैंक के आय व्यय का विश्लेषण (राशि हजार में)

वर्ष		विवरण	आय	व्यय	अन्तर
1998	–	99	–		
99	–	2000	–		
2000	–	01	64183	88092	– 23909
01	–	02	81825	109212	– 27387
02	–	03	109819	108258	1561
03	–	04	200164	197185	2979
05	–	05	126816	121599	5217

उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि वर्ष 1998 में रूपये हजार की आय का व्यय पर आधिक्य था। और 2000 में यह अधिक्य रूपये 17939 हजार हो गया जो कि 1998 की तुलना में 57.9 प्रतिशत बढ़ा इसी प्रकार 2003 की तुलना 2004 से तुलना करने पर यह आधिक्य घट गया 36.3 प्रतिशत रहा यह आधिक्य वर्ष 2005 में घटा जो कि 37.9 प्रतिशत रहा। इसका कारण यह है कि बैंक ने व्यय अधिक किये है उसकी आय स्त्रातों पर ध्यान नहीं दिया गया जिससे आय घट गयी।

तालिका 2.7

रानी लक्ष्मीबाई क्षे. ग्रामीण बैंक के लाभ हानि का विशलेषण (राशि हजार में)

वर्ष	विवरण	लाभ हानि वर्ष के लिए शुद्व लाभ / हानि	पीछे से लाया गया लाभ/हानि	योग
1998 –	99	–		
99 –	2000	–		
2000 –	01	– 23909	– 306971	– 330880
01 –	02	– 27387	– 330880	– 358267
02 –	03	+ 1561	– 358267	– 356706
03 –	04	+ 2979	– 356706	– 353727
04 –	05	+ 5217	– 353727	– 348510

उपर्युक्त सारिणी में ग्रामीण बैंक की लाभ ओर हानि को प्रदर्शित किया गया है यदि हम 1998 की स्थिति को देख तब रानीलक्ष्मीबाई ग्रामीण बैक को 12501 लाख की हानि हुयी ओर 1999 में यह हानि घटकर 1060 हजार हो गयी वर्ष 2000 में यह हानि घटकर 21868 हजार हो गयी वर्ष 2001 में 330880 हजार हो गयी और वर्ष 2002 में घटकर 358267 हजार रूपये हो गयी यदि हम 1998 की तुलना 2002 से करे तो हम पाते है कि 84025 तक हानि को कवर किया गया इससे सिद्व होता कि वर्ष 1998 में रानीलक्ष्मीबाई क्षे. बैंक की आर्थिक स्थिति अच्छी नही थी आगे के वर्षो में बैंक की आर्थिक स्थिति में सुधार आता गया परन्तु फिर भी यह 2002 तक हानि में चलता रहा वर्ष 2003 में बैंक की आर्थिक स्थिति में एक नया मोड आया और बैंक ने 1167 हजार रूपये के लाभ अर्जित किये। वर्ष 2005 तक रानीलक्ष्मीबाई क्षे. ग्रामीण बैंक अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सफल रहा वर्ष 2003 की तुलना में 2005 में 30 प्रतिशत से अधिक का लाभ अर्जित किया इस प्रकार रानीलक्ष्मीबाई क्षे. ग्रामीण बैंक विकास की और अग्रसर है।

स्त्रोतः रानीलक्ष्मीबाई क्षे. ग्रामीर्ण बैंक का वार्षिक प्रतिवेदन।

तालिका नं0 2.8
अर्जित आय एवं ब्याज व्यय (रूपये हजार में)

क्रम सं0	विवरण वर्ष	1997—1998	1998—99	1999—2000	2000 — 2001	2001 — 2002	2002 — 2003	2003 — 2004	2004 — 2005
अ	आय स्त्रोत								
1.	श्रृणों एवं अग्रिमों पर ब्याज	—	—	34356	42471	73269	97954	108540	134007
2.	निवेश पर ब्याज	87706	32316	32316	40339	120403	108589	100461	96845
3.	निवेश पर अन्य आय	—	—	—	—	—	—	18768	1411
4.	बैक अवशेषों पर	—	83301	83301	79980	1938	3402	1964	1840
5.	गौर निधि व्यवसाय	4608	5160	5160	6770	9565	18346	12310	14046
6.	विविध आय अपरलिखित खातों में प्राप्त वसूली सहित	.	—	—	—	—	—	1294	3858
	योग	117130	155137	155133	169560	205206	228291	243337	252007
ब	व्यय स्त्रोत	—	—	—	—	—	—	—	
	1. जमा पक्ष	56608	67993	77856	86662	98826	102896	100629	106258
	2. उधार पर	6077	6703	8185	7097	6238	7599	12100	14575
	3. कार्यगत पर	40355	44352	46787	48308	68751	72400	82700	89984
	योग	103040	119048	132828	142067	173815	182895	195429	210817

अनुपात विश्लेषण

वित्तीय विश्लेषण के लिए आधुनिक समय में अनुपातों का सार्वभौमिक प्रयोग किया जाता है । अनुपात किन्ही दो संख्यात्मक तथ्यों के मध्य गणितीय सम्बंध स्थापित करता है इसके समर्थक एलेक्जेण्डर बॉल माने जाते है। इन्होंने सन् 1909 में अनुपात विश्लेषण की विस्तृत पद्वति को प्रस्तुत किया था। इनके तथ्यों का व्यक्तिगत रूप में कोई महत्व नही होता जब तक कि इनके बीच कोई सम्बंध स्थापित न किया जाये। कैनेडी व मैकमुलन के अनुसार साधारण गणितीय स्वरूप में मदों के मध्य सम्बंध को अनुपात कहते है। रॉबर्ट एन एन्थोनी के अनुसार अनुपात केवल मात्र एक संख्या को दूसरी के सम्बंध में अभिब्यक्ति है। यह एक संख्या आधार को 100 के बराबर लिया जाता है तथा उपलब्धि या भागफल को आधार के प्रति सौ के रूप में व्यक्त किया जाता है। हंट विलियम व डोनाल्डसन के अनुसार अनुपात केवल मात्र वित्तीय विवरणों से प्राप्त संख्याओं के सम्वन्धी को अंकगणितय रूप में प्रदर्शित करने का साधन है पद्धति के आधार पर सम्बंध स्थापना का परिणाम ही अनुपात कहलाता है। साधारणतया गणतीय स्वरूप में मदों के मध्य सम्बंध में केवल अभिव्यक्ति है यह एक संख्या का अन्य संख्या में भाग देकर प्राप्त किया जाता है अनुपात वित्तीय विवरणों की विभिन्न मदों के मध्य पारस्परिक संख्यात्मक सम्बंध को व्यक्त करता है।

1. अनुपात के रूप में 2:1 , 4:1, 5:1 इत्यादि
2. दर के रूप में दो गुना , 4 गुना, 5 गुना आदि।
3. प्रतिशत के रूप में 20% 30% , इत्यादि।
4. सूक्ति या वाक्याशं के रूप में Two for one " One and One half for One " etc.

---

1. The relationship of One item to another expresed in simple mathenatical from is knawn as a ratio - Kennedy & MC. Muller

2- A ratio is simple one number expressed in terms of another . It is formed by dividing one number the base into the other as equalling 100 and the quotient is expressed as per hundred of the base -Anthony Robert .N.

3- Ratios are simply a means of high lighting in arithemetical terms the relationship between figures d rawn from financial statements. - Hunt. Willam & doneldron

अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य :-

अनुपात विश्लेषण वित्तीय विश्लेषण का हृदय कहा जाता है। जिस प्रकार शरीर में हृदय की धड़कन के माध्यम से शरीर की स्वस्थता का पता लगाया जा सकता है ठीक उसी प्रकार व्यवसाय के अनुपात विश्लेषण के माध्यम से व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अनुपात विश्लेषण प्रबन्धकों की व्यवसाय की गतिविधियों का उचित ज्ञान कराता है जिससे संख्या की कार्यकुशलता में वृद्वि करने हेतु आवश्यक निर्णय लेने में सहायता मिलती है जे0 बेटटी के शब्दों में लेखांकन अनुपात शब्द का प्रयोग चिट्ठे लाभ हानि खाते बजटरी नियंत्रण पद्वति में या लेखांकन संगठन के किसी भाग में दर्शायी गयी संख्याओं के मध्य सार्थक सम्बंध प्रदर्शित करने मे किया जाता है। संख्या से सम्बंध रखने वाले विभिन्न वाहरी पक्ष यथा विनियोक्ताओं , ऋणदाता पूर्तिकर्ता अंशधारी आदि भी संस्था के वित्तीय अनुपातों के माध्यम से व्यवसाय की गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त करके संस्था के साथ अपने संम्बधों का समायोजन करने में समर्थ होते है इसके उद्देश्यों के अन्तर्गत अनुपातों की सहायता से बड़े बड़े एवं जटिल अंक समूहों का संक्षिप्त एवं सरल करना सम्भव हो जाता है जिससे उनमें निहित अर्थो को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है इसके अलावा अनुपातों की सहायता से व्यवसायिक गतिविधयों का व्यवस्थित ढंग से विश्लेषण करना संभव होता है।

अनुपात विश्लेषण का महत्व एवं उपयोगिता

इसके अध्ययन से विभिन्न संस्थाओं के मध्य तुलना की जा सकती है तथा उसकी कार्यक्षमता जानी जा सकती है।

वायरमैन के अनुसार वित्तीय अनुपात उपयोगी इसलिए है कि क्योंकि यसे विस्तृत व कठिन गणना के परिणामों का संक्षिप्त सारांश देते है। अनुपात विश्लेषण तकनीकी में केवल अनुपातें की गणना ही नही की जाती बल्कि वित्तीय विवरणों के विभिन्न मदों में

4- The terms accounting ratios is used to discribe significent reletionship which exist between figures shown on a Balance system or in any other past of the accounting organisation - J. Botty

5- The financial ratios are useful because they summarize briefly the results of de tailed and complicated compution - Herealel Birman J.R. And Allenare drabine

गणितीय सम्बंध का निर्वाचन भी किया जाता हेलफेर्ट के अनुसार अनुपात विश्लेषण तुलनात्मक उच्च या निम्न कार्यक्षमता तथा किसी औसत या तुलनात्मक प्रभाव में महत्वपूर्ण विचलनों की प्रवृत्ति को मालूम करने के लिए संकेत व मार्गदर्शन का कार्य करता है।

यह संस्था को बोलने की शक्ति प्रदान करते है मूल रूप में ये संख्यायें मौन रहती है अतः अनुपात संख्याओं को बोलने की जो शक्ति प्रदान करता है वह बहुत लाभदायक होती है। इसके अतिरिक्त अनुपातों की सहायता से भविष्य की योजनाओं को भलीभांति स्पष्ट किया जा सकता है। जिससे बजट एवं नियंत्रण प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू करने में मदद मिलती है।

अनुपात विभिन्न अवधियों की वित्तीय गतिविधियों में हुए परिवर्तनों को दर्शाने में सहायक होते है इस प्रकार अनुपातों का प्रयोग भी प्रभावी समप्रेषण में सहायक होता है। अनुपातों के माध्यम से संस्था की सामान्य कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए संस्था की उचित गतिविधियों के मानक निर्धारित किये जा सकते है वास्तविक गतिविधियों को मानकों के अनुरूप बनाये रखने की चेष्टा करने से संस्था की गतिविधियों में उत्तम समन्वय व सन्तुलन बनाये रखा जाता है।

अनुपात विश्लेषण का प्रयोग कार्यकुशलता के मापदण्ड के रूप में किया जाता है इनकी सहायता से विभिन्न कालों में हुए परिवर्तनों को या विभिन्न बैंकिग संस्थाओं में किसी लेखा अवधि में हुए परिवर्तनों का मापा जा सकता है तथा इस प्रकार उनकी तुलनात्मक कार्यकुशलता का अनुपात लगाया जा सकता है।

अनुपातों के सफल प्रयोग के लिए लेखांकन तथा विश्लेषण प्रक्रिया में एकरूपता बनाये रखना नितान्त आवश्यक है। लेखांकन सिद्वान्तों के प्रयोग में एकरूपता बनाये रखने का अभाव होने से अनुपातों के माध्यम से प्राप्त निष्कर्ष अशुद्व एंव भ्रामक हो सकते है अतः अनुपातों के प्रयोग के लिए लेखांकन प्रक्रिया में एकरूपता होनी अनिवार्य हैं

6- The ratio analysis produide guides and class expecially in spotting tends towards better on poor performance and in binding out significient deviation from any average on relatively appliable of andaed. - Healfert Erich . A

अनुपात विश्लेषण के प्रकार :-

अनुपातों की गणना व निर्वाचन निम्न दो दृष्टिकोण से किया जा सकता है।

काल श्रेणी विश्लेषण :-

यदि अनुपातों की गणना प्रवृत्ति मालूम करने के लिए विभिन्न वर्षो के लिए की जाये तो ऐसे समय पर आधारित विश्लेषण को काल श्रेणी विश्लेषण कहते है।

प्रतिनिधिक समूह विश्लेषण :-

यदि अनुपातों की गणना एक निश्चित समय में सपूर्ण बैंकों की विभिन्न संस्थाओं के लिए की जाये तो ऐसे विश्लेषण को प्रतिनिधिक समूह विश्लेषण कहते है।

काल श्रेणी विश्लेषण व प्रतिनिधि समूह विश्लेषण दोनों एक साथ भी किये जा सकते है। साधारणतया सभी अनुपात समान्य प्रवृत्ति नही बताते है। जब अनुपातों को समूह में रखा जाये तो उनसे विश्लेषण को प्रवृत्ति का बोध होना चाहिए तथा ये अनुपात उसी बैंकों की अन्य संस्थाओं से तुल्य होने चाहिए।

अनुपात विश्लेषण की मान्यतायें:-

अनुपात विश्लेषण निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है।

1. जिन विवरणों के आधार पर वित्तीय अनुपातों की गणना की गयी है वे यथासम्भव पूर्व व विशिष्ट चित्र का प्रदर्शन करते है।
2. बैंकिग या संस्था जिसका विश्लेषण किया जा रहा है वे वित्तीय विवरणों में अंकित तथ्य अन्य संस्थाओं व संपूर्ण उद्योग के तथ्यों में तुल्य है।
3. वित्तीय विवरण बैंक की बैंकिग स्थिति का वास्तविक प्रदर्शन करते है।

अतः उपर्युक्त मान्यतायें वास्तविक स्थिति में जितनी सही उतरती है उतने ही अनुपात विश्लेषण के निष्कर्ष सही होने की सम्भावना रहती हैं

अनुपात विश्लेषण की सीमायें :-

यद्यपि अनुपात विश्लेषण का प्रयोग वित्तीय विश्लेषण में अत्यधिक लोकप्रिय है तथापि यह अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई अनुपात संपूर्ण चित्र प्रदर्शित नही करता लेकिन वे केवल संकेत मात्र देते है जो वित्तीय स्थिति एवं संस्था की प्रक्रिया को नियम के आधार पर

अत्यधिक समुच्चयबोधक होते है अनुपात स्वयं में कोई निष्कर्ष नही होते बल्कि विश्लेषणकर्ता को अनुपात विश्लेषण व अपने चातुर्य के माध्यम से निष्कर्ष निकालने हेतु होते है। विश्लेषणकर्ताओं को विश्लेषण के मापदण्डों का उपयोग करना होता है। जिनके आधार पर वह निष्कर्ष निकलता है। संक्षेप में यह ध्यान रखा जाता है कि अनुपात वित्तीय विश्लेषण में केवल मार्गदर्शन करते है। तथा अपने आप में निर्णायक साध्य नही होते है।[1] "हैराल्ड वायरमैन के अनुसार अनुपात विश्लेषण सुदृढ निर्णय का स्थानापन्न नही है। बल्कि यह अन्यथा जटिल स्थितियों में निर्णय लेने में सहायक उपकरण होता है "[2] यदि एक अनुपात महत्वपूर्ण है तो वह केवल मात्र सार्थक सम्बंध नही दर्शाता बल्कि विश्लेषणकर्ता को तुरन्त निर्णय लेने मे सहायक होता है अतः अनुपातों के उपयोगी व सार्थक होने के लिये यह आवश्यक है कि वे तुलना के लिये चुने गये सम्बन्धित तथ्यों के मध्य या विभिन्न सम्बंधित वर्गो के लिए सार्थक सम्बंध दर्शाते हो तथा वे अवलोकित समस्या से संगति दर्शाते हो।

अनुपात विश्लेषण की निम्न प्रमुख सीमाये।

1. केवल एक अनुपात किसी स्थिति का संम्पूर्ण चित्र प्रदर्शित नही करता है अतः अवलोकित समस्या से सम्बंधित सभी अनुपातों पर विचार किये बिना एक ही अनुपात के आधार पर निकाले गये निष्कर्ष स्थिति का भ्रामक चित्र प्रस्तुत करते है। इसलिए यह आवश्यक है कि निष्कर्ष निकालते समय सभी सम्बंधित अनुपातों पर विचार व टिप्पणी की जाये। कैनेडी व मैकिलन के अनुसार " एक अकेला अनुपात अपने आप में अर्थहीन होता है। यह सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत नही करता " अनुपात विश्लेषण अपने आप में साध्य नही है। यह केवल निर्वाचन के लिए साधन मात्र है। अतः यह उन पहलुओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित करता है जिनकी अधिक छानबीन आवश्यक है।

वित्त्तीय विवरणों में कभी कभी कुछ झूठे दिखावे भी होते है जिनका प्रभाव वित्तीय अनुपातों पर पड़ता है क्योंकि वित्तीय अनुपात इन विवरणों में प्रदर्शित तथ्यों पर आधारित होते है। अतः

---

1. It should be remembered that ratios are only guides in analyssi of finacial state ments and not concluseve ends in themselves. - Krors Kinton and Boyed
2- Ratio analysis is not a substitute for round judgement rathert is a helpful tool to aid in applying judgement to otherwise complex situations.
   - Harold benman and Allem R. Dredin.
3- It a ratio is to be important it must not only represet a true relationship but must also aid the aalyst making has immediate decision.
   - Korn S.Winton and Boyd. Thomas.
4- A single ratio in itself is meaning less - it does not furnishe a conplete picture
   - Kennedy & Memullen

विश्लेषक को निर्वाचन करते समय इन झूठे दिखावों पर ध्यान देना पड़ता है।

अनुपात विश्लेषण समस्या का केवल परिणात्मक विश्लेषण का यन्त्र है। इसमें समस्या के गुणात्मक कारकों से भी अधिक महत्वपूर्ण क्यों न हो।

अनुपातों की गणना लेखा अभिलेखों से की जाती है। अतः इनमें वे सभी कमियां एवं त्रुटियां रह जाती है जो इन अभिलेखों में होती है लेखांकन कुछ मान्यताओं एवं सिद्वान्तों पर आधारित होता है ये मान्यतायें अनुपात विश्लेषण की उपयोगिता को सीमित कर देती है।

अनुपात विश्लेषण में तुलना के लिए उसी प्रकार की अन्य संख्या या प्रमाप अनुपातों का प्रयोग किया जाता है सभी प्रकार की संख्याओं के लिए किसी एक अनुपात को प्रमाप अनुपात नही कहा जा सकता विभिन्न परिस्थितियों व संख्याओं के आकार के अनुरूप प्रमाप में संशोधन आवश्यक है। इस प्रकार अनुपात विश्लेषण के आधार पर तुलना के लिए उचित प्रमापों का अभाव पाया जाता है।

विभिन्न अनुपातों की गणना भूतकालीन तथ्यों के आधार पर की जाती है इन्हें वर्तमान या भविष्य के लिए प्रयोग करना सदैव ही वांछनीय नही होता है क्योंकि वर्तमान या भविष्य की घटनाओं भूतकालीन प्रवृत्ति से भिन्न हो सकती हैं

अनुपात विश्लेषण में निर्वचन एवं निष्कर्ष विश्लेषक व्यक्तिगत योग्यता व पक्षपात से प्रभावित हो सकते है। अतः इनका प्रयोग बड़ी सावधानी तथा सतर्कता के साथ किया जाता हैं

अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरणों में सन्निहित केवल कुछ सूचनाओं पर ही आधारित होता हैं उचित विश्लेषण एवं सुदृढ निर्णय के लिए यह आवश्यक है कि इससे प्राप्त सूचनाओं को अन्य स्त्रोतों से प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के साथ प्रयोग किया जाये।

अनुपात केवल सापेक्षित स्थिति का प्रदर्शन करते हैं अतः अनुपातों को वास्तविक आंकड़ों का स्थापन्न नही समझना चाहिए। वास्तविक आंकड़ों व अनुपातों में पर्याप्त भिन्नता हो सकती हैं अतः विश्लेषक को निर्वचन करते समय वास्तविक आंकड़ों को ध्यान में रखा जाता है।

अनुपातों का वर्गीकरणः-

अनुपातों का प्रयोग भिन्न भिन्न व्यक्तियों व संस्थाओं द्वारा किया जाता हैं लेकिन यह आवश्यक नही है कि सभी व्यक्ति व संस्थायें एक सही समान अनुरूप अनुपातों की गणना करें। इन सभी को अपने उद्देश्यों को मध्य नजर रखते हु अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्लेषकों के लिए भिन्न भिन्न होते है। जेसे कुछ अनुपातों का प्रयोग बैकिंग संस्थाओं के लिए

विश्लेषकों के लिए भिन्न भिन्न होते है। कुछ अनुपातों का प्रयोग बैंकिंग संस्थाओं के लिए कोई महत्व नही है।

चूंकि हम यहां बैंकिंग संस्थाओं का ही विश्लेषक कर रहे है और उनका ही वर्णन करेंगे किन्तु संक्षेप में अनुपात अनेक प्रकार के हो सकते है जो कि निम्नलिखित है।

स्थिति विवरण के आधार पर वर्गीकरण

1. विवरण के आधार पर
2. सापेक्षित महत्व के आधार पर
3. प्रकृति के आधार पर
4. लेखांकन के महत्व के आधार पर
5. प्रयोगकर्ता के आधार पर
6. उद्देश्य के अनुसार

लाभदायक अनुपात

1. सकल लाभ अनुपात
2. शुद्व लाभ अनुपात
3. परिचालन अनुपात
4. व्यय अनुपात
5. पूंजी निवेश पर प्रतिफल
   - A अंशधरियों के कोषों पर प्रत्याय
   - B समता अंश पूंजी पर प्रत्याय
   - C विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय
6. लाभांश अनुपात
7. विनियोगताओं की दृष्टि से लाभदायकता अनुपात
   1. प्रति अंश आय
   2. प्रति अंश लाभांश
   3. मूल्य अर्जन अनुपात
   4. लाभांश प्रतिफल अनुपात
   5. भुगतान अनुपात

निष्पादन अनुपात

1. सकन्थ आबर्त अनुपात
2. सम्पत्ति आबर्त अनुपात
   - A स्थायी सम्पत्ति आबर्त अनुपात
   - B चालू सम्पत्ति आबर्त अनुपात
3. प्रात्य आबर्त अनुपात
4. पूंजी आबर्त अनुपात
5. देय आबर्त अनुपात
6. आधार भूत रक्षक अन्तर
7. शोधन क्षमता अनुपात

वित्तीय स्थिति अनुपात

1. चालू अनुपात
2. तरल अनुपात
3. पूर्ण तरलता अनुपात
4. स्थायी सम्पत्ति अनुपात

ग्राफ — 1.1

Average Financial Margin (2001 to 2005)
Average Return of Fund
Average Cost on fund
Average Financial Margin
12
10
8
6
4
2
0
10.07
5.8
4.27
10.19
5.47
4.72
9.72
5.12
4.6
8.43
4.51
3.92
8.01
4.16
3.85
March 01
March 02
March 03
March 04
March 05

को किया जा सकता संस्था की आर्थिक स्थिति लाभार्जन दर एवं वित्तीय संरचना को देखते हुए यह अलग – अलग हो सकता है । इस तथ्य को स्थायी सम्पत्ति अनुपात की गणना द्वारा भी विश्लेषित किया जा सकता है जिसमें कुल दृश्य स्थायी सम्पत्तियों में स्वामित्व पूंजी व दीर्घ कालीन उधार का भाग देकर ज्ञात किया जा सकता है ऐसी दशा में यह अनुपात 1:1 होने की स्थिति में सुदृढ वित्तीय स्थिति का परिचायक है क्योंकि 1:1 से अधिक का अनुपात यह बताता है कि स्थायी सम्पत्तियों कल दीर्घकालीन कोषों से अधिक है तथा इससे निष्कर्ष निकाला जायेगा कि संस्था ने अल्पकालीन कोषों के प्रयोग के सम्बंध में दूरदर्शी सोच नही अपनाई है। चालू अनुपात यह बताता है कि चालू दायित्व के प्रत्येक रूपये के लिए कितनी चालू सम्पत्ति की व्यवस्था है। चालू अनुपात अल्पाकलीन ऋणदाताओं की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह अनुपात अल्पकालीन ऋणों की शोधन क्षमता एवं सुरक्षा सीमा प्रकट करता है। यह अनुपात एक से जितना ही अधिक होगा संस्था की चालू दायित्वों का भुगतान करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी व अल्पकालीन ऋणदाताओं समय पर ऋणों की वापसी के प्रति उतने ही अधिक आश्वस्त होगी व अल्पकालीन ऋणदाताओं समय पर श्रणों की वापसी के प्रति उतने ही अधिक आश्वस्त होंगे। परन्तु इस अनुपात का एक सीमा से अधिक होना ऋणदाताओं की दृष्टि से अवश्य अच्छा होता है पर वित्तीय प्रबंध की दृष्टि से अल्पाकलीन वित्तीय साधनों की त्रृटिपूर्ण नियोजन का द्योतक होता है क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यवसाय का अत्याधिक धन अनावश्यक रूप से अनुत्पादक रूप से बेकार पड़ा रहता है जिस पर कोई आय प्राप्त नही होती है दूसरी और निम्न चालू अनुपात व्यवसाय में कार्यशील पूंजी की कमी को प्रदर्शित करता है। जिसमें व्यवसाय के सुचारू संचालन मं बाधा आती है। इस सम्बंध में अधिकतर लेखकों का मत है कि औद्योगिक फर्मो से 2:1 का चालू अनुपात आदर्श समझा जाता है क्योंकि यह मत इस बात का विश्वास दिलाता है कि यदि वर्तमान स्तर से मूल्यों में 50 प्रतिशत गिरावट भी हो जाये तब भी अल्पकालीन ऋणों का समय पर भुगतान हो जायेगा। परन्तु यह केवल औद्योगिक फर्मो के लिए आदर्श माना जाता है। चूंकि हमारी अध्ययन वस्तु बैंकिंग संस्था है इसलिए यह अनुपात 2:1 से भी कम हो सकता ह क्योंकि बैंकिग संस्थाओं को औद्योगिक कमों की तरह उत्पादन प्रक्रिया को बनाये रखने हेतु इसी प्रकार व्यवसाय की अल्पकालीन वित्तीय सृदृढ़ता का 2:1 का चालू अनुपात कोई प्रमाणित माप नही है क्योंकि

पर्याप्त दीर्घकालीन कार्यशील पूंजी की आवश्यकता नही होती इसका तात्पर्य यह नही है कि बैंकिंग संस्थानों को कार्यशील पूंजी की कतई आवश्यकता होती है। जिसके लिए उनके पास पर्याप्त तरलकोष उपलब्ध होते है।

प्रत्येक व्यवसाय की निजी विशेषतायें होती है तथा उनकी कार्य करने की दशायें भी भिन्न भिन्न होती है। अतः व्यवसाय की प्रकृति व प्राप्त तथा दी गयी साख अवधियों को ध्यान में रखते हुए इस अनुपात की आदर्श सीमा में परिवर्तन बांछनीय होंगे।

इसी प्रकार त्वरित या तरलता अनुपात के अन्तर्गत सन् 1998 में यह अनुपात 87:1 रहा। इसकी स्थिति वर्ष 2002 में 101:1 रही जो कि 2005 में घटक 76:1 हो गयी।

ऋण समता अनुपात के अन्तर्गत एक व्यवसायिक संस्था की कुल सम्पत्तियों का अर्थ प्रबंधन स्वामी समता या वाहन ऋणों द्वारा किया गया होता है कुल सम्पत्तियों के अधिग्रहण में कितना फण्ड स्वामियों द्वारा प्रदान किया गया और कितना धन वाहन व्यक्तियों द्वारा दिया गया है। इसका गहरा प्रभाव संस्था की शोधनक्षमता (दीर्घकालीन) पर पड़ता है। अतः यह आवश्यक होता है कि कुल सम्पत्तियों, स्वामी और ऋणों के बीच कुल सम्पत्तियों के अर्थ प्रबंधन हेतु अधिकांश रूप से स्वामी समता पर निर्भर करती है तो वापिस लेनदारों का हित सुरक्षित होता है और संस्था के समक्ष भी उनके भुगतान की कोई कमी नही होती हैं

चिट्ठे पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात का विश्लेषण

झाँसी जनपद में कार्यरत रानीलक्ष्मीबाई ग्रामीण बैंक जो कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में कार्यरत है को हम चिट्ठे पर आधारित कुछ वित्तीय अुनपातों का विश्लेषण कर रहे है यदि हम पिछले कुछ वर्षो का वर्तमान वर्षो से तुलनात्मक अध्ययन करे तो हमें वित्तीय विवरणों में हुए उतार चढ़ावों का पता चलता है।

मेरे प्रथम अवलोकन के दौरान मुझे तालिका से पता चलता है कि बैंक का लाभ प्रावधानों से पूर्व वित्तीय वर्ष 2000–01 में 2859 हजार थी जो कि 2003–04 में 2979 हजार बढ़ गयी यह प्रत्येक वर्ष उत्तरोत्तर बढ़ती गयी है जो कि 2001–02 में 4.24 प्रतिशत बढ़ी तथा 1999–2000 में वर्ष 2000–01 की तुलना में यह 38.16 प्रतिशत की गति से बढ़ी। वित्तीय वर्ष 2000 – 01 से 2001–02 में 12.15 प्रतिशत बढ़ी ओर 2003–04 में वर्ष 2002–04 की तुलना में 3.30 प्रतिशत की वृद्धि बढ़ी। बैंक के लाभों में वृद्धि यह प्रदर्शित करती है कि बैंक की वित्तीय स्थिति में निरन्तर सुधार आया है। जिसके कारण लाभ बढ़ते गये यदि हम 2000–01 की तुलना वित्तीय वर्ष 2003–04 से करें तो हमें पता चलता हैकि इसने 58 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करायी है परन्तु यह वृद्धि प्रावधानों के पूर्व की है इसलिए इसे उच्चतम दर्जा देना पूर्ण रूप से सही नही है जबकि गत वर्ष की तुलना में 2004–05 की वृद्धि दर 15.12 प्रतिशत हो गयी।

बैंक के लाभ/हानि प्रावधानों के पश्चात का यदि हम अवलोकन करे तो हमें पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2000–01 में 105725 हजार थे जिनमें 2001–2002 में 629 यानि 6 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है इसी प्रकार 2001–2002 में भी थोड़ी बहुत वृद्धि हुयी परन्तु 2002–03 में यह वृद्धि 40 प्रतिशत तक बढ़ी है फिर वित्तीय वर्ष 03–04 में अधिक वृद्धि नही हुयी बल्कि 04–05 में आशतीत से अधिक वृद्धि हुयी जो कि 2001–02 की तुलना में 48 प्रतिशत है। बैंक ने 2000 से 2005 तक लाभ को बढ़ाया जो कि प्रावधानों को करने के पश्चात् हुए थे परन्तु वित्तीय वर्ष 2004–05 मे इसमें 2000–2001 से 2004–2005 की स्थिति पर प्रकाश डालें तो यह वृद्धि निरन्तर रही है जो कि 30 प्रतिशत है। अतः बैक के लिए यह आवश्यक है कि वह वर्तमान में अपने लाभों को बढ़ाने का प्रयास करें जिससे इसी कमी को पूरा किया जा सके।

तालिका 2.9
चिट्ठे पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात

क्रम सं0	जमा का	2000 -- 2001	2001 -- 2002	2002 – 2003	2003 – 2004	2004 – 2005	2005 – 2006
1.	लाभ हानि प्रावधानों से पूर्व	2859	2250	2670	2979	8227	9074
2.	लाभ/हानि प्रावधानों के पश्चात्	105725	110671	115507	116704	126816	139949
3.	ऋणों एवं अग्रिमों पर आय	42850	50725	52721	58724	69248	87858
4.	निवेश पर आय	15565	16725	18420	20471	28717	32445
5.	कुल व्यय	92565	98725	102521	113725	121599	134875
6.	वेतन पर व्यय	30752	33721	35265	36336	39165	48252
7.	कुल व्यय के सापेक्ष वेतन पर व्यय	25.08	27.26	29.32	31.95	32.21	35.78
8.	कुल व्यय के सापेक्ष प्रबंधन लागत का प्रतिशत	25.54	30.11	28.29	31.13	30.88	34.48
9.	कुल व्यय के सापेक्ष प्रबंधन लागत का लागत का प्रतिशत	33.57	34.20	35.21	36.56	38.07	42.83
10.	औसत जमा लागत	5.28	5.02	4.25	5.21	4.37	3.78
11.	अन्तशाखायी लेनदेन पर ब्याज दर	7.00	7.00	8.00	8.00	7.00	7.00

स्त्रोत -- वार्षिक प्रतिवेदन रानीलक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीर्ण बैंक

अब यदि हम दृष्टि बैंक के ऋणों एवं अग्रिम की आयों पर डालें तो पता चलता कि वित्तीय वर्ष 2000–01 से लेकर 2004–05 तक यह चरम आय उच्च सीमा में पहुंच गयी है। 2000–01 की तुलना में लेकर वित्तीय वर्ष 2002–03 तक यह वृद्वि 61.14 प्रतिशत रही है तथा वित्तीय वर्ष 2001–02 में 60.2 प्रतिशत 2002–03 में 28.30 और 2003–04 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2004–05 में 23.4 प्रतिशत रही है यह वृद्वि 2000–01 से वित्तीय वर्ष 2004–05 तक 44 प्रतिशत रही जिससे ज्ञात होता है कि बैंक को ऋणों व अग्रिमों से ब्याज के अतिरिक्त आय अधिक हो रही है बैंक की स्थिति आगे की और अग्रसर है।

बैंक द्वारा निवेशों से प्राप्त आय पर यदि हम दृष्टि डालें तो हमें दृष्टिगोचर है कि वित्तीय वर्ष 2000–01 में निवेश पर आय 15565 थी जो कि निरन्तर बढ़ती हुयी वित्तीय वर्ष 2000–01 में 28.60 प्रतिशत रही । बैंक की साख अच्छी होने के कारण अन्य पक्षों ने बैंक में अपने वित्त का विनियोग किया जिससे बैंक की आय में वृद्वि हुयी और विनियोजकों का भी उत्साहवर्धन हुआ जिससे अधिक से अधिक इस बैंक में निवेश किया गया इन निवेशों के अवलोकन द्वारा हमें ज्ञात होता है कि वित्तीय वर्ष 1997–98 से 2001–02 तक निवेशों से आय 28.30 प्रतिशत तक बढ़ी परन्तु कुछ कारणों से वित्तीय वर्ष 2002–03 व 2003–04 में यह आय घट गयी अतः बैंक को ऋणों की देन व अन्य योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए 2003–04 व 2004–05 में 2.35 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है।

बैंक के कुल व्यय पर दृष्टिपात करने से हमें ज्ञात होता है कि वित्तीय वर्ष 2000–01 में यह व्यय 10.2 प्रतिशत रहा फिर 1998 –99 में बढ़कर 8.5 प्रतिशत हो गया । बैंक का कुछ व्यय प्रतिवर्ष 2004–05 तक यह 6.24 प्रतिशत बढ़ा यदि हम वित्तीय वर्ष 2000–01 से 2005–06 की तुलना करें तो पाते है कि इसमे कुल व्यय वृद्वि रही है जो कि चिन्ताजनक है।

रानीलक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की वेतनों पर किये गये व्ययों की अध्ययन अवधि के दौरान हमने पाया कि वेतनों पर व्यय प्रतिवर्ष बढ़ते चले गये है वित्तीय वर्ष 2000–01 में वित्तीय वर्ष 2002–03 तक यह 12.2 प्रतिशत बढ़े और यह वृद्वि वित्तीय वर्ष 2005–06 तक 82.6 प्रतिशत वृद्वि हुयी है वेतन पर व्यय में वृद्वि मंहगाई में निरन्तर वृद्वि होने के सापेक्ष है जिससे बैंक के वेतन व्यय पर अधिक भार पड़ा अतः वेतन पर व्यय में वृद्वि को बैंक की कार्यक्षमता या परिणाम से जोड़कर नहीं देखा जा सकता ।

वित्तीय अनुपात की अध्ययन अवधि के दौरान यदि हम कुल व्यय के सापेक्ष वेतन पर व्यय का प्रतिशत ज्ञात करें तो वित्तीय वर्ष 2000–01 में यह 31.95 प्रतिशत था जो कि 2001–02 में धटकर 4.02 प्रतिशत रह गया वित्तीय वर्ष 02–03, 03–04 में यह लगभग स्थिर रहा जबकि 2004–05 में यह पिछले वर्ष की तुलना में 12.7 प्रतिशत बढ़ गया । 2005–06 में इसमें मामूली सी वृद्धि हुयी परन्तु वित्तीय वर्ष 2004–05 में 2003–04 की अपेक्षा 3.8 प्रतिशत की कमी आ गयी।

बैंक के कुल आय के सापेक्ष वेतन पर व्यय प्रतिशत का अवलोकन करने पर पता चलता है कि जहां एक और वित्तीय वर्ष 2000–01 से 01.02 में 8 प्रतिशत की कमी दर्ज हुयी वही 1999–2000 में भी लगातार 10 प्रतिशत की कमी हुयी है। कुल आय के सापेक्ष वेतन पर व्यय प्रतिशत में निरन्तर कमी व वृद्धि परिलक्षित हुयी है इससे स्पष्ट होता है कि बैंक ने एक तरफ जहां अपनी कुल आय में वृद्धि की है तो दूसरी तरफ आय के सापेक्ष वेतन पर भार में कमी हुयी है। जो कि बैंक के उच्च्य कार्यक्षमता एवं निरन्तर नवीन तकनीकी का प्रयोग करने से संभव हुआ है। अन्य अनुसूचित बैंकों अन्य वित्तीय संस्थाओं की तरफ रानीलक्ष्मीबाई क्षे. बैंक का भी कम्प्यूटरीकरण हुआ है जिससे बैंक में नियुक्त साख संसाधनों में कमी आयी है।

रानीलक्ष्मीबाई क्षे. बैंक की कुल व्यय के सापेक्ष प्रबंधन लागत का प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2001–01 से 2005–06 तक विभिन्न उतार चढ़ाव लिये हुए है जिसमें 2002–03 तक यह लागत कमी हुयी है जो कि वित्तीय वर्ष 2000–01 में 3.5 प्रतिशत थी तथा 2000–2001 में 2001–2002 की तुलना में 4.5 प्रतिशत हो गयी है। इससे इसकी कार्यक्षमता बढ़ती है जिससे बैंक अपनी आय से निरन्तर वृद्धि कर सकता है और वित्तीय वर्ष 2001–02 में यह बढ़ गयी है। तथा 2004–05 में 2.92 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज कराती है जिसके कारण बैंक की आय मे कमी आ जाती है।

सारांशतः उपर्युक्त सारिणी के आधार पर कहा जा सकता है कि रानीलक्ष्मीबाई क्षे. ग्रामीण बैंक के लाभों में निरन्तर प्रगति हुयी है। ऋणों एवं अग्रिमों के सापेक्ष वेतन एवं प्रबन्धन लागत में कमी हुयी है। जिससे यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अन्य राष्ट्रीकृत बैंकों से अपनी तुलना कर सकता है अग्रलिखित सारीणी द्वारा तुलनात्मक वित्तीय अनुपातों को दर्शाया गया है।

तालिका 2.10
तुलनात्मक वित्तीय अनुपात

क्रम सं0	जमा का	2000 – 2001	2001 – 2002	2002 – 2003	2003 – 2004	2004 – 2005	2005 – 2006
	औसत कार्यशील निधि	1015213	1109159	1230202	1330304	1568324	1778021
1.	वित्तीय आय	7.25	6.10	6.12	6.33	6.52	6.76
2.	वित्तीय व्यय	5.80	5.47	5.12	5.39	4.60	4.10
3.	वित्तीय मार्जिन	0.72	0.88	0.90	0.94	1.92	2.66
4.	कार्यशील मार्जिन	2.50	2.75	3.10	3.13	2.95	3.25
5.	विविध व्यय	2.15	1.85	3.25	2.46	1.57	1.10
6.	कार्यशील लाभ	—	—	—	—	—	—
7.	जोखिम लागत	0.11	0.17	—	0.18	0.19	0.22
8.	शुद्ध मार्जिन	0.18	0.20	0.25	0.27	0.35	0.29

स्त्रोत -- वार्षिक प्रतिवेदन रानीलक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीर्ण बैंक

वित्तीय विवरणों के आधार पर रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विश्लेषण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में झाँसी जनपद में कार्यरत रा.नीलक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने के लिए सर्वप्रथम हम वित्तीय विवरणों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तुलनात्मक वित्तीय अनुपातों को सारिणी से प्रदर्शित कर रहे है। जिसमें विभिन्न वित्तीय अनुपातों के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप मे कार्यरत इस बैंक के वित्तीय स्थिति का विश्लेषण हो सके तुलनात्मक वित्तीय अनुपातों का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि बैंक की औसत कार्यशील निधि मेरी अध्ययन अवधि के दौरान लगभग डेढ गुनी हो गयी है यह 150 प्रतिशत की वृद्धि यह प्रदर्शित करता है कि बैंक ने अपने क्षेत्र में तीव्र गति से कार्य विस्तार किया है इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि जहां वर्ष 2000–01 में बैंक की औसत कार्यशील पूंजी 10.15 लाख रूपये है वही 2001–02 के दौरान इसमें 18.92 प्रतिशत की वृद्वि हुयी पुनः 2000–01, 01–02,2003, 03–04 में औसत कार्यशील निधि की बैंक ने अपने वित्तीय आय में कमी के अनुपात में वित्तीय व्ययों में कमी की है निश्चय ही बैंक का यह प्रयास उसकी आर्थिक सेहत के लिए लाभकारी है।

रानीलक्ष्मी बाई क्षेत्र ग्रामीण बैंक का वित्तीय मार्जिन जहां 2000–01 में 0.72 था वही 01–02 में घटकर 0.88 रह गया पुनः वित्तीय वर्ष 02–03 के दौरान यह 0.90 तथा वित्तीय 03–04 में 0.94 रहा इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वित्तीय वर्ष 2000–01 से 2002–03 तक बैंक के वित्तीय मार्जिन में कमी दर्ज की गयी है जो कि चिन्ताजनक है लेकिन 21 वी शताबदी में प्रवेश के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2001–02 में बैंकों का वित्तीय मार्जिन पुन 0.88 के अंक पर पहुंचा जिसमें अगले दो वित्तीय वर्ष में पुनः गिरावट दर्ज की गयी और यह वित्तीय मार्जिन वित्तीय वर्ष 2003–04 में 0.94 रहे अर्थात 2000–01 की तुलना में वित्तीय मार्जिन में प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी जो कि निश्चय ही वित्तीय आय के कम होने के कारण भी हो सकता हैं

बैंक का कार्यशील मार्जिन वित्तीय वर्ष 2004–05 में मेरी अध्ययन अवधि के दौरान 2. 99 के साथ साथ अपने न्यूनतम स्तर पर था वही वित्तीय बर्ष 198 में के साथ अपने उच्चतम बिन्दु पर में वृद्वि दृष्टिगोचर होती है वित्तीय वार्ष 2003–04 में बैंक की औसत कार्यशील निधि 13.01 लाख रूपये तक पहुंच चुकी है जो निरन्तर कार्य प्रगति में वृद्वि का द्योतक है जो

तालिका नं0 2.11

रानी लक्ष्मी बाई क्षे. ग्रामीण बैंक की चालू सम्पत्ति व चालू दायित्वों का तुलनात्मक वित्तीय अनुपात

क्रम सं0	Capital & Liabilities Year Current Liabilities	31.03.1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	
1.	जमा राशियां	10000	—	834438	1002266	1144889	1308166	1503049	
2.	उद्यार	—	—	55381	115570	159581	238000	210799	
3.	टनय देयतायें एवं प्रविधान	—	—	65248	66630	50828	58900	55230	
	योग			965067	1194466	1365298	1615066	1779078	
	नकद तथा अवशेष								
1.	Cash & Balance								
	भारतीय रिजर्व के पास	—	—	39730	82201	78459	90116	101850	
2.	अन्य बैंकों में अवशेष एवं मांग तथा अल्प मचना पर जमा राशि			253230	319397	112462	99673	84202	
3.	Investment			39750	31600	311192	466098	454794	
4-	Advance			267167	367074	470128	564010	748925	
5-	Fixed Assets			1876	1566	1356	1483	1683	
6-	Other Assets			365114	392628	391701	393686	387624	
	Total			965067	1194466	1365298	1615066	1779078	

तालिका नं0 2.12

रानी लक्ष्मी बाई क्षे. ग्रामीण बैंक के विभिन्न तुलनात्मक वित्तीय अनुपात

क्रम सं0	Ratio/ Year Current Liabilities	31.03.19980	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1.	चालू अनुपात Current Ratio	.87:11	.93:1	.94:1	.97:1	1.01:1	.83:1	.80:1	.76:1
2.	स्वामित्व अनुपात Propritory Ratio	.09:1	.09:1	.084:1	.071:1	0.66:1	.057:1	.051:1	.63:1
3.	नकद समता अनुपात De[t eqiotu ratop Ratio	9.8:1	9.8:1	10.8:1	12.90:1	14.10:1	16.36:1	15.33:1	14.76:1
4.	पूंजीदार प्रत्यक्ष अनुपात Return on Capital Employes	9.05	8.18	11.98	17.14	18.8	30.3	21.6	15.67
5.	स्थायी सम्पत्तियों का स्वामियों के कोषों से अनुपात Ratio of Fixed Assets to Properties	1.34:1	1.09:1	.009:1	.016:1	.023:1	.042:1	.044:1	.054:1
6.	चालू सम्पत्तियों का स्वामियों के कोषों से अनुपात Ratio of Current assets to properties	5.90:1	6.36:1	6.84:1	8.285:1	9.21:1	9.369:1	8.65:1	8.2:1
7.	तरलता अनुपात या त्वारित अनुपात Quick Ratio	.87:1	.93:1	.94:1	.97:1	1.1:2	.82:1	.80:1	76:1

कि वित्तीय वर्ष 2004–05 में 15.06 लाख हो गयी है

बैंक की वित्तीय आय का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि वित्तीय वर्ष 2000–01 से 01–02 तक बैंक की वित्तीय आय लगभग स्थिर रही है। वितिय वर्ष 2000–2001 मे इसमें मामूली कमी आयी है वही 2001–2002 में इसमें वृद्वि हुयी है लेकिन वित्तीय वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 में इसमें कमी आयी है। वित्तीय वर्ष 2000–01 की तुलना में वर्ष 2003–04 में यह कमी 10.07 प्रतिशत है जो वित्तीय वर्ष 2004–05 में गत वर्ष की तुलना में कमी हुयी जो कि निश्चय ही चिन्ताजनक है। क्योंकि वित्तीय आय में कमी होने से बैंक के उपलब्ध कोषों में कमी होती है जिसका प्रभाव वित्तीय मार्जिन पर भी पड़ता है इस सम्बंध में मेरी राय यह है कि उदारीकरण के बाद बैंकों में आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और इससे निश्चय ही कुछ बैंकों की वित्तीय आय प्रभावित हुयी है।

बैंक की वित्तीय व्यय पर दृष्टिगत करने से ज्ञात होता है कि बैंक की वित्तीय व्यय वर्ष 2000–01 से लेकर वर्ष 2002–03 तक लगभग 5.39 के लगभग रहे है जिसमें वित्तीय वर्ष 2001–2002–2002–2003 एवं 2003–2004 में लगातर कमी देखी गयी है। वित्तीय व्यय की यह कमी 2000–01 की तुलना में दर्ज 2003–04 में 18.42 प्रतिशत है वर्ष 2005 में भी निरन्तर गिरावट की स्थिति रही है। इसमें स्पष्ट है कि समष्टि रूप में कार्यशील मार्जिन में निरन्तर कमी दृष्टिगोचर होती है और यह कमी वित्तीय मार्जिन में कमी के समान्तर है।

बैंक की जोखिम लागत अध्ययन अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष 2000–2001 में 0.18 अंक के साथ अपने न्यूनतम स्तर पर रही वित्तीय वर्ष 2004–05 में 0.19 के साथ सर्वाधिक थी बैंक का शुद्व मार्जिन वित्तीय वर्ष 2000–01 में 0.18 था जो कि वर्ष 2002–03 में अपने उच्चतम बिन्दु 2.1 पर पहुंचा किन्तु अगले वर्ष में इसमें 0.25 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी।

सारंशतः उपर्युक्त सारिणी के विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि बैक की वित्तीय स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार हुआ है लेकिन वित्तीय संस्थानों से प्रतिस्पर्धा करने एवं अपने आपकों प्रतिस्थापित करने के लिए बैंक को अपनी जोखिम लागत विविध व्यय एवं वित्तीय व्ययों में निरन्तर कमी करनी होगी तथा वित्तीय आय वित्तीय मार्जिन तथा शुद्व आय को उत्तरोत्तर वृद्वि करने के दायरे में लाना होगा।

प्रवृत्ति विश्लेषण
(Trend Analysis)

व्यवसाय एक गत्यात्मक **(Dynamic)** प्रक्रिया है जिसे अनुकूल या प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों का सामना कर दीर्घकाल में अस्तित्व बनाये रखना होता है किसी वर्ष विशेष के लेखों का परीक्षण कर बैंक के बारे में पूरी तरह जानकारी प्राप्त नही की जा सकती अतः बैंक विशेष के सम्बंध में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न वर्षो से सम्बधित वित्तीय लेखों की श्रृखला की आवश्यकता होती है जिनके आधार पर बैंक में विभिन्न मदों की दीर्घकालीन रूख या प्रवृत्ति के बारे में अनुमान लगाया जा सके। " सिम्पसन एवं काफका के शब्दों में " प्रवृत्ति जिसे दीर्घकालिक या दीर्घकालीन प्रवृत्ति के नाम से भी जाना जाता है एवं ऋंखला में वृद्वि या कमी का आधारभूत प्रवत्ति के नाम से भी जाना जाता है एवं ऋखला में वृद्वि या कमी का आधारभूत प्रवृत्ति को बताती है प्रवृत्ति की अवधारणा अल्पकालीन उच्चावचनों को सम्मिलित नही करती है बल्कि यह एक लम्बे समय में हुए परिवर्तनों को बताती है। हिरच ने भी इसी बात का समर्थन करते हुए कहा कि प्रवृत्ति जिसे दीर्घकालिक प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है का अभिप्राय दीर्घकाल में एक श्रेणी में हुयी अनुक्रमिक वृद्वि या ह्रास को बताता है।

---

1. Trend also called secular or long term trend is the basic tendancy of a series to grow or decline over a period of time. The concept of trend does not include short range oscillations but rather stedy movements over a long time.

   \- Simpson & Kafka

2- By trends some time also called seculer trend we mean the long run gradual growth of decline in a in a series.

   \- Hirsch

प्रवृत्ति विश्लेषण की विधियाँ (Techniques of trends analysis)

अनुपात विश्लेषण व तुलनात्मक वित्तीय विवरण प्रवृत्ति विश्लेषण में तो सहायक होते है परन्तु इनके अतिरिक्त प्रवृत्ति विश्लेषण की कुछ निम्नलिखित विधियां है।

1. निरपेक्ष समंक चार्ट
2. निरपेक्ष मूल्य परिवर्तन
3. ऋंखला आधार निदेशांक व इन पर आधारित परिवर्तन दर
4. प्रवृत्ति अनुपात या प्रवृत्ति प्रतिशत

1. निरपेक्ष संपर्क चार्ट

साधारणतया बैंकिंग गृह अपने व्यवसाय की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने के लिए वार्षिक प्रकाशित लेखा के साथ दस वर्षीय सांख्यकीय सारांश भी प्रकाशित करते है इस सारांश में कार्यशील पूंजी स्थिति विवरण व लाभ हानि खातों से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनायें दी हुयी होती है। वित्तीय विश्लेषक इन दस वर्षीय सांख्यकी सारांशों के आधार पर बैंक के सम्बंध में धारणा बना सकता हैं।

2. निरपेक्ष मूल्य परिवर्तन

इस विधि के अन्तर्गत प्रवृत्ति अध्ययन के लिए किसी मद विशेष के मूल्यों की एक ऋंखला प्राप्त की जाती है मद के निरपेक्ष मूल्य की विल्कुल पिछली अवधि के मूल्य से तुलना की जाती है तथा अन्तर को धन अथवा ऋण चिन्हों के साथ दिखाया जाता है।

3. ऋंखला आधार निर्देशांक एवं इन पर आधारित परिवर्तन दर

उपयुक्त विधि का प्रमुख दोष सापेक्षिता का अभाव है इस दोष को दूर करने के लिए श्रृंखला आधार निर्देशांक व इन पर आधारित परिवर्तन पर विधि का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत परिवर्तनों को निरपेक्ष मूल्यों में न व्यक्त कर प्रतिशतों के रूप में व्यक्त किया जाता है।

---

3. The ratio fo the magnetades to a financial statement item in a series fo statements to its mananitude in one of the statements selected as the base may be called trend ratios because they reveal trend of the item with the passage of time - John. N. Myer.

साधारण निर्देशांक व उन पर आधारित परिवर्तन दर

उपर्युक्त विधि से सबसे बड़ा दोष यह रह जाता है कि सूचकांक व परिवर्तन दर परिवर्तित आधार पर परिकलित किये जाते है इनकी सहायता से तुलना पिछले वर्षो से की जा सकती है। अन्य वर्षों से नही अतः प्रवृत्ति अध्ययन में निरन्तरता का अभाव महसूस किया जाता है। इस विधि में निर्देशांक व परिवर्तन दर एक ही आधार पर आधारित होती है। अतः तथ्य अधिक तुल्य होते है।

5. प्रवृत्ति अनुपात या प्रवृत्ति प्रतिशत

पूर्ण वर्णित विधियों से किसी एक मद विशेष की प्रवृत्ति का अध्ययन तो किया जा सकता है परन्तु इस प्रवृत्ति का अन्य मदों से सापेक्ष अध्ययन नहीं किया जाता है प्रवृत्ति विश्लेषण में इस गुण का समावेश करने के लिए एक मद की प्रवृत्ति की तुलना किसी दूसरे मद से करना आवश्यक है। वस्तुतः इस प्रकार की विभिन्न मदों की प्रवृत्ति के तुलनात्मक विश्लेषण से जिस विधि का प्रयोग किया जाता है। उसे प्रवृत्ति अनुपात या प्रवृत्ति प्रतिशत कहते है।

जौन मायर के अनुसार विवरणों की एक श्रृंखला में एक वित्तीय विवरण मद के परिणामों का आधार के रूप में चयनित विवरण में इसके परिणाम से अनुपात प्रवृत्ति अनुपात कहलाते है क्योंकि ये समय के व्यतीत होने पर मद की प्रवृत्ति अनुपात कहलाते है क्योंकि ये समय के व्यतीत होने पर मद की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते है। प्रवृत्ति अनुपात विधि में विभिन्न मदों का तुलनात्मक अध्ययन कर इस निष्कर्ष पर पहुचा जा सकता है कि किस मद में प्रवृत्ति सन्तोषपद है तथा किस मद की प्रवृत्ति में सापेक्षित परिवर्तन होना चाहिए।

प्रवृत्ति अनुपात के आधार पर निष्कर्ष निकालते समय विश्लेषक को ध्यान रखने योग्य बातें:–

1. किसी अकेले मद का प्रवृत्ति अनुपात अध्ययन अपने आप में बहुम सीमित महत्व रखता है इसलिए विश्लेषक को सम्बंधित प्रवृत्ति अनुपातों की तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए।
2. मूल समंको पर ध्यान दिये बिना केवल प्रवृत्ति प्रतिशतों के आधार पर निकाले गये निष्कर्ष व तर्कहीन व असंगत हो सकते है अतः प्रवृत्ति अनुपातों के साथ साथ मूल संमकों को भी ध्यान में रखा जाता है।

3. लेखांकन के सिद्धान्तों व अवधारणाओं के परिपालन में एकरूपता व सत्यता का अभाव होने पर भ्रमक निष्कर्ष प्राप्त हो सकते है। इसी प्रकार मूल्य स्तरों में तेजी से परिवर्तन के कारण भी संमकों की तुलनीयता संदिग्ध हो जाती है अतः निकाले गये निष्कर्ष वस्तु स्थिति का प्रदर्शन नही करते है।

4. आधार वर्ष का चुनाव सही न होने पर आधार वर्ष प्रतिनिधि वर्ष न होने पर प्रवृत्ति अनुपात भ्रमात्मक परिणाम दे सकते है।

5. प्रवृवित्त विश्लेषण से प्रबन्ध की कार्यकुश्लता या प्रभावशाली नही मापी जा सकती है।

ग्राफ एवं चित्र :- संमकों का चित्र एवं रेखीय प्रस्तुतीकरण

मानव मस्तिष्क संख्याओं में व्यक्त तालिकाओं व आंकड़ों की अपेक्षा चित्रों या रेखाचित्रों का अधिक तेजी से अ ध्ययन कर जल्दी से समझ सकता है अतः प्रवृत्ति प्रर्दशन के लिए बैंकिंग संस्थायें साधारणतया वार्षिक वित्तीय विवरणों में रेखा चित्रों एवं दण्ड चित्रों का प्रयोग करती है। कुछ संस्थायें केवल निरपेक्ष मूल्यों को ही रेखाचित्रों पर प्रदर्शित करती है। जबकि कुछ प्रवृत्ति अनुपातों को संस्था के हित में रखने वाले व्यक्ति या प्रबन्ध वर्ग इन ग्राफों तथा दण्ड चित्रों से एक दृष्टि मे ही जान सकते है कि बैंक उन्नति की और अग्रसर हो रही है या अवनति की और ग्राफ एवं चित्र, रंग बिरंगे रंगों तथा आकर्षित प्रदर्शन के कारण आंखों को अच्छे लगते है क्योंकि इनमें आंकड़ो की सी नीरसता नही होती हैं।

ग्राफ – 1.2

रा0ल0बाई क्षे. ग्रामीण बैंक की जमाओं एवं अग्रिमों में हुयी वृद्वि का अवलोकन करने पर प्राप्त परिणाम काफी सन्तोषजनक है जहां वित्तीय वर्ष 2001–02 में 18630.64 लाख रूपये थी वहीं वित्तीय वर्ष 2002–03 में यह 14.65 प्रतिशत बढ़कर 21365.45 लाख रूपये हो गयी वही वित्तीय वर्ष 2003–04 में जमाओं की धनराशि गत वर्ष की तुलना में 16.44 प्रतिशत बढ़कर 24872.63 लाख रूपये हो गयी तथा वित्तीय वर्ष 2004–05 में जमाओं वर्ष 2001–02 की तुलना में 50.84 प्रतिशत की दर से बढ़कर 28103.01 लाख रूपये होगयी इससे यह सिद्ध होता है कि रा0ल0बाई क्षे.0 ग्रामीण बैंक के प्रति आम जनता के विश्वास में लगातर वृद्वि हुयी है तथा वे लोग अपनी बचतों को सुरक्षित रखने के लिए इस बैंक की तरफ पर्याप्त मात्रा मे आकर्षित हुए है इसकी तरफ उक्त अवधि में बैंक द्वारा दिये गये अग्रिमों का अवलोकन करे तो पाते है कि जहां वित्तीय वर्ष 2001–02 में बैंक ने 8141.75 लाख रूपये के ऋण दिये है वही वित्तीय वर्ष 2004–05 में अग्रिमों की धनराशि में वित्तीय वर्ष 2001–02 की तुलना में 125.45 की वृद्धि दर्ज करते हुए कुल 18355.24 लाख रूपये के अग्रिम स्वीकृत किये गये है।

स्त्रोत :– रा0ल0बाई क्षे. ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन

ग्राफ – 1.3

PRODUCTIVITY (2001 TO 2005)

रानीलक्ष्मी बाई क्षे. ग्रामीण बैंक की उत्पादकता का अध्ययन दो आधारों पर किया गया है जिसमें पहला प्रतिशाखा व्यवसाय एवं दूसरा प्रति कर्मचारी व्यवसाय को ध्यान में रखा गया है जहां वर्ष 2001 में प्रतिशाखा व्यवसाय 266 लाख रूपये था जो 2002 में बढ़कर 315 लाख तथा 2003 में 372 लाख 2004 में 456 लाख एवं 2005 में 533 लाख रूपये हो गया इस प्रकार वर्ष 2005 में 2001 की तुलना में 107.9 प्रतिशत की दर से व्यवसाय में प्रति शाखा बढ़ोत्तरी हुयी है जो कि निश्चित रूप से बैंक की बढ़ती शाखाओं की सार्थकता को सिद्ध करता है तथा बैंक की उत्पादकता में दर्ज की गयी वृद्धि क्षेत्रीय ग्रामीण जनता को कृषि एवं ग्रामीण कार्यक्रमो में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध हुयी है यदि उत्पादकता में वृद्धि को ही दर्शाता है। परन्तु इस आधार में हुयी वृद्धि की दर प्रति शाखा व्यवसाय में हुयी वृद्धि की दर की तुलना में कमी है। जहां पर वर्ष 2001 में प्रति कर्मचारी व्यवसाय 80 लाख रूपये का था वही पर 2005 में 75 प्रतिशत बढ़कर 140 लाख रूपये हो गया। अतः उत्पादकता मापन के दोनों ही आधारों में उत्पादकता में वृद्धि बैंक की उच्च परिचालन क्षमता को प्रदर्शित करती है।

स्त्रोत :– रा0ल0बाई क्षे. ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन

ग्राफ – 1.4

रानीलक्ष्मी बाई क्षे. ग्रामीण बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन के आधार पर विभिन्न वित्तीय वर्षो में कमाये गये लाभों का अवलोकन करने पर ज्ञात होता ह कि वित्तीय वर्ष 2001–2002 में बैंक के लाभ समेकित रूप में 281.73 लाख रूपये थे जो वित्तीय वर्ष 2002 – 2003 में बढ़कर 455–96 लाख रूपये हो गये इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में लाभों में 61.13 प्रतिशत की वृद्वि हुयी। परन्तु वित्तीय वर्ष 2003–04 में वित्तीय वर्ष 2002–03 की तुलना में 26.67 प्रतिशत की कमी आयी तथा कुल लाभ 332. 87 लाख रूपये रहा वित्तीय वर्ष 2004–05 में वित्तीय वर्ष 2003–04 की तुलना में लाभों की धनराशि में कुल 91.52 लाख रूपये की कमी हुयी है जो कि वित्तीय वर्ष 2003–04 की तुलना में 27.49 प्रतिशत है इस प्रकार संपूर्ण अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष 2002–03 के छोड़कर बैंक के लाभों में निरन्तर गिरावट दर्ज की गयी है जो कि चिन्ताजनक है।

स्त्रोत :– रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रिय ग्रामीण बैक वार्षिक प्रतिवेदन

ग्राफ — 1.5

RECOVERY AND GROSS NPA LEVEL

रानीलक्ष्मी बाई क्षे. ग्रामीण बैंक की वसूली और सकल गैर निष्पादक सम्पत्तियों के स्तर का विश्लेषण करने पर निम्न तथ्य प्रकाशित होते है। रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की वसूली वित्तीय वर्ष 2001 से लेकर 2005 तक निरन्तर उत्तरोत्तर वृद्वि की ओर अग्रसर हुयी है वित्तीय वर्ष 2001–02 में जहाँ यह वसूली 41.19 प्रतिशत थी वही वित्तीय वर्ष 2002–03 में 66.46 प्रतिशत 2003–04 में 70.14 तथा वर्ष 2004–05 में 75.06 प्रतिशत थी इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2001–02 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2004–05 में 75.06 प्रतिशत थी इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2001–02 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2004–05 में वसूली का प्रतिशत 82.23 प्रतिशत की दर से बढ़ा है वही सकल गैर निष्पादक सम्पत्तियों के स्तर में निरन्तर कमी हुयी है जो कि बैंक के लिए वित्तीय दृष्टि से अनुकूल है। जहां वित्तीय वर्ष 2001–02 में सकल गैर निष्पादक सम्पत्तियों का स्तर 23.58 प्रतिशत था वही यहाँ वित्तीय वर्ष 2004–05 में 62.8 प्रतिशत गिरकर 8.77 प्रतिशत रह गया इस प्रकार गैर निष्पादक सम्पत्तियों में निरन्तर कमी होना बैंक दक्ष परिचालन क्षमता की और इंगित करता है।

स्त्रोत :– रानीलक्ष्मी बाई क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन

ग्राफ – 1.6

उपयुक्त ग्राफ की स्थिति का अवलोकन यह दर्शाता है कि वर्ष 2001–01 से लेकर वर्ष 2004–05 तक कृषि स्थिति में लगातार वृद्धि हो रही है।

स्त्रोत :– रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन

कार्यशील पूंजी प्रबन्ध का विश्लेषण
(Analysis of Working Capital Management)

जिस प्रकार वित्तीय प्रबन्ध में पूंजी शब्द का प्रयोग अनेक अर्थो में किया जाता है उसी प्रकार व्यवसायिक जगत में कार्यशील पूंजी का अर्थ भी विवादस्पद है। कई लोगों के बीच इसके सम्बन्ध मतभेद हैं कार्यशील पूंजी की उतनी व्याख्यायें है जितनी संख्या इस शब्द की व्याख्या करने वालों की है कुछ व्यक्ति कार्यशील पूंजी को चालू सम्पत्तियों का योग मानते है जबकि कुछ व्यक्ति चालू दायित्वों पर चालू सम्पत्त्यिों के अधिक्य को मानते है वैसे किसी भी बैंकिंग संस्था को दो प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है।

1. स्थायी पूंजी – यानि स्थायी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए।
2. अस्थायी पूंजी – यह सामयिक आवश्यकताओं की पूति के लिए प्रत्येक समय उपलब्ध रहती है।

कार्यशील पूंजी के वास्तविक अभिप्राय को समझने के लिए इसकी आवधारणों का अध्ययन व विश्लेषण आवश्यक है।

1. परिमाणात्मक अवधारणा (Quantitative Goncept)
2. गुणात्मक अवधारणा (Quantative Concept)
3. अन्य अवधारणायें (Other Concept)

कार्यशील पूंजी की परिमाणात्मक अवधारणा पूंजी के परिमाण या मात्रा पर अधिक बल देती है तथा गुणात्मक पहलू पर कम। इसके अनुसार संपूर्ण चालू सम्पत्तियों का योग कार्यशील पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है इस विचारधार के प्रमुख मीड, मैलर, बेकर, फील्ड, बोलबिले , जे एस मिल तथा एडम स्मिथ है। मीड, मैलर तथा फील्ड के अनुसार, कार्यशील पूंजी से तात्पर्य चालू सम्पत्तियों के योग से है ''

Working Capital means current Assets - Mead melalt & Field.

बोलबिले के अनुसार " कोषों की कोई भी प्राप्ति जो चालू सम्पत्तियों में वृद्धि करती है। वह कार्यशील पूंजी में भी वृद्धि करती है। क्योंकि ये दोनों एक ही है।" अतः स्पष्ट है कि बोलबिले ने कार्यशील पूंजी तथा चालू सम्पत्तियों को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया है। जें0 एस. मिल के अनुसार "चालू सम्पत्तियों का योग ही व्यवसाय की कार्यशील पूंजी होती है। कार्यशील पूंजी की इस अवधारणा के समर्थक अपने विचारों के समर्थन से तर्क देते है। कि चालू सम्पत्त्यिों की व्यवस्था चाहे दीर्धकालीन आधार पर(अंशपूंजी या दीर्धकालीन ऋण से) की जाये अथवा चालू देनदारियों के द्वारा अल्पकालीन ऋण व लेनदारों से की जाये इससे उनकी उपयोगिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता चूंकि वे समस्त चालू सम्पत्तियों बैंक में प्रयुक्त होती है तथा लाभ अर्जन क्षमता में वृद्धि करती है अतः समस्त चालू सम्पत्तियों को कार्यशील पूंजी माना जाता है।

गुणात्मक अवधारण के अनुसार " चालू सम्पत्तियों के चालू दायित्व पर अधिक्य को कार्यशील पूंजी कहते है। गुणात्मक अवधारण के अनुसार कार्यशील पूंजी के लिए चालू सम्पत्तियों को चालू दायित्वों पर आधिक्य आवश्यक है। यदि दोनों ही समान राशि हो तो संस्था में कार्यशील पूंजी की अनुपस्थिति मानी जाती है। इसके विपरीत यदि चालू दायित्व चालू सम्पत्तियों से अधिक है तो यह स्थिति कार्यशील पूंजी के घाटे का प्रतिनिधित्व करती है जो वित्तीय संकट का धातक है तो इससे कार्यशील पूंजी में कोई वृद्धि नही होगी क्योंकि उतनी ही मात्रा से चालू सम्पत्तियाँ भी बढ़ जायेगी । अतः चालू सम्पत्तियों व चालू दायित्वों में अन्तर वही रहेगा जो पहले इस अवधारण के अनुसार केवल निम्न दशाओं में ही कार्यशील पूंजी में वृद्धि सम्भव है

1. अतिरिक्त अंशपूंजी निर्गमित कर पूंजी में वृद्धि की जाये।
2. दीर्धकालीन ऋण निर्गमित कर पूंजी में वृद्धि की जाये।

---

1. Any acqiostopm of founds which increases the current assets increases working capital for they are life one and the same. - Bonneville.

2- The sum of the current is the working capital of a business - J.S. Mil

अन्य अवधारणाओं के अन्तर्गत कार्यशील पूंजी के सम्बंध में कुछ मतभेदों के कारण कुछ विद्वानों ने इसके लिए विभादात्मक नामों का प्रयोग किया है। केनेडी तथा मैकमुलन के अनुसार " चालू सम्पत्तियों के योग को हम सकल कार्यशील पूंजी तथा चालू सम्पत्तियों के चालू दायित्वों पर आधिक्य को शुद्ध कार्यशील पूंजी कह सकते है। उनके अनुसार यह मानते है कि चालू सम्पत्तियों के नकद में परिवर्तन करने पर कोई हानि या लाभ नही होगा। शुद्व कार्यशील पूंजी सभी चालू दायित्वों के भुगतान के पश्चात शेष चालू सम्पत्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। एडम स्मिथ ने चालू सम्पत्तियों को चक्रीय पूंजी कहना अधिक उपयुक्त माना। उनके अनुसार व्यवसायी का माल तब तक लाभ या धनराशि नही देता जब तक वह उसे मुद्रा के बदले बेच न दे तथा जब तक इस मुद्रा के बदले वापिस माल प्राप्त नही किया जाता तब तक यह मुद्रा उसे बहुत कम प्रत्यय या लाभ देगी उसकी पूंजी लगातार एक रूप से उसके पास से जाती है तथा यह चक्र या निरन्तर आदान प्रदान ही उसे लाभ प्रदान करता है। अतः ऐसी पूंजी को यथार्थ में चक्रीय पूंजी कहा जा सकता है लिंकन स्टेवेन्स , सेलियर्स आदि विद्वान ऐसे है जो कार्यशील पूंजी को चालू सम्पत्यिों तथा चालू दायित्वों के बीच अन्तर मानते है।

हागलैण्ड के मतानुसार " कार्यशील पूंजी का अर्थ व्यापारिक लेखा पुस्तकों में चालू दायित्व एवं चालू सम्पत्ति के अन्तर से माना जाता है" इस वर्ग के विद्वानों के मत को निम्न स्थिति विवरण की सहायता से जाना जा सकता है।

5- Net working capital sepresents the amount of the current assets which would remain if all of the current liabilities were paid assuming no less gain in converting current assets into cash. - Kennedy & macmullen

6- The goods of the merchant yield him no revenueor profile till he sells them for money and the money yield a little till it is agian exchanged for goods. His capital is continuosuly going from him in one shape an returning to him in another an it is only by means of such circulation or successive exchange that it can yield him a profit such capital therefore may very properly be balled ciculating capital

- Adom Smith

इस वर्ग के विद्वान जो कार्यशील पूंजी को चालू सम्पत्ति तथा चालू दायित्व का अन्तर मानते है अपने पक्ष में निम्न दलीले देते है।

1. यह सिद्वान्त काफी समय से उपयोग में लाया जा रहा है अतः इसे प्रयोग करना ही उचित है।

2. यह मत अंशधारियों तथा ऋणपत्रधारियों में यह विश्वास उत्पन्न करता है कि उनका विनियोग सुरक्षित है क्योंकि कार्यशील पूंजी में वृद्धि केवल लाभ के पुनर्विनियोजन तथा स्थायी सम्पत्तिय को कार्यशील सम्पत्ति में बदलने के द्वारा ही हो सकती है एवं चालू दायित्व में वृद्धि कार्यशील पूंजी को प्रभावित नही करती।

3. चालू सम्पत्तियों का चालू दायित्वों पर आधिक्य इस बात का प्रतीन है कि वह संस्था आकस्मिकताओं का दृढ़ता से सामना कर सकती है।

4. ऐसी संस्था जिसकी चालू सम्पत्ति चालू दायित्व से अधिक होती है मंदीकाल का सामना अधिक दृढता से कर सकने में सफल होती है।

5. यह विचारधारा किसी संस्था की वास्तविक वित्तीय स्थिति ज्ञात करने में अधिक उपयोगी है। क्योंकि केवल चालू सम्पत्ति की मात्रा ही अच्छी वित्तीय स्थिति प्रदर्शित नही करती वरन् वित्तीय स्थिति का अनुपात चालू सम्पत्ति तथा चालू दायित्व दोनों के तुलनात्मक अध्ययन से किया जा सकता हैं

कार्यशील पूंजी के स्त्रोत **(Sources of wroking Capital)**

1. दीर्घकालीन स्त्रोत **(Long Term Sources)**
2. अल्पकालीन स्त्रोत **(Short Term Sources)**
3. दीर्घकालीन स्त्रोत **(LONG TERM SOURCES)**

दीर्घकालीन स्त्रोत से साधारणतया कार्यशील पूंजी के केवल उसी भाग की पूर्ति की जाती है जिसके लिए यह विश्वास हो कि उस बैंक से लम्बे समय तक निरन्तर आवश्यकता होगी जो कार्यशील पूंजी बैंक में लम्बे समय तक निरन्तर रखी जाती है उसे दीर्घकालीन कार्यशील पूंजी कहते है। अतः साधरणतया दीर्घकालीन पूंजी की पूर्ति ही दीर्घकालीन स्त्रोतों से करनी चाहिए।

कार्यशील पूंजी में दीर्घकालीन स्त्रोतों को मुख्यतः दो भागों

1. स्वामित्व स्त्रोत
2. ऋणगत स्त्रोत में विभक्त किया जा सकता है। विवरण निम्न है।

1. स्वामित्व स्त्रोत

इसके अन्तर्गत निम्न को सम्मिलित किया जाता है।

अ अंश निर्गमन : (Issue of Share)

कार्यशील पूंजी के लिए कोष प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन अंश निर्गमन है। अंश हमारे साधारण व पूर्वाधिकार दोनों ही प्रकार के हो सकते है। अंश निर्गमन से प्राप्त पूंजी से व्यवसाय की आय पर कोई स्थायी भार उत्पन्न नही होता है। अतः साधारणतया स्थायी कार्यशील पूंजी के लिए अंशों द्वारा कोष प्राप्त किये जाते है।

ब प्रतिधारित अर्जनें (Retained Earnings)

बैंक द्वारा अर्जित लाभ कार्यशील पूंजी का एक नियमित एवं लागत रहित स्त्रोत होता है। बैंक के विकासं के साथ साथ कार्यशील पूंजी की भी आवश्यकता रहती है। जिसकी पूर्तिबैंक लाभों का पुनर्विनियोजन करके की जा सकती है।

स. संचित कोष (Reserves)

प्रतिधारित अर्जनों की भांति ही संचित कोषों का प्रयोग भी बैंक की आय पर स्थायी भार उत्पन्न नहीं करता है।

द. चालू दायित्वों का पुस्तक मूल्य से कम पर भुगतान
(retiring Current Liabilites Below Bank Value)

चालू दायितवों का भुगतान करते समय एक बैंकिंग संस्था कुल छूट प्राप्त कर सकती है इसी प्रकार कर व विभिन्न खर्चो के लिए प्राविधान किये जाते है हो सकता है कि वास्तविक भुगतान इन प्राविधानों की राशि से कम हो। अतः चालू दायित्व का पुस्तक मूल्य से कम पर किया गया भुगतान कार्यशील पूंजी के लिए समावर्ती साधन हैं

2. ऋणगत स्त्रोत : (Borrowed Sources)

इन स्त्रोतों के अन्तर्गत निम्न को सम्मिलित किया जाता है।

अ. ऋण पत्र (Debentures)

अंश पूंजी की भांति एक कम्पनी ऋणपत्र करके कार्यशील पूंजी के लिए प्राप्त कर सकती है यहां यह आवश्यक होता है कि ऋणपत्र निर्गमन से कम्पनी की आय पर ब्याज का स्थायी भार उत्पन्न हो जाता है अतः इसका प्रयोग बैंक की प्रगति उसी आय में स्थिरता जोखिम की मात्रा इत्यादि तत्वों को ध्यान में रखते हुए किया जाता हैं

ब. दीर्घकालीन ऋण (Long Term Debts)

ऋण पत्र निगर्मन के अतिरिक्त एक संस्था कार्यशील पूंजी के लिए कोष औद्योगिक निगमों, प्रन्यासों तथा विनियोग कम्पनियों आदि से भी प्राप्त कर सकती है।

स. अल्पकालीन स्त्रोत

अल्पकालीन स्त्रोतों को प्रमुखतः दो भागों में

(अ) आन्तरिक स्त्रोत (ब) बाहय स्त्रोत में विभक्त किया जा सकता है।

1. ह्रास कोष (Deprecation Fund)

ह्रास कोष स्थायी सम्पत्तियों को पुनः खरीदने के उद्देश्य से प्रतिधारित लाभ होते है। अतः जब तक इन कोषों का प्रयोग स्थायी सम्पत्ति खरीदने में नही किया जाता तब तक यह संस्था को कार्यशील पूंजी प्रदान करते हैं

2. अदत्त भुगतान (Outstanding Payments)

बैंक में चिट्ठे की तिथि का कुछ भुगतान अदत्त रह जाते है इनमें प्रमुखता प्रदत्त वेतन, अदत्त किराया आदि सम्मिलि किये जाते है इन व्ययों का भुगतान स्थिति विवरण की तिथि के पश्चात् किया जाता है। अतः मध्यान्तर समय में अदत्त भुगतान कार्यशील पूंजी के रूप में प्रयुक्त किये जाते है।

3. करों के लिए प्रावधान (Provision for Taxaction)

बैंक के करों के लिए किये गये प्रावधान की राशि का भुगतान कर चुकाने में साधारणतया कुछ मध्यान्तर में ही किया जाता है अतः मध्यान्तर की अवधि में प्रावधान की राशि को कार्यशील पूंजी के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।

ब. बाह्य स्त्रोत (External Sources)

व्यापारिक ऋण प्रायः सभी बैकिंग संस्थायें इस साधन का प्रयोग कार्यशील पूंजी के रूप में करती है।

1. व्यवसायिक साख पत्र (Credit Papers)

इसके अन्तर्गत देय बिल प्रतिज्ञापत्र तथा अन्य विनिमय पत्र सम्मिलित किये जाते है ये सभी कार्यशील पूंजी के स्त्रोत होते हैं

2 बैंकों से साख (Bank Credit)

प्रायः सभी बैंक अपने प्रतिष्ठित ग्राहकों को अधिविकर्ष नकद साख बिलों की पुर्नकटौती व अल्पाकालीन. ऋणों की सुविधा देते हैं इन सबसे संस्था को कार्यशील पूंजी प्राप्त होती हैं

3. वित्त संस्थायें (Finance Companies)

विभिन्न वित्त संस्थायें जैसे विनियोग कम्पनियों , बीमा कम्पनियों तथा आद्योगिक विकास निगम आदि उद्योगों को विभिन्न प्रकार के ऋण देते है। जो कार्यशील पूंजी के रूप में प्रयुक्त किये जा सकते है।

4. जन निक्षेप (Public Deposits)

बैकिंग संस्थायें जन निक्षेप के रूप में अल्पकालीन व मध्यकालीन कोष प्राप्त करती है। कार्यशील पूंजी का यह श्रोत अधिक विश्वसनीय व नियमित नहीं है।

5. देशी साहूकार (Natove Money Lenders)

पुराने समय से ही देश में साहूकार ऋण लेने व देने का कार्य करते आ रहे है एक उपक्रम इन साहूकारों से भी ऋण लेकर अपनी कार्यशील पूंजी की पूर्ति कर सकता हैं

6. सहकारी साहूकार (Government Assitances)

उद्योग को प्रोत्सहान देने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करती है। ऐसे उ़द्योग जिनको सरकार प्राथमिकता देती है उन उद्योगों मे यह सहायता की राशि कार्यशील पूंजी में एक महत्वपूर्ण भाग अदा करती है।

7. प्रबन्धकों एवं संचालको आदि से ऋण (Lones From Executives & Director etc.)

समय समय पर अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की कुछ पूर्ति प्रबन्धक या संचालकगण कर देते है इस प्रकार एक उपक्रम कुछ सीमा तक अपनी कार्यशील पूंजी की पूर्ति इस ऋण के माध्यम से कर सकती हैं

8. कर्मचारियों की प्रतिभूति (Securities of Employees)

कुछ उपक्रम अपने कर्मचारियों से प्रतिभूति के रूप में एक निश्चित धनराशि अग्रिम जमा ले लेते है। जो साधरणतया उनके पूरे सेवाकाल तक संस्था के पास जमा रहती है। या धनराशि संस्था कार्यशील पूंजी के लिए प्रयुक्त कर सकती है।

कार्यशील पूंजी का महत्व

बैंक के दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों में कार्यशील पूंजी की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उचित मात्रा में पूंजी का प्रबन्ध कर लेने मात्र से ही बैंकिंग का संचालन नही किया जा सकता बल्कि इस पूंजी का पूर्ण उपयोग करके ही बैंक द्वारा लाभ कमाया जा सकता हैं बैंक की पूंजी का पूर्ण उपयोग कार्यशील पूंजी के उचित प्रबन्ध पर निर्भर करते हैं बैंक की सामान्य कार्यवाही का व्यवथित ढंग से संचालन करने के लिए समता अंशों को पूर्वाधिकार अंशों में बदलने उनका निगर्मन करने तथा उनका आंवटन इत्यादि में इसकी आवश्यकता होती हैं इसके अतिरिक्त प्रविवरण का निर्गमन करने मे भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। बैंक में कार्यशील पूंजी का महत्व मनुष्य शरीर में रक्त प्रवाह की भांति है जिस प्रकार मनुष्य का स्वास्थ्य रक्त प्रवाह अधिक होने व कम होने पर विगड़ जाता है ठीक उसी प्रकार कार्यशील पूंजी की व्यवस्था छिन्न भिन्न होने से बैंक का व्यवसाय भी अवनति की और जाने लगता है कार्यशील पूंजी का प्रयोग विभिन्न व्ययों के तत्काल भुगतान के लिए किया जाता हैं।

कार्यशील पूंजी का विश्लेषण (Analysis of Working Capital)

किसी भी संस्था के अन्तर्गत कार्यशील पूंजी न तो आवश्यकता से कम होनी चाहिए और न ही आवश्यकता से अधिक होनी चाहिए। यदि संस्था में प्रत्येक समय आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी बनी रहेगी, तो संस्था का संचालन भी सफलतापूर्वक सम्पादित किया जा सकता है और विनियोग पर प्रत्यय को अधिकतम बनाया जा सकेगा। अतः वित्तीय प्रबन्ध और न ही आवश्यकता से अधिक होनी चाहिए। यदि संस्था में प्रत्येक समय आवशयकाता अनुसार पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी बनी रहेगी। तो संस्था का संचालन भी सफलतापूर्वक सम्पादित किया जा सकेगा और विनियोग पर प्रत्यय को अधिकतम बनाया जा सकेगा। अतः वित्तीय प्रबन्ध का सदैव यही प्रयास होता है कि संस्था की आवश्यकता व कार्यशील पूंजी की मात्रा में सन्तुलन बना रहे।

किसी भी बैंकिग व्यवसाय की कुल विनियोजिम पूंजी की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है इसकी पर्याप्त तथा कुशल प्रबन्ध पर ही संस्था का भविष्य निर्भर करता है अतः वित्तीय प्रबन्धक समय – समय पर कार्यशील पूंजी का मापन तथ विश्लेषण करते रहते है। कार्यशील पूंजी का विश्लेषण करके यह ज्ञात किया जाता है कि संस्था में कार्यशील पूंजी का प्रयोग प्रभावी ढंग से किया गया है। या नही यदि प्रभावी ढंग से प्रयोग नही किया गया तो सुधार की कहां सम्भावना है तथा इस प्रकार कार्यशील पूंजी के अधिक कुशल प्रयोग से किस प्रकार संस्था लाभदायक तथा वित्तीय सुदृढ़ता में वृद्वि कर सकती हैं कार्यशील पूंजी के विश्लेषण की निन पद्धतियां हैं

1. कार्यशील पूंजी की तालिका तैयार करके
2. अनुपात विश्लेषण करके
3. कोष प्रवाह विश्लेषण करके
4. रोकड़ प्रवाह विश्लेषण करके
5. कार्यशील पूंजी का बजट तैयार करके

1. कार्यशील पुंजी की तालिका तैयार करके
(By Preparing Statements of Working Capital)

कार्यशील पूंजी की तालिका से कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है इस तालिका में विभिन्न चालू सम्पत्तियों तथा चालू दायित्वों को दर्शाया जाता हैं तथा चालू दायित्वों के विभिन्न मदों में परिवर्तन को मापा जाता है। कार्यशील पूंजी का तुलनात्मक विवरण विशलेषण में विशेष सहायक सिद्व होता है कार्यशील पूंजी का विवरण मुख्यत: दो प्रकार से तैयार किया जा सकता है।

1. कार्यशील पूंजी का तुलनात्क विवरण – केवल योग में परिवर्तन दर्शाते हुए
2. कार्यशील पूंजी का तुलनात्क विवरण– व्यक्तिगत मदों में परिवर्तन दर्शाते हुए।

उपरोक्त के अतिरिक्त समानाकार कार्यशील पूंजी का विवरण एवं कार्यशील पूंजी का विश्लेषण किया जा सकता हैं

इसके अतिरिक्त हम इसे कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची भी कहते है इसे कभी कभी कार्यशील पूंजी स्थिति विवरण भी कहते है इसके आधार पर हमें यह ज्ञात होता है कि कार्यशील पूंजी की प्रवृत्ति क्या रही है और साथ ही साथ इस प्रवृत्ति के लिए कार्यशील पूंजी के विभिन्न मदों में होने वाले कौन कौन से परिवर्तन उत्तरदायी रहे है इनका नमूना निम्नलिखित है।

Schedule Working Capital Changes
Between 1989 & 1991

	31st December			Change Between 1989 & 1990		Change Between 1990 & 1991	
	2004	2002	2000	Increase	Decrease	Increase	Decrease
Currents Assets							
Cash in Hand Sundary Debtores Bills Receivables Closing Stock Investments Total							
Current Liabilities							
Sunday Creditors Bank Overdraft Total							
Working Capital in							
Increase & Decrease.							

STATEMENT OF WORKING CAPITAL

	1989 - 1990	1990 - 1991
Increase in working Capital by	Nil	Nil
Increase in Cash in hand	"	"
Inc. in Sundry Debtones	"	"
Inc. in B/R	"	"
Inc in Closing Stock	"	"
Dec. in Sundry Creditory	"	"
Dec in Bank Overdraft		
Total	"	"
Dec in Cash in hand	"	"
Dec. in Sundry Debtores	"	"
Dec. in Investment	"	"
Inc. in Bank Overdraft	"	"
Total	"	"
Net Increase (Change)	"	"

2. अनुपात विश्लेशण

अनुपात विश्लेषण के द्वारा संस्था की लाभदायकता, निष्पादन क्षमता व वित्तीय स्थिति के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कार्यशील पूंजी के विश्लेषण के लिए कार्यशील पूंजी पर आधारित विभिन्न अनुपातों का अध्ययन किया जाता हैं जिनमें चालू अनुपात, त्वरित अनुपात प्राप्यों की तरलता का अनुपात , औसत संग्रहण अवधि अनुपात, प्राप्त आवर्त अनुपात देय आवर्त अनुपात स्कन्ध आवर्त अनुपात, नकद स्थिति अनुपात दैनिक नकद अनुपात, नकद भुगतान अनुपात, आधारभूत रक्षक अन्तर अनुपात तथा स्कन्ध कार्यशील पूंजी अनुपात प्रमुख है।

3. कोष प्रवाह विवरण (Fund Flow Statements)

कोष प्रवाह विवरण से ज्ञात हो जाता है कि कार्यशील पूंजी के विभिन्न स्त्रोत क्या रहे है तथा इन स्त्रोतों का संस्था मे कहां कहां उपयोग किया गया।

4. रोकड़ प्रवाह विवरण (Cash Flow Statment)

रोकड़ चालू सम्पत्तियों में सबसे महत्वपूर्ण मद होता है। रोकड़ स्थिति संस्था की कार्यक्षता व सुदृढ़ता को प्रभावित करती हैं

5. कार्यशील पूंजी का बजट तैयार करना :

कार्यशील पूंजी पूर्वानुमान वित्तीय बजट का ही एक भाग होता है इसके तैयार करने का प्रमुख उद्देश्य नियमित एवं मौसमी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं का पहले से ही अनुमान करके उसके लिए आवश्यक कोष जुटाना होता है ऐसा पूर्वानुमान तैयार करके कार्यशील पूंजी के विभिन्न तत्वों तथा नकद स्कन्ध देनदार तथा लेनदार आदि में सन्तुलन स्थापित किया जा सकता हैं।

कार्यशील पूंजी का परिचालन चक्र

(Operating Cycle of Working Capital)

कार्यशील पूंजी का आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए परिचालन चक्र की अवधि की गणना वर्तमान समय में बहुत अधिक प्रयुक्त की जाती है अमेरिकन इन्सटीट्यूट और सार्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्स के अनुसार, चल दायित्वों पर चल सम्पत्तियों के आधिक्य के रूप में उपस्थित कार्यशील पूंजी संपूर्ण उपक्रम की कुल पूंजी की वह तरल स्थिति है जो आवश्यकताओं की पूर्ति सामान्य परिचालन चक्र की अवधि में उपलब्ध होती है।

जब कोई बैंक अपना कार्य आरम्भ करता है तो उस समय उसकी कार्यशील पूंजी रोकड़ के रूप में होती है और यह रोकड़ ऋण व अग्रिम के रूप में होता है इसके बाद बैंक जनता की कुछ अन्य भुगतान भी प्रदान करता है। फिर तीसरे चरण में इन सभी भुगतानों की प्राप्ति होती है जो कि जमा के रूप में बैंक के पास आ जाता है फिर इसी जमा से वह ऋण व अग्रिम देता है यही चक्र हमेशा बैंक में चलता रहता है बैंक के पास रोकड़ विनियोग से भी प्राप्त होती हैं

1- Working capital as represented by the excess of current assets on current liablities an identfying the selahievely liquid position of the total enterprise capital which consitutes of may meeting obligation within in the ordinary or operating cycle of the business

- American Institute of certified Public account

अध्याय – तृतीय

झाँसी जनपद की भौगोलिक आर्थिक एवं सामाजिक संरचना

1. स्थिति एवं विस्तार
2. भौतिक दशांये
3. प्रशासनिक संरचना
4. जलवायु
5. मिट्टी
6. जनसंख्या
7. जनसंख्या का व्यवसायिक वितरण
8. कृषि भूमि उपयोग की विधि
9. जोंतों का आकार
10. फसल गहनता
11. प्रमुख फसलों का क्षेत्रफल उत्पादन एवं उत्पादकता
12. सिंचन सुविधायें
13. रसायनिक उर्वरकों तथा उन्नतशील बीजों का प्रयोग
14. यंत्रीकरण की स्थिति
15. वित्तीय सुविधायें
16. लघु एवं कुटीर धन्धे
17. पशु पंक्षी पालन
18. मतस्य पालन

जनपद परिचय

भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु :-

जनपद झाँसी उ0प्र0 राज्य के दक्षिण पश्चिम में 25.13 और 25.57 उत्तरी अक्षांश एवं 78.48– 79 25 पूर्वी देशान्तर रेखाओ के मध्य स्थित है जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 5024 वर्ग किमी0 है इसकी पश्चिमी तथा दक्षिणी सीमा पूरी तरह से म0प्र0 से घिरी है तथा उत्तर में जनपद जालौन एवं पूर्व में जनपद हमीरपुर स्थित है। जनपद को सामान्यतः दो खण्डों में प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्रथम :— पूर्वी उत्तरी अक्षांश भाग जो अधिकाशं मैदानी क्षेत्र हैं एवं इस भाग में अधिकांश मार, काबर, पडुवा किस्म की मिट्टी पाई जाती है जो कृषि की दृष्टि से अपेक्षाकृत उपजाऊ मानी जाती है। इस भाग मे बेतवा, धसान एवं पहुँज नदियां है एवं 5 विकास खण्ड – चिरगांव, मोंठ, बामौर, गुरसराय एवं मऊरानीपुर आते है।

द्वितीय :— दक्षिण – पश्चिमी भाग । इस भाग मे विंध्याचल पहाड़ी श्रृंखला के कारण पठारी भूमि है तथा लाल मिट्टी पाई जाती है जो राकड किस्म मे आती है एवं अपेक्षाकृत कमजोर उर्वरकता की मानी जाती है। इस भाग मे अधिकांश पहाड़ वन, झाड़ व जंगल भूमि मिलती है। इस द्वितीय भाग में 3 विकास खण्ड बंगरा, बबीना, बड़ांगाव आते है।

झाँसी जनपद की प्रमुख नदियां बेतवा ,धासान , लखेरी एवं पहुँज है। बेतवा जनपद की सबसे लम्बी नदी है। जो राजघाट, माताटीला, पारीछा होते हुए जनपद जालोन में प्रवेश करती है। पहुँज नदी विकास खण्ड बबीना की मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाती है तथा जनपद के पश्चिमी भाग से बहती हुई मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। धसान नदी जनपद झाँसी एवं जनपद हमीरपुर के मध्य सीमा निर्धारित करती है जनपद की जलवायु पठारी क्षेत्र समाहित होने के कारण ऐसी है कि यहां पर गीष्म काल मे अधिक गर्मी तथा शीतकाल मे अधिक ठंड पड़ती है यहा शीतकाल की अपेक्षा ग्रीष्म काल की अवधि कुछ अधिक रहती है किन्तु यहां की ग्रीष्म कालीन रातें अपेक्षाकृत शीतल रहती है।

पिछले कुछ वर्षो के रिकार्ड के अनुसार जनपद का अधिकतम तापमान 45 से 48डि0 से एवं न्यूनतम तापमान 2.5 से 5.0 डि0 से 0 रेंज करता है। एवं यहां की औसत वर्षा 850 मि0मी0 है।

प्रशसानिक व्यवस्था एवं जनसंख्या

जनपद का मुख्यालय झाँसी नगर है तथा जनपद के सर्वागीण विकास हेतु इसे 5 तहसीलों एवं 8 विकास खण्डों मे विभक्त किया गया है। जनपद के 839 अभिलेखित गामों में से 760 आबाद ग्राम है ग्राम पंचायतें 452, न्याय पंचायतें 65 नगर पालिकाएं 6, नगर क्षेत्र समिति 7, छावनी क्षेत्र 1, एवं नोटी फाइड एरिया 1 है।

क्र. सं.	विवरण	संकेत
1.	जनपद मुख्यालय	◎
2.	तहसील मुख्यालय	●
3.	विकासखण्ड मुख्या	○
4.	सड़क	—
5.	रेलवे लाइन	┼┼┼
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		

झाँसी जनपद की भौगोलिक आर्थिक एवं सामाजिक संरचना

भारत के सीमान्त प्रदेशो में से उत्तर प्रदेश राज्य 25.31 उत्तरी अंक्षाश तथा 77.84 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी से लगी तिब्बत तथा नेपाल की सीमाएं दक्षिण में मध्य प्रदेश पूर्व में बिहार तथा पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान राज्यों की सीमाये मिलती है।

उ0प्र0 का भौगोलिक क्षेत्रफल 240928 वर्ग कि.मी है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश राजस्थान एवं महाराष्ट्र के पश्चात उत्तर पद्रेश भारत का चौथा विशाल इस राज्य है भौगोलिक क्षेत्रफल में स राज्य का अंश 8.9 प्रतिशत है जबकि कुल जनसंख्या मे इसका योगफल 6.2 प्रतिशत सर्वाधिक है।

जनपद झाँसी उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम मे 25.13 और 25.57 उत्त्री अंक्षाश एवं 78. 48 ये 7'9.25 पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है जनपद झाँसी, झाँसी मण्डल से सम्बद्व तीन जनपद मे से एक है जनपद झाँसी के पूर्व में उप्र0 का हमीरपुर एवं महोबा है। पश्चिम में मध्य प्रदेश के शिवपुरी व दतिया उत्तर में उ0प्र0 के जालौन एवं दक्षिण मे ललितपुर है जिला है जनपद झाँसी का क्षेत्रफल 5024 वर्ग किमी0 है एव आबादी वर्ष 2001 के अनुसार 1744931 है।

झाँसी जनपद को साधरणतया दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पूर्वी उत्तरी अंक्षाशं भाग जो कि अधिकाशं मैदानी क्षेत्र है में काबर एंव पडुवा किस्म की मिट्टी पायी जाती है कृषि की दृष्टि से यह उपजाऊ क्षेत्र है इस क्षेत्र में बेतवा नदी , धसान, एवं पहुंज नदीयां है इस प्रकार चिरगांव , मौठं बामौर एवं गुरसरांय तथा मऊानीपुर विकास खण्ड में आते है द्वितीय क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी भाग है इस भाग मे विन्ध्याचल पहाडी ऋृखंला के कारण पठारी भूमि हैं व लाल मिट्टी पायी जाती है।

इस भू भाग में पहाड़ झाड़वन व जंगली भूमि मिलती है इस क्षेत्र मे विकास खण्ड बंगरा बड़ागांव गांव बबीना पड़ते है।जनपद झाँसी के खनिज सम्पदा के रूप इमारती पत्थर ग्रेनाइट पैरा फिलाईट एवं डायसफोर विशेष रूप से पायी जाती हैं नदीयो के बेसिन में बहुत अच्छी बालू प्राप्त होती है। जो कि काफी दूर दूर भेजी जाती है। बालू रामनगर देदर कलौथरी , कोट लकारा पहुज नदी बरूआसागर (दानीपुर) तालपुर मन्ना (एरच धाटम सलेमपुर) घम धोली लखेरी नमी सुखनई नदी दतिया रोड रक्सा रोड बबीना एवं बेहता कुडरी से खनन पर प्राप्त होती।

जनपद झाँसी के अधिकाश भाग मे विन्ध्याचल पर्वत की श्रृखंला होने के कारण भूगर्भ जल सुगमता से उपलब्ध नहीं हो पाता हे जिसके कारण डी0टी0एच0 रिंग तथा इन्वेलरिंग मशीन द्वारा नलकूप खोदे जाने मे काफी कठिनाई होती है।

इनके सर्वेक्षण हेतु एक रिपोर्ट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर (आर0एसएसी0) स्थापित है।

जो सर्वे करके जल भण्डार की सूचना एवं स्थान दर बताता है तथा उन स्थानों को इंगित करता है। जहा जल भण्डारण उपलब्ध है।

झाँसी जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 5024 वर्ग किमी0 है तथा वनों का क्षेत्रफल 334.188 वर्ग किमी0 है जो वन विभाग के सीधे नियन्त्रण में है तथा कुल भौगौलिक क्षेत्रफल 6.62 प्रतिशत है। कुल वन क्षेत्र निम्न प्रकार है।

1.	आरक्षित वन	257.96240 वर्ग किमी0
2.	संरक्षित वन	5.71407 वर्ग किमी0
3.	अनारक्षित एवं निहित वन	70.51196 वर्ग किमी0

रेल वं सड़क व्यवस्था :

जनपद में रेलवे से आने जाने के लिए बड़ी लाइन की लम्बाई 171 किमी0 एवं 18 रेलवे स्टेशन है। (2001 – 02) तथा पक्की सड़कों की स्थिति निम्न्वत है।

जनपद में पक्की सड़को की स्थिति (2001 - 02)

लोक निर्माण विभाग	–	राष्ट्रीय राजमार्ग	–	137 किमी
	–	प्रादेशिक राजमार्ग	–	142 किमी0
	–	मुख्य जिला सड़कें	–	70 किमी
	–	अन्य जिला तथा ग्रामीण सड़के	–	1218 किमी0
		योग		1567 किमी0
स्थानीय निकाय	–	जिला पंचायत	–	25 किमी
	–	नगर निगम/नगर पालिका/परिषद /नगर पंचायत/कैण्ट	–	105 किमी
अन्य विभाग	–	वन विभाग	–	27 किमी0
		अन्य	–	10 किमी
		योग		37
		महायोग		1734 किमी0

जनपद झाँसी की मिट्टी मुख्यतः साल व काली का मिश्रण है मार, काबर , पडुवा तथा शंकर किस्म की मिट्टी पायी जाती है। जनपद के प्रथम खण्ड में जिसमें विकास खण्ड मे जिसमें विकास खण्ड चिरगाव ,मौठ बामौर, एवं मऊरानीपुर है। 50 प्रतिशत में में मार 30 प्रतिशत में काबर एवं शेष में 20 प्रतिशत पडुवा मिट्टी पाई जाती है। पडुवा मिट्टी धसान बेतवा नदी के कहार में पायी जाती है। शंकर मिट्टी मुख्य रूप से दूसर सम्भाग में पायी जाती है। जो पठारी क्षेत्र है मार मिटटी उपजाऊ है।

1. स्थिती एवं विस्तार :-

भारत वर्ष के उत्तरी क्षेत्र में बसा उ0प्र0 क्षेत्र की दृष्टि से देश का दूसरा ओर जनसंख्या की दृष्टि से देश का प्रथम प्रान्त है उ0प्र0 के औद्योगिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े हुये क्षेत्रों में से है। उ0प्र0 की पश्चिमी दक्षिणी स्थिती पर स्थित बुन्देलखण्ड पांच जिलों जालौन , हमीरपुर, बाँदा झाँसी, ललितपुर, से मिलकर बना हुआ प्रशासन सम्भाग है।

बुन्देलखण्ड आज भले ही राजनीति व सामाजिक स्तर पर पिछड़ा समझा जाता है पर वह संस्कृतिक विरासत मे बहुत धनी रहा है। इसके सांक्षय के लिए बेतवा के किनारे प्राप्त , पर्याप्त अवशेष पयदित उदाहरण है।

दूसरे रूप मे यदि कहा जाये कि दस नदियों वाले दपर्ण या बुन्देलखण्ड क्षेत्र भारत के हृदय कहे जाने वाले उवप्र0 झाँसी को एक स्वर्णहार कहे तो कोइ अत्युक्ति नही होगी। झाँसी को विश्व के क्षितिज में ध्रुवतारे के सदृश एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है ओर उसका श्रेय वीरांगना महारीनी लक्ष्मी बाई को जिन्होंन अपने शौर्य पराकृत से झाँसी की स्वतन्त्रता को जीवित रखने के लिए अपे अपूर्व बलिदान कसे एक नया इतिहास लिखा।

झाँसी जनपद 5 तहसीलें है झाँसी मऊरानीपुर, गरौठा, मौठ, टहरौली आदि की।

जनपद में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार आबाद ग्रामेां की संख्या तहसील के विकास खण्डवार निम्नलिखित है।

तालिका न0 3.1

आबाद ग्राम व तहसील एवं विकास खण्डबार

तहसील	विकास खण्ड	आबाद ग्राम संख्या
1. मोंठ	1. चिरगांव	60
	2. मोठ	127
2. गरौठा	1. गुरसंराय	61
	2. बामौर	80
3. टहरौली	1. गुरसरांय	42
	2. बामौर	21
	3. बंगरा	21
	4. चिरगांव	45
4. मऊरानीपुर	1. मउरानीपुर	83
	2. बंगरा	61
5. झाँसी	1. बबीना	72
	2. बड़गांव	87
	कुल योग	760

तालिका न0 3.2

ब्लाकवार आंकड़ (विकास खण्ड)

क्रम सं0	मद 1.	चिरगांव 2	मोंठ 3	गुरसरांय 4	बामौर 5	मऊरानीपुर 6	बंगरा 7	बबीना 8	बड़ागांव 9	योग 10
1.	स्थिति :–									
1.	जिला मुख्यालय से दूरी	29	50	105	125	65	50	29	14	—
2.	कस्बों की संख्या	1	2	1	—	1	2	1	2	10
3.	बसे ग्रामों की संख्या	105	127	103	101	83	82	72	87	760
4.	ग्राम सभाओं की संख्या	57	65	58	59	55	50	51	49	444
5.	अ) ग्रामीण जनसंख्या	104813	118624	103913	103067	117120	111064	110012	94704	863342
	ब) शहरी जनसंख्या	—	—	—	—	—	—	—	—	566356
	स) कुल जनसंख्या (जनपद)	—	—	—	—	—	—	—	—	1429698
	द) कुल जनसंख्या का घनत्म (प्रतिवर्ग कि0मी0)									291
2.	पेशेवर वर्गीकरण :–									
क)	कृषक	24101	26327	23643	23555	25375	22948	22085	16870	184904
ख)	कृषि मजदूर	7941	6630	7779	7775	9654	6516	6380	6008	58683
ग)	कृषि सहायक कार्य	208	142	251	276	292	176	265	652	2262
घ)	खाना खोदना	77	275	17	19	28	22	75	12	675
ङ)	पारिवारिक एवं गैरपारिवारिक उद्योग	877	575	1029	661	2305	2465	2873	1386	12171
ध)	निर्माण कार्य	359	172	107	110	221	377	586	760	2692
ङ	व्यापार एवं वाणिज्य (ग्रामीण)	417	51	476	377	629	54	832	727	4583
ज)	विविध कर्मकार	1829	1677	1401	1162	1956	1889	3395	3905	1734
	कुल मुख्य कर्मकार	35829	36359	3703	33935	40460	34957	36491	30470	283204
	सीमान्त कर्मकार	9630	12324	9765	7646	7655	6906	4959	3959	62841
	सब कुल कर्मकार (ग्रामीण)	45459	98683	44468	81581	48115	41863	41447	34429	346045
	(नगरीय)	—	—	—	—	—	—	—	—	153587
	योग जनपद									499632

तालिका न0 3.3 (ग्रामीण व नगरीय भण्डार)

क्रम सं0	मद 1.	चिरगांव 2	मोंठ 3	गुरसरांय 4	बामौर 5	मऊरानीपुर 6	बंगरा 7	बबीना 8	बड़ागांव 9	योग 10
1.	बीज गोदाम एवं उर्वरक भण्डार (ग्रामीण)	1	14	13	15	12	14	11	11	106
	उर्वरक भण्डार (नगरीय)	—	—	—	—	—	—	—	15	15
2.	कीटनाशक भण्डार (ग्रामीण)	1	1	1	1	1	1	1	2	9
	कीटनाशक भण्डार (शहरी)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	शीत मण्डार (ग्रामीण)	—	—	—	—	—	—	—	2	2
4.	कृषि सेवा केन्द्र (एग्रो एवं अन्य)	6	18	14	3	9	11	4	3	68
5.	मण्डी समिति (नगर)	1	1	1	—	1	—	—	2	6
6.	पशु चिकित्सालय (ग्रामीण)	1	1	1	1	—	2	2	1	9
	पशु चिकित्सालय (नगरीय)	—	—	—	—	—	—	—	—	11
	योग									20

क्रमशः

क्रम सं0	मद 1.	चिरगांव 2	मोंठ 3	गुरसरांय 4	बामौर 5	मऊरानीपुर 6	बंगरा 7	बबीना 8	बड़ागांव 9	योग 10
7.	पशुधन विकास केन्द्र (ग्रामीण)	2	2	3	2	1	1	1	2	14
	पशुधन विकास केन्द्र (नगरीय)	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	योग									15
8.	कृत्रिम गर्भाधन केन्द्र (ग्रामीण)	2	8	2	1	6	3	3	9	34
	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र (नगरीय)	—	—	—	—	—	—	—	—	12
	योग									46
9.	भेड़ विकास केन्द्र (ग्रामीण)	1	2	2	1	1	1	2	—	10
	भेड़ विकास केन्द्र (नगरीय)	—	—	—	—	—	—	—	—	7
	योग									17
10.	सुअर विकास केन्द्र (ग्रामीण)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	सुअर विकास केन्द्र नगरीय	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	योग									4
	विभागीय जलाशय (मत्स्य) (1992) जनसंख्या के अनुसार	1	1	1	2	2	1	1	1	10
	प्रारम्भिक ऋण सहकारी समितियां (ग्रामीण)	5	6	9	10	7	7	8	7	59
	प्रारम्भिक ऋण सहकारी समितियां (नगरीय)	—	—	—	—	—	—	—	—	7

भौतिक दशायें

जनपद झाँसी में विंध्याचल मे पहाड़ी ऋंखला होने के कारण विशेष भौतिक संरचना पायी जाती है जनपद की भूमि पथरीली और कम गहराई वाली है यहां गर्मी मे बहुत अधिक गर्मी और वर्षा ऋृतु मे कम वर्षा होती है तथा थोड़ा समय के लिय अधिक जाड़ा पडता है जो वनों के लिय भी अत्यन्त उपयोगी है।

झाँसी जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 5024 वर्ग किमी0 है तथा वनों का क्षेत्रफल 334.188वर्ग किमी0 है। जो वन विभाग के सीधे नियंत्रण मे है तथा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.62 प्रतिशत है।

कुल बन क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है।

1.	आरक्षित वन	257.96240 वर्ग किमी
2.	सरक्षित वन	571407 वर्ग किमी0
3.	अनारक्षित एवं निहित वन	70.51196 वर्ग किमी0
	योग	334.18843 वर्ग कि0मी0

गर्मी मे छोटे – छोटे पेड भी अधिक मात्रा में जलाने की लकड़ी उपलब्ध कराते है धसान नदी के किनारे सागौन के वृक्ष पाये जाते है महुवा इस जनपद मे काफी पाया जाता है वन की क्षति को रोकने के लिए शान द्वारा आम, नीम, पीपल, व खाद तथा साल के वृक्षों के काटने, पर रोक लगा दी गयी है यहां के पठारी, ढलानो, पर बांस होता है जनपद के 32543 हेक्टअर क्षेत्रफल वन है जो कि कुल पठारी ढलानों पर प्रतिबंधति क्षेत्र का 64प्रतिशत है वन विभाग के अन्तर्गत 970.75 हेक्टैअर क्षेत्र है।

पशासनिक संरचना

जनपद का मुख्यालय झाँसी नगर है तथा जनपद के प्रशासनिक दृष्टि से जनपद झाँसी मौठ,मऊरानीपुर, गरौठा, टहरौली, मे विभाजित किया गया है तथा ग्राम्य विकास कार्यक्रमों को प्रभावी कार्यन्वियन के सुनिश्चित करने हेतु आठ विकास खण्ड मौठ, चिरगांव , बामौर, गुरसराय, बंगरा, बनाये गये है प्रत्येक विकास खण्ड मे निम्नानुसार ग्रामम्य है जनपद मे वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार आवादी ग्रामों की संख्या विकास खण्ड निम्नवृत है।

तालिका न0 3.4

तहसील एवं विकास खण्ड वाद	राजस्व ग्राम	गैर आवाद	कुल ग्राम
1.. मोठ	127	22	149
2. चिरगांव	105	15	120
3. बामौर	101	14	115
4. गुरसराय	103	17	120
5. बंगरा	82	6	88
6. मऊरानीपुर	83	4	87
7. बबीना	72	1	73
8. बड़ागांव	87	—	87
	760	79	839

जनपद की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। जमीन ऊँची नीची होने के कारण प्रति व्यक्ति खाद्यान सावधान उत्पादन 27.4 किलोग्राम है। कृषि के साथ ही औधोगिक प्रगाति में भी यह जनपद प्रदेश मे पिछड़ा है।

जलवायु :

जनपद की जलवायु की विशेषता, पहाड़ी होने के कारण यह है कि ग्रीष्मकाल मे अधिक गर्मी तथा शीत काल मे अधिक सर्दी पड़ती है यहां शीत काल की तुलना मे ग्रीष्म काल शीध्र होकर देर तक रहता है जनपद झाँसी का न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान निम्नलिखित तालिका द्वारा दर्शाया गया है।

तालिका न0 3.5

वर्ष	न्यूनतम तापमान	अधिकतम तापमान
1996	3.1 सेन्टीग्रेड	47.8 सेन्टीग्रेड
1997	2.4 सेन्टीग्रेड	44.6 सेन्टीग्रेड
1998	2.8 सेन्टीग्रेड	46.0 सेन्टीग्रेड
1999	5.0सेन्टीग्रेड	48.5 सेन्टीग्रेड
2000	3.4 सेन्टीग्रेड	46.5 सेन्टीग्रेड
2001	5.1 सेन्टीग्रेड	45.5सेन्टीग्रेड
2002	2.8 सेन्टीग्रेड	45.7 सेन्टीग्रेड
2003	5.0 सेन्टीग्रेड	48.1 सेटीग्रेड
2004	4.1 सेन्टीग्रेड	46.8 सेन्टीग्रेड
2005	5.0 सेन्टीग्रेड	47.6 सेन्टीग्रेड
2006	4.2 सेन्टीग्रेड	47.3 सेन्टीग्रेड

जनपद झाँसी की औसत वर्ष 850 मिमी0 है परन्तु वर्षा अनियमित होती है ओर वर्षो के दिनों की संख्या कम रहती है गत वर्षो की स्थिति निम्नवृत है।

तालिका न0 3.6

वर्ष	सामान्य	वास्तिविक
1997	850	10.84
1998	850	8.63
1999	850	10.52
2000	850	56.3
2001	850	अत्रत्त
2002	850	प्राप्त
2003	850	670
2004	850	–
2005	850	–
2006	825	–

मिट्टी :

जनपद की मिट्टी मुख्यतः लाल व काली का मिश्रण है वैसे मार, कावर , पड़ुंवा, तथा शंकर किस्म की मिट्टी पायी जाती है जनपद के प्रथम खण्ड में जिसमें विकास खण्ड चिरगांव मोंठ, बामौर व मऊरानीपुर, है 50 प्रतिशत मार में 30 प्रतिशत में काबर एव शेष में 20प्रतिशत प्रतिमाह पडुवा मिट्टी पायी जाती है पडुवा मिट्टी धसान बेतवा नदी के कछार मे पायी जाती है।

शंकर मिट्टी मुख्य रूप से दूसरे सम्भाग मे पायी जाती है जो पठारी क्षेत्र है मगर मिट्टी उपजाऊ है।

कावरी मिट्टी : जनपद के उत्तरी पूर्वी भाग में मैदान मे पायी जाती है काबर मिट्टी कड़ी होने के कारण कम उपजाऊ होती है।

पडुवा मिट्टी उपजाऊ तो होती है परन्तु बिना खाद्य एवं अच्छी सिंचाई के अधिक प्रकार की फसलें नही उगाई जा सकती है।

शंकर मिट्टी पहाड़ी ढलान पर पायी जाती है कमजोर किस्म की मिट्टी होती है ओर खेती हेतु अनुपयुक्त होती है जनपद में काफी हिस्से मे हल्की मिट्टी ओर सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण उन पर अच्छी खेती नही हो सकती है।

जनपद – वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद झाँसी की जनसंख्या निम्नानुसार है।

	पुरूष	स्त्री	कुल
ग्रामीण	466226	397116	863342
नगरीय	301204	265152	566356
	767430	662268	1429698

उक्त में कुल आवादी के 51.6 प्रतिशत साक्षर है ओर उन साक्षरों में 66.8 प्रतिशत पुस्ष तथा 33.8 प्रतिशत महिलाए है। जनपद झाँसी में प्रति 1000 पुरूषों पर 863 स्त्री है एवं कुल मुख्य कर्मकारों का प्रतिशत 30.1 प्रतिशत है कुल मुख्य कर्मकारों में 46.5 प्रतिशत कृषक, 16.6 प्रतिशत कृषि श्रमिक एव अन्य कृषि संबंधी क्रिया कलापों में लगे लोग है जिससें प्रगटतः इस जनपद में अधिसंख्य लोगों के जीविकोपार्जन का साधन/ स्त्रोत कृषि ही परिलक्षित हो रहा है मुख्य कर्मकारों के 36.9 प्रतिशत लोग अन्य उद्योग धंधों एवं व्यवसाय आदि मे लगे है।

जनसंख्या :-

जनगणना 1981 के अनुसार जनपद झाँसी की कुल जनसंख्या 11.37 लाख थी जो 1991 14.30 लाख एक वर्ष 2001 मे 19.45 लाख हो गयी है वर्ष 1991 में 7.68 लाख पुरूष तथा 6.62 लाख स्त्रियां थी जो वर्ष 2001 मे बढ़कर 9.33 लाख पुरूष तथा 8.12 लाख स्त्रियों हो गयी है वर्ष 2001 की जनसंख्या में 3.16 की वृद्वि हुई। जो कुल जनसंख्या का 18.09 है।वर्ष 2001 की जनसंख्या 1744931 है।

धनत्व :-

5024 वर्ग किमी0 क्षेत्र वाले इस जनपद में 1981 की जनगणना के आधार पर धनत्व 22.6 प्रतिवर्ग कमी था जो 1991 में 284.63 प्रतिवर्ग किमी0 हो गया है एवं वर्ष 2001 में 34753 प्रति वर्ग किमी0 हेा गया है जबकि प्रदेश में जनसंख्या का धनत्व 47.1 प्रति वर्ग किमी0 है जिला झाँसी का सवसे ज्यादा धनत्व वाला केन्द्र विकास खण्ड बड़गांव तथा सबसे कम धनत्व वाला क्षेत्र बबीना ताथा बामौर विकास खण्ड है।

ग्रामीण तथा नगरीय आबादी :-

1991 के अनुसार जनपद की 8.60 लाख जनता ग्रामो मे निवास करती है एवं 5.67 लाख जनता नगरों मे निवास करती है जो कुल जनसंख्या का 60.34 ग्रामीण क्षेत्रों में 39. 61 प्रतिशत नगर क्षेत्रों में व्यक्ति निवास करते है ग्रामीण क्षेत्र मे संख्या की कमी हो रही है क्योंकि 1981 की जनसंख्या के अनुसार 62.3 प्रतिशत से घटकर 1991 मे 60.39 प्रतिशत रह गयी है। जिसका मुख्य कारण नये नगर क्षेत्रो की स्थपना घोषण तथा सुविधा की दृष्टि से ग्रामों से नगरों की ओर पलायन है वर्तमान मे वर्ष 2001 के अनुसार जनपद के 10.28 लाख ग्रामों मे एवं 7.17 लाख व्यक्ति नगरों मे निवास करते है।

जनसंख्या का ब्यवसायिक वितरण :-

पुरूषो तथा स्त्रियों का अनुपात 1991 की जनगणना के अनुसार कुल 7.68 लाख पुरूष एवं 6.62 लाख स्त्रियां है जो प्रति हजार पुरूषों में 865 स्त्रियां है एव वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल 9.33 लाख पुरूष तथा 8.12 लाख स्त्रियां है जो प्रति हजार पुरूष में 870 स्त्रियां है।

अनुसूचित जाति/जनजातियां वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 4.11 लाख व्यक्ति अनुसचित जाति के व्यक्ति निवास करते है जो कुल आबादी का 28 प्रतिशत है एवं वर्ष 2001 में 4.90 लाख व्यकित अनुसूचि जाति के है जो कुल आबादी का 28 प्रतिशत है।

इस प्रकार अनु0जाति के प्रतिशत मे कोई बढ़ोत्तरी नही हुई है।

कर्मकार :— जनपद के कर्मकारों के तुलनात्मक आंकड़े निम्न प्रकार है।

कर्मकार की श्रेणी	1.981 की जनगणना के अनुसार	1991 की जनगणना के अनुसार
कृषक	153238	200598
कृषि श्रमिक	39151	67214
पारिवारिक उद्योग	16362	14789
अन्य	107448	140357
सीमान्त कर्मकार	26406	68674
कुल कर्मकार	342606	499632

साक्षरता :-

जनपद में 1991 की जनगणना के अनुसार कुल 596640 व्यक्ति साक्षर हे जिनमें से 417310 पुरूष एवं 179330 स्त्रियाँ है प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 41.60 है जवकि जिले का 51.6 प्रतिशत है।

जो प्रदेश स्तर से अधिक है जिले में 66.3 प्रतिशत पुरूष है एवं 33.3 प्रतिशत स्त्रीयों साक्षर है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल 985079 व्यक्ति साक्षर है जिनमें से पुरूष 633803 एवं 351276 स्त्रियाँ है जो कुल जनसंख्या का 56.45 प्रतिशत है।

तालिका न0 3.7

जनपद मे विकास खण्डवार साक्षर व्यक्ति तथा सांक्षरता का प्रतिशत

वर्ष विकास खण्ड	साक्षर व्यक्ति			साक्षरता का प्रतिशत		
	पुरूष	स्त्री	कुल	पुरूष	स्त्री	कुल
वष 1971	189469	62772	252241	40.9	15.4	28.9
वर्ष 1981	308296	113037	421333	50.6	21.4	37.0
वर्ष 1991	417310	179330	596640	66.8	33.7	51.6
वर्ष 2001	633803	351276	985079	64.3	35.6	56.45

स्त्रोत : – सांख्यिकी पत्रिका (जिला, झाँसी)

कृषि भूमि उपयोग की विधि

कृषि भूमि जिला झाँसी के ग्रामीण क्षेत्रों की मुख्य जीविका है पूर्वकाल मे जिले में कपास की खेती होती थी अब कपास की खेती पूर्णताः समाप्त हो गयी है अब मूंगफली की खेती में अग्रणी है यहा कि खेती वर्षा पर आधारित है अब सिंचाई के साधनो मे वृद्वि करके वर्षा भर निर्भरता कम हो जाये ऐसे प्रयास जारी है झाँसी की भू –उपयोगिता से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष 2002 – 03 कृषि वर्ष 1409 के अनुसार भूमि उपयोगिता

क्रमस0	भूमि का विवरण	वर्ष 2002 – 2003
1.	कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल	499393
2.	वन	33638
3.	कृषि योग बंजर भूमि	16933
4.	वर्तमान परती एवं अन्य परती भूमि	35136
5.	ऊसर एवं कृषि के अयोग्य भूमि	31569
6.	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि	41334
7.	चार गाह	677
8.	उद्यानों,बागो,वृक्षों,एवं झाँडियो का क्षेत्रफल	1818
9.	एक बार से अधिक बोया क्षेत्रफल	52628
10.	शुद्व बोया गया क्षेत्रफल	343209
11.	सकल बोया गया क्षेत्रफल	378707
12.	खरीफ का क्षेत्र	79639
13.	जायद का क्षेत्रफल	1409
14.	शुद्व सिंचित क्षेत्रफल	206061
15.	सकल सिंचित क्षेत्रफल	20777
16.	रबी का क्षेत्रफल	297659

उक्त जानकारी से इस जनपद की फसल सघनता 120.6 प्रतिशत ही दिखती है अर्थात् अधिकांश वर्ष भर में एक ही फसल ली जाती है। एवं शुद्व बोए गये क्षेत्रफल में शुद्व सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत भी करीब 57.38 है। अर्थात यहां की करीब करीब आधी खेती वर्षाधारित है। यहां की मुख्य फसलें, गोहूं , चना मटर, रोई, सरसों, अलसी एवं मुंगफली, सोयाबीन, उर्दख मूंग तिल है। नदियों के किनारे जायद में खरबूजा, तरबूजा, उगाया जाता है। झाँसी जनपद में 4 बीज सम्बन्धित फार्म है। जहां उन्नत बीजों का उत्पादन किया जाता है।

तालिका न0 3.8

जनपद में विकास खण्ड वार भूमि उपयोग हे0 में (1999 - 2002)

स्त्रोत :– जिला सूचना – विज्ञान केन्द्र झाँसी

वर्ष विकास खण्ड	कुल प्रतिवेदित क्षेत्र	वन	कृषि योग्य वंजर भूमि	वर्तमान परती	अन्य आय	अन्य उसर परती एवं कृषि के आयोग्य भूमि	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि
1	2		3	4	5	6	7
1999–99	49613	34139	17115	39641	7519	31806	40716
2001–01	499393	3638	15685	38813	7454	31794	40821
2001–02	499393	33638	15488	25275	7306	31569	41257
विकास खण्ड 2001 – 02							
1. मोंठ	65239	3962	402	3223	681	1018	5066
2. चिरगांव	53969	4993	1097	2231	413	1024	5161
3. बामौर	81932	10563	1498	4335	2858	3428	6660
4. गुरसराय	73468	4740	1612	3367	1625	1569	5741
5. बंगरा	51771	2188	2749	2561	868	1905	5298
6. मऊरानीपुर	54118	323	2053	1972	503	1418	3875
7. गर्वाना -	72798	6390	5160	6561	160	16661	4549
8. बड़ागाव	42770	471	603	959	174	2771	3795
योग प्रर्माण	496015	33638	15254	25209	7282	29796	40145
योग वन	–	–	–	–	–	–	–
नगरीय	3378	–	234	66	24	1713	1112
योग जनपद	499393	33638	15488	25275	7306	31569	41257

क्रमशः

पूर्व खण्ड वर्ष/खण्ड	चारा गाह	उद्योगों वृक्षों का झाडियों	शुद्ध बोया जीय बायो गया क्षेत्र0	एकवार या अधिक बोयर क्षेत्र0	सकल बाया गया क्षे0 कुल	रवी	खरीफ	जायद
1	2	10	11	12	13	14	15	16
1999–00	630	1060	326987	63082	390069	300932	88298	839
2000–01	634	623	329931	88073	418004	296205	120721	1076
2001–02	633	1018	343209	70720	413929	301733	111437	747

क्रमशः

विकास खण्डवार 2001—02

पूर्व खण्ड वर्ष/खण्ड	चारा गाह	उद्योगों वृक्षों का झाडियों	शुद्व बोया गया क्षेत्र	एकवार या अधिक बोय क्षेत्र	सकल कुल	बोया गया क्षे0 रवी	खरीफ	जायद
1	2	10	11	12	13	14	15	16
1. मोठ	66	107	50714	3826	54540	49898	4550	92
2. चिरगांव	97	199	38754	10005	48759	37650	11065	44
3. बामौर	90	103	52397	12536	64933	47501	17417	15
4. गुरसराय	99	120	54595	13692	8297	49003	19195	9
5. बंगरा	144	219	35793	15709	51582	32656	18805	111
6. मऊरानीपुर	52	61	43861	9763	53624	41814	11765	33
7. बबीना	42	130	33145	7460	36605	20799	15725	81
8. बड़ागांव	53	43	33781	118	35399	22200	12841	358
योग ग्रामीण	633	1018	343040	70689	413729	301611	111363	743
योग वन क्षण	—	—	—	—	—	—	—	—
नगरीय	—	—	160	71	200	122	74	4
योग जनपद	633	1018	343209	7720	41399	301733	111437	747

तालिका न0 3.7

जोतों का आकार

कृषि गणना वर्ष 1995 – 96 के अनुसार जनपद में कृषि जोत एवं जोतवार कृषकों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम सं0	जोतो का आकार	जोत संख्या कुल	अनु0जाति	क्षे0 हेक्टेयर कुल	अनु0 जाति
	सीमान्त कृषक				
1.	0.00 है0 से 0.5	54163	13111	14662	3862
2.	0.5 है. से 1.0	45533	12009	32381	9067
	योग	99696	25720	47043	12929
	लघु कृषक				
3.	1.0 है0 से 2.0 है0	54032	15981	87736	22928
	अर्द्ध मध्यम				
4.	2.0 है से 3.0 है0	23328	3865	61012	9305
5.	3.0 है से 4.0 है0	1165	1451	42471	4955
	योग	34984	5316	103483	14260
	मध्यम				
6.	4.0 है से 5.0 है0	7289	602	33133	2688
7.	5.0 है से 7.5 है0	8055	5.11	49592	3089
8.	7.5 है0 से 0.0 है0	2642	85	22084	707
	योग	17986	1198	104809	6484
	वृहद				
9.	10.00 है0 से 20.00 है	1178	26	16198	299
10.	20.00 है0 से अधिक	92	–	2835	–
	योग	1270	26	19033	299
	महायोग	207968	48241	362104	56900

फसल गहनता कुल कृषित क्षेत्र :-

(एक वर्ष में) व शुद्ध कृषित क्षेत्र का अनुपात ''फसल गहनता'' है। इसे प्रतिशत में व्यक्त करते है।

जनपद में कुल प्रतिवेदित क्षे. से शुद्ध बोया गया क्षे. 64.95 प्रतिशत है यह प्रतिशत प्रदेश के 57.2 प्रतिशत से अधिक है जनपद में फसल गहनता 120.6 है जो गत वर्ष से कम हो गयी है तथा प्रदेश गहना 142 प्रतिशत से कम है यह कृषि के पिछड़ेपन का सूचक है इस प्रकार शुद्ध बोये गये क्षे. सिंचित एवं फसल गहनता की स्थिती प्रदेश की तुलना में पिछड़ी हुई है सिंचित क्षमता की वृद्धि से इसे कम किया जा सकता है। जलवायु एवं मृद्रा की किस्म के ध्यान में रखकर बुन्देलखण्ड सम्भाग मे निम्नलिखित फसल चक्र अपनाये जाते है।

1.	ज्वार अरहर, परती गैहूं तिल अलसी	3 वर्ष
2.	परती सरसो , ज्वार अरहर मूंग जौ	3 वर्ष
3.	ज्वार चना परती गेहूं	2 वर्ष
4.	परती चना ज्वार चना	2 वर्ष
5.	परती गेहूं	1 वर्ष
6.	परती गेहूं चना	1 वर्ष
7.	ज्वार चना	1 वर्ष
8.	कौदों मंडवा चना या मटर	1 वर्ष

किस क्षेत्र में कौन सी फसल उगायी जाये तथा उस सम्बन्धित क्षेत्र में भी विशिष्ट फसल, कितने क्षेत्र पर बोई जाये। क्योंकि भूमि जलवायु भू रचना आदि धरक था यह निर्धारित करते है। कि उन्मुक क्षेत्र में किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त होगा।

यद्यपि नियोजन काल में कृषि उत्पादकता में वृद्दि हुई हर लेकिन फिर भी विभिन्न फसलों की उत्पादकता अन्य अल्प विकसित देशों की अपेक्षा काफी कम हो देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य सामाग्री की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु तथा उद्योगों को कच्चा माल प्रदान के लिए कृषि की उत्पादकता बढ़ानी होगी।

देश के आर्थिक विकास के लिए सृदृढ आधार प्रदान करेन हेतु कृषि को समर्थ बनाने के लिए अन्य प्रयासों के साथ फसलों का नियोजन करना भी एक अनिवार्य भाग है अतः हमारे देश में कृषि की उप्पादकता बढ़ाने के लिए फसल नियोजन एक आवश्यक तत्व है।

तालिका न0 3.10

जनपद में विकास खण्ड वार मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

वर्ष विकास	चावल खरीफ		चावल जायद		कुल चावल	
खण्ड	कुल	सिंचित	कुल	सिंचित	कुल	सिचिंत
1	2	3	4	5	6	7
1999–00	1575	215	–	–	1575	215
2000–01	2972	823	–	–	2972	823
2001–02	2906	1060	–	–	2906	1060
विकास खण्डवार 2001–02						
1. मोंठ	2205	1020	–	–	2205	1020
2. चिरगांव	60	23	–	–	60	23
3. बामौर	1	–	–	–	1	–
4. गुरसराय	11	1	–	–	11	1
5. वंगरा	223	11	–	–	223	11
6. मऊरानीपुर	54	–	–	–	54	–
7. बबीना	167	–	–	–	167	–
8. बड़ागांव	265	5	–	–	265	5
योग ग्रामीण	2906	1060	–	–	2986	1060
नगरीय	–	–	–	–	–	–
योग जनपद	2986	1060	–	–	2986	1060

तालिका :– क्रमशः

वर्ष विकास	गोहूँ		जौ		ज्वार		बाजरा	
खण्ड	कुल	सिंचित	कुल	सिंचित	कुल	सिचिंत	कुल	सिंचित
1	8	9	10	11	12	13	14	15
1999–00	129179	117079	3180	2182	10023	–	135	–
2000–01	128977	118321	3714	2779	8082	–	148	–
2001–02	130628	121759	3615	2756	7524	–	101	–
विकास खण्ड 2001–02								
1. मोंठ	24637	24593	438	314	486	–	13	–
2. चिरगांव	16292	16012	379	339	389	–	2	–
3. बामौर	1225	10119	605	291	3096	–	1	–
4. गुरसराय	13133	9297	278	132	2620	–	–	–
5. बंगरा	15669	14074	387	325	253	–	–	–
6. मऊरानीपुर	13949	13050	349	322	599	–	–	–
7. बबीना	17557	17553	539	536	4	–	4	–
8. बड़ागाव	17044	16998	563	527	77	–	81	–
योग ग्रीण	130535	121696	3618	2786	7524	–	101	–
नगरीय	93	93	–	–	–	–	–	–
योग जनपद	130628	121789	3618	2786	7524	–	101	–

तालिका क्रमशः

वर्ष विकास सखण्ड	गन्ना या तैयार की गई भूमि	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	सिंचित क्षेत्रफल
1	17	18	19
1999—00	—	103437	104001
2000—01	2	181041	183803
2001—02	12	195926	199191
विकास खण्डवार 2001—02			
1. मोंठ	—	30368	31355
2. चिरगांव	—	30274	30461
3. बामौर	—	20800	20809
4. गुरसराय	—	19057	19075
5. बंगरा	—	23154	23570
6. मऊरानीपुर	12	32056	32158
7. बबीना	—	20569	20686
8. बड़ागाव	—	20492	20925
योग ग्रीण	12	196790	199039
योग वन क्षेत्र	—	—	—
नगरीय	—	136	152
योग जनपद	12	196926	199191

सिंचन सुविधाये

वर्ष 2002 – 2003 में सिंचाई के साधन इस प्रकार है 1196 मिमी0 नहरें 89 राजकीय नलकूप 2525 निजी नलकूप 15231 पक्केकूप 10267 रहट भूस्तरीय पम्पसेट है। 11653 एवं बोरिंग पर लगे 15030 पम्पसेट है। जनपद में विभिन्न साधनों द्वारा वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल नहरो द्वारा 96320 है। राजकीय नलकूप द्वारा 2688, निजी नलकूप से 3856 कुओं द्वारा 87185 तालाव, नदी झीलों एवं पोखरों द्वारा 5757 है0 अन्य साधनों द्वारा 10255 सिंचाई की गयी है इस प्रकार कुल सिंचित क्षेत्रफल 206061 हेक्टेयर हैं

वृहद एवं मध्यम सिंचाई :-

जनपद मे वृहद मध्यम सिचाई बेतवा नहर, गुरसरांय नहर, स्यावरी नहर, पहूज बांध, गढमऊ बांध, स्यावरी बांध कचनेवा बांध, बडवार बांध, डांगरी बांध, भरतपुर पम्प केनाल, धुसगुवा पम्प, बराठा पम्प केनाल द्वारा होती है।

जनपद में सिंचाई सुविधा कम होने के कारण जनपद में सिंचित क्षेत्र कम रहता है एवं साल के अन्दर फसलों की संख्या भी कम रहती है यहा साधन वार सिंचाई सुविधा निम्न्वत है।

मंडल की सांख्यकीय पुस्तिका 2001 – 2002 से

साधन	संख्या	माप
1. नहर	–	1196 किमी0
2. राजकीय नलकूप	89	–
3. निजी नलकूप	2525	–
4. बोरिंग पर लगे पम्पसेट	15030	–
5. भूस्तरीय पम्प सेट	11653	–
6. पक्के कुए	15231	–
7 रहट	10267	–

तालिका न0 3.11

जनपद में खण्डवार सिंचित क्षेत्रफल

क्रम0 स0	वर्ष विकास खण्ड	नहरें	नलकूप राजकीय	निजी0	कुंऐ	तालाब	अन्य	योग
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1999–00	89460	2182	3539	77056	2051	9149	183437
	00 – 01	77400	4198	4197	80513	2400	12333	181041
	01 – 02	90073	2080	3637	86805	4860	9471	196926
			विकास खण्ड 2001 – 02					
1.	मौंठ	26879	492	773	1597	305	342	30388
2.	चिरगांव	16286	564	1356	10536	954	578	30274
3.	बामौर	16865	229	1034	1043	191	1438	20800
4.	गुरसराय	8966	16	128	6753	1662	1532	19057
5.	बंगरा	4271	—	181	16683	831	1188	23154
6.	मऊरानीपुर	9187	106	99	19188	53	3423	32056
7.	बबीना	398	—	—	19480	934	157	2056
8.	बड़गांव	7221	673	40	11420	325	813	20492
	योग ग्रामीण	90073	2080	3611	86700	4855	9471	196790
	नगरीय	—	—	–26	–105	–5	—	–136
	योग जनपद	90073	2080	3637	86805	4860	9471	196926

स्त्रोत :– जिला सूचना विज्ञान केन्द्र,झाँसी

रसायनिक उर्वरकों तथा उन्नतशील बीजों का प्रयोग

जनपद में वर्ष 2003 – 04 के उद्यान विभाग द्वारा 1.90 लाख फलदार पौधों का वितरण कराया गया है एवं सब्जी के बीजों का वितरण 897 कि0ग्रा0 किया गया हैं एवं खाद्य प्रसंस्करण हेतु 401 कृषकों को प्रशिक्षित किया गया है।

कृषि विपणन से संबधित उर्वरक एवं बीज भण्डारण हेतु वर्ष 2003 – 04 तक 3 उर्वरकों एवं बीज भण्डार 2664 की टन क्षमता एवं 87 ग्रामीण गोदाम 25400 मी0टन क्षमता उपलब्ध है इससे कृषकों की बीज एवं उर्वरक ऋण एवं नगर रूप से मिलता है कुल 193 बिक्री केन्द है इनमें से कृषि विभाग के 15 सहकारिता विभाग के 76 एग्रो के 3, प्राइवेट के 99, उर्वरक भण्डार है। वर्ष 2003–04 में जनपद में कीटनाशक रसायनों के कुल 91 बिक्री है। इन बिक्री केन्दों में कृषि रक्षा विभाग के 9 यू0पी0 एग्रो के 01 राज्य भण्डार निगम का 04 एवं निजी विक्रेताओं के 70 है।

वर्ष 2003 – 05 में 138792 कि0/ली0 रसायनों का वितरण किया गया हे जिस्मिं कीटनाशक धूल 108296 किग्रा0 तरल कीटनाशक 25496 ली0 फफूदीनाशक 1891 एवं भूषनाशक 539 के0जी एवं 2607 के0जी0 रवर पतवार नाशक आदि का वितरण उपयुक्त सभी विक्री केन्द्रों द्वारा किया गया एवं कृषि रक्षा विभाग द्वारा बायोपेस्टी साइड 1376 कि0 लीटर वितरित किया गया हैं।

झाँसी जनपद में 4 बीज सम्बधन फार्म है जहां उन्नत बीजों का उत्पादन किया जाता है।

तालिका न0 3.12

रसायनिक उर्वरक वितरण (मी0टन)

वर्ष/ विकास खण्ड	नाईट्रोजन	फासफोरस	पोटास	योग
1	2	3	4	5
1990 –00	11047	9432	20	20499
2000—01	11677	10668	18	22363
2001–02	13985	11096	11	25092

विकास खण्ड वार 2001–02

1. मोंठ	2081	1908	2	3991
2. चिरगांव	1860	1580	1	3441
3. बामौर	1178	992	1	2171
4. गुरसराय	1623	1495	2	3120
5. बंगरा	1181	869	1	2050
6. मऊरानीपुर	1972	1311	1	3284
7. बबीना	1466	950	1	2417
8. बड़ागाव	2627	1992	2	4618
योग ग्रामीण	13985	11096	11	25092
योग वन क्षेत्र	–		–	–
योग जनपद	13985	11096	11	25092

स्त्रोत :– जिला सूचना विज्ञान केन्द्र झाँसी

यंत्रीकरण की स्थिती

कृषि के यन्त्रीकरण का अभिप्राय कुछ कृषि कार्यों के जो प्रायः पशुओं या मनुष्य दोनों के द्वारा किये जाते है।

उपयुक्त मशीनों की सहायता से करने की विधि से है।

प्रो0 भटटाचार्य के मतनुसार " यान्त्रिक कृषि का अर्थ भूमि सम्बन्धी कार्यो में जिन्हें प्रायः बैलों, घोड़ों, अथवा अन्य पशुओं की सहयता से अथवा माननीय श्रम, द्वारा अथवा पशु, श्रम एवं मानवीय श्रम दोनों के द्वारा किया जाता है यान्त्रिक शक्ति का उपयोग करने से है।

" दूसरे शब्दों में कृषि के " यान्त्रीकरण मे यन्त्र शक्ति कृषि, कार्यो में मानव व पशु – श्रम का स्थान ग्रहण कर लेती है।

कृषि यन्त्रों में ट्रैक्टर (भूमि की जुताई के लिए) कम्वाइन्डड्रिल (बीज एवं खाद डालने के लिए)

कम्बाइन्ड हारवैस्टर (फसलों की कटाई के लिए) प्लान्टर (भूमि, कुरेदने, बीज डालने) और खाद रखने के लिए) आदि मुख्य हैं

भारत में पिछले कई वर्षो से कृषि फार्म मशीनरी, व ट्रेक्टर आदि का उपयोग बढ़ रहा है भारत में ट्रेक्टरों का आयात भी किया जाता है बढ़ती हुई मांग को पूर्ण करने के लिए पावर टिलर्स, डिस्क हैरौज आदि भी आयात किया जा रहा है विभिन्न राज्यों में कृषि उद्योग निगम स्थापित किये गये है।

जो कृषिगत यन्त्रों के वितरण की व्यवस्था करते है देश में ट्रेक्टरों की माँग बढ़ रही है। पंजाव व हरियाण में कृषि का यन्त्रीकरण सर्वाधक हुआ है।

एक कृषि मशीन व औजार मण्डल की भी स्थापना की गई है जो उत्तम प्रकार के कृषि यन्त्रों के निर्माण तथा इनके प्रचार कार्यो की जांच करता है भारत में कृषि यन्त्री करण का क्षेत्र इन क्षेत्रों में सफलतापूर्वक अपनाया जा सकता है।

1. बेकार व बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए।
2. दलदली वाली भूमि का पानी निकालने के लिए।
3. सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए।
4. भूमि सरंक्षण सम्बन्धी कार्यो के लिए।
5. पौध संरक्षण के लिए।
6. कम आबादी वाले क्षेत्रों में कृषि का विस्तार करने के लिए।
7. कृषि की उन्नति के लिए आवश्यक यातायात के लिए

वास्तव में देश की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए कृषि का बड़े पैमाने पर यन्त्रीकरण न तो पूर्णतया सम्भव है और न वाँछनीय ही है। यह धारणा भी गलत है कि भारतीय कृषि की एक मात्र समस्या केवल यान्त्रिक ही है हमारे देश मे भारी कृषि यन्त्रों के स्थान पर नवीन और छोटे कृषि यन्त्रों का प्रयोग व्यवहारिक ओर लाभप्रद सिद्व हो सकता है ट्रैक्टर आद भारी कृषि यन्त्रो का प्रयोग तो उसर या बेकार पड़ी व कासो मे ढकी हुई भूमि को कृषि के अन्तर्गत लाने भूमि सरंक्षण कार्य के हेतु तथा जनसंख्या के कम धनत्व बाले क्षेत्रों में जहां श्रम की बहुत कमी है। वहां भूमि को जोतने बाने के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है हमारा दृष्टि कोण यन्त्रों द्वारा माननीय श्रमिकों के प्रति स्थापित करना नही वरन उसकी सहायता करने का होना चाहिऐ । वास्तविकता यह है कि भारतीय कृष के सन्दर्भ में वर्तमान समय मे यन्त्री करण का आशय पूर्ण यन्त्रीकरण से नही है वरन आवश्यकता और सुविधानुसार ऐसे यन्त्रो और उपकरणों

के प्रयोग करने से है जिससे बिना बेरोजगारी में वृद्वि दिये किये कृषि की उत्पादकता ओर किस्म मे वृद्वि की जा सके।

भारत सरकार आंशिक यन्त्रीकरण को बड़े ही सूझ बूझ के साथ सावाधानी पूर्वक लागू करना चाहती है एक और बहु फसली कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यन्त्रो का उपयोग आवश्यक है तो दूसरी ओर बेरोजगारी की नवीन समस्या उत्पन्न न हो इसके प्रति जागरूकता रहना है।

वित्ती सुविधायें

विकास कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने, गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को ऊपर उठाने हेतु वित्तीय संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान है जनपद में मार्च 2005 तक निम्नलिखित बैंक शाखायें कार्यरत है।

बैंक सुविधाएं :-

राष्ट्रीयकरण के बाद सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए बैंक ध्वज वाहक के रूप मे पुर्नः आंकलित हुए एंव नई बैंक शाखा खुलने का काम भी तीव्र गति से हुआ। फिर सेवा क्षेत्र अवधारणा के साथ प्रत्येक गांव किसी न किसी बैंक शाखा के साथ सम्बद्ध किया गया इस तरह से जनपद झाँसी मे बैंकों की निम्नवत् शाखांए कार्यरत है।

क्र.	बैंक		संख्या	क्र.	बैंक		संख्या
1.	पंजाब नैशनल बैंक	—	26	12.	कैनरा बैंक	—	01
2.	भारतीय स्टेट बैंक	—	20	13.	यूनाइटेड बैंक	—	01
3.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	—	15	14.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	—	01
4.	रानी लक्ष्मी बाई क्षे.ग्रा0बैक	—	23	15.	बिजया बैंक	—	01
5.	इलाहाबाद बैंक	—	02	16.	देना बैक	—	01
6.	यूनियन बैंक	—	02	17.	सिण्डीकेट बैंक	—	01
7.	बैंक ऑफ बड़ौदा	—	01	18.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	—	01
8.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	—	01	19.	जिला सहकारी बैंक	—	17
9.	यूको बैंक	—	01	20.	भूमि विकास बैंक	—	04
10.	बैक ऑफ इण्डिया	—	01	21.	अई0सी0आई0सी0आई0	—	01
11.	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	—	01	22.	एच.डी.एफ.सी0बैंक	—	01
					सब कुल		123

उक्त सब कुल 123 बैंक शाखाओं में से जिला सहकारी बैक की 3 शाखांए ऐसी है जिनमे ऋृण वितरण समबन्धी कार्य नही किया जाता है। (झाँसी शहर स्थित)

इस प्रकार जनपद में 75 व्यवसायिक बैंक शाखायें ग्रामीण बैंक शाखायें 23, एवं सहकारी बैंक शाखायें भूमि विकास बैंकों की शाखायें सहित 22 शाखायें है

वर्ष 2003–04 में बैंको मे जमा धनराशि 156474 लाख रूपये एवं अग्रिम 50006 लाख रूपये किया गया हैं

इसमें प्राथमिकता वाले क्षत्रों मे कुल 1476961 हजार रूपये का ऋण बांटा गया है जिसमे कृषि तथा कृषि से संबधित कार्यो पर 750495 हजार रूपया लद्यु उद्योग क्षेत्र में 108001 हजार रूपया एवं अन्य सेक्टरों में 618465 हजार रूपया का ऋण बांटा गया हैं

लद्यु एवं कुटीर उद्योग धन्धे :-

झाँसी जनपद की भौगोलिक स्थिति को देखते हुये यहा पर लद्यु एंव कुटीर उद्योग की आपार सम्भावनाये है इसका मुख्य कारण यह क्षेत्र देश के विभिन्न प्रदेशों के छोटी एवं बड़े नगरों को जोड़ता है कृषि आधारित एवं अन्य उद्योग – धन्धे यहां पर लगाये जा सकते हे जैसे पशु पक्षी पालन, मत्सयपालन, कृष उत्पादों का संग्रहण एंव विपणन एवं अन्य छोटे – बड़े उद्योग धन्धे जनपद में उपलब्ध कुछ उद्योग – धन्धों विवरण किया जा रहा जो निम्न्वतम है।

पशु पक्षी पालन

झाँसी जनपद कृषि पर आधारित है और फसलोप्रदान के साथ साथ पशु – पक्षीपालन भी पूरक क्रिया – कलापों के रूप में आमतौर पर अपनाए जाते है। इसीलिए सीमान्त एवं लद्यु कृष्कों तथा कृषि मजदूरों की इन क्रिया कलापों में बैंक वित्त के माध्यम से आय बढ़ाने का योगदान हो सकता है। 1997 की पशु गणना के अनुसार जिले में पशु पक्षी की स्थिती की जानकारी निम्नवत है।

(मण्डलीय संख्यकीय पत्रिका 2001 - 02 से संकलित)

1.	गोवंशीय	1	नर	108017	
		2.	मादा	122266	
		3.	बछड़ा/बछिया	109344	339627
2.	महिष वंशीय	1	नर	2653	
		2.	मादा	94502	
		3.	पड़वा/पड़िया	69482	166637
3.	भेड़ कुल			73786	
4.	बकरी कुल			211451	
5.	सुअर कुल			12556	
6.	अन्य पशु			1606	
7.	कुक्कुट			131062	

जिले में पशु पालन विभाग अपने निम्नवत कार्यालयों/सेवा केन्द्रों द्वारा पशु पक्षी पालन मे सहयोग कर रहा है।

कार्यालय / सेवा केन्द्रों 2002 -2003

1.	पशु चिकित्सालय	20
2.	पशुधन विकास केन्द्र	15
3.	क्रत्रिम गर्भाधान केन्द्र/उपकेन्द्र	46
4.	पशु प्रजनन केन्द्र	01
5.	भेड़ विकास केन्द्र	17
6.	सुअर विकास केन्द्र	04
7.	पोलट्री यूनिट	01

अण्डा तथा कुक्कुट मांस को बढ़ावा देने हेतु चन्द्रशेखर आजाद कृषि विज्ञान केन्द्र भरारी (झाँसी) स्थापित है जिसमें लेयर्स ब्रायलर्स के दिनायु चूजे उपलब्ध कराए जाते है।

मत्सय पालन :-

झाँसी जनपद मे मत्सय पालक विकास अभिकरण भी कार्यरत है जो मत्सय पालकों को तकनीकी एवं वैज्ञानिक परामर्श के साथ – साथ मत्सय विकास हेतु मत्सय पालकों का चयन, मत्सय तालाबों के पट्टे , मत्सय, अंगुलिकाओं की आपूर्ति आदि की व्यवस्था करवाता है एवं बैंक वित्त हेतु ऋण आवेदन तैयार करवाने,ऋण वितरण में ताल मेल करवाता है। मत्सय पालन विभाग के सर्वेक्षण अनुसार झाँसी जनपद में (2002–03) 9 विभागीय जलाशय हें, जिनका क्षेत्रफल 6290.80 है है मत्सय विभाग द्वारा 122888 अंगुलिकाओं का वितरण किया गया एवं 910 कु. मत्सय उत्पाद हुआ।

कृषि उत्पादों का संग्रहण एवं विपणन

कृषि उत्पादों के संग्रहण एंव भण्डारण हेतु खाद्यान्न भण्डारों की सुविधा निम्नवत है।

(2002 – 03)

खाद्य निगम भण्डार	स0	भण्डारण क्षमता मी0ट
1. भारतीय खाद्य निगम	08	30340
2. केन्द्रीय भण्डार निगम	10	15800
3. राज्य सरकार भण्डारगाहा	73	7300
4. सहाकरिता विभाग भण्डार ग्रह	21	5814
5. ग्रामीण गोदाम	87	25400
6. शीत भण्डार	02	5680

जनपद झाँसी में 6 क्रय विक्रय सहकारी समितियाँ एवं इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर स्थानीय बाजार है जहां दिन प्रतिदिन क्रय विक्रय का कार्य होता है पुरानी विपणन व्यवस्था मे अनेक कमियां है जिससे कृषकों को उनके उत्पादों का सही मूल्य नही मिल पाता अतः व्यवस्था सुधार के उद्देश्य से 6 मण्डी समितियों ,झाँसी, बरूआसागर, मऊरानीपुर, गुरसराय, मोठ, चिरगांव, की स्थापना की गई।

उद्योग योजना आयोग द्वारा घोषित उ0 प्र0 के 36 पिछड़े जिलों में झाँसी भी एक है कुल कार्यशक्ति का 9.2 प्रतिशत ही औद्योगिक गति विधियों में लगा है जिसमें , 3.4 प्रतिशत पारिवारिक एवं 5.8 गैर पारिवारिक उद्योगों मे जनपद के औद्योगिक विकास हेतु जिला उद्योग केद्र निरंतर कार्यरत है।

उद्योग विभाग द्वारा जनपद में औद्योगिक संस्थानों की स्थापना

पहला झाँसी से 3 किमी0 दूर झाँसी ग्वालियर रोड पर स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 15 एकड है और उसमे 18शेड 63 प्लाट बनाए गए है एवं 23 इकाइयाँ कार्यरत है।

दूसरा ग्राम झांकरी तहसील मऊरानीपुर में स्थित है इसका क्षेत्रफल 13.4 एकड़ विकसित भूखण्ड की संख्या 48 है जिसमें 33 भूखण्ड उद्यमियों को आंवटित है और इनमे 5 इकाइयों कार्यरत हैं।

इसके अलाव झाँसी ललितपुर मार्ग पर 8 किमी की दूरी पर ग्राम बिजौली में उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम कानपुर द्वारा 200 एकड़ क्षेत्र मे विकसित औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई जिसमें कुल विकसित भूखण्ड 247 मे से 243 आवंटित है। और इसमें 48 इकाइयां कार्यरत है शासनद्वारा समय समय पर स्वीकृत ,झाँसी जनपद मे विकास खण्ड बंगरा (3.0 एकड़ भूमि क्षे. क्षेत्र) विकास खण्ड मोठ (2.82 एकड़ भूमि क्षेत्र) के औद्योगिक आस्थानो की स्थापना की जा रही है जो करीब –करीब तैयार हो चुके है तथा इनकी आर्थिक गणना कर आंवटन की कार्यवाही की जा रही है झाँसी जनपद के झाँसी ललितपुर मार्ग पर झाँसी से करीब 9.0 किमी0 दूर 400 एकड़ भूमि पर एक ग्रोंथ सेन्टर की स्थापना की जा रही है जिसमें 150 एकड़ भूमि विकसित की गई है।

झाँसी जनपद में निम्न ब्रहद एवं मध्यम उद्योग स्थापित है।

1. बी0एच0ई0एल0 खैलार
2. श्री निवास फर्टीलाइजार लि0 गोरा– मछिया , झाँसी
3. इण्डियन ह्यूम पाइप झाँसी
4. कंक्रीट उद्योग बिजौजी
5. डायमंड सीमेंट फैक्ट्री झाँसी
6. मीनाक्षी रोलिंग मिल्स बिजौली, झाँसी
7. कम्बल उद्योग, हैविट मार्केट ,झाँसी
8. बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, झाँसी

विकास खण्ड बड़ा गांव मे कोछा भावर मे एक चीनी मिट्टी पात्र विकास केन्द्र है जनपद मे मऊरानीपुर तहसील के रानीपुर टेरीकाट के नाम से कपड़ा तैयार करने की छोटी छोटी हेण्डलूम/हंथकरधा इकाइयां है जहां करीब 1200 बुनकर परिवार इस काम मे लगे हैं परन्तु बिक्री संबंधी कोई राज्य स्तरीय सुविधा न प्राप्त होन से यह कार्य निजी व्यपार के जरिए होता है जनपद में औद्योगिक अधिनियम 1948 के अन्तर्गत 1255 लद्यु औद्योगिक इकाइयां स्थापित है।

अध्याय चतुर्थ

(अ)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विकास

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - एक परिचय
2. प्रबन्ध प्रषासन एवं संगठन के आषय
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विकास का उदय
4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की विधिक स्थिति या षाखा विस्तार
5. क्षेत्रिय ग्रामीण बैंको के उद्‌देष्य
6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का महत्व
7. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूंजी संरचना
8. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेषक मंडल का गठन
9. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की प्रबन्ध व्यवस्था
10. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की अन्य वाणिज्यिक बैंकों से भिन्नता
11. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में योगदान
12. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्राथमिक एवं सहायक कार्य तथा सामान्य उपयोगिता सेवायें प्रदान करना।
13. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का लेखा एवं अंकेक्षण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विकास

भारत का सपूर्ण आर्थिक विकास कृषि क्षेत्र के कुशल क्रियान्वयन एवं प्रगति पर निर्भर करता है और कृषि क्षेत्र का विकास कृषकों एवं ग्रामीण जनता को मिलने वाली सुख सुविधाओं पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का एक मात्र उद्देश्य कृषि क्षेत्र को साख प्रदान करना था . क्योंकि भारतीय कृषि क्षेत्र पूंजी के अभाव से ग्रस्त है। उत्तम किस्म के बीज रासायनिक खाद्य अच्छे औजार तथा कृषि उत्पादों के लिए विपणन सुविधायें कृषि उद्योग की प्रमुख आवश्यकतायें है। इन सभी आवश्यक सुविधाओं की प्राप्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। जिसका भारतीय कृषकों में सर्वथा अभाव है। उचित समय और पर्याप्त मात्रा में साख सुविधाओं को उपलब्ध होने पर कृषक उक्त साधनों को एकत्र करने तथा कृषि उत्पादन में वृद्दि करने में सफल हो सकते है इस प्रकार प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, केन्द तथा राज्य सरकारों के सहयोग से स्थापित एक प्रकार का व्यवसायिक बैंक है। जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना तथा उन्हें रियायती दरों पर साख प्रदान करना हैं।

भारत सरकार ने 26 सितम्बर 1975 को अध्यादेश जारी करके ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की ऋण सम्बंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नयी योजना प्रारम्भ की, इस योजना के अन्तर्गत प्रादेशिक ग्रामीण बैंको की स्थापना की गयी। जून 1987 के अन्त तक भारत के विभिन्न राज्यों में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हो चुके थे भारत सरकार ने ये बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के उपबन्धों के अनुसार स्थापित किये है। एक ग्रामीण बैंक की अपनी विशेषता यह है कि संशक्त उत्तराधिकार तथा समान्य मुद्रावाला प्रथम निगमत कर होते हुए भी उस वाणिज्य बैंक से धनिष्ट रूप से जुड़ा होता है। जो उसकी स्थापना के प्रस्ताव का प्रयोजक होती है। वाणिज्य बैंक के आवेदन करने पर पहुँच सके। जब केन्द्र सरकार कोई ग्रामीण बैंक स्थापित करती है तो वह उन सीमाओं का भी उल्लेख करती है। जिनके भीतर उस ग्रामीण बैंक को कार्य करना होता है। ऐसे अधिसूचित क्षेत्र के भीतर ही किसी भी स्थान पर वह ग्रामीण बैंक अपनी शाखायें या एजेन्सियो को खोल सकता है। ग्रामीण बैंक की आवश्यकता इसलिए

अनुभव की गयी क्योंकि सहकारी बैंकों तथा वाणिज्य बैंको जैसी ऋण एजेन्सिया ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता का पूरा करने में कई पहलुओं में अक्षम थी उनकी य अक्षमताये संक्षेप म निम्नलिखित है।

1. जहां तक प्रबन्ध ऋणोपरात पर्यवेक्षण और ऋण वसूली का सम्बध है इन मामलो म सहकारी ऋण व्यवस्था कमजोर है ये संस्थाये पर्याप्त साधन नही जुटा पाती है और इस तरह पुर्नवित्त सुविधा के लिए अधिकाधिक खर्च रिजर्व बैंक पर ही निर्भर करना ह।

2. वाणिज्य बैंक मूलतः नगर उन्मुखी है ग्रामीण क्षेत्र मे बैंकिंग का कामकाज चलाने की दिशा में इन बैंको की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नही निभायी है पहले तो उन्हे अपनी पद्वतियो प्रक्रियाओं तथा प्रशिक्षण को ग्रामीण वातावरण के अनुरूप ढालना पडेगा। परन्तु वह काम सहज जल्दी नहीं हो सकता इसके अतिरिक्त वाणिज्य बैंको मे उच्च वेतन द्वारा कर्मचारिया व्यवस्था क्रम तथा लागत जो ह इसके कारण इनके कामकाज का खर्च बहुत अधिक बैठता ह और इस तरह वे ग्रामीण क्षेत्रो म कमजोर वर्गो के लिए सस्ती ब्याज दरो पर ऋण सुविधा उपलब्ध नही करा सकते । अतः एक ऐसी संस्था की आवश्यकता अनुभव की गयी जो कि इन दोनो संस्थाओं की अच्छाइया से युक्त हो बुराइयों से नही। इस तरह से ग्रामीण बैंक की एक ऐसी संस्था के रूप में परिकल्पना की गयी जिसमें एक ओर तो ग्रामीण क्षेत्र का पुट तथा स्थानीय भावना का तालमेल हो ग्रामीण समस्याओं से सुपरिचय हो और जिस तरह सहकारी संस्थायें अपने रूख में बहुत हद तक ग्राम अर्थव्यवस्था से जुडी रहती है उसी तरह ग्रामीण बैंक भी उससे जुड़ा रहे लेकिन इसके साथ ही उसका आधुनिक व्यापारिक संगठन हो इसमें वाणिज्यक अनुशासन हो। ससाधन जुटा सकने की क्षमता हो वाणिज्य बैंकों की तरह उसकी भी केन्द्रीय मुद्रा बाजार में संक्षेप म हम कह सकते है। कि ग्रामीण बेंकों की सस्था को ऐसा रूप देने की परिकल्पना की गयी हा जो स्थानीय रूप से आधारित हो ग्रामों उन्मुखी हो तथा वाणिज्यक सिद्धान्तों पर संगठित हा।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैक का प्रबन्ध प्रशासन एवं संगठन

प्रबन्ध प्रशासन एवं सगंठन से आशय

"प्रशासन उद्योग की महत्वपूर्ण शक्ति है जो उन उद्देश्यों को निर्धारत करती हैं जिसकी पूर्ति हेतु संगठन एंव प्रबन्ध प्रयत्न करते है तथा जिनके अनुकूल आचरण होता है।

" प्रबन्ध उद्योग की वह शक्ति है जो कि पूर्व निश्चित उद्योगों को कार्यान्वित करने के लिए संगठन का मार्ग दर्शन एवं नियन्त्रण करती है।

" संगठन से आशय माल, मशीन एवं औद्योगिक शक्ति आदि के संयोग से है जो कि निश्चित उद्देश्य की पूति के लिए वैज्ञानिक ढंग से एकत्रित किये जाते ह।"

" संकुचित से आशय माल, मशीन एंव औद्योगिक शक्ति आदि के संयोग से है जो कि निश्चित उद्देश्य की पूत्रि के लिए वैज्ञानिक ढंग से एकत्रित किये जाते हैं।"

" संकुचित अर्थ में प्रबन्ध से आशय दूसरे से कार्य करवाने की युक्ति से लिया जाता है वास्तव में यह व्यवसाय का मस्तिष्क होता है जिस प्रकार मानवीय शरीर मस्तिष्क के आभाव में एक हाड़ मास का पुतला रह जाता है उसी प्रकार प्रबन्ध के बिना एक व्यवसायी संस्थान श्रम एंव पूंजी आदि का एक निश्चित समूह मात्र रह जाता है वह व्यक्ति जो व्यक्तियों से कार्य करवाता है प्रबन्ध कहलाता है।"

" व्यापक अर्थ में प्रबन्ध एक कला है जिसमें नीति निर्धारण समन्वय, क्रियान्वयन संगठन तथा व्यक्तियों अथवा समूहों के कार्यो को मिलने की प्रक्रिया इत्यादि कार्य आते है। आज मानवीय क्रिया का किसी अन्य क्षेत्र में इतना महत्व नही है जितना कि प्रबन्ध में है। व्यापार या खेत, खलिहान कारखाना हो या कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम हो या निजी गैर आर्थिक संस्थान दान पुण्यवाली हो या बैंकिग संस्था समी में किसी न किसी रूप में प्रबन्धन प्रशासन की आवश्यकता होती ह। प्रबन्ध विशेषज्ञ पीटर एफ0 ड्रकर के शब्दों में प्रबन्ध प्रत्येक व्यवसाय का

गतिशील एवं जीवन दायक तत्व होता है। उसके नेतुत्व के अभाव में उत्पाद के साधन केवल साधन मात्र रहा जाते है। मनुष्य जितना अधिक विवेकशील होता है वह उतना ही चमत्कारिक कार्य करता है ठीक उसी प्रकार प्रशासन प्रबन्ध जितना अधिक चतुर क्रियाशील एवं योग्य होता है व्यवसाय का उत्पादन एवं संगठन उतना ही श्रेष्ठ होता है। सरल शब्दों में प्रबन्ध का उद्देश्य योग्यता एंव कुशलता के साथ कार्य आंवटन कर न्यूनतम लागत पर उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। प्रबन्ध क मुख्य कार्य विशिष्ट उद्देशयों की प्राप्ति के लिए दूसरे के प्रयत्नों को नियोजित, समन्वित , अभिप्रेरित तथा नियंत्रित करना है। यह सभी कार्य जिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सभापति सचिव, महाप्रबन्धंक, संचालक मण्डल, वरिष्ठ, शाखा प्रबन्धक तथा अधिकारी करते है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबन्धक के स्तर

आज के विशिष्टीकरण के युग में विशिष्ट कार्यो का आवंटन कर दिया जाता हैं ताकि प्रबन्ध तथा प्रशासन की प्रक्रिया प्रभावशाली हो सके। उपक्रम में भिन्न भिन्न पदों को प्रबन्ध के स्तर के नाम से जाना जाता हैं।

शीर्ष प्रबन्ध

प्रबन्ध के इस स्तर के अन्तर्गत सर्वोच्च पदों पर आसीन अधिकारियों को संस्था के लक्ष्यों , योजनाओं एवं नीतियों का निर्धारण एवं नियंत्रण का कार्य करना होता है शीर्ष प्रबन्धन में क्षेत्रीय ग्रामीण बंक के सभापति, संचालक मण्डल एवं महाप्रबन्धक आते हैं इनको प्रबन्धन व बैंक के प्रशासन भी कहते हैं

मध्य स्तरीय प्रबन्ध

इसके अन्तर्गत उन अधिकारियों को शामिल किया जाता है जो उच्च प्रबन्धन द्वारा निध ारित नीतियों को उपक्रम के प्रभावी तरीके से लागू करने का प्रयत्न करते है मध्य प्रबन्धन के अन्तर्गत वरिष्ठ प्रबन्धक, लेखा प्रशासन, संग्रह , एवं निरीक्षण एवं विरिष्ठ प्रबन्धक विकास को शामिल किया जाता हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विकास व उदय

कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग है देश के आर्थिक विकास की योजनाओं में यदि कृषि विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता नही दी गयी तो अतिश्योक्ति होगी। कृषि का कार्य अधिकतर ग्रामीणें क्षेत्रों में किया जाता है परन्तु कृषि के लिए ग्रामीणें को पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सुविधा चाहिए जिसकी कमी है कृषि के पिछड़ेपन तथा कृषि व्यवसाय की अनिश्चितता के कारण किसान के निजी साधन बहुत कम हैं इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए किसानों द्वारा संख्या की मांग निरन्तर बनी रहती है साख की आवश्यकता वाला किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग है ठीक समय में और उचित मात्रा में साज उपलब्ध न होने पर किसान के लिए कठिन समस्या उत्पन्न हो जाती है। इन्हें वित्त या साख की उचित प्रकार की व्यवसायी करने के लिए क्षेत्रीय गामीण बैकों का विकास किया गया। ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में व्यपारिक बैंकों एवं सहकारी साख संस्थाओं के प्रयासों की पूरक संस्था के रूप में क्षेत्रीय गामीण बैंक की आवश्यकता एक लम्बे अरसे से महसूस की जा रही थी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साख की संस्थागत संस्थायें या तो नगणय थी या उनकी संख्या अपर्याप्त थी। कृषकों को परम्परागत ऋण व्यवस्था से छुटकारा दिलाने की दृष्टि से सरकार द्वारा वर्ष 1972 में आर0वी0 सरैया की अध्यक्षता में एक बैकिंग आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने व्यापारिक बैंकों की शाखाओं के विस्तार के साथ साथ क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक की स्थापना का सुझाव दिया ताकि लघु एवं सीमान्त कृषकों ग्रामीण कारीगरो एवं फुटकर व्यापारियों आदि की ऋण समस्याओं का अच्छी तरह समाधान किया जा सके। आयोग की सहमति थी कि व्यापारिक बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों समाधान में ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में मुख्य रूप से निम्न कठिनाइयों का सामना करना पडता है।

1. ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक बैंकों के विस्तार पर अधिक व्यय आता है।
2. व्यापारिक बैंकों के पास ग्रामीण किसानों की वित्तीय समस्याओं को समझने एवं उनके अनुरूप कार्य करने के लिए आवश्यक मशीनरी का अभाव है।

इस सुझाव को उपयुक्तता पर विचार करके एम0 नरसिम्हम की अध्यक्षता में गठित समिति ने भी कुछ चुने हुये क्षेत्रों में ग्रामीण बैंक स्थापित किये जाने को उचित बताया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का उदय

" 26 सितम्बर 1975 को एक अध्यादेश जारी कर देश भर में क्षेत्रीय ग्राम बैंक स्थापित करने की घोषणा की "

आरम्भ में 2 अक्टूबर 1975 को पांच क्षेत्रीय बैंक स्थापित किय गये। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद ओर गोरखपुर में, हरियाण में भिवानी, राजस्थान में जयपुर और पश्चिम बंगाल में माल्डा के स्थान पर यह बैंक क्रमशः सिण्डीकेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड कामर्शियल बैंक आफ इण्डिया द्वारा चालू किये गये।

रानी लक्ष्मीवाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की विधिक स्थिति

ये बैंक अनुसूचित बैंक है परन्तु अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की अपेक्षा इन बैंकों को रिजर्व बैंक से अधिक सुविधायें प्राप्त होती है। इन्हें राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन कार्य) कोष तथा राष्ट्रीय कृषि साख (स्थरीकरण) कोष से सहायता प्राप्त हो सकती है। इन कोषों की व्यवस्था पहले रिजर्व बैंक द्वारा की जाती थी, परन्तु अब नाबार्ड को हस्तान्तरित कर दिये गये है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कुछ अन्य सुविधायें भी प्राप्त है। ग्रामीण बैंक जिनकी 14508 शाखाये थी इस प्रकार 1999–2000 के अन्त तक इन बैंको ने देहातों में रहने वाले निर्ब्रल वर्गो को 12660 करोड़ रूपये का अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋणों का 95% प्रतिशत कमजोर वर्गो को उपलब्ध कराया गया । रिजर्व बैंक आफ इण्डिया इन बैंकों को प्रोत्साहन देने के लिए कई प्रकार की सहायता एवं रियायतें देता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में कमजोर वर्गो लद्यु एवं सीमान्त कृषकों, भूमिहीन कृषि श्रमिकों, दस्तकारों एवं लद्यु उद्यमियों को, समयानुसार उचित मात्रा में ऋण उपलब्ध कराकर ग्रामीण विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहे है। इन बैंकों की अधिकाशं शाखायें पिछड़े क्षेत्रों में खोली गयी है। जहां पहले बैंकिंग सुविधयें उपलब्ध नही थी।

जुलाई 1982 में नाबर्ड की स्थापना के पश्चात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रिजर्व बैंक से प्राप्त होने वाली सुविधा नाबार्ड से मिलने लगी है। नावार्ड अब इन बैंकों की पुर्नवित्त योजनाओं के प्रशासन उनके कार्य निष्पादन की देखरेख एवं शाखा विस्तार तथा निरीक्षण के लिए रिजर्व बैंक के साथ एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अप्रतन आकँड़ो के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वित्तीय कार्य निष्पादन की दृष्टि से लाभार्जन कर रहे क्षेत्रिय ग्रामीण बैंकों की संख्या मे समग्र रूप से गिरावट आई है कुल 195 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से वर्ष 2001–02 में 29 बैंक हानि में चल रहे थे। हानि उठाने वाले बैंकों की संख्या 2002 –03 में बढ़कर 40 हो गयी।

इन सब के बावजूद जून 2003 के अन्त तक 23 राज्यों में स्थापित 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 145078 शाखायें देश के 500जिलों में कार्य कर रही है इन बैंकों की 12003,(83.07 प्रतिशत) शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में थी,। इस तरह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक न 83 प्रतिशत शाखायें ग्रामीण एवं बैंक रहित क्षेत्रों में खोलकर ग्रामीण क्षेत्र को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लोगों को ऋण एवं बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध कराकर एवं ग्रामीण क्षेत्र की बचतों को एकत्र करके सराहनीय कार्य किया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रगति एवं शाखा विस्तार को निम्न सारिणी द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

तालिका नं. 4.1

भारत में क्षेत्रीय बैंकों की शाखा विस्तार

वर्ष	कुल शाखाओं की संख्या	ग्रामीण शाखाओं की संख्या	ग्रामीण शाखाों का भाग प्रतिशत में
1976	112	94	83.9
1877	780	688	88.2
1980	2678	2473	92.3
1985	12138	11206	92ण3
1995	14406	12475	85.9
1997	14405	12244	84.9
1998	14420	12307	85.3
1999	14406	12260	85.1
2000	14425	12158	84.3
2001	14467	12086	83.6
2002	14486	12049	83.2
2003	14508	12003	82.7

श्रोत :– आर्थिक समीक्षा 2003 – 04

तालिका नं. 4.2

Expansion of RRB System 2000 - 2005

Perfod	Banks	Credit Loan in Rs. Million	Deposits	C.D. Ratio
2001	-	267167	834438	32%
2002	-	367074	1002267	37%
2003	-	470128	1144889	41%
2004	-	564010	1308166	43%
2005	-	748925	1503049	50%

क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों के उद्देश्य

क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों के मुख्य उद्देश्य ग्रमीण क्षेत्रों में गरीब तथा छोटे उधारकर्ताओं की आवश्यकतायें पूरी करना है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों को ऐसा रूप देने की परिकल्पना की गयी है जो स्थानीय रूप से आधारित हो , ग्रामोन्मुखी हो तथा वाणिज्यक सिद्वान्तों पर संगठित हो। ये बैंक सामान्य बैकिंग कारोबार करते है। तथा इनकी स्थापना को मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों मे गरीब तथा छोटे देहातों में कृषि तथा अन्य उत्पादन में वृद्वि के लिए साख सुविधाओं में वृद्वि करना हैं इन बैकों का उद्देश्य विशेष रूप से छोटे तथा सीमान्त किसानों कृषि मजदूरों देहाती कारीगरो तथा छोटे किसानों की ओर ध्यान देना है इन बैंकों को अलग अलग राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंकों द्वारा प्रायोजित किया गया है।

इन बैंकों के उद्देश्य निम्नवत है।

1. ग्रामीण क्षेत्र के विकास मे सक्रिय सहयोग प्रदान करना।
2. ग्रामीण बैंकों में साख की कमी को दूर करना।
3. इन बैंकों का प्रमुख उद्देश्य लघु एवं सीमान्त कृष्को खेतिहर मजदूरों दस्तकारों को दूर करना।

स्त्रोत : रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन।

उद्यमियों तथा क्षेत्र के अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को समयानुसार सहजतापूर्वक उचित मात्रा में ऋण उपलब्ध कराना है।

4. ग्रामीण बचतों को प्रोत्साहित करना।
5. ग्रामीणा ऋणग्रस्तता के दूर करना।
6. ग्रामीण बैंकों के कार्यक्षेत्र की वित्तीय आवशयकताओं के अनुरूप कर्मचारियों की नियुक्ति क्षेत्र विशेष अध्ययन कि साख आवश्यकताओं के आकलन के उपरान्त साख की व्यवस्था करना इन बैंकों का उद्देश्य है।
7. उन पिछड़े एवं जनजाति क्षेत्रों में बैंक की शाखायें खोलना जहाँ वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंकों की शाखाओं का विस्तार कम हे।
8. जमा राशि स्वीकार करके ग्रामीण बचत को जुटाना तथा इस राशि को ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता कार्यो के लिए उपयोग में लाना।
9. शहरी मुद्रा बाजार से ग्रामीण क्षेत्रों में पुर्नवित्ता के माध्यम से ऋण के प्रवाह को अनुपूरक चैनल तैयार करना।

इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के वर्तमान शाखा जाल को युक्तिसंगत बनाने तथा उनमें परिचालनात्मक दक्षता लाने के उद्देश्य से दिस्मबर 1993 में रिजर्व बैंक ने नाबार्ड ताथा भारत सरकार के परामर्श से एकमुश्त उपायों की घोषणा की जिसमें निम्नलिखित कार्य सम्मिलित ह।

1 जिन 70 क्षेत्रीय ग्रमीण बैंकों की संवितरण राषि 1992–93 के दौरान 2 करोड़ रूपये से कम थी उन्हें सेवा क्षेत्र दायित्वों से मुक्त करना।
2. वर्ष 1992.93 में पूर्व अनुमत नये उधार के 40 प्रतिषत के उनके गैर लक्ष्य समूह वित्त पोषण को बढ़ाकर 60 प्रतिशत करना।
3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नुकसान पहुंचाने वाली मौजूदा शखाओं का स्थान बदलकर उन्हे विकास खण्ड/ जिला मुख्यालय पर मण्डिया/कृषि उत्पादन केन्द्रों जैसी नयी जगहों पर स्थापित करना।
4 उन्हें विस्तार काउन्टर खोलने की छूट देना।
5. उनके कार्यकलापों में वृद्धि तथ गहनता लाना ताकि गैर निधिक व्यवसाय जैसे पोषण बट्टे पर भुलाने की सुविधा शामिल हो सके।

6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के स्थापित करने का मूल उद्देश्य ग्राम क्षेत्रों में कृषि, व्यापार , वाणिज्य एवं अन्य उत्पादक क्रियाओं को विकसित करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना हैं
7. क्षेत्रीय ग्रामीण बेंकों ने लक्षित समूहों को उधार सुविधायें देकर लोगों के मन में यह धारणा कायम की हे कि छोटे व्यक्तियों के बैंक है। इनमें छोटे तथा सीमान्त किसान कृषि मजदूर दस्तकार और उत्पादक उद्यमों में कार्य कर रहे छोटे उद्यम शामिल किये जाते है।
8. जहां पर बैंकिग सुविधायें नही थीं वहां पर ही अधिकाशं शाखायें पिछड़े क्षेत्रों मे खोलना आदि इसके प्रमुख उद्देश्य हैं

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का महत्व

जब तक हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती तब तक हम उस वस्तु के महत्व को नहीं जान सकते है। क्योंकि आवश्यकता से ही उस वस्तु के महत्व का पता चलता है और जब तक हमें किसी वस्तु की आवश्यकता का पता नही चलेगा उसके महत्व की विवेचना नही की जा सकती । इसी को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय कृषकों की आवश्यकताओं ओर उसके महत्व का वर्णन निम्नलिखित है।

1. कृषकों को खेती बाड़ी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 15 मास से भी कम समय के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे उसे बीज उर्वरक और चारा आदि खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है जिस वर्ष फसल अच्छी न हुयी हो उस वर्ष अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए भी उसे धन की आवश्यकता हो सकती है ये ऋण अल्पावधि ऋण होते है जो साधरणतया फसल काटने पर चका दिये जाते है। इस प्रकार से सभी बैंक के महत्व को दर्शाते हैं

कृषकों को अपनी भूमि में सुधार करने पशु खरीदने ओर कृषि उपकरण प्राप्त करने के लिए 15 महीने से लेकर 5 वर्ष तक के मध्यावधि ऋणों की भी आवश्यकता होती हैं अल्पावधि ऋणों की तुलना में ये ऋण अधिक होते है और उन्हें अपेक्षाकृत अधिक समय के बाद ही चुकाया जा सकता है इस प्रकार ग्रामीण बैंक इन ऋणों को प्रदान करने में सहायक होता हैं

1. कृषक को अतिरिक्त भूमि खरीदने , भूमि में स्थायी सुधार करने, ऋण अदा करने और मंहगे कृषि यन्त्र खरीदने के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ती है। ये ऋण 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए लिये जाते है। कृषक इन ऋणों को अनेक वर्षो में थोड़ा थोड़ा करके चुका पाते हैं इन्हें दीर्घकालीन ऋण कहते है। और इन ऋणों की पूर्ति इस बैंक द्वारा की जाती है।

इसके अतिरिक्त किसानों को दो प्रकार के ऋणों की भी आवष्यकता होती है ये है उत्पादक ओर अनुत्पादक ऋण। उत्पादक ऋणों में ऐसे उधार शामिल किये जाते हैं जो किसानों को कृषि क्रियाओं में सहायता देते है। या भूमि उन्नत करने में सहायता देते है। जैसे बीज, खाद, औजार आदि क्रय करने के लिए ऋण सरकार को कर का भुगतान करने के लिए ऋण, ओर भूमि पर स्थायी उन्नतियां करने जैसे कुओं को खोदने एवं गहरा करने, बाढ लगाने आदि के लिए ऋण इसके अतिरिक्त भारतीय किसान प्रायः अनुत्पादक कार्यों के लिए भी उधार लेता है। जैसे विवाह, जन्म मृत्यु मुकदमेबाजी के लिए ऋण। यदि अनुत्पादक ऋण ब्याज की अत्यधिक दर पर लिये जायें तो वह बहुत अनुचित और अविवेकपूर्ण बात है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों की पूंजी संरचना।

प्रत्येक ग्रामीण बैंक की अधिकृत पूंजी एक करोड़ रूपये चुकता पूंजी 25 लाख रूपये निर्धारित की गयी हैं सांझा पूंजी का 50 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार का 15 प्रतिशत सम्बंधित राज्य सरकार का तथा शेष 35 प्रतिशत प्रायोजित करने वाले वाणिज्य बैंक का होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा, प्रायोजक बैंकों नाबार्ड भारतीय आद्योगिक विकास बैंक सिंडनी ओर अन्य संस्थाओं से ऋण लिये जाते है। जिनमें नाबार्ड का अंश सर्वाधिक रहता है।

मार्च 1990 तक भारत सरकार की मंजूरी से 196 क्षेत्रीय ग्रामीर्ण बैकों पर गठित कार्यदल की सिफारिश के अनुसार सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की निर्गमित शेयर पूंजी को चरणबद्व रूप से बढ़ाकर एक करोड़ रूपये कर दिया गया । जून 1996 के अन्त में

48 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से प्रत्येक की चुकता पूंजी 75 करोड़ लाख रूपये से अधिक किन्तु एक करोड लाख रूपये से अधिक किन्तु एक करोड़ रूपये से कम थी 107 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में प्रत्येक की चुकता पूंजी 75 लाख रूपये तथा शेष 30 की 75 लाख रूपये से कम थी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अधिकृत पूंजी पांच करोड़ रूपये तथा प्रदत्त पूंजी एक करोड़ रूपये है। ग्रामीण बैक का निदेशक मण्डल उस निर्गर्मित पूंजी को रिजर्व बैंक ओर प्रायोजक बैंक से परामर्श कर तथा केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन की धारा 6 अभिदत्त की जाती है। ग्रामीण बैंकों के अंशों को भारतीय न्याय अधिनियम 1982 में सम्मिलित हुआ समझा जाता है और यह भी समझा जाता है कि वे बैकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रायोजनों के लिए अनुमोदित प्रतिभूतियां है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम के 1976 के प्राविधानों के अनुसार सामान्य निरीक्षण, निर्देशन एंव समस्त व्यवस्थाओं के प्रबन्ध का कार्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के निदेशक मण्डल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मे निहित होता है जो समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समस्त कार्य समपन्न कराते हे अपने कार्यो का निर्वहन करते समय निदेशक मण्डल व्यवसायिक सिद्धान्तों के आधार पर सार्वजनिक हित में समस्त कार्य करते है।

निदेशक मण्डल का गठन

निदेशक मण्डल में अधिनियम की उपधारा 1 की धार 11 के अनुसार एक अध्यक्ष चेयमेन नियुक्त किया जाता है तथा अन्य सदस्य निम्नवत् होते है।

अ. 2 निदेशक का मनोनयन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है ऐसे व्यक्ति किसी भी केन्द्र सरकार रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक प्रवर्तक बैंक या अन्य किसी बैंक का अधिकारी नहीं होना चाहिए।

व एक निदेशक का मनोनयन उस बैंक द्वारा किया जायेगा जो कि भारतीय रिजर्व बैक में कोई अधिकारी हो ।

1- Subs by ACt 1 of 1988 Sec. 7

स राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी को एक निदेशक के रूप उस बेंक द्वारा नामंकित किया जायेगा।

द. प्रवर्तक बैंक के अधिकारियों में से दो निर्देशकों की नियुक्ति उस बैंक द्वारा की जायेगी एवं 2 निदेश्कों का मनोनयन सम्बंधित राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

2. केन्द्र सरकार बोर्ड के सदस्यों की संख्या में वृद्वि कर सकती है लेकिन यह 15 से अधिक नहीं हो सकती बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की जाती है कोई भी सदस्य पुनः नामित किया जा सकता है तथा वह अपने पद पर तब तक कार्य करता है जब तक कि उसका कोई प्रस्थानी न आ जाये।

निदेशक मण्डलीय बैठकें

वर्तमान में निदेशक मण्डल की 7 बैठकें आयोजित की गयी बैंक निदेशक मण्डल के महत्वपूर्ण एवं बहुमुल्य दिशा निर्देशों एवं प्रगति मापदण्डों के समय समय पर किये गये पुनरावलोकेनों से लाभान्वित हुआ। निदेशक मण्डल द्वारा किये गये सहयोग एवं निर्देशन के कारण ही बैक द्वारा व्यवसाय की ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सका।

अध्यक्ष (चेयरमैन)

प्रवर्तक बैंक किसी व्यक्ति की नियुक्ति अधिकतम 5 वर्ष के लिए अधिनियम उपधार 4 के अनुसार करने के लिए अधिकृत है। प्रवर्तक बैंक अध्यक्ष को उसकी अवधि से पूर्व अधिनियम 1 की विहित प्रक्रिया के अनुसार हटा सकता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष अपने पद से निर्धारित अबधि से पूर्व त्यागपत्र दे सकता है लेकिन उसे इसकी सूचना प्रवर्तक बैंक को 3 महीने पूर्व लिखित में देना होगा।

ग्रामीण बैंक की परिचालन लागत का पूरा पूरा नियंत्रण रखा जाता है केन्द्र सरकार इन बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमान नियत करती है और ऐसा करते समय यह ध्यान में रखती है कि अधिसूचित क्षेत्र में राज्य सरकार ओर स्थानीय प्राधिकरणों के समान स्तर तथा हैसियत के कर्मचारियों का वेतन ढांचा क्या है।

2- Subs By Act 1st 07 1988 Sec. 8

अयोग्यतायें

एक व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने के अयोग्य है यदि वह दिवालिया हो, अस्वस्थ्य मस्तिष्क का हो तथा ऐसा किसी सक्षम न्यायालय ने घोषित किया हो या केन्द्रीय सरकार की नजरों में अपराध किया हो ˙

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्टाफ

एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए आवश्यकता और पर्याप्त मात्रा में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति क्षेत्रीय ग्रामीण अधि0 1976 के प्राविधानों के अनुसार की जाती है। तथा प्रर्वतक बैंक से मांग करने पर ऐसे व्यक्तियों को प्रवर्तक बैंक द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैक के अधिकारी एंव कर्मचारी उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे जो उन्हें संचालक मण्डल द्वारा समय समय पर सौंपी जायेगी।

31 मार्च 2005 को उपलब्धि जनशक्ति

तालिका 4.3

विवरण	एमएमजी–5	एमएमजी–4	एमएमजी–2	जेएमजी–1	योग	लिपिक	संदेशवाहक	योग
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक								
स्टाफ	–	–	30	126	156	88	87	487
प्रर्वतक बैंक स्टाफ	1	1	–	–	–	–	–	2

प्रायोजक बैंक की जिम्मेदारियां

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा क्षेत्रीय बैकों के संचालन में प्रायोजक बैकों की जिम्मेदारियां काफी बढ़ा दी गयी है। प्रायोजक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अंशपूंजी प्रदान करने के अतिरिक्त उनके कर्मचारियों की उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे तथा प्रथम 5 वर्षो में उन्हें प्रबन्धकीय तथा वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रगति पर भी प्रायोजक बैंक देखभाल रखेंगे उनका निरिक्षण करेंगे आंतरिक आडिट भी करेंगे।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों को प्रायोजक बैंक की गारण्टी के आधार पर रिजर्व बैंक से अग्रिम धनराशियों लेने की सुविधा दी गयी है इन बैंकों में रहने वाली जमाराशियों का वीमा तथा ऋण गारण्टी निगम द्वारा किया जाता हैं

आन्तरिक निरीक्षण एवं अंकेक्षण

वर्ष 2004 – 05 में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 55 शाखाओं का आन्तरिक निरीक्षण किया गया । परिलक्षित अनियमितताओं के सुधार हेतु निरीक्षण आख्याओं को उपलब्ध कराई गयी तथा उनकी समय निराकरण हेतु सघन अनुश्रवण किया गया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रबन्ध व्यवस्था

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्यक्षेत्र किसी एक राज्य में एक अथवा एक से अधिक जिलों के एक विशेष क्षेत्र तक सीमित रहता है अपने कार्यक्षेत्र मे ये बैंक विशेष रूप से छोटे ओर सीमान्त किसानों जिनके पास भूमि 2 हे0 से अधिक नही है। भूमिहीन मजदूरों कारीगरों तथा अन्य उत्पादकों जिनकी वार्षिक आय 2400 से अधिक नही हैं को ऋण एवं अग्रिम धन देते हैं इन बैंकों द्वारा विभिन्न प्रकार की ग्रामीण सहकारी समितियों को भी ऋण दिये जा सकते है।

इन बैंकों के कर्मचारियों का वेतन ढांचा केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है ऐसा करते समय राज्य के कर्मचारियों तथा उस क्षेत्र में उसी स्तर के कर्मचारियों के वेतन स्तर को ध्यान में रखा जाता था परन्तु अब इन कर्मचारियों के वेतन वाणिज्य बैकों के कर्मचारयों के वेतन के समान कर दिये जाने की मांग की जा रही है।

इन बैंकों की ब्याज दरें, उस राज्य में, सहकारी साख समितियों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों से, अधिक नही होती हैं

प्रत्यके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए 9 सदस्यों का संचालक मंडल भारत सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार कार्य करती है।

ग्रामीण बैंकों के लिए, यह सिद्धान्त अपनाया गया है कि 15 लाख रूपये की जमारशियों प्राप्त होने पर, ये 2 करोड़ रूपये के ऋण दे सकती है, शेष राशि प्रर्वतक बैंकों, रिजर्व बैंक तथा राज्य सरकारों से ,प्राप्त की जा सकती है अक्टूबर 1976 से चालू

की गयी योजना के अन्तर्गत बैंक इन्हें पुर्नावित्त की सूविधा देता रहा है नाबार्ड स्थापना हो जाने पर अब रिजर्व बैंक की इन बैंकों के प्रति जिम्मेदारियां यह संस्था निभा रही है।

2 अक्टूबर 1975 को प्रथम 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये ओर यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि मार्च 1976 तक 50 बैंक स्थापित किये जायेंगें मार्च 1981 के अन्त तक 163 जिलों में 100 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये जायेंगे। छठी योजना के 1984–85 तक 270 जिलों में 170 क्षेत्रीय बैंक स्थापित करने का लक्ष्य था। अप्रैल 1985 में इनकी संख्या 183 थी। इन बैंकों की संख्या बढ़कर वर्तमान में 196 हो गयी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रबंध एवं संचालन एक सचालक मण्डल द्वारा किया जाता है संचालक मण्डल मे अध्यक्ष के अतिरिक्त 3 निदेशक केन्द्र सरकार द्वारा 1987 में एक्ट में किये गये संशोधन के अनुसार अब यह संख्या कम होकर रह गयी। 2 निदेशक राज्य सरकार द्वारा तथा 3 निर्देशक प्रवर्तक बैंक द्वारा मनोनीत होते है। बैंक का अध्यक्ष केन्दीय सरकार द्वारा 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है जो पूर्ण कालिक होता है।

प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने नियत क्षेत्र में कार्य करता है ये बैंक कार्य की आवश्यकतानुसार क्षेत्र में अपनी शाखाओं का विस्तार कर सकते है प्रारम्भ में इन बैंकों में कार्य हेतु कर्मचारियों का चयन क्षेत्र के ही लोगों का किया जाता था ताकि उन्हें भाषा सम्बंधी एवं अन्य क्षेत्रीय कठिनाइयों को समझने में किसी तरह की परेशानी का समाना न करना पडे।

प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का एक प्रर्वतक बैंक होता है जिसकी देख रेख में उसे कार्य करना होता है प्रवर्तक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अनेक प्रकार के कार्यो में सहयोग करता है जैसे शेयर पूंजी क्रय करना एंव उसकी स्थापना में सहयोग देना इसके कर्मचारियों का चयन करना तथा उनके प्रशिक्षण में सहयोग करना प्रबन्धकीय एंव वित्तीय सहयोग प्रदान करना आदि।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अन्य वाणिज्यिक बैकों से भिन्नता

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मूल रूप से अनुसूचित वाणिज्यक बैंक ही है किन्तु वे कुछ पहलुओं में इनसे भिन्न है।

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों का कार्यक्षेत्र राज्य के एक या कुछ जिलों के निर्धारित इलाके तक सिमित कर दिया जाता है इसके विपरीत वाणिज्यिक बैंक का कार्य क्षेत्र देश के अनेक राज्यों में फैला हुआ है। ओर उनकी देश के बाहर भी शाखायें है जैसे भारतीय स्टेट बैंक की शाखयें विदेशों मे भी है।

2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोटे तथा सीमान्त किसानों , देहाती कारीगरों, कृषि मजदूों ओर अन्य कम सम्पत्ति वाले व्यक्तियों को उत्पादक उद्देश्यों के लिए ऋण तथा अग्रिम देते है वाणिज्यक बैंक का कार्यक्षेत्र उनकी तुलना में बहुत व्यापक है वे प्रधानतः व्यापारियों को नकद साख की सुविधा प्रदान करते है।

3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों को उधार दरें किसी विशेष राज्य में सहकारी समितियों की उधारों दरों की तुलनीय है।

4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों का वेतन ढांचा केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित किया गया है जिसमें यह ध्यान में रखा गया है सम्बंधित राज्य की सरकार के कर्मचारियों तथा उस राज्य के स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतनमान क्या है उन्हें ध्यान में रखते हुए क्षे. ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों के वेतनमान तथा सेवा सम्बन्धी शर्ते आदि निर्धारित की गयी है। तथा सेवा सम्बंधी शर्तो आदि निर्धारित की गयी इसके विपरीत वाणिज्यक बैंकों का वेतन ढांचा उनके प्रधान कार्यलय द्वारा स्तर पर निश्चित होता हैं

सहकारी क्षेत्र के बेंकों ओर अन्य वाणिज्यक बैंकों की शाखाओं का विस्तार

तालिका 4.4

बैंक समूह	30 जूनकी स्थिति के अनुसार की संख्या 1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	30.6.03 और 20.06.03 की बीच वृद्धि	30.6.03 की स्थिति के अनुसार के अनुसार ग्रामीण शाखायें	30.6.03 स्थिति के अनुसार ग्रामीण शाखाओं की शाखाओं की प्रतिशत कॉलक 10 से कालम 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क. भारतीय स्टट बैंक और उसके सहायक बैंक	2462	13262	13375	13431	13473	13504	13533	11071	5475	40.5
ख राष्ट्रीयकृत बैंक	4553	32397	32645	32561	32678	32947	33211	28558	13609	41.0
		14406	14426	14451	14464	14505	14507	14507	11978	82.6
ग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सरकारी क्षत्र के बैंकों का जोड क,ख ग	7051	6065	60446	60443	60615	60956	61251	54236	31062	50.7
ध अन्य भारतीय अनु0वाणिज्य बैंक	900	4902	5157	5206	5334	5447	5794	4894	1112	19.2
ड. विदेशी बैंक	130	178	226	236	251	214	218	88	–	–
सभी अनुसूचित बैंक	8045	85145	65929	65885	66200	6617	67263	59218	32174	47.8
चगैर अनुसूचित बैंक	217	8	2	11	18	21	20	197	4	20.0
सभी वाणिज्य बैंक	8262	65153	65931	65896	66218	66638	67283	59021	32178	47.8

टिप्पणी

1. आंकड़े वाणिज्यिक बैंक की मास्टर कार्यालय फाइल मे नवीनतम अद्यतन विवरण पर आधारित है।
2. वर्ष 2000 ओर 2001 के आंकड़ों में संशोधन किया गया है वर्ष 2002 के आंकड़े अनन्तिम है।
3. जनसंख्या समूह वर्गीकरण 1991 की जनगणना पर आधारित है।
4. बैंकों की शाखाओं में प्रशासनिक कार्याल्य शामिल नही हैं

सिक्किम बैंक लिमिटैड का यूनियन बैंक आफ इण्डिया में 22.12.1999 को विलय 1969 के आंकड़े वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उपलबध कराये गये विवरण से लिये गये है।

स्त्रोत :– भारतीय रिजर्व बैंक।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपने स्थापना काल से ही कृषि एवं सम्बृद्व क्षेत्रों के ऋण प्रवाह में सरहानीय कार्य किया है। इन बैंकों ने कृषि क्षेत्र के जो अल्पकालीन मध्यम एवं दीर्धकालीन ऋण उपलब्ध कराया है उसे निम्नलिखित सारिणी द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह
(करोड़ रूपये में)
तालिका 4.5

वर्ष	अल्पावधि ऋण	मध्य एवं दीर्घावधि ऋण	योग
1990–91	125	210	335
1995 – 96	849	532	1381
1996 –97	1121	563	1684
1997 – 98	1396	644	2040
1998 – 99	1710	750	2460
1999 – 2000	2423	749	3172
2000 – 2001	3239	980	4219
2001 – 2002	3777	1077	4854
2002 – 2003	4156	1311	5467
2003 – 2004	4680	1400	6080

स्त्रोत – आर्थिक समीक्षा 2003 – 04

तालिका से प्रकट है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वर्ष 1990 – 91 में कृषि क्षेत्र को कुल 335 करोड़ रूपये का उधार दिया जो क्रमशः बढ़ते हुए वर्ष 2003 – 04 लक्ष्य में 6.080 करोड़ रूपये पहुंच गया।

किसान क्रेडिट कार्ड

वर्ष 1998 – 99 में प्रारम्भ की गयी किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के अल्पावधि ऋण प्राप्त करने को सुगम बनाने की अभिनव योजना है। 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा जारी किये गये कार्डो की संख्या ओर स्वीकृति राशि इस योजना के प्रारम्भ में क्रमिक रूप से बढ़ती रही है। जिसमें सितम्बर 2002 तक 21.20 हजार कार्ड जारी किये गये है ओर इसी स्वीकृति राशि 5211 करोड़ रूपये है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों की कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में योगदान

1969 में बैंक राष्ट्रीयकरण के पश्चात आरम्भिक अवस्था में राष्टीयकृत बैंकों ने अपना ध्यान बड़े किसानों ओर ऐसे किसानों पर केन्द्रित किया जो अधिक उपजाऊ किस्म के बीजों द्वारा खाद्यानों के उत्पादन को बढ़ाने में व्यस्त थे इन्हें पम्पिंग सेट , ट्रेक्टर अन्य कृषि मशीनरी, कुंए तथा ट्यूबवेल लगाने के लिएसीधे ऋण दिये गये इसी प्रकार फल तथा बागवानी फसलों भूमि को हमवार तथा विकसित करने दुधारू पशु खरीदने मुर्गी पालन आदि के लिए भी ऋण दिये गये।

इसके अतिरिक्त छोटे किसानों की दशा सुधारने व कृषि विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने निम्नलिखित योजनायें आरम्भ की है।

1 छोटे किसानों को विकास एजेन्सियां कायम की गयी है ताकि छोटे तथा भविष्य में सक्षम बनाने योग्य किसानों की समस्याओं का पता लगाया जा सके और उन्हें उनके जिलों में ही कृषि योगदान सेवायें ओर उधार मुहइया कराये जा सकें।

2. सहकारी समितियों के प्रयास को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने एक योजना बनाई जिसके अधीन वाणिज्कि बैंक प्राथमिक कृषि उधार समितियों को वित्त उपलब्ध कराते हैं जो फिर किसानों के लिए वित्त प्रबन्ध करती हैं यह योजना 13 राज्यों

के 142 जिलों में लागू की गयी ओर इससे लगभग 2.970 प्राथमिक समितियों सहायता प्राप्त कर रही है।

ग्राम ऋण के स्त्रोत

किसान अपनी अल्पावधि ओर मध्यावधि वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साहूकारों, सरकारी ऋण समितियों ओर सरकार से उधार लेता है। दीर्घावधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह साहूकारों, भूमि विकास बैंकों ओर सरकार से रूपया उधार लेता है।

गैर संस्थानात्मक स्त्रोत

साहूकार

गांवों में दो प्रकार के साहूकार है एक वे साहूकार है जो खेती और साहूकारी दोंनों की कार्य करते है। इन्हें कृषक साहूकार कहते हे। ये मूलतः खूटी करते हैं किन्तु सहायक व्यवसाय के रूप में रूपया उधार देने का भी काम करते है। गांव का दुकानदार भी साहूकारी कर लेता है इसके अलावा एक दूसरे प्रकार के साहूकार होते है। जिनका व्यवसाय रूपया उधार देना होता हैं किसान को नकद रूपये की आवश्यकता के लिए साहूकार पर निर्भर रहना पड़ता है। पिछले वर्षो से किसानों को नकद धन देने वाले साधन के रूप में साहूकार का महत्व तेजी से कम होता जा रहा है उदाहरणतया अखिल भारतीय ग्राम ऋण सर्वेक्षण 1954 की जाँच के अनुसार संपूर्ण ग्राम ऋण में साहूकारों द्वारा दिये गये ऋण का भाग लगभग 70 प्रतिशत था किन्त 1991 मे किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार ऋण का अंश केवल 18 प्रतिशत था। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि संस्थानात्मक अभिकरणों के मुकाबले साहूकार पिछड़ते जा रहे है किन्तु फिर भी गावों में साहूकारों की प्रधानता के अनेक कारण है।

1. साहूकार उत्पादक ओर अनुत्पादक दोनों प्रकार के लिए तथा अल्पावधि ओर दीर्घावधि देानों प्रकार की आवश्यकताओं के लिए किसान को खुले रूप में ऋण देता है।
2. साहूकार के पास किसान आसानी से जा सकता है क्योंकि साहूकार को कृषक के परिवार से कई पीढियों से पारिवारिक सम्बंध होता है।

3. उसके लेन देन के तरीके सरल और लचीले होते हैं
4. स्थानीय स्थिति से परिचित रहने के कारण वह जमीन ओर प्रोनोट दोनों के ही बदले ऋण दे सकता है। ऋण का रूपया वापिस लेने की कला वह भंली भांति जानता है।

साहूकारों के दोषपूर्ण व्यवहार

ग्रामीण साहूकार अपने अनेक दोषपूर्ण व्यवहारों के कारण बदनाम है वे किसान से बन्धक पत्र ओर प्रोनोट ले लेते है। जिनमें वे ऋण की राशि बढ़ाकर लिखते है किसानों से भारी किश्त वसूल करते हैं वे किसानों को रूपया अदा करने के बदले में रसीद नही देते ओर कई बार रूपया बसूल कर चुकने पर भी मुकर जाते है। वे ऋण पर बहुत भारी ब्याज लेते है। यहां तक 24 प्रतिशत ओर उससे भी अधिक इसके अलावा वे अनेक प्रकार के छल कपट करते है भारतीय कृषि की बहुत सी बुराइयों की जिम्मेदारी साहूकारों पर ही हैं क्योंकि उनका एक मात्र उद्देश्य किसान का शोषण करना ओर उनकी भूमि हथियाना होता है जब तक दोषपूर्ण क्रियाओं पर रोक नही लगायी जाती तब तक किसान की दशा सुधारना कठिन होगा।

2. व्यापारी एवं कमीशन एजेण्ट ; (Traders & Commision Agents)

व्यापारी एवं कमीशन एजेण्ट किसानों को फसल के पकने से पूर्व उत्पादक उददेश्यों के लिए ऋण उपलबध कराते है भूमिहीन श्रमिकों को बन्धुआ श्रम बनने के लिए मजबूर किया जाता है इससे भी बूरी बात यह है कि वित्त का यह स्त्रोत अधिक महत्वपूर्ण बनता जा रहा हैं यह 1951–52 में 3.3 प्रतिशत से बढ़कर 1961 – 62 में 14.5 प्रतिशत वित्त जुटाने लगा परन्तु 1991 में इसका भाग कम होकर 4.0 प्रतिशत रह गया।

कृषि वित्त के गैर सरकारी स्त्रोतों के मुख्य दोष है अनुत्पादक उपभोग कार्यो के लिए ऋण का प्रयोग ब्याज की ऊंची दरें ओर इस प्रकार किसानों द्वारा मूलधन एवं ब्याज लौटाने की असमर्थता छोटे किसानों द्वारा ऋण प्राप्त करने की कठिनाई आदि।

ऋण के संस्थानात्मक स्त्रोत : (Institution all Sources of Credit)

संस्थानात्मक ऋण में ऐसी राशियां शामिल की जाती हैं जो सहकारी समितियों वाणिज्यों बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। राज्य सरकारें राज्य सहकारी बैंकों ओर भूमि विकास बैंकों को वित्तीय सहायता देने के अतिरिक्त तक्काणी ऋण भी उपलब्ध कराती है। सहकारिता के क्षेत्र में प्राथमिक कृषि उधार समितियों अल्पकालीन एंव मध्य कालीन ऋण उपलब्ध कराती है। ओर भूमि विकास बैंक कृषि के लिए दीर्घकालीन ऋणों का प्रबन्ध करते है। वाणिज्य बैंक जिनके क्षेत्रीय ग्राम बैंक भी शामिल है कृषि तथा सम्बन्ध क्रियाओं के लिए अल्पकालीन एवं सावधि ऋण दोनों ही उपलब्ध कराते है। कृषि तथा ग्राम विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक राष्ट्रीय स्तर पर या कृषि उधार के लिए शिखर संस्थान है। और ऊपर वर्णित सभी एजेन्सियों की पुर्नवित्त सहायता उपलब्ध कराता है। भारतीय रिजर्व बैंक देश के केन्द्रीय बेंक के रूप में ग्राम उधार के लिए व्यापक निर्देश ओर राष्ट्रीय बैंक को इसके कार्यो के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। संस्थानात्मक ऋण की आवश्यकता गैर सरकारी एजेन्सियों द्वारा उपलब्ध कराये गये उधार अपर्याप्तता ओर इनके दोषों के कारण उत्पन्न होती हैं वे किसानों को मजबूर करते है कि वे फसल को कम कीमतों पर बेचे और अपने लिए भारी कमीशन वसूल करते है। वित्तिय यह स्त्रोत नगद फसलों अर्थात रूई, मूंगफली, तम्बाकू आदि या फलों के बगीचों आमों आदि के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है व्यापारी एवं कमीशन एजेण्टों का कृषि वित्त आमों आदि के लिए विशेष रूप से महत्वूर्ण है व्यापारी एवं कमीशन एजेण्टों का कृषि वित्त में भाग जो 1951 – 52 में 5.5 प्रतिशत था बढ़कर 1961 – 62 में 8.7 प्रतिशत हो गया परन्तु 1991 में कम होकर 2.5 प्रतिशत हो गया। व्यापारी एंव कमीशन एजेण्टों को भी महाजनों जैसा कि समझ जा सकता है क्योंकि उनके द्वारा किसानों को दिये गये उधार की दरें अत्याधिक होती है ओर इनके अन्य अवांछनीय प्रभाव भी होते है।

1. सम्बंधी **(Relatives)**

किसान अपने सम्बंधियों से नकद या वस्तुओं के रूप से उधार प्राप्त करते है ताकि वे अस्थाई कठिनाइयों को दूर कर सकें ये ऋण सामानयः अनौपचारिक रूप से दिये जाते है। इन पर ब्याज या तो लिया ही नही जाता या ब्याज की दर बहुत नीची होती है। ओर ये ऋण

फसल कटने के फोरन बाद लौटा दिये जाते है। परन्तु वित्त का यह स्त्रोत अनिश्चित है और आधुनिक कृषि की बढ़ती हुयी आवश्यकताओं के कारण किसान इस स्त्रोत पर अधिक निर्भर नही रहा सकता वास्तव में ग्राम ऋण के इस स्त्रोत का महत्व कम होता जा रहा है 1951 –52 में सम्बन्धियों से उधार कुल ग्राम ऋण 14.2 प्रतिशत था परन्तु 1991 में यह कम होकर केवल 5.5 प्रतिशत रह गया।

भू स्वामी एवं अन्य : (Landlords and Others)

किसान विशेषकर छोटे किसान एवं काश्तकार भू स्वामियों एवं अन्य पर अपनी आवश्यकताओं के लिए निर्भर रहते है। वित्त के इस स्त्रोत में वे सभी दोष विद्यमान है जो महाजनों व्यापारियों या कमीशन एजेण्टों द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्त मे पाये जाते है प्रायः इस वित्त से छोटे किसानों से उनकी भूमि हल द्वारा हर ली जाती हैं

सहकारी ऋण समितियां :(Co-Operative Credit Societies)

सहकारी वित्त प्रबन्ध ग्राम ऋण का सबसे सस्ता और बढिया स्त्रोत है इससे किसान के शोषण का भय नही रहता। ब्याज की दर भी कम है। 1992 – 93 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से सहायता प्राप्त होने के कारण 88000 प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों द्वारा 5080 करोड़ रूपये के अल्पकालींन एवं मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराये गये है। 1994 – 95 में ये बढ़कर 6600 करोड़ रूपये तक हो गया सक्रिय प्राथमिक उधार समितियो 86 प्रतिशत ग्रामों तक फैली हुयी है और इनमें 86 प्रतिशत ग्राम जनसंख्या को लाभ होता है सहकारी समितियों द्वारा 1981 में कृषि के लिए कुल उधार जिसमें सहकारी ऋण समितियों एव भूमि विकास बैंक भी शामिल है की आवश्यकता का 33 प्रतिशत जुटाया गया जबकि 1951– 52 में यह अनुपात केवल 3 प्रतिशत था।

फिर भी किसानों को महाजनों के चुंगल से पूर्णतया छुड़ाया नही जा सकता किसानों के सभी ऋण सम्बंधी आवश्यकताओं सहकारी समितियों द्वारा पूरी नही की गयी हैं इसके अतिरिक्त छोटे किसान अपनी आवश्यकताओं सहकारी समितियों से भी पूरी करने में कठिनाई अनुभव करते है। साथ ही पश्चिमी बंगाल बिहार उड़ीसा विशाल क्षेत्र है जहां ये आन्दोलन या तो फैल नही सका या इसकी जड़े गहरी नही हुयी है। ओर परिणामतःकिसान सहकारी समितियों के लाभों से वंचित रहे है। बहुत सी जगहों पर सहकारी समितियों का कार्य सिद्धान्तहीन और बेईमान किसानों द्वारा बहुत बुरी तरह बर्बाद कर दिया गया है ओर इस प्रकार जरूरतमन्दों को सहकारिता के लाभ उपलब्ध नही हो पाये है।

4. भूमि बन्धक बैंक या भूमि बिकास बैंक :- (Land Development Banks)

दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता भूमि बन्धक बैंकों जिन्हें आजकल भूमि विकास बैंक कहा जाता है। से पूरी हो रही है। इन बैंकों का उद्देश्य किसान को उसकी भूमि बन्धक रखकर दीर्घकाल ऋण प्रदान करना है। भूमि विकास बैंकों से मिलने वाला ऋण काफी सस्ता है। ओर उसकी अदायगी काफी लम्बे समय मे करनी होती है। अतः यदि पिछले ऋणों की अदायगी करनी हो या नई जमीन खरीदनी हो या भूमि पर ट्यूबवेल आदि के रूप में कोई सुधार करना हो तो इन बैंकों से उधार लेना सुविधापूर्ण होता है। ऋण साधरणतया 15 से 20 बर्ष तक की लम्बी अवधि के लिए दिये जाते है। यद्यपि भारत वर्ष में पिछले कुछ वर्षो में भूमि विकास बैंकों ने काफी प्रगति की है। किन्तु फिर भी किसान की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति में उनका योगदान अधिक नही रहा हैं बहुत से ऋणों के लिए किसानों को इन बैंकों के बारे में जानकारी उपलब्ध नही हैं ओर न ही वे इनकी लाभदायकता से परिचित है दूसरे इन बैंकों की व्यवस्था करना कठिन है। केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों की संख्या 1950–51 से 5 से बढ़कर 1983 –84 में 19 हो गयी। जबकि प्रथमिक भूमि विकास बैंकों की संख्या इसकी काल के दौरान 286 से बढ़कर 1170 हो गयी परन्तु दुर्भागय की बात यह है कि लगभग 70 प्रतिशत भूमि विकास बैंक दक्षिण भारत के तीन राज्यों अर्थात तमिलनाडु आन्धप्रदेश ओर कर्नाटक में स्थित है जबकि 1950–51 में इन बैंकों द्वारा केबल 3 करोड़ का उधार उपलबध कराया गया इसकी मात्रा 1997–98 में बढ़कर 3640 करोड़ रूपये हो गयी। रूपये हो गयी । भूमि बिकास बैंक भूमि की प्रतिभूति के विरूद्व ऋण देते हैं ओर बड़े भू स्वामियों ने इसका लाभ उठाया है ओर मोटे तौर पर छोटे किसानों को इनसे लाभ प्राप्त नही हुआ।

5. वाणिज्य बैंक और ग्राम वित्त : (Commercial Banks and Rural Finance)

चिर काल से भारत वाणिज्य बैंकों ने अपनी क्रियाओं शहरी क्षेत्रों तक सीमित रखी है वे शहरी जनता से जमा स्वीकार करते ओर शहरी क्षेत्रों में व्यापार और उद्योग के लिए वित्त जुटाये इनके खिलाफ बहुत समय से यह शिकायत की जा रही थी कि वे कृषि कृषि क्षेत्र की ओर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए बाध्य किया गया जून 1969 मे अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा 44 करोड़ रूपये का वित्त उपलब्ध कराया गया । 1996 –97 मे वाणिज्य बैंकों ने क्षेत्रीय ग्राम बैंकों के साथ कृषि क्षेत्र को 34300 करोड़ रूपये के प्रत्यक्ष ऋण उपलब्ध कराये।

6. क्षेत्रीय ग्राम बैंक (Regional Rural Bank)

ये बैक 1975 से स्थापित किये गये और इनका विशेष उद्देश्य तथा सीमान्त किसानों कृषि मजदूरों देहाती दस्तकारों आदि को प्रत्यक्ष ऋण उपलब्ध कराना है। ये ऋण उत्पादन कार्यो के लिए दिये जाते है।1997–98 तथा 196 क्षेत्रिय ग्राम बैंक कायम हो चुके थे ओर वे ग्रामीण जनता को लगभग 7500 करोड़ रूपये वार्षिक उधार के रूप में उपलब्ध कराते रहे है इन बैंकों के ऋणों का 90 प्रतिशत ग्राम क्षेत्रों के कमजोर वर्गो को दिया जाता हैं

7. सरकार और ग्रामीण उधार :(Government & Rural Debt)

सरकार ग्राम वित्त का अल्पकाल एवं मध्यकाल के लिए महत्वपूर्ण स्त्रोत रही है। सरकार द्वारा किसानों को दिये गये ऋणों आपात काल या संकट के समय जैसे अकाल, बाढ आदि के सामान्यत दिये जाते है। इन पर ब्याज की दर नीची होती है। 6 प्रतिशत के करीब ओर इसकी वापसी का ढंग बहुत आसान होता ह। ये ऋण किसान किश्तों में भू कर के साथ लौटाये जाते है ऋण ब्याज की दर नीची होने के कारण भी लोकप्रिय नही है और ये कभी भी महत्वपूर्ण नहीं बन पाये 1951 – 52 में कुल ग्राम ऋणों में इनका भाग केवल 3.3% प्रतिशत था जो 1991 में थोड़ा बढ़कर 6.1 प्रतिशत हो गया राज्य सरकारों ने कृषि के अल्पकालीन ऋणों के लिए 350 करोड़ रूपये के अग्रिम दिये इस असंतोषजनक सिथति के कई कारण है किसान टक्कावी ऋणों को प्राप्त करने में बहुत कठिनाई महसूस करते है इसकी प्राप्ति में बहुत सी परिस्थितियों में अफसरों से ऋण स्वीकृत कराने के लिए कुछ रिश्वत भी देनी पड़ती है। लोकिप्रिय नही बन पाये।

निषकर्ष :-

1950 में ग्राम भारत मे महाजन का सबसे अधिक महत्व था ओर संस्थानात्मक स्त्रोतों द्वारा कृषि उधार की कुल आवश्यकताओं का 3 प्रतिशत से अधिक नही जुटाया जाता था चाहे महाजन अभी भी महत्वपूर्ण है परन्तु उनका एकाधिकार बीते हुए युग की बात हो गयी हैं विभिन्न योजनाओं के अधीन कृषि उधार के अधिकाधिक संस्थानीकरण के कारण अल्पकालीन एंव मध्यकालीन उत्पादक उधार का लागभग 30 प्रतिशत इन स्त्रोतों से उपलबध कराया गया है सहकारी उधार पर आगामी वर्षो में ओर भी बल दिया जायेगा। जब वाणिज्य बैंक प्रत्यक्ष उधार देने की अपेक्षा अल्पकालीन उत्पादक उधार के लिए ग्रामीण प्राणाली का अधिकाधिक प्रयोग करने लगेंगे।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्राथमिक एंव सहायक कार्य तथा सामान्य उपयोगिता सेवाएं प्रदान करना।

वाणिज्यक बैंक संस्थागत साख के एक मात्र सबसे महत्वपूर्ण स्त्रोत के रूप में सामने आये है बैंकों द्वारा किये जाने वाले कार्य तथा उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं इतनी विविध है कि इन्हें वित्तीय सेवाओं के विभागीय भण्डार कहा जा सकता है जिस प्रकार से व्यापारिक या वाणिज्यक बैंकों के कार्य होते है। इसी प्रकार इसके भी कार्य होते है इसके मुख्य प्राथमिक कार्यो के अन्तर्गत निम्न को शामिल किया जाता है।

जमाराशियां स्वीकार करना :

वाणिज्यक बैंक का प्रथम प्रमुख कार्य व्यक्तियों से जमा स्वीकार करना है यद्यपि एक बैंक गैर चेक संख्या जमा भी स्वीकार करता हैं लेकिन इसे व्यक्तियों से चेक सांध्य जमा अवश्य स्वीकार करनी पड़ती है। लोग अपनी सुविधा ओर शक्ति के अनुसार निम्नलिखित खातों में रूपया जमा कर सकते हैं।

चालू खाता :

चालू खाता वह खाता हे जिसमें जमा की गयी रकम जब चाहे निकाली जा सकती है इस खाते में आवश्यकतानुसार कई बार रूपया निकालने की सुविधा रहती है बैंक ऐसी खातो पर या तो ब्याज विल्कुल नही देता या बहुत मामली देता है।

स्थायी निक्षेप :-

स्थायी निक्षेप वह है जिसे एक निश्चित अवधि जो 3 माह से 5 वर्ष तक हो सकती है कि लिए बैंक लेता है स्थायी खाता कहते है। इन खातों पर ब्याज की दर ऊंची रहती है क्योंकि इन खातों की रकम का प्रयोग करने के लिए बैंक पूर्णतः स्वतंत्र होते है ओर उचित विनियोग वे पर्याप्त लाभ कमाते हैं

4. बचत खाता

यह खाता प्राय : मध्यम तथा निम्न आय वर्ग के लोगों द्वारा खोला जाता हैं जिसमें वे अपनी छोटी छोटी बचतों के भविष्य के लिए जमा करते है। परन्तु जमाकर्ता इस खाते में से एक निश्चित रकम सप्ताह में केवल एक या दो बार ही निकाल सकता है।

5. गृह बचत खाता

इस खाते के अनुसार बैंक जमा वाले के घर गुल्लक रख देता है इन गुल्लकों में अपनी सुविधानुसार घर का स्वामी या अन्य व्यक्ति पैसे जमा करते हें महीने के अन्त में या तीन महीने बाद इस गुल्लक को बैंक में ले जाया जाता है। ऐसी जमा पर ब्याज बहुत कम दिया जाता है।

6. ऋण प्रदान करना

इनका दूसरा महत्व पूर्ण कार्य ऋण प्रदान करना है वास्तव में जमा लेना या ऋण देना ये दो स्तम्भ है जिन पर आज कल के बैंकों का ढांचा खड़ा रहता है।ऋण प्रायः उत्पादक कार्यो के लिए दिये जाते है। और इन पर वसूल की जाने वाली ब्याज की दर उससे अधिक होती है जो कि बैंक जमा कराने वाले व्यक्तियों को देता है इन दोनों में ब्याज की दर का अन्तर ही बैंक का लाभ होता है बैंक निम्न तरीकों से ऋण देता है।

क) नकद साख :

इसके अन्तर्गत ऋणी को निश्चित जमानत के आधार पर एक निश्चित राशि निकलाने का अधिकार दे दिया जाता है इस सीमा के अन्दर ही ऋणी आवश्यकतानुसार रूपया निकलवाता रहता है और जमा भी करता है इस अवस्था मे बैंक केवल वास्तव में निकलवायी गयी राशि पर ब्याज लेता है।

ख) अधिविकर्ष :-

बैंक में चालू जमा रखने वाले ग्राहक बैंक से एक समझौते के अनुसार अपनी जमा से अधिक रकम निकलवाने की अनुमति ले लेते है निकाली गयी रकम को ओवरड्राफ्ट कहते है।

ग) ऋण तथा अग्रिम

ये ऋण एक निश्चित रकम के रूप में दिये जाते है। बैंक ऋणदाता के खाते में ऋण की रकम इकट्ठा जमा कर देता है ऋणदाता उसे कभी भी निकाल सकता है। इन ऋणों की स्वीकृति के तुरन्त बाद ही ब्याज आरम्भ हो जाता है। चाहे ऋणी बैंक द्वारा उस खाते में से कुल ऋण का केवल एक ही भाग निकाले।

घ) सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग

बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना भी सरकार को उधार देने का एक तरीका है बहुत से बैंक सरकारी प्रतिभूतियां खरीदना पसन्द करते है क्योंकि यह सबसे सुरक्षित उधार माना जाता हैं

ङ विनिमय पत्रों की कटौती करना

इसके अन्तर्गत बैंक अपने ग्राहकों को आवश्यकता पड़ने पर उनके विनिमय पत्रों की अवधि पूर्ण होने से पहले ही उन विनिमय पत्रों के आधार पर रूपया उधार देता है भुगतान के बाकी समय की ब्याज को कटौती करके बैंक तत्काल भुगतान कर देता है।

च साख निर्माण :-

आजकल बैंकों का कार्य साख निमार्ण करना है बैंक अपनी प्रारम्भिक जमा से अधिक रूपया उधार देकर सांख का निर्माण करते है।

गौण या सहायक कार्य

जिस प्रकार से व्यापारिक व वाणिजियक बैंक के गौण व सहायक कार्य है उसी प्रकार रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के भी कुछ सहायक कार्य है उन सहायक कार्यो में ऐजेण्ट रूपी व समान्य उपयोगिता सम्बंधी कार्य भी आते है।

1.एजेन्सी सम्बंधी सेवाये :-

इसके अन्तर्गत वे कार्य आते है जो बैंक अपने ग्राहाकों को आदेशानुसार उसकी ओर से करता है ओर इन कार्यो के लिए वह कमीशन लेता है जो उसकी आय का एक महत्वपूर्ण साधन होता है इसके अन्तर्गत कुछ अन्य निम्नलिखित कार्य आते है।

2. बैंक आपेन ग्राहकों से प्राप्त विनिमय बिलों, चैकों , प्रतिज्ञा पत्रों आदि पर मिलने वाले धन की वसूली करके अपना कमीशन काटकर शेष राशि उनके खातों में जमा कर देता हैं

3. ग्राहकों के सभी प्रकार के भुगतान सम्बंधी आदेशों को भी बैंक पूरा किया करते हे जैसे उनकी ओर से ऋणों की किश्तें ब्याज, चंदे, बीमा की किश्त कर आदि का भुगतान करना । इस कार्य के लिए ये बैंक ग्राहक से साधरण सा कमीशन लेते है।

4. बैंक अपने ग्राहकों की ओर से लाभांश, ब्याज, कमीशन , आदि की भी वसूली करते है ये कार्य भी बैंक कमीशन के आधार पर करते हैं

5. ये बैंक अपने ग्राहकों की प्रतिभूतियों के क्रय से विक्रय से सम्बंधित उचित परामर्श देते रहते हैं तथा उनके आदेशानुसार क्रय विक्रय करते रहते है।

6. रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्राहकों के आदेशानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान को धन शीघ्र से शीघ्र ओर कम व्यय पर भेजने की व्यवस्था करता हैं

7. बैंक ग्राहक, के लिए ट्रस्ट, अटार्नी एक्सक्यूटर्स तथा सलाहकार का कार्य भी करता है।

सामाजिक कार्य या आर्थिक विकास के कार्य

(Social Function & Functions of Economic Development)

बैंक के विविध कार्यो के अवलोकन मात्र से स्पष्ट होता है कि बैंकों के हमारे आधुनिक समाजिक जीवन में बहुत महत्व है क्योंकि आज की व्यापारिक प्रणाली ओर हमारा आर्थिक जीवन एक सुन्दर ओर सदृढ बैंकिंग व्यवस्था के अभाव में सुचारू रूप से नही चल सकता बैंक ही व्यापार वाणिज्य और व्यवसाय का धमनी केन्द्र है।

बैंक समाज के उन व्यक्तियों तथा वर्गो का धन जमा करते है जिनके लिए वह अनावश्यक अथवा कम उपयोगी होता है और फिर इसी पूंजी को बैंक उद्योग धंधे ओर व्यापार आदि में लगाते हैं जिससे उत्पादन व राष्ट्रीय आय में वृद्वि होती है।

बैंक एक स्थान से दूसरे स्थानों को भेजने के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक साधन उपलब्ध कराते हैं जिससे पूंजी में गतिशीलता आ जाती है ओर व्यापार का क्षेत्र बढ़ जाता है।

बैंक लोगों के निष्क्रिय कोषों एवं बचतों को संगठित करते है और उनको उत्पादक कार्यो के लिए उपल्बध कराते है बचत के अलावा बैंक किफायत की भावना का विकास करते है। जिससे पूंजी निर्माण को प्रोत्सहान मिलता है।

बेंक लोगों को निष्क्रिय कोषों एवं बचतों को संगठित करते है। ओर उनको उत्पादक कार्यो लिए उलब्ध कराते है बचत के अलावा बैंक किफायत की भावना का विकास करते है। जिससे पूंजी निर्माण को प्रोत्सहान मिला है।

बैंकिंग विकास से न केवल बैकिंग क्षेत्र में लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते है। बल्कि बैंकों द्वारा पूंजी विनियोग अर्थ प्रबन्ध आदि से व्यापार आदि से व्यापार उद्योग एवं सभी क्षेत्रों में विकास से रोजगार में वृद्धि होती है।

बैंकों द्वारा भुगतान करने में सुविधा होती है व हस्तान्तरण करने में सरलता होती है इसके अतिरिक्त बैंक देश में व्यापार की मांग के अनुसार साख का प्रसार या संकुचन करते रहते है इससे मुद्रा व्यवस्था निरन्तर लोंचपूर्ण बनी रहती है।

सामान्य उपयोगिता सम्बंधी कार्य (Function of Gneral)

रानी लक्ष्मी बाई ग्रामीण बैंक उपयुक्त सेवाओं के अतिरिक्त अन्य बहुत से सुविधांए अपने ग्राहकों तथ सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध कराता है।

1. बैंक अपने यहां ग्राहकों के गहने, आभूषण, मूल्यवान कागज आदि को सुरक्षित रूप से रखने के लिए लाकर की व्यवस्था रखते हैं
2. बैंक अपने ग्राहकों को साख प्रमाणपत्र तथा यात्रियों को चैक जारी करते है।
3. बड़े बड़े व्यापारी अपने ग्राहकों को माल भेजकर उसकी बिल्टी बैंक से भेज देते है खरीदार बैंक में रूपया जमा करवाकर उस बिल्टी को छुड़वा लेते है और माल ले लेते है।
4. बैंक उद्योग, व्यापार, वाणिज्य सम्बंधी विविध प्रकार के आंकड़े ओर सूचनायें एकत्र करते हैं तथा प्रकाशित करते है अथवा मांगने पर ग्राहकों तक पहुंचाते है।
5. रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रतिभूतियों का आयोजन भी करते है अर्थात बैंक

अपेन ग्राहकों द्वारा खरीद गये अंश अथवा अन्य प्रतिभूतियों को बेचने का दायित्व ले लेते है। इस कार्य के बदले ग्राहक से वे अभियोजन शुल्क या कमीशन लेते है।

6. बैंक अपने ग्राहकों को एक दूसरे की साख के सम्बंध में सही तथा विश्वसनीय सूचना भी देते है।

7. बैंक अपने ग्राहकों को एक दूसरे की साख के सम्बंध में सही तथा विश्वसनीय सूचना भी देते हैं

ये जनता के बहुमूल्य सामानों को सुरक्षित रखते हैं तथा ये सरकारी अर्थ प्रबन्ध में भी सहायक होता है। क्योंकि सरकारी ऋणों का निर्गमन बैंकों के माध्यम से ही लिया जाता है बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक सहायता करके तथा उनके पक्ष में विवरण देकर उनकी साख बढ़ाता है।

ये बैक अधिकतर ग्रामीणों की सहायता की दृष्टि से बनाये गये है। ये उन्हें कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का लेखा एवं अंकेक्षण

प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को केन्द्रीय सरकार के गजट के अनुसार घोषित तिथि को या 31 दिस्मबर को अपनी पुस्तकें तथा आर्थिक चिट्ठे को बन्द करना होगा तथा केन्द्रीय सरकार से ऐसे लेखों का अंकेक्षण कराने के लिए किसी चाटर्ड एकाउण्टेन्ट की नियुक्ति कर केन्द्र सरकार से उसका अनुमोदन करना होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रत्येक अंकेक्षक कम्पनी अधिनियम की 1956 की धारा 226 के अनुसार योग्य होना चाहिए ऐसे अंकेक्षक को क्षेत्रीय अधिनियम ग्रामीण बैंक के अनुमोदन के पश्चात् प्राप्त करने का अधिकार होगा।

प्रत्येक अंकेक्षक को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के आर्थिक चिट्ठे एंव लाभ हानि खाते की एक एक प्रति दी जायेगी तथा साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों की सूची प्रत्यके अंकेक्षक को उपलब्ध करायी जायेगी इस सम्बंध में अंकेक्षक का यह दायित्व होगा कि वह चिट्ठे की प्रत्येक मद को सम्बंधित प्रमाणकों की सहायता से जांच करेगा ऐसी जांच वह तार्किक समयानुसार स्वयं कर सकता है ऐसे लेखों की जांच के लिए वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के खर्चे पर लेखाकार या अन्य किसी व्यक्ति को जांच कार्यालय सहयोग हेतु नियुक्त कर सकता है वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष या किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी से खातों के सम्बंध में आवश्यक पूछताछ कर सकता है प्रत्येक अंकेक्षक ग्रामीण बैंक के चिट्ठे एवं लेखों के आधार पर एक अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार करेगा जिसमें वह निम्नलिखित तथ्यों का समावेश करेगा।

1. कि क्या उसके दृष्टिकोण में बैंक का आर्थिक चिट्ठा पूर्ण ओर उचित है। क्या उसमें सभी आवश्यक विवरण दर्शाये गये है अर्थात् वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का सत्य एवं उचित चित्र प्रस्तुत करता है अथवा नही क्या उसने कोई स्पष्ट्रीकरण या सूचनायें मॉगी। और क्या ये संतोष जनक थे इसका अंकेक्षक अपने प्रतिवेदन में करता है।
2. कि क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मुख्य कार्यालय या शाखाओं से उसे पर्याप्त सूचना या रिटर्न जो कि अंकेक्षण कार्य के लिए आवश्यक थी उसे प्राप्त हुयी अथवा नही ।
3. कि क्या रानीलक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का सम्बंधित अवधि का लाभ हानि खाता उस अवधि का सही लाभ या हानि प्रकट करता है। अथवा नही।

4. अन्य कोई भी सूचना जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सम्बंध में उसके विचारार्थ प्राप्त हुयी हो जिसका कि रिपोर्ट में उल्लेख करना आवश्यक हो।

वार्षिक प्रतिवेन का अंशधारियों को भेजना।

प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने खाते बन्द करने के तीन माह के अन्दर दो आर्थिक चिट्ठे एवं लाभ हानि खाते तथा अंकेक्षक प्रतिवेदन की एक एक प्रति अधिकारियों को अवश्य भेजेगा। इस अवधि को रिजर्व बैंक की अनुमति से तीन माह ओर बढ़ाया जा सकता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रतिलिपि केन्द्र सरकार को प्राप्त होने के पश्चात् उसका यह दायित्व है कि वे उसे संसद के पटल पर रखे।

अध्याय चतुर्थ

(ब)

झाँसी जनपद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विकास

1. रानीलक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक झाँसी की संरचना
2. रानीलक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्रबन्ध व्यवस्था
3. रानीलक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के उद्देश्य एवं कार्य
4. रानीलक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदत्त की जाने वाली बैंकिंग सेवाओं का स्वरूप
5. रानीलक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पूंजी संरचना
6. रानीलक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की सेवाओं का मूल्यांकन

झाँसी जनपद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विकास

30 मार्च 1982 को स्थापित हुआ। रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक झाँसी जनपद की प्रगति करते हुए उसके सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर है। झाँसी जनपद के अन्तर्गत रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक झाँसी ग्रामीण बैंक अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत उपभोक्ताओं और ग्रामीण जनों के लिए वरदान साबित हुआ है। यदि हम बैंक के पिछले लाभों व कार्यो की तरफ ध्यान दें तो पाते है। कि धीरे धीरे प्रत्यक वर्ष रानीलक्ष्मीबाई ग्रामीण बैंक ने उन्नति ही की है। क्योंकि जब रानी लक्ष्मीबाई ग्रामीण बैंक की स्थापना हुए 24 वर्ष पूर्ण हुए तब वहा के अध यक्ष के प्रतिवेदन के अनुसार बैंक अपनी 43 शाखाओं एवं दो रिटेल बैंकिंग बुटिक्स एवं उसमें कार्यरत कर्मचारियों के नेटवर्क के साथ झाँसी एवं जनपद ललितपुर में सुदूर ग्रामीण अंचलो में ग्रामीण बैंकिग के प्रचार प्रसार में खरा उतरा है। बैंक ने एक ओर जहां ग्रामीण जमा का संचय कर ठोस वित्तीय आधार तैयार किया वही कमजोर वर्ग एवं कृषकों को ऋण के माध्यम से वित्त सुलभ कराकर देश के आर्थिक आधार कृषि एवं उससे सम्बंधित क्रियाकलापों को बढावा दिया। फलत ग्रामीण महाजनी शोषण प्रथा पर बहुत हद तक अकुश लगा और बैंक सफलता पायी। विगत वर्षो में बैंक द्वारा बढी हुयी प्रबंधन लागत के बावजूद अपने शुद्व लाभ मे से उत्तरोत्तर वृद्वि की है

वर्तमान में बैंकिग प्रतिस्पर्धा बढी है जिसे ध्यान में रखते हुए शाखाओं का कम्पयूटीकरण शुरू किया गया शाखा कार्यालायों को सुविधानुरूप स्वच्छ एवं बेहतर सेवा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से होडिंग्स, सूचना पट, पम्पलेट के माध्यम से अपने जमा एवं ऋण उत्पादो, उन पर प्रदान एवं प्राप्त होने वाले प्रभारों एवं व्याज को प्रदर्शित करते है ताकि वह अपने लिए सुविधाजनक बैंकिंग प्लेटफार्म चयनित कर सके।

बैंक द्वारा सन् 2001 -- 2002 में 17387 हानि के व्यवसाय स्तर को प्राप्त किया गया जिसमें ऋण व जमा अंश क्रमशः रूपये 39865 लाख रूपये 56725 लाख तथा ऋण जमा अनुपात 37 प्रतिशत रहा ।

अनुत्पादक आस्तियों का कुल स्तर 23.58 प्रतिशत एवं शुद्व स्तर 12.47 प्रतिशत रहा।

वर्ष 2002 – 03 में रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने सभी संचयी हानियों को समाप्त कर 1561 रू0 शुद्व लाभ की सम्मानजनक स्थिति मे पहुँचकर नया कीर्तिमान स्थापित किया था तथा 2003–04 में शुद्व लाभ रूपये 2979 हजार अर्जित करते हुए कुल लाभ प्राप्त किया।

रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैक की विभिन्न जमा योजनाओं तथा स्वयं सहायता समूह जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों की मदद से इन्होंने ग्रामीणों में बचत की आदतों का विकास किया है और यही प्रयास इनके ठोस वित्तीय आधार के कारण बने हैं समाज के हर वर्ग की हर प्रकार की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनके पास विभिन्न प्रकार के ऋण तथा जमा योजनायें हे, जिन्हें पर्याप्त जनसमर्थन प्राप्त हुआ है। और इसी के चलते इनके ग्राहकों की संख्या मे आशातीत वृद्वि हुयी है। महिला सशक्तीकरण वर्ष में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए रसोई गैस कनेंक्शन ऋण योजना लागू करना समाज के इस विशिष्ट वर्ग के आर्थिक उत्थान के प्रति रानी लक्ष्मी बाई ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की वचनबद्वता का प्रतीक है। एन पी ए स्तर मे उल्लेखनीय कमी तथा प्रति शाखा एवं प्रति कर्मचारी व्यवसाय में पर्याप्त वृद्वि रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने वर्तमान प्रतिस्पर्धा वातावरण में आने वाली सभी चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार किया है।

आगामी वर्ष 2004 – 05 बैंक के लिए चुनौतियों से भरा था क्योंकि प्रगति के जिस स्तर को इस वर्ष इस बैंक ने प्राप्त किया है आने वाले वर्ष व समय मे प्रतिस्पर्धा पूर्ण वातावरण में उसे बनाये रखना था अतः इस बैंक ने निर्णय लिया था। इस वर्ष कम से कम रूपये 1503049 रू. की जमा राशियां और रू. 748925रू0 करोड़ की ऋण राशियों के साथ व्यवसाय के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जमा राशि में 50 प्रतिशत का सी0डी0 रेशियों बैंक को एक स्थिर जीव्यता प्रदान करने में मील का पत्थर लाना भी इन्होने निश्चित किया। इस वर्ष इस बैंक ने अपने स्तर को प्राप्त किया और आने वाले प्रत्येक वर्षो में इसका लक्ष्य बढ़ता गया।

वर्ष 2004 – 05 के अन्तर्गत रानीलक्ष्मी बाई ग्रामीण बैंक के कार्यक्षेत्र के दो जनपदों तथा दो रिटेल बैंकिग बुटीक सहित 43 शाखाओं के माध्यम से जो पहचान बनायी गयी है इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में शुद्व लाभ रूपये 5217 हजार अर्जित करते हुये कुल लाभ रू0 2979 हजार प्राप्त किया है इसके अलावा बैंक रू. 57876 हजार के जमा तथा रूपये 69248 हजार के ऋणों के साथ कुल रूपये 415459 हजार के व्यवसाय स्तर को प्राप्त किया है इसके साथ साथ 1508 स्वंय सहायता समूहों का गठन एवं 700 समूहों का वित्त पोषण करते हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम को जन आन्दोलन बनाने की दिशा में बैंक न अभीष्ठ योगदान दिया हैं विभिन्न शाखाओं ने किसान क्लबों का गठन कर बैंक के सर्वागीण विकास के साथ साथ क्षेत्र का समग्र आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा रहा है।

यह बैंक अपने इस विकास का श्रेय अपने उत्साही अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग के साथ जिला प्रशासन, राष्ट्रीष्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, प्रवर्तक बैंक संस्थागत वित्त निदेशालय तथा निदेशक के सदस्यों को देता है तथा उक्त सभी के समन्वित प्रयासों तथा सहयोग उनके सराहनीय योगदान अमूल्य दिशा निर्देश सुझावों आदि से रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने सफलता के नये आयाम स्थापित किये है तथा भविष्य में भी यह बैंक उत्तरोत्तर प्रगति की और अग्रसर होता रहेगा।

उपर्युक्त स्थिति रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की थी परन्तु अग्रलिखित तालिका में झाँसी जनपद के रानी लक्ष्मी बाई ग्रामीण बैंक की उपलब्धि को दर्शाया गया है जो उसके विकास की ओर इंगित करता है निम्नलिखित शासकीय योजनाओं के आधार पर यह बैंक कार्य कर रहा है।

उपर्युक्त सारिणी में झाँसी रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विकास में शासकीय योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान परिलक्षित हो रहा है सरकार द्वारा चलायी जा रही एस जी एस बाई योजना है यानि समूह ऋण योजना दस योजना के अन्तर्गत ऋण समूह मे वितरित किये जाने का लक्ष्य है जिसके लक्ष्यों में वर्ष 2005 में 39 खातों पर 9750 की राशि और उपलब्धि में 32 खातों पर 8000 रूपये की राशि प्राप्त हुयी है।

रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शासकीय योजनाओं में वित्त पोषण की स्थिति – जिला झाँसी

तालिका नं. 4.6

विवरण	31.03.2001				31.03.2002				31.03.2003				31.03.2004				31.03.2005				प्रतिशत
	लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		
	खाता	राशि	खता	राशि	खता	राशि	खता	राशि	खता	राशि	खता	राशि	खता	राशि	खता	राशि	खता	राशि	खता	राशि	
शासकीय योजनायें																					
1. एस जी एस वाई	781	14100	238	3890	51	2672	52	1300	41	8200	66	1314	40	1000	16	3000	39	9950	32	8000	82%
	–	–	–	–	171	3088	74	1713	207	4140	177	3540	33	825	33	825	00	00	139	4170	–
2. स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	250	4132	182	2525	288	1760	114	1140	190	3800	161	3220	180	3600	102	2040	360	10800	44	1300	12
3. सघन मिनी डेरी	35	770	05	05	74	14800	03	585	70	14000	05	750	10	20	07	1363	85	17000	24	5040	29
4. के वी0 आई डेरी	1	100	–	–	12	1200	–	–	15	1125	01	75	2	4	–	–	2	200	0	00	–
5. क0 वी0 आई सी मार्जिन मनी	100	1050			10	1550			12	2400	02	24	1	3	3	9	0	00	0	00	-
6. किसान क्रेडिट कार्ड	2790		1039	–	4230	169200	1354	33846	3215	64300	1279	69427	3300	–	1770	48002	4624	11560	3353	98493	85

स्त्रोत :– रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वार्षिक रिपोर्ट ।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों जनजातियों व हरिजनों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है जिसका प्रतिशत शून्य है। के0वी0आई0सी0 यानि खादी ग्राम उद्योग योजना शहरी क्षेत्र के लिए समस्त प्रकार के ऋण प्रदान करती है के0वी0 आई0सी0 मार्जिन मनी योजना में इण्डस्ट्रीज आदि के लिए ऋण प्रदान किये जाते है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना झाँसी जनपद में सफलतापूर्वक चल रही है जिसका विकास व वसूली दर की स्थिति काफी अच्छी है।

रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक झाँसी की संरचना

पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रवर्तित रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा – 3 की उपधारा 1 के अन्तर्गत दिनांक 30 मार्च 1982 को स्थापित किया गया।

इसके कार्यक्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य के झाँसी एवं ललितपुर आते है बैंक का प्रधान कार्यालय झाँसी ग्वालियर रोड के मुख्यालय बैंक रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम 1934 की दितीय अनुसूची में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में सम्मिलित है। प्रत्येक जनपद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अलग अलग नामो से जाना जाता है जैसे बांदा में तुलसी ग्रामीण बैंक आदि।

शाखा संजाल

बैंक की कुल 43 शाखाओं दो रिटेल बैंकिग बुटिक्स सहित क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत है इनमें से 29 ग्रामीण शाखाएं तथा 11 अर्द्धनगरीय क्षेत्र है रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संरचना के अन्तर्गत वहां पर कार्य करने वाले शीर्ष प्रबन्धक के पद या व्यक्ति या शहर आते है। फिर उसके द्वारा संचालित पद या व्यक्ति शहर आते है। यानि किसी भी संगठन संरचना के आशय वहां के शीर्ष प्रबन्ध से लेकर निम्न स्तर तक के कार्यालयों को इसमें सम्मिलित किया जाता है।

जैसे :– झाँसी व ललितपुर के अन्तर्गत इनकी शाखायें आती है। और इन्ही शाखाओं को ग्रामीण , शहरी , अर्द्वशहरी, में बॉट दिया जाता है। इसी क्रम को इसकी संरचना कहते है। जो अग्रलिखित सारणी द्वारा स्पष्ट किया है।

तालिका न0 4.7

बैंक परिचालन क्षेत्र एवं शाखा संजाल
प्रधान कार्यालय - झाँसी

विवरण	झाँसी	योग
मण्डल	झाँसी	02
जनपद	झाँसी ललितपुर	
प्रधान कार्यालय	झाँसी	01
शाखा संचाल	23 + 20	43
ग्रामीण शाखा में	29	29
अर्द्ध शहरी शाखा में	"	
शहरी शाखाओं	03	
प्रधान कार्यालय	01 (झाँसी)	01
रिटेल बैंकिंग बुटिक	–	–
सेवाक्षेत्र में आंवटित ग्राम	–	–

स्त्रोत :– रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीर्ण बैंक वार्षिक

तालिका न0 4.8

रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की झाँसी जनपद की शाखाओं की सरंचना

सं0	शाखाओं के नाम	ब्लाक
1.	झाँसी (मुख्य)	बड़ागांव
2.	प्रेमनगर	″
3.	सराफा	″
4.	मेडिकल	″
5.	रक्शा	″
6.	चिरगांव	चिरगांव
7.	मोंठ	मोंठ
8.	समथर	मोंठ
9.	बधैरा	चिरगांव
10.	टहरौली खांस	चिरगांव
11.	करगुवा खुर्द	गुरसरांय
12.	इसकिल	गुरसरांय
13.	गुरसंराय	गुरसंराय
14.	गरौठा	गरौठा
15.	मारकुआं	गरोठा
16.	बम्हौरी	मऊरानीपुर
17.	भण्डरा	मऊरानीपुर
18.	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर
19.	रानीपुर	मऊरानीपुर
20.	सिमरधा	गरौठा
21.	उल्दन	बंगरा
22.	बरूआसागर	बड़ा गांव
23	बबीना	बबीना

उपयुर्कत तालिका के अनुसार 23 शाखायें झाँसी जिले में झाँसी जिले के अन्तर्गत 5 तहसीले आती है

1. झाँसी 2. मोंठ 3. गरौठा 4. टहरौली 5. मऊरानीपुर

रानीलक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्रबंध - व्यवस्था

किसी भी संगठन के निर्माण हेतु सर्वप्रथम उद्देश्यानुसार कर्मचारियों का स्पष्टीकरण कर दिया जाता है ताकि अमुक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जा सके। कार्यो की पूर्ति हेतु उचित अधिकार भी दिये जाते है। ताकि कार्य समन्वित तरीके से होते रहे कर्मचारियों को उनकी शारीरिक मानसिक योग्यता कुश्लता एवं दक्षतानुसार ही कार्य आवंटित किये जाते है।

जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी उपक्रम में साथ साथ कार्य करते है तो इन व्यक्तियों के मध्य कार्य बांटने की आवश्यकता होती है इसका नाम संगठन है विभिन्न विभागों में प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित करने की कला को भी वाणिज्यिक भाषा में सगठन कहते है। इसी क्रम में प्रबंध आता है।

रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक झाँसी के प्रबंधन को निम्न श्रेणीयों में विभाजित किया गया है।

शीर्ष प्रबंधन

प्रबंध के इस स्तर के अन्तर्गत सर्वोच्च पदों पर आसीन अधिकारियों को संख्या के लक्ष्यों योजनाओं एवं नीतियों का निर्धारण एवं नियत्रण का कार्य करना होता है शीर्ष प्रबंधन में झाँसी जनपद के अंचल प्रबंधक आदि आते है इसके अतिरिक्त प्रधान कार्यालय में अध्यक्ष, महाप्रबंधक आदि आते है इनको बैंक के प्रशासक भी कह सकते है मध्यस्तरीय प्रबंध के अन्तर्गत जो अधिकारी शामिल किये जाते है वह उच्च प्रबंधन द्वारा निर्धारित नीतियों को उपक्रम में प्रभावी तरीके से लागू करने का प्रत्यत्न करते है मध्यम प्रबंधन के अन्तर्गत बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक लेखा व अधिकारी वरिष्ठ प्रबंधक (प्रशासक) वरिष्ठ प्रबंधक संग्रह एवं नीरिक्षण एवं प्रबंधक विकास को सम्मिलित किया जा सकता हैं

निम्नस्तरीय प्रबंध

प्रबंध के इस स्तर के अन्तर्गत वरिष्ठ प्रबंधकों एवं शाखा प्रबंधकों लिपिक आदि को सम्मिलित किया जा सकता हैं इन अधिकारियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शाखाओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों से कार्य लिया जाता है इन कर्मचारियों द्वारा कुश्लतापूर्वक कार्य करने से ही लक्ष्यों की प्राप्ति होती है।

रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रशासनिक ढांचा (प्रबंध - व्यवस्था)
अध्यक्ष , महाप्रबंधक व निदेशकगण

1.	अध्यक्ष	–	रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैक
2.	महाप्रबंधक	–	रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3.	सहायक प्रबन्धक	–	भारतीय रिजर्व बैंक
4.	सहायक निदेशक	–	संस्थागत वित्त
5.	सहायक महाप्रबंधक	–	पंजाब नेशनल बैंक
6.	सहायक महाप्रबंधक	–	पंजाब नेशनल बैंक
7.	सहायक महाप्रबंधक	–	नाबार्ड
8.	मुख्य विकास अधिकारी	–	झाँसी
9.	जन निदेशक	–	भारत सरकार द्वारा गठित

विभाग अध्यक्ष

1. वरिष्ठ प्रबन्धक लेखा एवं विनियोजन
2. वरिष्ठ प्रबधक निरीक्षण
3 वरिष्ठ प्रबंधक सतर्कता
4. वरिष्ठ प्रबंधक विकास एवं नियोजन
5. प्रभारी प्रशासन
6. प्रभारी अग्रिम
7. प्रभारी अध्यक्षीय सचिवालय
8. प्रभारी स्वयं सहायता समूह
9. प्रभारी क्रेडिट कार्ड
10. प्रभारी वसूली

अंचल प्रबंधक

अंचल प्रबंधक झाँसी

वरिष्ठ प्रबंधक

झाँसी

प्रधान कार्यालय का प्रशासनिक ढांचा (प्रबन्ध – व्यवस्था)

प्रधान कार्यालय (झाँसी)
|
अध्यक्ष
|
महाप्रबंधक
|
विभागाध्यक्ष

1. वरिष्ठ प्रबंधक – अग्रिम
2. वरिष्ठ प्रबंधक – निरीक्षण
3. वरिष्ठ प्रबंधक – प्रशासन
4. वरिष्ठ प्रबंधक – सतर्कता
5. वरिष्ठ प्रबंधक – विकास एवं नियोजन
6. वरिष्ठ प्रबंधक – सचिवालय एवं आई0टी0
7. वरिष्ठ प्रबंधक – लेखा एवं नियोजन
8. प्रभारी (स्वंय सहायता समूह)
9. प्रभारी (क्रेडिट कार्ड)
10. प्रभारी (वसूली)

तालिका न0 4.9

झाँसी जनपद का प्रशासनिक ढांचा

रानीलक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक झाँसी का प्रधान कार्यालय है। वहां पर अध्यक्ष इसकी व्यवस्था को संभालता है। इसलिए शीर्ष प्रबंध पर अध्यक्ष व मध्य प्रबंध के अन्तर्गत महाप्रबंधक आते है। यह व्यवस्था प्रत्येक प्रधान कार्यालय में होती है। अध्यक्ष महाप्रबन्धक विभागाध्यक्ष केवल एक होते है। वही दो जनपद झाँसी व ललितपुर के प्रधान होते है परन्तु जनपद स्तर की प्रबंध व्यवस्था में अन्तर होता है क्योंकि वहां पर शीर्ष स्तर पर अंचल प्रबंधक आते है इसी प्रकार जनपद को तहसील ग्रामीण व शहरी के अन्तर्गत बांटा जाता है जहां पर रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अनेक शाखाएं खुली हुयी है। इस प्रकार से झाँसी जनपद में 23,शाखायें ललितपुर में 20 खुली हुयी है परन्तु सभी की प्रबंध व्यवस्था में अन्तर होता है। जनपद स्तर की प्रबंध व्यवस्था को अग्रलिखित सारिणी द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

उपर्युक्त सारिणी में जनपदवार रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्रबंध व्यवस्था को दर्शाया गया जिसमें शीर्ष स्तर पर अंचल प्रबंधक होते है। अंचल प्रबंधक प्रत्येक जिले में एक होता है। इसके बाद वरिष्ठ प्रबंधक होता है जो कि प्रत्येक जिले में एक होता है परन्तु इसके बाद तहसील स्तर की व्यवस्था आती है इनके कार्य भिन्न भिन्न होते है जो कि निम्नलिखित सारिणी से स्पष्ट होते है।

तहसील स्तर पर प्रबंध व्यवस्था

प्रबंधक
|
अधिकारी – 2
|
लिपिक – 2
|
संदेशवाहक – 1

प्रबन्धक –

तहसील स्तर की प्रबंध व्यवस्था अलग होती है वहां पर शीर्ष प्रबंध पर शीर्ष प्रबंध का कार्य प्रबंधक देखता है। और मध्य स्तर पर दो अधिकारी तथा दो लिपिक आते है और निम्न स्तर पर संदेशवाहक आते है। जो कि एक होता है यह व्यवस्था झाँसी की है इसलिए प्रबंध व्यवस्था भी समान है इनके कार्य भी इनके पद के हिसाब से भिन्न भिन्न होते हे जो कि निम्न है।

प्रबंधक के कार्य :-

प्रबंधक के कार्यो के अन्तर्गत प्रत्येक रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबंधक का मुख्य कार्य ऋण का वितरण करना होता है तथा अन्य चीजों के लिए स्वीकृतियों को पास करता है।

अधिकारी :-

प्रत्येक तहसील की शाखाओं में दो अधिकारी होते है जिनका कर्तव्य या कार्य उस क्षेत्र का भ्रमण करना, ऋण का मूल्यांकन करना तथा अन्य अनेक कार्य होते हैं

लिपिक :

प्रत्येक तहसील की शाखाओं मे लिपिक होते है जिसमें एक लिपिक खजान्ची का कार्य करता है जिसमें कैश का लेने देने आता है तथा दूसरा लिपिक काउटर में वैठकर अन्य लिपिकीय कार्य करता हैं।

सन्देशवाहक :-

यह प्रत्येक शाखा में एक होता है जो चपरासी के अन्तर्गत आने वाले अन्य कार्य व सहयोग से सम्बंधित कार्य करता है।

ग्रामीण स्तर की प्रबंध व्यवस्था

प्रंबधक

लिपिक

संदेशवाहक

ग्रामीण स्तर के अन्तर्गत कई ग्राम आते है। जैसे मऊरानीपुर , गरौठा, टहरौली , के अन्तर्गत कई मारकुआँ समरधा शाखा है इनकी प्रबंध व्यवस्था मे भी थोड़ा अन्तर पाया जाता है इसमे एक प्रबन्धक एक लिपिक व संदेशवाहक आते है। जिनके कार्य निम्नलिखत है।

प्रबन्धक का कार्य ऋण वितरण करना व अन्य स्वीकृतियों को प्रदान करना आदि है इसके तहसील स्तर के प्रबंधक की भांति ही कार्य होते है।

इसमें मध्यस्तर पर लिपिक होता है जो कि कैश के लेन देन का कार्य तथा काउण्टर पर बैठकर होने वाले दोनों कार्यो को करता है।

तीसरे नम्बर पर निम्न स्तर में संदेशवाहक आते है जो चपरासी से सम्बंधित कार्य करते है और अन्य प्रकार के सहयोगात्मक कार्यो को करते हैं।

उपयुर्क्त ग्रामीण-स्तर की प्रबंध व्यवस्था थी।

रिटेल बैंकिंग बुटीक

रिटेल बैंकिंग बुटीक प्रत्यके जिले में एक होता है और यह प्रमुख रूप से सरकारी कर्मचारियों को ऋण प्रदान करती है इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी ऋण सुविधा उपलब्ध कराती है यह कई प्रकार के ऋण प्रदान करती है। जैसे वैयक्तिक ऋण, भवन , ऋण, शिक्षा के लिए ऋण व कार आदि के लिए अनेक प्रकार के ऋण उपलब्ध कराती है।

रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के उद्देश्य एवं कार्य

रानी लक्ष्मी बाई ग्रामीण बैंक भी अन्य की भांति जनता को वह सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराता हैं। जो अन्य बैंक कराते है जैसे बचत को बढ़ावा देना, ऋण प्रदान करना, जमाओं को स्वीकृत करना, मूल्यांवान वस्तुओं को सुरक्षित रखना परन्तु यदि रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अन्य बैंकों से अलग है तो इसका कारण यह है कि बैंक ग्रामीणों को तथा पिछड़े वर्गो के लिए ऋण की व्यवस्था करता है। रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के उद्देश्य व कार्य निम्नलिखित है।

1. ग्रामीण क्षेत्र का विकास तथा इस क्षेत्र के पिछड़े हुए वर्गो को रियायती दर पर वित्तिय सुविधा उपलब्ध करना। पिछड़े वर्ग में छोटे एवं सीमान्त कृषक, ग्रामीण कारीगर, खेतिहर मजदूर खुदरा व्यापारी स्वरोजगार में संलग्न व्यक्ति आदि शामिल किये जाते है।
2. झाँसी जनपद के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधाओं की कमी को दूर करने का प्रयत्न करना।
3. रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं का अध्ययन एवं साख आवश्यकताओं के आंकलन के पश्चात् साख की व्यवस्था करना हैं
4. सहकारी समितियों , विपणन समितियों कृषि सम्बंधी परिकरण समितियों सहकारी कृषि समितियों , प्राथमिक कृषि ऋण समितियों कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों की सेवा समितियां बनाना।
5. झाँसी जनपद के ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता को दूर करने का प्रयत्न करना।
6. जमा राशि स्वीकार करके ग्रामीण बचत को जुटाना तथा इस राशि को ग्रामीण क्षेत्रों उत्पादक कार्यो के लिए उपयोग में लाना।
7. रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करता है ताकि ग्रामीण के जीविकोपार्जन का इन्तजाम हो सके।
8. अनुत्पादक आस्तियों में कमी लाये जाने हेतु प्रतिफल जनित प्रयास करना।
9. सेवा क्षेत्र के प्रत्येक कृषक को कार्ड सुविधा से आच्छादित किये जाने एवं लघु सीमान्त कृषकों को प्राथमिकता देना।

10. चयनित आदर्श ग्राम में किसान क्लब स्थापित कर अपना बैंकिंग सेटेलाइट लान्च करना।
11. किसान क्लब के माध्यम से एस0एच.जी0 गठित करना, ताकि व्यक्ति ऋणों को सम्भावनायें उत्पन्न हो साथ ही गुणवत्तापूर्ण नये ऋण प्रस्तावों की प्राप्ति एवं वसूली प्रक्रिया को लागू किये जाने हेतु नेटवर्क स्थापित करना।
12. शासकीय योजनाओं में कृषि आधारित पृष्ठभूमि एवं सुनिश्चित विपणन व्यवस्था रखने वाले गुणवत्तापूर्ण अग्रिमों को प्राथमिकता प्रदान करना।
13. शासकीय योजनाओं में कृषि आधारित पृष्ठभूमि एवं सुनिश्चित विपणन व्यवस्था रखने वाले गुणवत्तापूर्ण अग्रिमों को प्राथमिकता प्रदान करना।
14. जमा संग्रहण में सरकारी जमाओं पर निर्भरता कम कर पब्लिक जमा बढ़ाने पर ताकि औसत जमा व्यवस्थित रहे।
15. निधि प्रबंधन, स्टाफ सामंजस्य, ग्राहकों एवं सरकारी एजेन्सियों के प्रति सद्भाव एवं भाव से गुणात्मक सुधार हेतु प्रयास।
16. महिलाओं के सामाजिक – आर्थिक उत्थान हेतु कारगर प्रयास ।

बैक के कुछ प्राथमिक या मुख्य कार्य है। जिनमें जमा स्वीकार करना, चालू निक्षेप स्थाई निक्षेप,बचत खाता, गृह बचत खाता, ऋण प्रदान करना के अन्तर्गत नकद साख औधविकर्ण या ओवरड्राफट, ऋण तथा अग्रिम प्रदान करना सरकारी प्रतिभूतियों में विनयोग विनिमय, पत्रों की कटौती करना, साख निर्माण का कार्य करना आदि है।

इसके अतिरिक्त प्रबंध के कुछ गौण कार्य है जिसमें एजेंसि सेवाओ के अन्तर्गत साख पत्रों के भुगतान का संग्रह, ग्राहकों की ओर से भुगतान संग्रह करना, का स्थानानतरण और ट्रस्ट आदि के कार्य है। इसमें वह कुछ सामान्य उपयोगिता कार्य भी करता है। जिनमें बहुमूल्य धातुओं की रक्षा, साख पत्रों को प्रदान करना वस्तुओं के वाहन में विदेशी विनिमय का लेनदेन करना, आर्थिक परिस्थिति की जानकारी देना आदि हैं

इसके अतिरिक्त बैंक कुछ सामाजिक विकास व आर्थिक विकास सम्बंधी कार्य करता है जिसमें पूंजी की उत्पादकता में वृद्वि करना, कोषों के हस्तान्तरण की सुविधा विनियोग व अर्थ प्रबन्धन, पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन, विभिन्न क्षेत्रों में कोषों मुद्रा प्रणाली में लोच अन्य सामाजिक कार्य करता है जिनका विवेचन पिछले अध्याय मे किया जा चुका है।

इस प्रकार रानी लक्ष्मी बाई ग्रामीण बैंक के अनेक कार्य व उद्देश्य है जिन्हें वह पूरा करता है और कुछ को पूरा करने का प्रयास कर रहा है रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिन को कर चुका है वह निम्नलिखित है।

प्रतिस्पर्धापूर्ण वातावरण में रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्रगति पूर्णतया इस बात पर निर्भर करती है कि वह बदली हुयी उपभोक्ताओं के अनुरूप अपने कदम कितने मिला पा रहे है। इसी दृष्टिकोंण से अपने को बैंक के रूप में अपने ग्राहकों के सामान प्रस्तुत करने का इसका लक्ष्य है व संकल्प है ओर इसकी प्राप्ति के लिए बैंक की प्रत्येक योजना का मूलबिन्दु सम्मानित ग्राहक एवं उनको प्राप्त होने वाली सुविधाओं होगी। बैंक अपने सेवा क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को उनकी आवश्यकतानुसार किसी न किसी रूप में अपनी सेवायें उपलब्ध कराने हेतु प्रसिद्व है। इनका उद्देश्य है कि हानि वाले वर्ष में कुल संचयी हानि को समाप्त करते हुए शुद्व लाभ की स्थिति में पहुँचकर एक दीर्घकालीन व्यवहार्यता के साथ आगे बढ़ेगे इसके अतिरिक्त बैंक का उद्देश्य आने वाले समय में श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए सेवा क्षेत्र के प्रत्येक गांव का प्रत्येक परिवार किसी न किसी रूप में इस बैंक से अवश्य ही जुड़े इनका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं के जमा निकासी एवं ऋण सम्बंधों का वाहक बनाना है आर्थिक विपन्न तथा पिछडे वर्गो में बैंकिंग व्यवसाय करना इनकी उन्नति में बाधक नही है। अपितु कार्य बैंक को एक नयी चुनौती प्रदान करता हैं निर्धन एवं जरूरतमन्द वर्गो की संवेदनाओं को आत्मसात करते हुये इस बैंक को अपने प्रति अपनेपन का भाव जाग्रत करना है नई चुनौतियों का सामना करने के लिए बैंक उन्नयन की और विशेष ध्यान दे रहे है इसके लिए जनशक्ति एवं संसाधनों दोनों के संतुलित विकास पर ध्यान किया जा रहा हैं इसी दिशा में रानी लक्ष्म्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण्र बैंक की शाखाओं का कम्पयूटीकरण किया जा चुका है।

रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदत्त की जाने वाली बैंकिंग सेवाओं का स्वरूप

साधारण शब्दों में बैंक के दो अनिवार्य कृत्य होते हैं

1. लोगों से जमा राशियां स्वीकार करना और अपनी निधियाँ उधार तथा विनियोजित करना। ये दोनों कृत्य ही बैंक व्यापार कहलाते है लेकिन आधुनिक बैंकर इन कृत्यों के अलावा अनेक सेवायें भी करता हैं।

सरकार द्वारा जब किसी बैंक की स्थापना की जाती है तो उसे स्थापित करने का कोई न कोई उद्देश्य होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को स्थापित करने का भी कुछ उद्देश्य है उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गयी हे। जिसकी कई शाखायें देश भर में फैली हुयी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की एक शाखा जो झाँसी जनपद में खुली है उसका नाम रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और इस अध्याय के अन्तर्गत हम रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वर्णन करेंगे।

1. स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना
2. रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मोबाइल ऋण योजना
3. किसान समृद्दि योजना
4. काश्तकारों एव मौखिक पट्टेदारों को वित्तपोषण की योजना
5. रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गृहसज्जा वित्त योजना

वर्ष 2004 – 05 में उक्त योजनायें चलायी गयी है उनकी स्थिति निम्न प्रकार है।

1. किसान क्रेडिट कार्ड

कृषि क्षेत्र में अग्रिमों को बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड हेतु विशेष बल दिया गया और बैंक द्वारा रूपये 515868 हजार की धनराशि के 16427 किसान क्रेडिट कार्ड वर्तमान वर्ष में वितरित किये गये बैंक द्वारा 31 मार्च 2005 तक कुल 40470 किसान कार्ड राशि रूपये 1224107 हजार के निर्गत किये गये। प्रत्येक कार्डधारक बैंक की व्यक्तिगत दुर्धटना बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित है।

2. रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय किसान समृद्वि योजना :-

वर्ष के दौरान 1975 कृषकों को रूपये 131500 हजार के ऋण वितरित किये गये जो कृषि ऋण के प्रवाह को दोगुना करने में सहायक हुए।

3. रिटैल बैंकिंग बुटीक :-

बैक ने अपनी रिटेल बैकिंग बुटीक के माध्यम से वेतनभोगी कर्मचारियों स्वनियोजित एवं व्यवसायिक योग्यता प्राप्त व्यक्त्यिों को वृहद स्तर पर साख सुविधा उपलबध कराई जिन पर बैंक को अच्छी आय प्राप्त हुयी बुटीक्स द्वारा वर्ष के दौरान वित्तीय ऋणों को व्योरा तालिका द्वारा अंकित है।

जनपद झाँसी की योजनायें।

तालिका 4.10

योजना	झाँसी खाता	रूपये हजार में राशि
1. सम्पत्ति सृजन योजना	–	–
2. वैयक्तिक खाता	103	9828
3. बचत खातों पर ओडी सुविधा	23	198
4. कार/जीप ऋण	02	2570
5. गृह ऋण	04	675
6. शिक्षा ऋण	03	81
7. अन्य	13	1900
योग	148	15252

स्त्रोत : रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रमीण बैंक वार्षिक रिपोर्ट

उपयुर्क्त सारिणी से स्पष्ट है कि कुल 148 खाते खोले गये तथा उनसे प्राप्त हुयी राशि 15,252 हजार रूपये है इसमें सबसे अधिक वैयक्तिक खाते खोले गये है और सम्पत्ति सृजन योजना के अन्तर्गत एक भी खाता नही खोला गया हैं

रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा जो योजनायें चलायी जा रही है वे निम्नलिखित है जिनमें कुछ की प्रगति का वर्णन पीछे किया जा चुका हैं परन्तु निम्नलिखित का वर्णन आगे है।

1. रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सरल ऋण योजना
2. रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आवास योजना
3. रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शिक्षा ऋण योजना
4. रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसान क्रेडिट कार्ड योजना
5. रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना
6. मर्चेण्ट क्रेडिट योजना आदि।

इसके अतिरिक्त अन्य योजनायें भी हैं जो रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा चलायी जाती है स्कीम फोरट्रेप वीह फॉरमर्स, एग्रीकल्चर इम्पलीमेन्ट्स ट्रेक्टर, लैण्ड परचेज स्कीम फार फारमर्स, एलीड एग्रीकल्चर एण्ड एग्रीकल्चर टर्म लोन, रूल हावर्स कम सब स्कीम, स्पेशन कम्पोनेन्ट प्लान, ग्रुप एण्ड अण्डर एस जी एस वाई, गुप लोन अण्डर जनरल स्कीम स्वरोजगारी क्रेडिट कार्ड रानी लक्ष्मीबाई मुबीक लोन स्कीम, लोन अगेन्सट हाउस रेन्ट टू हावर वर्किंग केपिटल एण्ड टर्म लोन, रोड ट्रान्सपोर्ट आपरेटर फार वन वीट, लोन अगेन्सट एन0 एस0सी0के0 वी0 पी0 अगेन्स एन0 एस0सी0 / के0 वी0 पी0 लोन अगेन्सट एन0 एस0 / के0 वी0 पी0 स्टाफ टर्म लोन, एस0 बी0 /ओ0 डी0 पर्सनल लोन स्कीम रानी लक्ष्मी बाई एजुकेशन लोन रानी लक्ष्मी बाई कम्पयूटर लोन स्कीम, क्लीन ओवरड्राफट टू बैंक स्टाफ, लोन टू परचेज कार एण्ड जीप, पब्लिक हाउसिंग लोन स्कीम आदि है उपयुक्त योजनओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है।

रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सरल ऋण योजना :-

1. आच्छादित वर्ग वैतनिक व्यक्ति पेशेवर स्वनियोजित एवं कृषक
2. प्रायोजन – कोई भी उद्‌देश्य
3. ऋण की सीमा – अधिकतम रूपये 10.00 लाख रूपये तक
4. मार्जिन – वैल्यूवेशन रिपोर्ट में सम्पत्ति की दर्शित वैल्यू का 50 प्रतिशत
5. पुनर्भुगतान की अवधि – 60 मासिक किश्तों में

रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आवास ऋण योजना

1. आच्छादित वर्ग – वेतनभोगी कर्मचारी / व्यवसायी / स्वनियोजित व्यक्ति
2. प्रयोजन – भवन निर्माण, नवीनीकरण, विस्तार हेतु
3. ऋण की सीमा – अधिकतम रूपये 10.00 लाख
4. मार्जिन– वेतन भोगी कर्मचारियों हेतु 15 प्रतिशत व्यवसायी / स्वनियोजित व्यक्ति हेतु 25 प्रतिशत

रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा ऋण योजना :

1. आच्छादित वर्ग – भारतीय नागरिक जिसका प्रवेश परीक्षा / चयनित पद्धति से पेशेवर तकनीकी पाठ्‌यक्रम हेतु हुआ हो।
2. ऋण की सीमा – भारत में अध्ययन हेतु अधिकतम रूपये 7.50 लाख एवं विदेश हेतु रूपये 15.00 लाख
3. पुर्नभुगतान की अवधि – 7 वर्ष
4. स्थगन अवधि – पाठ्‌यक्रम अवधि के बाद 01 वर्ष या 06 माह नौकरी मिलने की स्थिति में जो पहले हो।

रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसान क्रेडिट कार्ड

1. आच्छादित वर्ग – सभी कृषक सिंचित / असिंचित भूमि के मालिक
2. प्रयोजन – अल्पकालिक कृषि ऋण
3. ऋण की सीमा – अधिकतम रूपये 2.00 लाख तक
4. विशेष सुविधा – रूपये 15/– प्रीमियम पर रूपये 50,000/– का दुर्धटना बीमा एवं राष्ट्रीय फसल बीमा सुविधा।

रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसान समृद्धि योजना

1. आच्छादित वर्ग – सभी प्रकार की सिंचित/ असिंचित भूमि के संक्रमरणीय भूमिधर कृषक
2. उद्देश्य – मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक कृषि ऋण आवश्यकतायें तथा व्यक्तिगत आवश्यकतायें
3. ऋण की सीमा – अधिकतम रूपये 5.00 लाख भूमि के सरकारी मूल्य का 50 प्रतिशत
4. चुकौती अवधि – 5 से 7 वर्ष

रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना

1. आंच्छादित वर्ग – उद्योग सेवा व्यवसाय के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यवसायी
2. ऋण की सीमा – अधिकतम रूपये 2.00 लाख
3. वैधता की अवधि – 3 वर्ष
4. मार्जिन – 25 प्रतिशत

मर्चेण्ट क्रेडिट योजना

1. आच्छादित वर्ग – सभी प्रकार के व्यापारी वर्ग।
2. ऋण की सीमा – अधिकतम रूपये10.00लाख तक किन्तु वार्षिक बिक्री का 20 प्रतिशत से अधिक नही हो।
3. मार्जिन – स्टाक वही ऋण की स्थिति पर 20 प्रतिशत
4. प्रायोजन – कैश / क्रेडिट कार्ड की सुविधा

इसके अतिरिक्त रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जो योजनायें चलायी जा रही है उसके स्वरूप को सारिणी क्रमांक 4.11 के माध्यम से दर्शाया गया है।

वार्षिक कार्य योजना में वित्त – पोषण की स्थिति
रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिला (झाँसी)
तालिका नं. 4.11

विवरण	31.03.2001		31.03.2002		31.03.2003		31.03.2004		31.03.2005		(राशि हजार में)		
वार्षिक कार्ययोजना	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1. अल्पाधिकृषि	14881	31929	30000	33766	33200	69427	43150	221810	64173	132500	185404	489432	263
2. सावधिकृषि	18357	8971	5595	6345	6200	5328	15340	69642	15283	30700	60769	120986	199
3. सहा0 कृषि	3418	4180	7405	1736	8200	706	7488	46428	9054	4500	35568	57550	161
4. उद्योग	2030	363	2400	135	2650	45	3445	14945	4300	950	14825	15638	105
5. सेवा एवं व्यवसाय	3930	1955	5500	675	6150	1634	7995	54395	10000	4200	33575	62859	187
6 प्राथमिक क्षेत्र	36331	47398	50900	42657	65400	77140	73320	407220	102813	172050	319764	746465	233
7 गौर प्राथमिक क्षेत्र	6770	9652	10300	12927	11330	15085	22680	92780	40000	14931	91080	145375	159
महायोग	43101	57050	61200	55584	67730	92225	96000	92780	142813	186981	410844	484570	1179

स्त्रोत :– रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैक वार्षिक प्रतिवेदन

उर्पयुक्त सारणी में झाँसी जनपद के विकास की और ध्यान दें तो इस बैंक के अन्तर्गत जो योजनाएं चलायी जा री है वे इसके विकास की ओर इंगित कर रहे हो इस बैंक के अन्तर्गत जो अल्पावधि कृषि योजना है उसमें फसली की ऋण व लद्यु सिंचाई के अन्तर्गत ऋण लिया जाता है जिसमें 2005 में 64173 का लक्ष्य रखा गया जिसमें ·32500 उपलबिध हुई इसकी वृद्वि दर 2004 की अपेक्षा 67% है। सावधि के अन्तग्रत कुँआ पम्पसेट व बैलजोड़ी आदि के लिए ऋण दिया जाता है जिसका कुल लक्ष्य वर्ष 2005 में 15283 हजार था। और जिसकी उपलब्धि 30700 हजार रू. हुई। सहायक कृषि के अन्तर्गत गैस लकड़ी डेरी, मत्स्य पालन, सुअर पालन आदि के लिए ऋण दिया जाता है। सेवा एवं व्यवसाय में सर्विस, कढ़ाई , बुनाई सिलाई आदि आते है उपयुक्त के अतिरिक्त वर्ष 2005 में अन्य सेवाओं का लक्ष्य जितना रखा गया उपलब्धि उसकी तुलना में कम हुई है। यदि हम इसका कुल योग करें तो वर्ष 2001 में लक्ष्य की अपेक्षा उपलब्धि अधिक थी। वर्ष 2002 में उपलब्धि कम वर्ष 2003 उपलब्धि अधिक व 2004 में उपलब्धि अधिक तथा 2005 में लक्ष्य की अपेक्षा उपलब्धि कम रही।

रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैक की पूंजी संरचना

रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैक की पूंजी संरचना के अन्तर्गत निम्न को शामिल करेंगें।

अंश पूंजी सन् 1998 - 99 / 1999 - 2000

बैंक की पूंजी भारत सरकार प्रवर्तन बैंक व प्रदेश सरकार द्वारा क्रमशः : 50:35:15 प्रतिशत की दर से कुल 10,000 हजार रूपये प्रदत्त की गयी है। पुर्नगठन के द्वितीय चरण में चयनित बैंक को तुलनापत्र शोधन व तरल सहायता के रूप में प्रदत्त रूपये 6684 हजार को अंश पूंजी जमा खाता में प्रवर्तक बैंक में रखा गया है।

तरल सहायता के रूप में भारत सरकार एवं प्रवर्तक बैंक के अंश प्राप्त है किन्तु राज्य सरकार का अंश रूपये 4762 हजार अभी भी प्राप्त होना शेष है।

जमा – बैंक की लाभप्रदता व वित्तीय सुदढ़ता में जमा राशियों का विशेष महत्व विपरीत परिस्थितियों व प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के उपरान्त भी बैंक कार्यक्षेत्र की जनता जमाराशियों हेतु संपर्क करके उन्हें उसकी ओर प्रेरित किया गया हैं।

अंश पूंजी 2000 - 2001/2001-02

बैंक की अधिकृत अंश पूंजी रूपये 50,000 है जिसमें चुकता अंश पूंजी रूपये 10,000 है जो 50: 35: 15 के अनुपातिक भाग में क्रमशः केन्द्र सरकार प्रवर्तक बैंक व राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है।

अतिरिक्त इक्विटी के रूप में चिट्ठा में शोधन हेतु रूपये 10023 हजार की राशि स्वीकृति थी जिसमें निम्नवत् राशि प्राप्त हैं

अंशधारक	चुकता पूंजी	अंशपूंजी जमा
केन्द्र सरकार	5000	71981
प्रवर्तक बैंक	3500	50387
राज्य सरकार	1500	17326
	10,000	139694

अशं पूंजी 2002 - 03 / 2003 - 04

बैंक की अंशपूंजी भारत सरकार प्रवर्तक बैंक व प्रदेश सरकार द्वारा क्रमशः 50,35, व 15 के अनुपात में प्रदत्त है बैंक की अधिकृत अंशपूंजी रूपये 5 करोड़ है जिसमें चुकता पूंजी अंश पूंजी रूपये एक करोड हैं

तुलनात्मक शोधन एवं तरलता सहायता हेतु बैंक को इसके अंशदाताओं द्वारा रूपये 1308166 की स्वीकृति के सापेक्ष रूपये 124792 की अतिरिक्त अंशपूंजी भी उपयुर्क्त अनुपात में प्राप्त हो चुकी है। प्राप्त धनराशि को अंशपूंजी जमा खाते में रखा गया। शेष राशि रूपये जो कि राज्य सरकार का अंश है अभी तक अप्राप्त है। परन्तु यह वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त हो गया।

अंश पूंजी 2004 - 05

बैंक की प्राधिकृत पूंजी रूपये 500 लाख के सापेक्ष चुकता पूंजी रूपये 100 लाख है जिसमें भारत सरकार प्रवर्तक बैंक व उत्तर प्रदेश सरकार का अंशदान क्रमश : 50 व 35 : 15 के अनुपात में हैं।

तुलनात्मक शोधन एवं तरलता सहायता हेतु बैंक को इसके अंशदाताओं द्वारा स्वीकृत अंशपूंजी भी उपयुक्त अनुपात में प्राप्त हो चुकी है। प्राप्त धनराशि की अंशपूंजी को जमा खाते में रखा गया हैं पिछले वर्षो में सन 1998 से 2005 तक की जमा वृद्वि तथा लागत को एक तालिका द्वारा प्रस्तुत किया गया हैं जो कि निम्नलिखित हैं।

तालिका 4.12

रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

जमा वर्गी करण , वृद्धि एवं लागत

विविरण	1997–98	1998–99	2000–01	2001–02	2002–03	2003–2004	2004–05
1. कुल जमा							
अ खाता	309141	101548	201979	211720	221263	235629	225501
व राशि	986147	1358978	1654998	1863065	2136045	2487263	2810301
2. जमा वृद्धि	18.31प्रति.	14.59 प्रति.	21.78प्रति.	12.57प्रति.	14.65प्रति.	16.44प्रति.	12.99प्रति.
3. जमा वर्गीकर							
अ चालू	52013	80258	105490	122614	138029	1571198	223738
ब बचत बैंक	540272	738615	888605	992325	1230305	146003	1739734
स मियादी	393862	540105	660903	748126	767711	870112	846829
4. मांग जमा का	–	60.26प्रति.	60.07प्रति.	59.84प्रति.	64.06प्रति.	65.02प्रति.	68.87प्रति.
5. जमा लागत	6.49प्रति.	6.48प्रति.	6.28प्रति.	6.03प्रति.	5.54प्रति.	4.69प्रति.	4.30प्रति.
6. जमा प्रति							
अ शाखा	12026	16373	19471	21918	25130	29610	33456
व कर्मचारी	2961	4081	4955	5578	58683	10194	8490

उपयुक्त सारिणी में सन् 1997 – 98 में कुल जमा 986147 लाख रूपये थी सन् 1998–99 में कुल जमा 118549 लाख रही बैंक के कार्यक्षेत्र में इस वर्ष जमा राशियों में 199802 लाख की बढ़ोत्तरी हुयी तथा जमा राशियों पर यह वृद्धि दर 18.31 प्रतिशत से बढ़कर 1998–99 में 20.26 प्रतिशत अर्थात् 1.95 प्रतिशत अधिक रही बैंक की कुल जमा राशियों में न्यून लागत वाली राशियों का प्रतिशत 6.51 प्रतिशत रहा जो कि गत वर्ष 6.49 प्रतिशत के स्तर में 02 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी प्रदर्शित करता हैं वर्ष के दौरान प्रति शाखा एवं प्रति कर्मचारी जमा राशियों बढ़कर रूपये 144653 एवं रूपये 3551 हजार पहुंच गयी।

इसी प्रकार जब हम 1999–2000 तथा 2000 – 01 के वर्षो का अवलोकन करते है तब हम पाते है कि 1999–2000 में कुल जमा 201548 लाख रूपये थी जो कि सन् 2000–01 में बढ़कर 201975 लाख रूपये हो गयी जो कि 431 लाख रूपये की वृद्धि को दर्ज कराता है तथा जमा राशियों पर यह वृद्धि दर 21.78 प्रतिशत तथा 12.57 प्रतिशत है जो कि 9.21 प्रतिशत की कमी

दर्शाता है बैक का मांग जमा राशियो का यह प्रतिशत 2001–02 में 59.84 प्रतिशत तथा 2000–01 में 60.07 प्रतिशत जो कि .23 प्रतिशत कमी को दर्शाता है वर्ष के दौरान प्रति शाखा एवं प्रति कर्मचारी जमाराशियां बढ़कर क्रमशः 21918 एवं 5578 हजार पहुंच गयी जो कि क्रमशः 2447 व 623 की वृद्वि दर को दर्शाती है।

जब हम वर्ष 2001 – 02 की वित्तीय वर्ष 2002 – 03 से तुलना करते है तब देखते है कि बैंक के कार्यक्षेत्र में अत्यन्त कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद बैंक के द्वारा वर्ष के दौरान जमाराशियों में रूपये 272980 हजार की वृद्वि की गयी है विगत वर्षो की जमाराशियों पर वृद्वि दर 14.65 प्रतिशत प्राप्त करते हुए सहमति ज्ञापन पत्र में जमाराशियों हेतु निर्धारित लक्ष्य रूपये 225000 हजार के सापेक्ष रूपये 2136045 हजार कर जमा राशि स्तर प्राप्त किया गया। बैक की कुल जमाराशियों में निम्नलिखित वाली जमाओं का प्रतिशत 64.06 प्रतिशत रहा जो कि गत वर्ष के 59.85 प्रतिशत के स्तर में 4.21 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्वि प्रदर्शित हो गयी। वर्ष के दौरान प्रति शाखा एवं प्रति कर्मचारी जमाराशियों बढ़कर क्रमशः रूपये 25130 एवं रूपये 8683 हजार पहुँच गयी।

अब हमारी अवलोकन वर्ष 2002 – 03 से 2003 – 04 है जिसकी स्थिति के अन्तर्गत बैंक की लाभप्रदता एवं ऋणराशियों के विस्तार हेतु जमाराशियों का विशिष्ट स्थान है। जमाराशियों के संग्रहण हेतु विशेष प्रयास किया गया है जिसमें ग्रामीणों के मध्य बचत करने की प्रवृत्ति पैदा करके उन्हें जमा हेतु प्रेरित करना ताकि कम मूल्य की जमाराशियों संग्रहित कर बैंक की आय से अधिकाधिक वृद्वि की जाये। बैंक के कार्यक्षेत्र में अत्यन्त कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाबजूद बैंक के द्वारा वर्ष के दौरान जमाराशियों में रूपये 351218 हजार की वृद्वि की गयी। विगत वर्ष की जमा राशियों पर वृद्वि दर 16.44 प्रतिशत प्राप्त करते हुए सहमति ज्ञापन पत्र में जमाराशियों हेतु निर्धारित लक्ष्य रूपये 2500000 हजार के सापेक्ष रूपये 2487263 हजार का जमा राशि स्तर प्राप्त किया गया। बैंक की कुल जमा राशियों रूपये 2487263 हजार का जमा राशि स्तर प्राप्त किया गया। बैंक की कुल जमा राशियों में निम्न लागत वाली जमाओं का प्रतिशत 65.02 प्रतिशत रहा जो कि गत वर्ष के 64.06 प्रतिशत के स्तर में 0.96 प्रतिशत 65.02 प्रतिशत रहा जो कि गत वर्ष

के 64.06 प्रतिशत के स्तर में 0.96 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदर्शित करता है परिणामतः जमा राशियों की लागत 5.54 प्रतिशत से घटकर 4.69 प्रतिशत हो गयी।वर्ष के दौरान प्रति शाखा एवं प्रति कर्मचारियों जमाराशियों बढ़कर क्रमशः रूपये 29610 एवं रूपये 10194 हजार पहुंच गयी।

वर्ष 2003 – 04 का 2004 – 05 का अवलोकन करने पर पता चलता है कि 31 मार्च 2005 को बैंक की जमाराशियों रूपये 1503049 लाख रही। बैंक के कार्यक्षेत्र में बैंक ने अपनी मेहनत व कुश्लता द्वारा जमाराशियों में रूपये 3230.38 लाख की वृद्धि प्राप्त की गयी। पिछले वर्ष की जमा राशियों का प्रतिफल 69.87 प्रतिशत रहा जो कि पिछले वर्ष 65.02 प्रतिशत के स्तर में 4.65 प्रतिशत वृद्धि प्रदर्शित करता है परिणमता जमा राशियों की लागत 4.69 प्रतिशत से घटकर 4.30 हो गयी पिछले वर्षो की भांति इसकी भी शाखा एवं प्रति कर्मचारी जमाराशियों बढ़कर क्रमशः रूपये 33456 एवं रूपये 08490 हजार पहुंच गयी बैंक की जमाओं का श्रेणी वार विवरण सारिणी में प्रदर्शित किया गया हैं

रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की सेवाओं के योगदान का मूल्यांकन

रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 30 मार्च 1982 से स्थापित है तब से लेकर आज तक इस बैंक ने अपने कार्यो में निरन्तर प्रगति की है यदि किसी वर्ष ये हानि में गया है तो अगले वर्ष इस बैंक ने अपने आपको पुर्नस्थापित कर लिया है इस अध्याय के अन्तर्गत बैंक द्वारा उपलब्ध उपलब्धियों का मूल्यांकन करेंगे।

वर्ष 2001 व 2002 में बैंक द्वारा रूपये 17387 हानि के व्यवसाय स्तर को प्राप्त किया गया जिसमें ऋण जमा अंश क्रमशः रूपये 39865 लाख व रूपये 56725 64 लाख रहे तथा ऋण जमा अनुपात 37% प्रतिशत है वर्ष 2000 – 2001 मे जहां 23 शाखायें हानि में चल रही थी समूह अभिधारणा पर पूर्ण सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाये जाने के फलस्वरूप आज बैंक 1005 एस एच जी एवं किसान क्लबों के साथ कार्यरत है जिनकी कुल जमा पूंजी रूपये 20.10 लाख के सापेक्ष रूपये 48.10 लाख का वित्त पोषण किया गया था समूह के गठन एंव सशक्तीकरण मे एन जी ओ एवं बैंक स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस जागरूकता के लिए राष्ट्रीय बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण रही है बैंक द्वारा किसान क्लबों का गठन किया जा चुका है। और आगामी वर्षो मे इन्हे 50 तक पहुंचाकर समूहों से जुड़ाव हेतु सेतु तैयार किये है।

इसी क्रम में वर्ष 2003– 04 मं बैंक द्वारा रूपये 1144889 लाख के जमा तथा रूपये 470128 लाख के ऋणों के साथ कुल रूपये 1561 लाख के व्यवसाय स्तर को प्राप्त किया गया हैं अनुत्पादक आस्तियों के स्तर में कमी करके इसे 16.73 प्रतिशत तक लाया गया जबकि ऋण जमा अनुपात में बढ़ोत्तरी के साथ 41 प्रतिशत के सम्मानजन स्तर को प्राप्त कियागया हैं बैंक ने रूपये 5396 लाख के लाभ को अर्जित किया है जिससे बैंक के रूपये 442.29 लाख की संचयी हानियों के सामायोजन के पश्चात रूपये 11.67 लाख के शुद्व लाभ की सम्मानजनक स्थिति प्राप्त हुयी हैं उत्कृष्ट वित्तीय परिणामों तथा बहुप्रतीक्षित प्रोन्नति प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूर्व होने से बेंक कर्मियों मे नवीन स्फूर्ति का संचारण हुआ जिससे भविष्य की ओर अधिक अच्छे परिणाम सामने आये 600 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं 600 समूहों का वित्तपोषण इस तथ्य का धोतक है कि राष्ट्रीय महत्व के उक्त शाखाओं में 50 किसान क्लवो का गठन करने का बैंकों का प्रयास रहा है कि बैंक निर्णयें के प्रत्येक स्तर पर उचित पारदर्शिता आये एवं अधिकाधिक जन सहभागिता प्राप्त कर क्षेत्र का समग्र आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जाये।

इसी प्रकार वर्ष 2003 – 04 में बैंक के द्वारा रूपये 1308116 लाख के जमा तथा रूपये 564010 लाख के ऋणों के साथ कुल रूपये 2979 लाख के व्यवसाय स्तर को प्राप्त किया गया है गत वर्ष के ऋणों जमा अनुपात 43 प्रतिशत के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष में 54 प्रतिशत के स्तर को प्राप्त किया । 2127 स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं 975 समूहों का वित्त्पोषण इस तथ्य को बताता है कि राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम मे जन आन्दोलन बनाने की दिशा में बैंक ने विशिष्ट प्रयास किया है विभिन्न शाखाओं मे 43 किसान क्लबों का गठन कर रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का यह प्रयास रहा है कि बैंक निर्णयो के प्रत्येक स्तर पर उचित पारदर्शिता आय एवं अधिक से अधिक जन सहभागिता कर बैंक के आर्थिक विकास को बढ़ाया जाये।

वर्ष 2004 – 05 की स्थिति दर्शाता है कि कृषि प्रवाह को दुगनी करने के शासन दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए विगत वर्षो के रूपये 94975 हजार के सापेक्ष रूपये 1406473 हजार की उपलब्धि हासिल की गयी जो कि 57.15 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाति है बैंक ने रूपये 1503046 हजार के जमा तथा रूपये 952297 हजार के ऋणों के साथ कुल रूपये 5217 हजार के व्यवसाय स्तर को प्राप्त किया है।

अनुत्पादक आस्तियों के स्तर में कमी करे इसे 8.77 प्रतिशत पर लाया गया है गत वर्ष के जमा अनुपात 54.09 के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष में 65.31 प्रतिशत के स्तर को प्राप्त किया गया है। बैंक ने जमा योजनाओं तथा स्वयं सहायता समूह जैसे कार्यक्रमों की मदद से ग्रामीण में बचत की आदत का विकास किया। समाज के प्रत्येक वर्ग की बैंकिंग आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की ऋणों तथा जमा योजनाओं बैंक के पास है तथा इन्हें जनसामान्य का समर्थन प्राप्त हुआ जिससे ग्राहकों की संख्या मे वढ़ोत्तरी हुयी हैं

इस प्रकार रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की सफलता के लिये नये नये आयाम स्थापित कर रहा है जिससे भविष्य में भी यह बैंक उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर होता रहे।

अग्रलिखित सारणियों मे झाँसी जनपद की सेवाओं के योगदान का शाखावार मूल्यांकन किया गया है जिसमें बैंक की जमाराशियों ऋणराशि तथा लाभ–हानि को दर्शाया गया हैं

अध्याय पंचम

निर्बल वर्ग की ऋण आवश्यकता का अनुमान

(1) कृषि कार्यों के लिए

(2) व्यवसायीकरण व स्वरोजगार के लिए

पंचम अध्याय

निर्बल वर्ग की ऋण आवश्यकता का अनुमान ।

भारत सरकार द्वारा जारी आकंड़ो के अनुसार देश में शिक्षित बेरोजगार की संख्या 4 करोड़ 9 लाख है, इस विपुल संख्या का लगभग दो तिहाई से भी अधिक हिस्सा ग्रामीण बेरोजगार युवक–युवतियों का हैं

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऋण देने में, ग्रामीण क्षेत्र लघु ओर सीमान्त कृषकों श्रमिकों कारीगरों लघु उधमियों छोटे व्यापारियों तथा छोटे उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती हैं

सामान्तयता इन बैंकों द्वारा लक्ष्य समूह के अन्तर्गत ही ऋण वितरण किया जाता है ग्रामीण बैंकों की प्रारम्भिक सफलता को देखकर धीरे धीरे पूरे देश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। आज पूरे देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैक काम कर रहे है।

पंचम अध्याय

भारतीय किसान विशेषकर छोटे किसान जिनके पास कृषि योग्य जमीन अत्यंत सूक्ष्य मात्रा में है वही किसान आजीवन विभिन्न श्रोतों से ऋण लेते हैं और जीवन की अन्तिम सांस तक ऋण ग्रस्त रहते हैं ओर अपना कर्ज अपनी आने वाली संन्तान पर छोड जाते है।

भारत कृषि प्रधान देश है ओर इसमें 80 प्रतिशत जनसंख्या खेती पर निर्भर है और उस में भी 75–80 प्रतिशत तक किसान अत्यनत निर्धन एंव साधन निहित है अतः वे मजबूर हो जाते है अपना जीवन यापन ऋण लेकर गुजारने के लिए । इन गरीब निर्धन किसानों को केबल कृषि बीज आदि के लिए ही नही अपितु, जीवन की अन्यायन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी ऋण लेना पडता है जब वह किसान एक बार ऋण ले लेता है तो अपने जीवन में वह उसे चुका नही पाता और अन्त में वह या तो आत्महत्या के वाध्य हो जाता है या अपने बाद अपनी सन्तान को ऋण छोड़ जाता हैं

कृषि से सम्बंधित ऋणों को हम दो बर्गो में वर्गीकरत कर सकते है।

प्रथम : उत्पादकता व्यय

द्वितीयः अन्य ऋण :–ये दोनों ऋण आपस में सम्बन्धित होते है इन्हें वर्गीकृत करना भी आसान नही है। फिर भी हमें ऋणों को वर्गीकत करना ही पड़ेगा तब ही हम गरीब किसानों का ऋणग्रहता के कारणों का व्यापक एवं विवेचनात्मक अध्ययन कर सकेगें।

उत्पादक ऋण को हम निम्न वर्गो में वर्गीकरत कर सकते है

1. ऋण, बीज खाद, एवं चारागह हेतु
2. राजस्व, यंत्रों का किराया एवं अन्य व्यय हेतु ऋण।
3. फसल की सिंचाई कीमती पम्प और जल हेतु ऋण।
4. कृषि फार्म से सम्बन्धित आय – व्यय हेतु श्रृण ।
5. कृषि फार्म से सम्बन्धित अन्ययन श्रृण
6. कृषि यंत्रों के रख रखाव मशीनरी यंत्र , फार्म हाऊस, कोठार, पशुओं के लिए आच्छादित स्थान

7. सिंचाई हेतु कुएं का निर्माण और सिचाई से सम्बन्धित भूमि।

8. आवागमन

9. सिंचाई से सम्बन्धित अन्यायन साधन

10. मशीनों और यातायात के अन्य व्यय हेतु ऋण

इस व्यवस्था हेतु किसान ऋण लेकर अपना कृषि सम्बन्धित कार्य सम्पादित करता है।

क्योंकि उसे आशा होती है कि इस प्रकार उसका उत्पादन उत्कर्षण और अधिक मात्रा में होगा ओर आय में वृद्वि होगी।

सीमान्त किसानों के पास अपनी ऊपज को अधिक समय तक रोकने की क्षमता नही होती और उस पर उसे अपने सामाजिक दायत्वों की पूर्ति हेतु धन की आवश्यकता पड़ती है जो उसके पास नही होती इस कारण वह जि तने स्त्रोत ऋण उपलब्ध हेतु होते है वह उनसे ऋण लेकर अपना कार्य प्रारम्भ करता है इस वर्ग को हम निम्न प्रकार से वर्गीकत कर सकते है

1. घरेलू समान, हेतू कपड़े वगेरहा।

2. स्वास्थ , शिक्षा , और अन्य घरेलू व्यय।

3. भवन निर्माण, चारागाहा निमार्ण।

4. मृत्यु,विवाह ओर अन्यायन व्यवस्था हेतु।

5. कन्या विवाह हेतु गहने आदि।

6. ऋण का व्याज एवं अदायगी।

7. अन्य अप्रत्यक्ष ऋण।

इन व्ययों के लिए किसानों के पास कोई भी, अतिरिक्त अय स्त्रोत नही होते। अतः वह ऋण लेने का है कि वाध्य होते है और तब प्रारंभ होता है उसका शोषण–व्याज चक्रवृद्वि और हर तरह का शोषण जो एक महाजन कर सकता है करता है और तब किसान का जीवन नरकीय हो जाता है महाजन अपना ऋण वापस लेने के लिये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं।

कर्ज की बढ़ती निर्भरता :

भारतीय ग्रामीण सर्वे के अनुसार 1951–52 में फसलों पर 750 करोड़ रूपयों की देनदारी थी वही रिर्जव बैक आफ इंडिया का सर्वे रपट 1961–62 में 1034करोड रूपये का था सिर्फ खादों पर ही ऋण ग्राहता 1970–71 में 520 करोड़ रूपये थी भारती या कृषि अनुसंधान समिति की रिपोर्ट के अनुसार चतुर्थ पंच बर्षीय योजना में 1973–74 में किसानों की कृषि सम्बंधित आवश्यकताओं 2000 करोड़ की थी वर्तमान में जो गणना की गई है उसके अनुसार 16000 करोड से भी अधिक है इस की तुलना वाणिज्यक बैंक से देख सकते है सन् 1985 में ऋण 15000 करोड का था जो वर्तमान में बढ़कर 80000 हजार करोड़ से भी ऊपर का हो गया हैं

कृषि क्षेत्र में ऋण आवश्यकता निम्न सारणी के अनुसार है जैसा कि राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा घेषित किया गया है।

तालिका न0 5.1

आवश्यकता 2005 तक

(करोड में)

कोटि	लघु	सामान्य	योग	प्रतिशत
सीमांन्त ओर छोटे किसान	12,193	16,497	28,690	32प्रतिशत
माध्यम एवं बड़े किसान	18,185	24,327	42,512	61.1
योग	30,378	40,824	71,202.	1000

स्त्रोत :– भारत सरकार राष्ट्रीय कृषि आयोग 2004

उपरोक्त सारणी से यह आभास होता है कि 2005 तक 71,202 करोड़ और 10000 करोड़ रूपये कृषि यंत्र और उनके रखरखाव पर चाहिये यह सारणी यह भी प्रदर्शित करती है कि सीमांत और लघु किसानों को भागेदारी 32.1.1और मध्यम और बड़े बडे किसानों पर 61.1%जिससे वे अपना जीवन सुधार सकें।

श्रृण उपलब्धता

कृषि सम्बंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसान दो प्रकार से ऋण लेकर अपनी व्यवस्था करता हैं व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा, अशासकीय संस्थानों के अन्तर्गत किसान ग्रामीण महाजनों भू स्वामियों ओर अपने मित्रों द्वारा और कुछ सोसाइटियों द्वारा ऋण लेता है

2. सार्वजनिक संस्था :-

कसान कृषि कार्य हेतु वाणिज्यक बैकों , स्टेट बैंक, रिज़व बैंकों , क्षेत्रीय बैंक के माध्यम से ऋण लेकर अपने कार्य सम्पादित करता है

व्यक्तिगत संस्थानों से लिया गया ऋण किसानों को ही कष्ट कारी होता है किसान यदि एक बार महाजन के चुंगल में फंस जाता है तो वह आजीवन उसका ऋणी ही रहता है कयोंकि महाजन उसकी फसल ओर अन्य आय के स्त्रोतों को अपने पास गिरवी रख लेता है जिसे किसान आजीवन नही छुड़ापाता । यह, क्योंकि किसी भी प्रकार के निरीक्षण मे नहीं आता और न ही महाजन पर किसी का नियत्रण होता हैं

धन के साधन

कृषि सम्बन्धी ऋणों को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है

1. आशासकीय संस्थान

अशासकीय संस्थानों के अन्तर्गत ग्रामीण महाजन भूस्वामी एवं उनके द्वारा नियुक्ति अन्य लोग

2. शासकीय संस्थान

शासकीय संस्थान – इनके अन्तर्गत शासकीय बैंक स्टेट बैंक , क्षेत्रीय बैंक, सोसायटीज, ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, नाबार्ड, इकाई .

तालिका न0 5.2

सारणी ऋण

विभिन्न संस्थानों द्वारा ऋण उपलब्धता का अनुपात

	ऐजेंसी	अनुपात
1.	राजकीय	3.3.1.
2.	कोपरोटिव	3.1.1.
3.	वाणिज्यक बैक	6.9.10
4.	सम्बंधीयों	14.2.1.
5.	कृषि महाजन	24.9.1.
6.	मान्यता प्राप्त महाजन	44.8.1.
7.	अन्य	8.8.1.

स्त्रोत **R.B.I. AIRCS . Vol.11 1954 Page 167**

आशासकीय संस्थान

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का 80.1. भाग क्षेत्रीय एवं ग्रामीण महाजनों के द्वारा होता है प्रथम किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इन्ही के चंगुल में फंसता है क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध होते है ओर ऋण भी देते है अपनी शर्तो पर? ये महाजन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के स्वामी होते है, ओर किसानों का हर प्रकार से उत्पीड़न कर अपना ऋण वसूलते हैं

स्वदेशीय बैंक

स्वदेशीय बैंक किसानों का सहायता हुडियों के द्वारा करता है ये बेंक व्यापार एंव व्यवसाय हेतु ही किसानों को ऋण उपलब्धता कराता है किसानोंकी भूमि को गिरवी रख लेते है और उन्हें उनकी आवश्यकतानुसार ऋण उपलब्धत करा देते है उसे किसान किश्तों में अदा कर सकता हैं।

2. कृषि कार्यो के लिये

अभी तक जनपद की ग्रामीण अर्थ – व्यवस्था पूर्णतः कृषि पर आधारित है पिछले अभिलेखों के आधार से ज्ञात होता है कि पूर्वकाल में जनपद में कपास की अच्छी खेती होती थी। जिसका क्षेत्र शनैः शनैः समाप्त होता गया तथा अब नगण्य रह गया है अल्प सिंचाई की दिशा में भूजल उपलब्ध कराने के क्षेत्र में इधर विगत कुछ वर्षो से काफी परिवर्तन हुए हैं

तथा व्यक्तिगत एवं राजकीय नलकूपों की पर्याप्त स्थापना प्रारम्भ हो जाने से कृषक अव कम मात्रा में वर्षा, पर आधारित रह जायेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित हो रही राष्ट्रब्यापी योजना अर्थात स्वर्ण जंयती ग्रामी व स्वरोजगार योजना के माध्यम से ग्रामीण युवक युवतियों को स्वरोजगार के सार्थक एवं सफल प्रयास कर सकते है कृषि कार्यो एवं निर्बल वर्ग को ऋण की आवश्यकता ध्यान में रखते हुए 1 अप्रेल 1999 से संचालित यह योजना पूर्ववत्री छः कार्यक्रमों यथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास कार्यक्रम ग्रामीर्ण युवाओं हेतु स्वरोजगार केलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रामीण दस्तकारों हेतु उन्नत औजार आपूर्ति कार्यक्रम गंगा कल्याण योजना तथा दस लाख कुआ योजना को स्वीकृत करके किया न्वित की गई। है स्पष्ट है वर्तमान योजना में इन पूर्ववर्ती छः कार्यक्रमों को सभी प्रमुख विशेषताएं एवं प्रावधान विधमान है इस योजना के माध्यम ये ग्रामीण युवा तीन प्रकार के लाभ उठा सकते हैं

1. **स्वंय सहायता समूह बनाकर स्वरोजगार**
2. **एकल सहायता प्राप्त करके स्वरोजगार**
3. **प्रेरक बनकर प्रोत्साहन राशि की प्राप्ति**

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा ब्लॉक स्तरीय पंचायती राज संस्थान के माध्यम से यह योजनायें क्रियान्वित होती है यह योजना मुख्यतः गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के लिए है इन बी0पी0एल.0 परिवारों का कोई भी सदस्य एकल सहायता के रूप में 7500रू0 एस0सी0 एस0टी0 का हो तो 10000 रू0 की अनुदान सहायता स्वरोजगार के क्रम में प्राप्त कर सकता है तथा शेष राशि उसे ऋणों के रूप में प्राप्ति होगी। जिसे संबधित क्षेत्र के ग्रामीण बैंक की शाखा द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुरूप " स्वरोजगारी " लौटाएगा। इस योजना में एकल व्यक्ति को स्वरोजगार हेतु सहायता दी जा सकती हैं

किन्तु योजना का मुख्य लक्ष्य चयनित परिवारों बी0पी0एल0 के स्वंय सहायता समूह बना कर समूह के अनुरूप स्वरोजगार संबधी गतिविधियों को प्रोत्साहान देना हैं

तालिका न0 5.3

असंस्थागत संस्थानों द्वारा प्रदत्त ग्रामीण अर्थ व्यवस्था सारणी

वर्ष	प्रतिशत
1951 – 52	83.6%
1961 – 62	85%
1971 – 72	75%
1978 – 79	65%
1979 – 1991	74%
1992 – 2003	83%
2003 – 2005	93%

Source Desai S. M Rural Bank in India Himalaya Publishing house Bombay

Resere Bank of India Multi Agency Approach in Agricultureal Finance (Report of the work group) 1978

अतः कृषि व्यवसाय से सम्बंधित निर्धन किसान को ऋण सम्बंधी आवश्यकतओं का 93.6 प्रतिशत ऋण असंस्थागत संस्थानों द्वारा ही कृषक द्वारा लिया जाता है। जिस कारण उनका जीवन आंकठ ऋण मे ही दबा रहता हैं

इय त्रासदी से किसानों को बचाने के लिये संस्थागत ऋण संस्थानों की नितांत आवश्कता है पंच वर्षीय योजना में संस्थागत संस्थानों द्वारा 57% तक ही ऋृण उपलब्धता है इसके बाद कृषि सम्बधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसान महाजनों पर ही निर्भर होता है ओर इस प्रकार 43% ऋण फिर भी असंस्थागत स्त्रोतों से प्राप्त होता हैं

सुदुर ग्रामीण अंचलों में कृषि हेतु ऋण उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान समय सहकारी समतियों सहकारी बैंक वाणिज्यक बैंक अपनी सेवायें देने हेतु कटिवद्व है फिर भी महाजनी व्यवस्था को समाप्त करना संभव नही है इससे बचने के लिये किसानों को, महाजनी से ऋण लेने हेतु हतोत्साहित करना चाहिए। महाजनों ऋ़ण लेने से कृषक अपनी भूमि भी खो देता है उसके द्वारा उत्पन्न की गई फसल को वो उठा ले जाते हैं, आर कृषक रोजी रोटी को मोहताज हो जाता है ओर अन्तः मौत को गले लगा लेता है ये किसान का दारूण स्थिती होती है बच्चे भूखे रहते है ओर महाजन उसके द्वारा अर्जित फसल को बेचकर ब्याज वसूल करता हैं

भू–स्वामी–गरीब निर्धन किसान अपनी निंतात छोटी छोटी आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु इन पर निर्भर हो जाता है ये भू स्वामी छोटे छोटे किसानों को ऋण देकर इतना शोषण करते है कि वे आजीवन उनके ऋण से मुक्त नही हो पाते इन किसनों को हर प्रकार से धोखा देकर उनके आजीवन अपना ऋणी कर लेते है ओर वह ऋण आगामी पीढी तक ही छोड़ जाते हैं

व्यापार एवं दलाल

किसानों को ऋण देकर आजीवन अपने अधीन कर लेते है वे अधिकतर उनकी कृषि उपज को पूरी तरह से आय दय से कम दामों में क्रय – विक्रय कर उन्हें बाद में ऊंची दर पर बाजार को उलब्ध ऋण करा देते है ओर किसान बीज खाद आदि क्रय करने हेतु इनसे ऋण लेते है। ये घर पर ही ऋण उपलब्ध करा देते है। तथा किसान को अन्य जगह जगह नही जाना पड़ता है पर वह उनके ऋण से उऋण नहीं हो पाता।

मित्र एवं सम्बधी :

मित्र ओर रिशतेदारों किसानों को ऋण उपलब्ध कराते है वो कम ब्याज पर किसान को ऋण देते हे ओर उपज के बाद अपने मूलधन मय ब्याज ले लेते है परन्तु इस प्रकार से ऋण से किसान अपनी कृषि सम्बधित आवश्यकताओं की पूर्ति नही कर पाता ओर वो अन्य स्त्रोत तालाश करता है।

उपरोक्त अध्ययन से हम यह देखते है। कि निर्धन किसान मित्र स्त्रोतों से ऋण लेने हेतू उद्रयित होता हैं

प्रथम :- असंस्थागत स्त्रोतों से लिया गया ऋण

1. ग्रामीण महाजन कृषक को अत्याधिक बयाज पर ऋण उपलब्ध कराता है
2. वह अत्सन्त लधु शर्तो पर ऋण
3. वह किसान से कभी धन वापिस नही चाहता, यदि वह महाजन को नियमित ब्याज देता है क्योंकि मूल, से ब्याज अधिक लाभदायक होता है मूलधन इनका हो सकता है महाजन जानता हैं
4. महाजन किसान की हर आवश्यकता हेतु धन निसंकोच अपनी शर्तो पर उपलब्ध कराता है वह कभी उसे ऋण देने हेतु मना नही करता।
5. कृषक कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचने के लिये वह ग्रामीण महाजन से ऋण लेता है महाजन केवल थोड सा भय दिखाकर अपना ऋण वसूल लेता है अतः वह निसंकोच किसान की प्रत्येक आवश्यकता हेतु ऋण देता हैं

Source :- Panandikar . S.G, and Methane D.M. Banking in India Page 66

ऋण सम्बधी महाजनी प्रथा से भारतीय किसान त्रस्त और ग्रस्त हे इस महाजनी व्यवस्था में सबसे बड़ी कमी है

1. ग्रामीण महाजन अनपढ किसानों से सादे कागज पर अंगूठा निशान लगवाकर अपनी शर्तो पर ऋण देते हैं क्योंकि वह निरक्षर होते हैं वह आजीवन उस कुटिल महाजन के ऋण से उश्रण नही हो पाता ।

2. महाजन किसानों को अत्याधिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराते है। भिन्न भिन्न राज्यों की बैंकिंग समितियां बताती है कि किसानों से 12 प्रतिशत से 37.5% तक ब्याज पर महाजन ऋण देते है। किसानों के साथ निष्कष्ट व्यवहार कर उनसे अपना धन मांगते है वह किसी भी सीमा तक जा सकते हे ये महाजन अभिशाप हैं

3. महाजन क्योंकि हर तरह की आवश्यकताओं हेतु ऋण उपलब्ध कराता है। जिससे किसान खेती से सम्बधित ऋण लेता है ओर वह उसके पंजे में फँसता जाता हैं

असंस्थागत संस्थानों द्वारा प्रदत्त ग्रामीण अर्थ व्यवस्था :-

अभी असंस्थागत स्त्रोतों से प्राप्त ऋण की समीक्षा की गयी है निष्कर्ष महाजनों द्वारा किसानों का नितांत शोषण, उत्पीड़न क्रुरुता, अपयश , आकंठ , अमानविय कुंठाएं।

संस्थागत :-

किसानों के संस्थागत ऋण की उपलब्धता ग्रामीण परिवेश में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई यह ऐतिहासिक अन्य कारणों ओर यथा संभव ग्रामीण अर्थ व्यवस्था कोसुद्वढएवं सुस्पष्ट बनाने को गई। समस्त ग्रामीण परिवेश में किसानों की समस्याओं का विवेचनात्मक अध्ययनोंपरत R.B.I. ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। जिसमें उन समस्त प्रावधानों का समावेश किया गया जिससे किसानों का सामाजिक आर्थिक राजनैतिक एवं सांस्कृतिक उन्नति हो सके वो असंस्थागत स्त्रोतों से ऋण लेकरअपना विकास कर भारत के आर्थिक राजनैतिक एवं सांस्कृतिक सहयोग दें।

स्वतंत्रता से पूर्व वाणिज्यक बैंकों ओर किसी भी संस्थागत सरकारी ऋण स्त्रोतों का उदभव नही था किसान अपनी हर आवश्यकता शादी ब्याह, बीज, कृषि उपकरण, बैल, मृत्यु भोज, आदि किसी भी आयोजन हेतु वह ग्रामीण अर्थ व्यवस्था पर निर्भर था । महाजनों का एकाधिकार संपूर्ण पूर्ण ग्रामीण अर्थ व्यवस्था पर था वो मोहताज ,था महाजनों का ।

1931 भारतीय केन्द्रीय विस्तृत बैंकिंग कमेटी को श्रेय जाता है जिसने अपना ग्रामीर्ण अर्थ व्यवस्था का संपूण अध्ययन कर विस्तृत कार्य योजना भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की।

1 अप्रैल 1938 को रिजर्व बैंक औफ इंडिया ने ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुधारने हेतु सहकारिता सहभागिता को अपने संविधान में लिया। जिसके अन्तर्गत किसानों को कृषि सम्बंधी आवश्यकताओ को पूर्ण करेगा। आर0 वी0आई0 ने कृषि ऋण विभाग को निम्न निर्देशों को पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया ।

(अ) समस्त ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को0 परिवेश से केन्द्रीय शासन प्रादेशीय शासन, सहकारिता बैकों आर अन्य बैंकों में कृषकों को समस्त समस्याओं के निवारण हेतु विशेष कर्मचारी नियुक्ति करना।

(ब) " बेंको में आपस में सांमजस्य स्थापित कर कृषि ऋण उपलब्ध करना"।

एक वर्ष बाद समीक्षा मे पाया गया कि कानून बनने के बाद भी किसान महाजनी अर्थ व्यवस्था से नही बच पा रहा हैं

आर0वी.0अई0 ने हर संभव प्रत्यन कर समस्त बैंकों एवं सहकारी बैकों, राजकीय बैकों एवं अन्य स्त्रोतों से सांमजस्य स्थापित करने हेतु, इसी मध्य द्वितीय विश्व युद्व की रण्वेधी बज उठी। देश का विभाजन हुआ। और अर्थ-व्यवस्था ग्रामीण परिवेश की पूर्णतयः चरमरा गई।

स्वतन्त्रता के बाद 1951 में बैंक ने अपनी शहरी एवं ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को पटरी पर लाने की समीक्षा की । देश का विभाजन हो चुका था और राजनैतिक समाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्यायें अपना विकराल मुंह बाएं खड़ी थी। विहंगाम विवेचना परान्त देखा गया कि 51.52 संपूण ग्रामीण अर्थ व्यवस्था समस्त संस्थागत स्त्रोतों द्वारा 750 करोड़ रूपया उपलब्ध कराया गया।

ग्रामीर्ण अर्थव्यवस्था का प्रतिशत वितरण 1951- 52

R.B.I. Of India functions & working 1984

The R.B.I. All India Rural Credit Survey Report Vol II Bombay 1954,P-167

तालिका न0 5. 4 (शाखायें/संस्थागत)

शाखाये /संस्थागत	ऋण %
महाजनी / जमीदार ऋृण दाता	69.7%
पारिवारिक एवं मित्रो द्वारा	14.2%
भारत सरकार तकावी ऋण	3.31%
सहकारित	3.1%
वाणिज्यक बेंक	0.09%
अन्य	0.8%
योग	100/–

भिन्न भिन्न समतियों की सहमति एवं अनुशंसा पर आर0वी0आई0 ने अपनी ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के सफल एवं पारदर्शी बनाने हेतु नई नीती प्रतिपादन किया।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद वाणिज्यक बैंको ने कृषि एवं उससे सम्बंधित सभी समस्त समस्याओं का निराकरण एवं निस्तारण करने की विस्तुत रूपरेखा तैयारी की।

वाणिज्यक बैक 1969 में बैंकों का राष्ट्रीय करण किया गया कि वे ग्रामीण को समस्त आर्थिक समस्याओं का निराकरण अपनी उच्चतम क्षमता से कर ग्रामीण विकास में अपना उच्चतम सहयोग दें। 1982 जून के अंत में 39179 शाखाओं का प्रारंभ हुआ जिसमें 20,394 शाखायें ग्रामीण क्षेत्रो में ओर 8764 शाखायें ग्रामीण अंचलों में खोली गई।

30856 शाखायें विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र एवं ग्रामीण अंचलों में स्थापित की गई जून 1982 में 59.5% बैंक सहकारिता बैंक थे

तालिका न0 5.5 (वाणिज्यक बैंकों का अग्रिम एंव बचत का वितरण)

टेबिल 10 करोड़ में जून 1981

वर्ग	जमा	नकद	जमा	नकद
रूरल	145(3.1.1.)	54.(1.5.1)	5254(12.9.1)	3.632(11.2.1.)
सेमी अरबन	1024(22.1)	407(12.9.1)	9485(23.3)	4658(17.21)
अरबन	1209(25.9)	722(20.01)	9963(24.5)	6.191(22.81)
मेट्रो	2287(49.0)	2426(67.21)	15981(39.3)	13214(45.81)
योग	4665 100	3609 100	40683 100	27095 100

Report on Curreancy & Finance . Op. Cit. Page 155. Vol (I)

केन्द्र सरकार द्वारा गठित समितियों ने अपनी विवेचनात्मक एवं गहन समस्या के बाद पाया कि पूर्व में निर्धारित माप दण्ड कई स्तरों पर अनुपयोगी रहा जिस कारण महाजनी व्यवस्था पर अकुंश न लगा सका। किसानों को दी गई सहायता सही समय पर और कभी कभी उचित व्यवस्था तक नही पहुंच सकी सहकारी ऋण भी कई बार अपने उदेदश्य मे अक्षम रहे। समिति ने अंत में एक अन्य सुझाव व ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुधारने का प्रस्तुत किया। समिति ने एक नई योजना की संस्तुति की "सम्पूण ग्रामीण क्रेडिट स्कीम" इस के अन्तर्गत तीन रूपों का प्रावधान किया गया।

1. सहकारी क्रेडिट का सम्पूर्ण विकास
2. क्रिया – कलापों की गहन समीक्षा एवं विवेचना
3. सहकारिता से जुड़े अन्य प्रश्न

भारतीय रिर्जव बैंक ने समिति के सुझावों को ध्यान में रखकर दो फंड का निर्माण किया।

1. राष्ट्रीय कृषि क्रेडिट (दीर्धकालिक)
2. राष्ट्रीय कृषि केडिट (अल्प – कालिक)

भारतीय रिजर्व बैंक को निदेर्शित किया गया कि वह किसानों को महाजनी लेन देन से हर कीमत पर दूर रखें भिन्न भिन्न संस्था साधनों सहकारिता सदस्य साधों से ऋण उलपब्ध कराये ओर उनका सामाजिक आर्थिक जीवन उठाने का सम्पूर्ण प्रयत्न करें।

कोओपरेटिव क्रेडिट योजना

यह योजना आपस मे सम्बधित है इसके अन्तर्गत प्रारंम्भिक कृषि क्रेडिट सोसायटी ग्रामीण स्तर पर कोओपरेटिव बैंक जिला स्तरीय ओर राजकीय कोपरोटिव बैंक राज्य स्तरीय।

इस योजना के अन्तर्गत किसानों को अल्पकालिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है जो कि 15 माह से 5 वर्ष तक हो सकती है दूसरी योजना मे दीर्धकालिक ऋण जो कि 60 माह तक हो सकता है ये ऋण केन्द्रीय कृषि विकास बैंक स्वीकृत करते हैं

तकावी ऋण भारत सरकार तकावी के द्वारा सीधे ग्रामीण को ऋण उपलब्ध कराती है यह 1983 के कृषि विकास नियम के उपरान्त बना। यह कृषि विभाग द्वारा संचालित होता है तकावी के द्वारा किसानों को दीर्घ कालिक ऋण निम्न्तम ब्याज पर उपलब्ध होता है पर यह ऋण कृषि सम्बंधी समस्त आवश्यकतओं के पूर्ति हेतु बहुत कम होता है बजट उपलब्ध न होने के कारण यह व्यवस्था समाप्त सी हो गयी हैं

क्षेत्रीय नगरीय बैक नरसिंहा समिति ने सहकारी ओर वाणिज्यक बैंकों द्वारा प्रदत्त कृषि आवश्यकताओं हेतु उपलब्ध कराये गये ऋण मे कमीयाँ पाई क्षेत्रीय बैंक की 12 हजार 12000 शाखाओं ने किसानों के घर घर पहुंच कर ऋण उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया।

उपरोक्त विचार माननीय वित्त राज्यमंत्री जनार्दन पुजारी ने लोक सभा मे दिनांक 21 जनवरी 1987 मे व्यक्त किये दिसम्बर 1986 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एवं इसकी अन्य 12838 शाखाओं द्वारा 171494 लाख रूपयों का ऋण उपलब्ध कराया गया बैंकों की नई व्यवसथा थी इन बैंकों की 90% शखायें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं इनके द्वारा अति निर्धन सीमान्त किसानों को ऋण उपलब्ध कराया गया।

कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)

भूमि कृषि विकास बैंक की स्थापना 1982 में हुई किसानों की कृषि संम्बधि आवश्यकताओं के निस्तारण हेतु इस बैंक की स्थापना हुई इसका सम्बंध भारतीय रिजर्व बैंक से है भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों हो इसके उत्तरदायी है अधिकतम धन उपलब्ध 500 करोड़ रूपये के है जिससे 100 करोड रूपये प्रत्येक का हिस्सा है।

व्यवसायीकरण व स्वरोजगार के लिए

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध नही है और जिन गांवों में उपलब्ध भी है। तो उनमें निश्चितता एवं नियमितता का अभाव है जिसके कारण ग्रामीण अपनी आर्थिक स्थिती के प्रति चिन्तित रहता है गांवों में हर समय आवागमन के साधनों का अभाव है जिसके कारण ग्रामीण उचित समय पर उचित स्थान पर पहुंचने मे असुविधा का अनुभव करता

है जबकि नगर मे ऐसी स्थिती नही है ग्रामीण क्षत्रों में ग्रामीण के निवास करने के स्थान अपर्याप्त एवं असुविधाजनक स्थिति मे होते है जिसके कारण वह अपना दैनिक जीवन भी सुचारू रूप से व्यतीत नही कर पाता हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों मे ग्रामवासियों पर परम्पराओं रूढियों, ओर अन्य विश्वासों का बहुत अधिक प्रभाव है। जिसके कारण वह अनेक लाभकारी कार्य भी करने से मना कर देते है। वह अपने गांव से बाहर अन्य स्थान पर रोजगार हेतु कार्य करने के लिए इच्छुक नही होता है जिसके कारण उसकी आय कम होती है आय कम होने के कारण उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नही है। फलस्वरूप उनके बच्चे शैक्षिक गतिविधियों मे सम्मिलित नही हो पाते और उनका बौद्विक एवं शैक्षणिक स्तर परम्परागत स्थिति में ही बना रहता है ग्रामीण के निम्नवर्ग मे जिसकी प्रजननता दर सर्वाधिक स्पष्ट हुई है। में यह धारण पायी जाती है कि अधिक बच्चै होने पर परिवार की आय भी अधिक होगी। वह इस तथ्य को ध्यान में नही रखते है कि हमें बच्चौं का बौद्विक व सामाजिक विकास भी करना है और अपने एक मात्र मनोरंजन साधन का उपयोग करके बच्चों की कतार खड़ी नही करना है उन्हे इस बात की भी चिन्ता नही रहती है कि बच्चा बड़ा होने पर किस प्रकार के रोजगार में समायोजित होगा। उसका रोजगार का साधन स्थानीय होता है और बड़ा होने पर वचह उसे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध रोजगार में समायोजित कर लेता है जबकि नगरीय क्षेत्र मे सुविकसित शैक्षणिक स्तर के कारण व्यक्ति अपने बच्चे का विकास समग्र रूप से करना चाहाता है जिससे कि वह समाज में महत्वपूर्ण स्थान बना सके। और देश के लिए कुछ कर सके।

सर्वेक्षित ग्रामों में मुख्य व्यवसाय या मुख्य आय का साधन कृषि हो। ग्रामीण मे यह धारणा प्रबल होती हे यदि उनके परिवार में बच्चों की संख्या अधिक हो तो वह उन्हें कृषि कार्य में समायोजित करके अपने उत्पादन को अधिक बढ़ा सकता है इसी विचार से प्रभावित हो कर वह अपने परिवार को असीमित कर लेते हैं।

तदानुसार समग्र रूप से उनकी प्रजननता दर अधिक होती है सर्वोक्षित ग्रामों मे इस विचार धारा का प्रवाह स्पष्ट दृष्टिगत हुआ है । इसके विपरीत नगरों मे अधिकांश परिवार व्यवसाय या सरकारी संस्थानों में कार्यरत व्यक्तियों द्वारा संचालित होते है जो इस बात से

भिन्न हाते है। कि अधिक बच्चे होने पर उनको समुचित एवं समग्र आवश्यकताओं को उपलब्ध करना कठिन होगा।

अतः नगर में सर्वेक्षित किये गये अधिकाश परिवारों मे उनकी विचार धार यह है कि वह अपने बच्चों को सम्पूर्ण रूप से विकसित करने को इच्छुक है और उनकी संख्या बढ़ाने में उनकी कोई रूचि नही है। इस विचार धारा के कारण नगर मे प्रजननता दर नियन्त्रित रूप से बढ़कर रही है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों सें मे प्रजनता दर अनियत्रिंत रूप से बढ रही हैं।

अध्याय षष्ठम

रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों के द्वारा प्रदान की गयी ऋण सुविधायें कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों मे योगदान का मूल्यांकन

1. कृषि व सिंचाई के क्षेत्र में योगदान
2. रोजगार व अन्य क्षेत्रों में योगदान
3. ग्रामीण क्षेत्र में बैंक द्वारा चलायी जाने वाली विविध योजनाएं एवं उनकी प्रवाहकारिता का मूल्यांकन
4. वित्तीय सुविधा प्रदान करने की शर्ते
5. जनपद में वित्तीय सुविधा प्रदान किये गये अग्रिमों की वसूली का विशलेषण
6. वित्तीय सुविधा प्रदान करने में आने वाली समस्यायें एवं उनको दूर करने के लिए सुझाव

रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्र ग्रामीण बैंकों के द्वारा प्रदान की गयी ऋण सुविधाये।

राष्ट्रीय आय के उत्पादन की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का अत्याधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए कृषि उत्पादकता में सुधार आवश्यक हो जाता है। कृषि द्वारा केवल जनसंख्या की भोजन सामाग्री की ही आपूर्ति नही होती वरन् औद्योगिक विकास के लिए विविध प्रकार के कच्चे पदार्थो की आपूर्ति भी होती है। औद्योगिक विकास के लिए कृषि सुदृढ आधार प्रदान करती है। जिस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र के तीव्रतर विकास के लिए पूंजी निवेश अत्यावश्यक होता है।, परन्तु अपनी विश्ष्टिताओ के कारण कृषि क्षेत्र की पूंजी निवेश सम्बंधी आवश्यकताओ अन्य क्षेत्रों की पूंजी निवेश आवश्यकतायें से भिन्न होती है।

उद्योगों की तरह कृषि विकास के लिए अल्पकालीन मध्यकालीन तथा दीर्धकालीन पूंजी की आवश्यकता होती है। कृषि विकास को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है कि कृषकों को उत्पादन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे उन्नत बीज,उर्वरक सिंचाई हेतु जल, आधुनिक, कृषि औजार, ओर विपणन हेतु वित्त की उपयुक्त व्यवस्था हो जब तक कृषकों को उचित समय पर और पर्याप्त मात्रा में प्रयोग नही कर सकते है इतना ही नही कृषकों को वित्तीय सुविधा कम ब्याज दर पर उपलब्ध होनी चाहिए।

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत मे ग्रामीण विकास हेतु अनेक प्रयास किये गये भारतीय योजनाकारो ने प्रारम्भ मे ही इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था कि आर्थिक उन्नति के लिए सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली एवं ऋृण व्यवस्था आधारभूत स्तम्भ होती हैं अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की स्थापना करके सरकार ने प्रथम बार देश में ग्रामीण साख व्यवस्था मे सुधार लाने का प्रयास किया गया ओर इस हेतु सरकारी साख संस्थाओं को सदृढ़ बनाया गया वर्तमान समय में सहकारी साख समितियों एवं बैंकों के अतिरिक्त ग्रामीण साख के क्षेत्र में वाणिज्य बैक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण्र बैंक भी कार्य कर रहे है संस्थागत वित्तीय प्रणाली

के विकास एवं सुदृढ़ीकरण से देश के सुदूरतम क्षेत्रों मे भी बैंकों की शाखायें स्थापित की गयी है और की जा रही है परिणामस्वरूप देश के ग्रामीण क्षेत्र मे अनेक वित्तीय संस्थायें कार्य कर रही है।

1. अल्पकालीन साख प्रदान करने हेतु ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक साख समितियां
2. मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन साख के लिए सहकारी बैंक एवं भूमि विकास बैंक
3. वाणिज्य बैंक
4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैक

इन संस्थाओ को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष साख प्रदान करने वाली संस्थाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रत्यक्ष साख प्रदान करने वाली व्यापारिक बैंक तथा ग्रामीण बैक आते है जो कृषकों को सीधे प्रत्यक्ष रूप में ऋण प्रदान करते है। परोक्ष रूप से साख प्रदान करनेवाली संस्थाओं में राज्य सहकारी बैक तथा जिला सहकारी बैंक को सम्मिलित किया जाता हैं

ऋण के उद्देश्य एवं प्रकार

रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बेशक झाँसी के ऋण व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य जनपद के जरूरतमंद कृषकों को कृषि विकास कार्यो के लिए सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना है। यद्यपि ऋृणो के वितरण मे बैंक द्वारा अल्पकालीन फसली ऋणों को प्राथमिकता दी जाती है तथापि बैक कृषकों को मध्यकालीन ऋण भी उपलब्ध कराता है बैक चूंकि ऋृणों की सुरक्षा को महत्व देते है इसलिए ऋण प्रायः उत्पादकता कार्यो के लिए ही प्रदान किये जाते हैं कृषि विकास हेतु दिये जाने वाले समस्त ऋृण इसी श्रेणी में आते हैं परन्तु ग्रामीण कृषक के दृष्टिकोण से ऋणों पर विचार करे तो प्रतीत होता है कि कृषक को उत्पादकता ऋणों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के अनुत्पादक ऋणों की भी आवश्यकता होता हैं।

यदि ग्रामीण बैंक के द्वारा केवल उत्पादक कार्यो के लिए ऋण प्रदान किये जाये तो अनुत्पादक कार्यो के लिए ऋणो की आपूर्ति हेतु ग्रामीण कृषकों को पुनः साहूकारों एवं महाजनों से ऊँची ब्याज दर पर ऋण लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है ऐसी स्थिति में संस्थागत कृषि वित्त विशेष रूप से ग्रामीण कृषि साख का उद्देश्य अधूरा रह जाता है इस आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए वर्तमान समय मे ग्रामीण बैंक कृषकों को अनुत्पादक ऋण भी उपलब्ध कराती है।

छठीं पंचवषीय योजना मे सरकार द्वारा ग्रामीण विकास ओर ग्रामीण रोजगार के उद्देश्य से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार ,गारन्टी कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा ग्रामीण युवकों के लिए स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये इन कार्यक्रमो के क्रियान्वयन में गामीण बैंक झाँसी द्वारा महत्वपूर्ण अभिकर्ता की भूमिका निभाई जा रही है।

जनपद झाँसी के आर्थिक विकास को समुचित गति प्रदान करने के उद्देश्य से यह औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं विकास हेतु तथा सेवा क्षेत्र मे परिवहन, वाणिज्य एवं व्यापार विकास के लिए समय समय पर अग्रिम प्रदान करता हैं

कृषि व सिंचाई के क्षेत्र में योगदान।

रानी लक्ष्मीबाई बैक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए जो वित्त उपलब्ध कराया जाता है वह दो श्रेणीयों मे बांटा जा सकता है

1. प्रत्यक्ष वित्त व्यवस्था जो किसानों को

क) खेती करने /फसलें उगाने के लिए लद्युकारिक उधार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसल ऋृणों के रूप में तथा

ख) कृषि भूमि मे धन लगाने के लिए मध्यम कालिक ओर दीर्धकालिक उधार की आवश्यकताओं पूरी करने के लिए विकास ऋृणों के रूप में उपलब्ध कराई जाती है।

2. अप्रत्यक्ष वित्त व्यवस्था जो किसानों को विभिन्न रूपों में उपलब्ध कराई जाती है निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए बैंकों द्वारा दिये जाने वाला ऋृण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिया गया अग्रिम समझा जाता है।

अ) कृषि हेतु किसानो के लिए दी जाने वाली प्रत्यक्ष वित्त व्यवस्था।

फसलें उगाने के लिए लघुकालिक ऋण (फसल ऋृण)किसानों को उनकी कृषि उपज गिरवी दृष्टिबन्धक रखकर 5000 रूपये तक के अग्रिम जिनकी अवधि 3 महीने से अधिक की नही हो सकती और उत्पादन तथा विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्त व्यवस्था हेतु मध्यम तथा दीर्धकालिक इस श्रेणी में आते है।

1 कृषि औजार तथा मशीनी जिसमें परिवहन उपकरण भी शामिल है की खरीद करना

2. सिचाई क्षमता का विकास

3. भूमि का पुनरूद्वार तथा उसके विकास की योजनायें

4. कृषि फार्म भवन तथा ढांचे आदि का निर्माण

5. भण्डारण सुविधाओं का निर्माण तथा संचालन

6. संकर किस्मों के बीजों का उत्पादन तथा प्रसंस्करण

7. सिंचाई प्रभार आदि की भुगतान

8. किसानों को अन्य प्रकार से सीधे ही वित्त उपलब्ध कराना, उदाहरणर्थ गैर परम्परागत बागानों बागवानी तथा दुग्ध उत्पादन, मछली पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन तथा शहद, मक्खी पालन आदि जैसे अन्य अनुसंगी गतिविधियों के लिए लद्यु कालिक ऋण उपलब्ध कराना।

ख) कृषि हेतु अप्रत्यक्ष वित्त व्यवस्था।

1. उर्वरकों , कीटनाशी दवाइयों , बीजों आदि के वितरण की वित्त व्यवस्था के लिए उधार।

2. प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों कृषक सेवा समितियों तथा बृहदाकार आदिवासी बहुउद्देशीय समितियों के माध्यम से किसानों को ऋृण

3. बिजली बोर्डो को ऋण ताकि वे उस खर्च की प्रतिपूर्ति कर सके जो उन्होंने अलग अलग किसानों को कुंए चलाने के लिए कम टेन्शन वाले बिजली कनेक्शन देने पर किया है।
4. अन्य प्रकार से अप्रत्यक्ष वित्त व्यवस्था।

सिंचाई सुविधायें के विस्तार के लिए

किसानों के पास यदि भूमि हो, उपजाऊ, संसाधन हो कार्य करने की क्षमता हो तब भी खेती नही कर सकता क्योंकि जब तक उसके पास सिंचाई करने के साधन नहीं होगे खेती करना सम्भव नहीं होगा इसलिए इस बैंक के द्वारा सिंचाई करने के सम्बन्ध मे ॠण लेने के लिए किसानों को सुविधा प्रदान की गयी है इसके तहत चलाई जाने वाली योजना निम्न है।

1. एलीड एग्रीकल्चर एण्ड एग्री टर्म लोन

इस योजना के अन्तर्गत डी0पी0 सेट पम्पिंग सेट व अन्य कार्यो के लिए ऋण लिया जा सकता हैं।

2. रानी लक्ष्मीबाई किसान क्रेडिट कार्ड

रानी लक्ष्मीबाई किसान कार्ड का प्रयोजन कृषक को कृषि क्रियाकलापों हेतु अल्पावधि कार्यशील पूंजी और इसकी घरेलू आवश्यकताओं हेतु वित्त प्रदान करना है न कि लाभ के व्यवसाय सट्टा क्रियाकलापों हेतु इसके अन्तर्गत आच्छादित वर्ग में सभी कृषक सिचिंत असिंचित के भूमि मालिक आते है इसके प्रयोजन मे अल्पकालिक कृषि ऋण दिये जाते हैं ओर इसके ऋण की सीमा अधिकतम 2.00 लाख तक है इसकी विशेष सुविधाओं के अन्तर्गत रूपये 15 प्रीमियम पर रूपये 50,00.00 का दुर्धटना बीमा एवं राष्ट्रीय फसल बीमा सुविधा है।

इसमें प्रति आवेदन रूपये 150.00 प्रवेश शुल्क के रूप में एक बार बसूल किया जाता है रानी लक्ष्मी बाई किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली शाखा से ही कसी भी समय अपनी साख सीमा के अन्दर कितनी भी नकद राशि आहरण के लिए स्वतंत्र होगा। आहरित राशि को सीमा से घटा दिया जाता हैं।

जनपद मे कुल 16500 के लक्ष्यों के सापेक्ष 31.1.2005 तक 17538 कार्ड जारी किये गये सभी पात्र कृषकों को कार्ड जारी करने हेतु निर्देशित किया गया।

3. रानी लक्ष्मी बाई किसान समृद्वि योजना :-

इस योजना के अन्तर्गत सभी प्रकार के सिचित/ असिंचित भूमि के संक्रमरणीय भूमिधर कृषक आते है यह व्यक्तिगत आवश्कताओं के लिए मध्यकालिक व दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते है।

4. एग्रीकल्चर इम्पलीमेंट ट्रेक्टर योजना :-

ट्रेक्टर आदि खरीदने के लिए यह ॠृण लिया जाता है जिनके पास कम से कम 5 एकड़ जमीन सिंचित हो उन्हे यह ऋण दिया जाता है इसके अतिरिक्त खेती करने व भाड़े से सम्बंधित कार्यो के लिए भी ऋण दिया जाता है।

5. रानी लक्ष्मीबाई मुबीक लोन स्कीम :-

यह स्कीम किसानों के लिए है जिनके पास 4 एकड़ जमीन सिंचित हो। नौकरी पेशा आय वालों को जिनकी आय 6000 रूपया मासिक हो व वह आयकर देता हो।

6. लैण्ड परचेज स्कीम फॉर फारमर्स

ऐसे किसान मजदूर जो भूमिहीन है उनके लिए कृषि योग्य भूमि क्रय करने के लिए यह ऋण दिया जाता हैं।

7. कृषकों हेतु कृषि भूमि क्रय करने के लिए ऋण योजना :

राष्ट्रीय बैक के दिनांक 2.8.2001 के पत्रांक एन बी0डीपीडी – एफएस /एच–525/सीएलपी (एफएम)/2001–02 के आधार पर निर्देशक मण्डल द्वारा दिनांक 29.1.2002 की बैठक में उपरोक्त योजना बैंक में लागू किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है योजना की प्रमुख विशेषतायें नियम एवं शर्ते आदि निम्नवत हैं।

1. परिचय

वर्तमान में बैंकों, कृषकों को कृषि विकास हेतु सावधि ऋण तथा उत्पादन के उद्देश्य से अल्पावधि ऋणों के लिए वित्तपोषण प्रदान करती है कृषकों को भूमि के क्रय हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि वह अपनी गतिविधियों को बढ़ा सके ओर चल रही लघु और सीमान्त इकाइयों को आर्थिक रूप से जीव्य बना सके यह योजना, कृष्कों को उनकी वर्तमान गतिविधियों और सहायक कार्यकलापों में समर्थ बनाने के लिए होती है।

2. उद्देश्य

क) लघु एवं सीमान्त कृषकों को आर्थिक रूप से मजबूत/ जीव्य बनाने हेतु

ख) बंजर एवं परती भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु

ग) कृषि उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने हेतु

ध) साझेदार/बटाईदार कृषकों को भूमि क्रय हेतु वित्तपोषित हेतु ताकि वे अपनी आय बढ़ाने में सक्षम हो सके।

3. पात्रता मानदण्ड

क) योजनान्तर्गत क्रय की जाने वाली कृषि भूमि सहित, लघु एवं सीमान्त कृषकों के पास स्वयं की अधिकतम 5.00 एकड असिचित अथवा 2.5 एकड सिंचित भूमि होनी चाहिए।

4. प्रयोजन

योजना का उद्देश्य किसानों को भूमि क्रय करने बंजर परती भूमि का विकास करने तथा कृषि योग्य बनाने हेतु वित्तपोषण प्रदान करना है। बैंक दूसरे सहायक क्रियाकलापों को बढ़ावा अथवा स्थापित करने के लिए भूमि की खरीद हेतु भी वित्तपोषण प्रदान करती है बैंक द्वारा भूमि क्रय हेतु वित्तपोषण पर विचार करने हेतु कृषक से परियोजना प्रस्ताव के समस्त विवरण प्राप्त किये जाते है ।

5. मार्जिन

मार्जिन न्यूनतम 20 प्रतिशत हेाता है अथवा जैसा कि भा0 रि0 बैक द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जायेगा।

6. प्रतिभूति

बैंक ऋण से क्रय की गयी भूमि को बैंक के पक्ष मे बन्धक किया जाता है।

7. व्याजदर

रूपये 25.000.00 तक	12 प्रतिशत
रूपये 25.000.00 से अधिक किन्तु 2.00 लाख तक	13 प्रतिशत
रूपये 2.00 लाख से अधिक किन्तु रू. 5.00 लाख तक	14.5 प्रतिशत

8. ऋृण की मात्रा

ऋण की मात्रा क्रय किये जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल ओर उसके विकास पर आने वाले व्यय पर निर्भर होगी।

9. पुर्नभुगतान अवधि

ऋण पुर्नभुगतान 7–10 वर्षो मे छमाही/ वार्षिक किश्तों में किया जाता है जिसमें अधिकतम 24 माह की स्थगन अवधि भी शामिल होगी।

10. चुकौती क्षमता

ऋण प्रदान करने वाले बैक को स्वयं में संतुष्ट होना चाहिए कि क्रय की जाने वाली भूमि को उत्पादन क्रियाकलापों से उचित मात्रा मे बचत प्राप्त हो और ऋृणग्राही की अन्य आय को जोड़कर बैंक ऋृण की ब्याज सहित निर्धारित समयवधि मे अदायगी सुनिशिचत हो सके और तदनुसार ही पुर्नभुगतान अवधि का निर्धारण किया जायेगा।

किसान क्रेडिट कार्ड का स्थित का विवरण 2004 - 2005

तालिका न0 6.1

सं0	बैंक	उपलब्धि
1.	पंजाव नेशनल बैक	4777
2.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	3420
3.	भारतीय स्टेट बैंक	4236
4.	रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4925
5.	इण्डियन ओवरसीज बैक	180
6.	जिला सहकारी बैक	12727

इस प्रकार यदि हम बैंक वार इनकी उपलब्धि की गणना करें। सभी बैकों की उपलब्धि सन्तोषजनक हैं क्योंकि वर्ष 2004 – 05 में व्यवसायिक बैंकों के द्वारा 16500 किसान क्रेडिट कार्ड के लक्ष्य के सापेक्ष 17538 कार्डो का वितरण किया गया। जिसमे पी0एन0वी0 4777, सेन्ट्रल बैक आफ इण्डियां 3420, एस0वी0आई0 4236, रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैक 4925, आई0ओ0वी0 180, जिला सहकारी बैंक 12727, कार्डो की उपलब्धि रही।
क्योंकि जो कि वर्ष 2004 – 05 में किसान क्रेडिट कार्ड की योजना सफल रही है परन्तु जहां जनपद की कृषि मानसून पर आधारित है तथा आम जनता की आजीविका 81 प्रतिशत भाग कृषक एवं कृषक मजदूर के रूप मे अपनी आजीविका कमाता है वहा उनकी खराब

स्त्रोत :– जिला ऋण योजना, झाँसी

वित्तीय स्थिति का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है ऐसे मे कृषि हेतु उन्नत बीज खाद, सिंचाई सुविधाओं तथा उच्च कृषि तकनीकी का प्रयोग करने हेतु ग्रामीण कृषक को वित्त की निरन्तर आवश्यकता होती है। जिसकी पूति राष्ट्रीयकृत बैंको, क्षेत्रीय गामीण बैंक एवं सहकारी बैंक कर रहे हैं परन्तु फिर भी ग्रामीण अंचलों में साहूकार एवं महाजनों द्वारा बड़े पेमाने पर वित्त उपलब्ध कराया जाता है क्योंकि ग्रामीण कृषक की पहुंच बैंकों की तुलना में साहूककार या महाजन तक आसान है साथ ही उसे किसी कागजी कार्यवाही की पूर्ति नही करनी पड़ती है भले ही उसे ब्याज दर अधिक चुकानी पड़े वह अपनी कृषि वित्त सम्बंधी आवश्यकता की पूर्ति बड़े पैमाने पर आज भी साहूकार एवं महाजनों से कर रहा है तथा उनके आर्थिक शोषण का शिकार हो रहा है ऐसे मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैक के रूप मे रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत एवं सहकारी बैंकों का यह उत्तरदायित्व बनता है कि वह जनपद के प्रत्येक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा तक लाने का निरन्तर प्रयास करे ताकि कृषक उसका उचित सदुपयोग अपनी कृषि को उन्नत बनाने मे कर सकें तथा अपनी कृषक उत्पादकता मे वृद्वि करते हुए अपनी आय वं जीवन स्तर को उन्नत कर सके तथा साथ वह साहूकारों ओर महाजनों के चंगुल से बचा जा सके। अतः आवश्यकता हे कि समस्त बैंक ग्रामीण क्षेत्रों मे क्रेडिटकार्ड के द्वारा धन उपलबध कराने की प्रक्रिया को सरल करते हुए ऋण प्रक्रिया मे लगने वाले अनावश्यक विलम्ब को अविलम्ब दूर करे ताकि कृषक इस सुविधा का अधिकाधिक लाभ उठा सकें।

3. स्व रोजगार व अन्य क्षेत्रो में योगदान के लिए

रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिस प्रकार से कृषि के सम्बन्ध मे किसानों को अनेक प्रकार के ऋण प्रदान करता है तथा कृषि से सम्बंधित अनेक प्रकार की योजनाए चलाकर,झाँसी महोबा, जनपद के लोगों के कार्यो मे सहयोग प्रदान कर रहा है उसी प्रकार रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने रोजगार के क्षेत्र मे भी यहां के निवासियों के लिए अनेक योजनाओ के द्वारा उनकी ऋण सम्बंधी आवश्यकताआ की पूर्ति की है। जैसे व्यवसाय चलाने के लिए शिक्षा

के लिए अनेक मशीनों का खरीदने आदि कि लिए ऋण प्रदान करना है तथा कुछ योजनायें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा चलायी जा रही है जो रोजगार के क्षेत्र में सहायक सिद्व हुयी है। रोजगार से सम्बंधित येाजनायें निम्नलिखित है।

1. **रानीलक्ष्मी बाई स्वराजगिरी क्रेडिटकार्ड योजना**

यह योजना छोटे छोटे व्यवसायियों के लिए है इसमें 25000 तक का क्रेडिट कार्ड बनाया जाता हैं

2. **मर्चेन्ट क्रेडिट स्कीम**

यह सभी प्रकार के व्यापारी वर्गो के लिए होती है इसके ऋण की सीमा 10.00 लाख तक है किन्तु बिक्री का 20 प्रतिशत से अधिक नही हो। इसमे कैश क्रेडिट की सुविधा है और इसका मार्जिन स्टाक वही ऋण की स्थिति पर 20 प्रतिशत है

3. **रानी लक्ष्मी बाई मुबीक लोन स्कीम**

यह स्कीम किसानों के लिए है तथा नौकरी पेशा आय वालो के लिए भी है जिनकी आय 6000 रूपया मासिक हो व वह आयकरदाता हो।

4. **रोड ट्रान्सपोर्ट आपरेटन फॉर वन व्हीकल**

यह एक सामान्य योजना है जिसमे ट्रक , बस जैसे ट्रान्सपोर्ट के लिए ऋण दिया जाता है।

5. **रानी लक्ष्मी बाई एजुकेशन लोन स्कीम**

यह लोन भारतीय नागरिक जिसका प्रवेश परीक्षा/ चयन पद्धति से पेशेवर/तकनीकी पाठयक्रम हेतु हुआ हो जैसे –एम0बी0ए0, एम0बी0बी0एस0 आदि इस श्रेणी मे 4 लाख तक कोई जमानत नही है। इसके ऋण की सीमा ने भारत मे अध्ययन हेतु अधिकतम 7.50 लाख एवं विदेश हेतु अधिकतम 15 लाख तक है। इसके पुर्नभुगतान की अवधि 7 वर्ष है अधिकतम 15.00 लाख तक है इसके की 7 वर्ष है तथा स्थगन अवधि पाठ्यक्रम अवधि के बाद 01 वर्ष या 06 माह

(नौकरी मिलने की स्थिति में) जो पहले होगी। यह राशि सीधे उस संस्था के नाम देय होती है जहां की फीस के लिए ऋण लिया गया हो।

6. रानी लक्ष्मी बाई कम्पयूटर लोन

यह आयकरदाताओ ओर वैतनिक कर्मचारियों को दिया जाता है यह ऋण का 75 प्रतिशत या 50,000.00 या 50,000.00 से कम हो दिया जाता हैं

7. वंर्किग कैपिटल एण्ड टर्मलोन

यह खादी ग्रामोद्योग की योजना है इसमें 4 प्रतिशत ब्याज होता है इसकी मर्जिन मनी विभाग द्वारा दी जाती है और इसमें स्वयं द्वारा 5 प्रतिशत लगाया जाता है और इसकी अधिकतम सीमा 3 लाख रूपये तक है यह उद्योग आदि के लिए ऋण प्रदान करता है। इसमें 20 के लक्ष्यों के सापेक्ष 20 केसो में ऋृण वितरण किया गया । यह कमजोर वर्ग के लोगों के लिए तथा शहरी क्षेत्र के लोगों का समस्त प्रकार के ऋण उपलब्ध कराती है।

8. लघु उद्यमी क्रेडिट योजना

अनुदेश परिपत्र स. 797 दिनांक 24.10.03

1. आच्छादित वर्ग – उद्योग सेवा, व्यवसाय के क्षेत्र मे कार्य करने वाले व्यापारी
2. प्रयोजन – ऋृण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु
3. ऋण की मात्रा – अधिकतम रूपये 2 लाख तक
4. निर्धारण अवधि

क) लघु व्यवसायियो खुदरा व्यापारियों हेतु कर प्रयोजन के लिए घोषित टर्नओवर का 20 प्रतिशत अच्छा रिकार्ड रखने वाली पार्टियों के सम्बंध मे जहां बिक्री का विवरण उपलब्ध नही है ऋण सीमा का निर्धारण पिछले दो वर्षो के दौरान खाते मे वार्षिक टर्नओवर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

ख) पेशेवर एवं स्वनियोजित व्यक्तियो को आयकर विवरणी के अनुसार सकल वार्षिक आय का 50 प्रतिशत ।

(ग) लघु उद्योग इकाइयों को बिक्री का 20 प्रतिशत

5. मार्जिन – 25 प्रतिशत

6. ब्याज दर – 11 प्रतिशत वार्षिक मासिक अवशेषों पर

7. प्रतिभूति – प्राथमिक स्टाक वही ऋृणों एवं अन्य चल सम्पत्तियों पर दृष्टिबंधन प्रभार सम पार्शिविक शत–प्रतिशत जो विपणन योग्य प्रापर्टी पर इक्विटेबल मार्गेज या तरल प्रतिभूतियो अथवा दोनों। खाते को लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड खाते मे परिवतर्तित करते समय वर्तमान प्रतिभूतियों को बनाये रखा जाये। प्रतिभूतियों को छोड़ने का प्रस्ताव तथा नये प्रकरणों पर यह सुविधा प्रदान करने का निर्णय प्रधान कार्यालय स्तर पर ही किया जाता है।

8. प्रलेखन शुरू – रूपये 2 लाख तक रूपये 1000/–

9. स्वीकृतकर्ता अधिकारी – ग्रामीण स्केल रूपये 25000/– स्केल 11 रूपेय 50,000/– जनपद स्केल रूपये 50,000 स्केल 11 रूपये 100,000

10. वैधता तिथि – 03 वर्ष

11. अन्य – ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत आयेगा।

अन्य क्षेत्रों में योगदान।

अब इसी प्रकार अन्य कार्यो के लिए भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैक के अन्तर्गत रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मे योजनायें चलायी गयी जिसका वर्णन निम्न है।

1. स्पेशल कम्पोनेंट प्लान

यह योजना राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित है यह केवल अनुसूचि जाति के लिए है इसमे अधिकतम 10,000 तक का अनुदान दिया जा सकता है। यह गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए है इसमें सभी मदों के लिए ऋण दिया जाता है।

2. ग्रुप एण्ड अदर लोन अण्डर एस0पी0एस0बाई0 या समूह ऋण योजना ।

यह केन्द्र सरकार की योजना है इसमे 10 मद या 10 से अधिक लोगों के समूह को किसी विशेष मद के लिए ऋृण दिया जाता है इसमें अनुदान की सीमा 1 लाख रूपये है यह ऋृण भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन वालो को दिया जाता हैं।

3. ग्रुप लोन अण्डर जनरल स्कीम

इस योजना मे नाबार्ड बैंक द्वारा सहयोग किया जाता है।

4. लोन अगेन्सट एन0एस0सी0/ के0वी0पी0 टर्म लोन

इस योजना के अन्तर्गत किसान विकास पत्र एनएससी पर ऋृण दिया जाता है इसमें सम मूल्य का 75 प्रतिशत ऋण दिया जाता हैं ऋृण देने के पूर्व पोस्ट आफिस से बैक के पक्ष में बंधक करना होता हैं

5. हाउसिंग लोन फार स्टाफ

यह केवल स्टाफ के लिए होता है इसमे अधिकारियों के लिए 7 लाख व कर्मचारियों के लिए 4 लाख तक दिया जाता हैं।

6. एस0वी0ओ0/डी0

यह वैतनिक कर्मचारियो के लिए है जो एक माह के वेतन के बराबर ओवर ड्राफट् की सुविधा देता है व वेतन आने पर समायोजित कर ली जाती है।

7. पर्सनल लोन स्कीम

यह वैतानिक कर्मचारियों के लिए है इसमें वेतन का 15 गुना ऋृण दिया जाता है इसकी अधिकतम सीमा 2 लाख रूपये है यह टर्म लोन है।

8. क्लीन ओवर ड्राफ्ट टू बैंक ड्राफ्ट्

यह भी बैंक कर्मचारयों की सुविधा वाली योजना है जिसकी सीमा रूपये 25000 है।

9. लोन टू परचेज कार एण्ड जीप

यह योजना उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी न्यूनतम आय 6000 मासिक हो। इसमे 25 प्रतिशत मार्जिन होता हैं

10. पब्लिक हाउसिंग लोन

यह योजना मकान निर्माण के लिए होती है यह पब्लिक व बैंक कर्मचारियें के लिए होती है इसके लिए उसे आयकर दाता होना चाहिए।

11. रानी लक्ष्मी बाई बैंक सरल ऋण योजना

यह योजना वैतनिक व्यक्तियों पेशेवर, स्वनियोजित एवं कृषक के लिए होता है किसी भी उद्देश्य के लिए है इसके ऋण की अधिकतम सीमा 10.00 लाख रूपये तक है और इसका मार्जिन वैल्यूऐंशन रिपोर्ट में सम्पत्ति की दर्शित वैल्यू का 50 प्रतिशत है। इसके पुनभुर्गतान की अवधि 60 मासिक किश्तों में है।

12. नाबार्ड लखनऊ के पत्रांक एन बी0 एल के सी पी0डी0 / 179 दिनांक 10.01.2003 के अनुपालन में महिला स्वयं सहायता समूह की समयाओं के लिए रसोई गैस कनेक्शन तथा प्रेशर कुकर हेतु ऋृण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजना लागू करने का निर्देश प्राप्त हुआ।

ग्रामीण क्षेत्रो में महिलाये खाना बनाने के लिए उपले लकड़ी, कोयला के साथ साथ कृषि उत्पाद के अवशिष्ट का प्रयोग करती है । ईधन के इन साधनों से धुँआ उत्पन्न होता है जो कि महिलाओ में आँखों तथा श्वास की बीमारियों का मुख्य कारण है इसके अतिरिक्त ईघन के परम्परागत साधनों से खाना बनाने में समय भी अधिक लगता है तथा ये सीमित है। यह सर्वविदित है कि रसोई गैस खाना बनाने का सबसे आसान साधन है तथा यह सस्ता भी है।

1.	पात्रता	–	केवल स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों के लिए ये है।
2.	प्रयोजन	–	योजना लागत के अनुसार गैस कनेक्शन तथा प्रेशरकुकर

3. ऋृण की राशि–

अ) एक सिलेण्डर के साथ गैस कनेक्शन की योजना लागत 2300.00 रूपये है।

ब) दो सिलेण्डर के साथ गैस कनेक्शन की योजना लागत 3250.00 रूपये है।

4.	अंशधन (मार्जिन मनी)	:	शून्य
5.	सेवा शुल्क / प्रक्रियाधीन शुल्क	:	कोई प्रक्रियाधीन शुल्क आवश्यक नही
6.	ऋृण स्वीकृति अधिकारी	:	शाखा पबंधक की विवेकाधीन सीमा के अन्तर्गत
7.	प्रतिभूति	:	ऋणराशि से सृजित सम्पत्ति का दृष्टिबंधक
8.	सहअनुबंधी	:	कोइ सहअनुबधी आवश्यक नहीं है।
9.	ऋृण निस्तारण	:	सीधे ऋणों को होता है।
10.	ब्याज दर	:	10 प्रतिशत वार्षिक (अर्द्धवार्षिक देय)
11.	पुनर्भुगतान	:	अधिकतम 36 समान मासिक किश्तों मे

अ) योजना लागत 2300/ हेतु रूपये 080/

ब) योजना लागत 3250/– हेतु रूपये 110/

12.	सुप्तावधि	:	प्रथम किश्त ऋृण निस्तारण के एक माह पश्चात देय होगी
13	ऋृण दस्तावेज	:	पी–1, एमसी0आर – 6 एंव ऋण अनुबंध पत्र

गौण कार्य

प्राथमिक या मुख्य कार्य	एजेन्सी सेवाएं	सामान्य उपयोगिता के कार्य	समाजिक कार्य या आर्थिक कार्य
1. जमा स्वीकार करना	1. साख पत्रों के भुगतान का संग्रह	1. बहुमूल्य धातुओं की रक्षा	1. पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि
क. चालू खाता	2.. ग्राहकों की ओर से भुगतान	2. साख प्रमाण पत्रों को प्रदान करना	2. कोषों के हस्तान्तरण की सुविधा
ख. स्थायी निक्षेप	3. भुगतान संग्रह करना	3. वस्तुओं के वाहन में सहायता	3. विनियोग एवं अर्थ प्रबन्ध
ग बचत खाता	4. धन का स्थानान्तरण	4. व्यापारिक सूचना व आंकड़े एकत्रित	4. पूंजी निर्माण को प्रोत्सहान
घ गृह बचत खाता	5. ट्रस्ट आदि का कार्य	5. ऋण का अभिगोपन करना	5. विभिन्न क्षेत्रों में कोषों का वितरण
2. ऋण प्रदान करना		6. विदेशी विनिमय का लेन देन करना	6. रोजगार में वृद्धि
क. नकद साख		7. आर्थिक परिस्थिति की जानकारी देना	7. भुगतान करने में सुविधा
ख. अधिविकष्र या ओवर ड्राफट			8. मुद्रा प्राणाली में लोच
3. ऋण तथा अग्रिम			9 अन्य सामाजिक कार्य
4. सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग			
5. विनिमय पत्रों की कटौती करना			
6. साख निर्माण			

तालिका नं0 – 6.2

मार्च २००५ के अन्तर्गत तुलनात्मक सफलतायें

क्र0 सं0	बैंक का नाम	कृषि उपलब्धि				लघु औद्योगिक इकाई उपलब्धियां			रोजगार व अन्य उपलब्धियां			कुल उपलब्धियां		
		मार्च–04	मार्च–2005	विचलन	प्रतिशत	मार्च–04	मार्च–05	विचलन	मार्च–04	मार्च–05	विचलन	मार्च–04	मार्च–05	विचलन
1.	पी0एन0बी0	225690	346920	+121230	154%	55030	55134	104	131	10	9	438220	559676	121456
2.	स्टेट बैंक	190712	261928	+71216	137%	23251	14778	8473	48	48	-0	330173	416362	86189
3.	आई0ओ0वी0	2640	3925	+1285	149%	1600	130	570	-	-	-	15620	9941	+5679
4.	आर0आर0बी0	72370	162533	90163	225%	1500	1414	8	175	135	40	9500	8691	809
5.	डी0सी0बी0	176800	179793	2993	102	–	–	–	–	–	–	176800	180873	4073
	योग	668212	955099	286887		81381	72356	9233	354	323	49	970313	1175543	218206

स्त्रोत :– रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन

विविध क्षेत्रों में सफलताओं का तुलनात्मक अध्ययन तालिकाओं से झाँसी जनपद मे कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैकों, रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंकों की कृषि लघु उद्योग एवं सेवा क्षत्रों में उलब्धियों का अवलोकन करें तो पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2004–05 में 2003–04 की तुलना में कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत सर्वाधिक उपलब्धि रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की रही है। जबकि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की इसी अवधि के दौरान उपलब्धि मात्र 47.5 प्रतिशत रही। पी0एन0बी0,आई0ओ0बी0,ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामर्स, एवं जिला सहकारी बैंक, की उक्त अवधि के दौरान उपलब्धि प्रतिशत क्रमश 63.9 प्रति 106.5 प्रति0 38.1 प्रति तथा 43.9 प्रतिशत रहा है। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि कृषि के क्षेत्र में रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका निरन्तर बढ़ रही हैं तथा कृषि क्षेत्र के लिए आवेदन करने वालों का प्रतिशत गत दो वित्तीय वर्षो में रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सर्वाधिक रहा हैं लेकिन जहां तक एक निशिचत वर्ष मे समग्र आवेदकों का सवाल है वहां जनपद मे पी0एन0वी0 बैंक वित्तीय वर्ष 2004–05 में 346920 आवेदकों के साथ कृषि क्षेत्र मे प्रथम स्थान पर स्टेट बैंक 261928 आवेदको के साथ द्वितीय स्थान पर तथा रानीलक्ष्मी बाई क्षेत्री ग्रामीण बैंक ने इसी अवधि में 162533 आवेदको के साथ तृतीय स्थान पर है इस प्रकार रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रमीण बैंक जनपद में स्थित 2 बैंकों से आगे है एवं 2 बैंको से पीछे चल रहा है अतः जहां जनपद की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है वहा रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैक को अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाना चाहिए ताकि जनपद मे कृषि का त्वरित गति से विकास हो सके।

इसी प्रकार हम लद्यु औद्योगिक इकाई की सफलताओं का तुलनात्मक अध्ययन करे तो राष्ट्रीकृत बैंकों, क्षेत्रीय बैंको जिला सहकारी बैंकों व लघु उद्योग सेवा क्षेत्रों मे वर्ष 2004–05 में 2003–04 से तुलना करने पर पता चलता है कि यह उपलब्धि क्रमशः 17.4 प्रतिशत 57.5 प्रतिशत 1650 प्रतिशत थी।

इसके सम्बन्ध मे किसी भी बैक कि स्थिति अच्छी नही रही हैं केवल ग्रामीण बैंकों मे इसकी उपलब्धि 165 प्रतिशत है। रोजगार व अन्य क्षेत्र की सफलताओं के विषय मे अध्ययन करने पर पता चलता है कि पी0एन0बी0 बैंक का कुछ प्रतिशत भाग हानि में चल रहा है स्टेट बैंक का 11.1 प्रतिशत भाग व आइ0ओ0बी0 का 28 प्रतिशत व ओ0वी0 सी सभी की उपलब्धि हानि पर चल रही है रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने रोजगार व अन्य सेवाओं के अन्तर्गत केवल 5 प्रतिशत की उपलब्धि अर्जित की है इसके समकक्ष ग्रामीण विकास बैंक ने 104 प्रतिशत की वृद्धि अर्जित की है रोजगार के क्षेत्र मे रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का दूसरा स्थान है। जबकि पहला स्थान ग्रामीण विकास बैंक का है रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रमीण बैक को इस क्षेत्र मे अभी ओर अधिक प्रयास करने की आवश्यकता हैं।

तालिका न0 6.3

झासी जनपद की वार्षिक कार्य योजना के अन्तर्गत बैंकवार निष्पादन वर्ष ३१.०३.०५

(राशि लाखों में)

क्र0 सं0	बैंक का नाम	कुल कृषि उपलब्धि			लघु औद्योगं			सेवा व्यवसायं			कुल उपलब्धियां		
		लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रति0	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रति0	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रति0	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रति0
1.	पी0एन0बी0	225690	346920	154	55030	55134	100	157500	17622	100	438220	559676	128
2.	स्टेट बैंक	190712	261928	137	23251	14778	64	116210	139656	120	330113	416362	126
3.	सैन्ट्रल बैंक	89040	90323	101	20690	8931	43	85530	81498	95	195260	180752	93
4.	अ0ओ0वी0	0	0	-	1550	500	32	10250	5814	57	11800	6314	54
5.	क्षे0 ग्रामीण बैंक	72370	162533	225	1500	1414	94	16810	11049	66	90680	174996	193
6.	जिला सहकारी बैंक	176800	179793	102	0				1080		176800	180873	102
7.	भूमि विकास बैंक	80880	50519	62	2748	2060	75	1850	4123	223	85478	56702	66
	योग	8335492	1032016	781	104769	82817	408	388150	440842	661	1328411	1575675	762

बैंक की वार्षिक कार्य योजना का मूल्यांकन करने पर तथा अन्य बैंकों से तुलना करने पर यह परिलक्षित होता है कि रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने कृषि क्षेत्र मे लक्ष्यों के सापेक्ष 225 प्रतिशत 46 प्रतिशत की वृद्धि की है जबकि औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि 94 प्रतिशत सेवा क्षेत्र में 66 प्रतिशत तथा समेकित रूप से 193 प्रतिशत है इस सन्दर्भ मे जनपद में स्थित रानी लक्ष्मी बाई बैंक की अन्य बैंकों से तुलना करने पर यह प्रकट होता है। कि भारतीय स्टेट बैंक की शाखा ने कृषि एवं सेवा क्षेत्र मे सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है जो कि क्रमशः 137 प्रतिशत एवं 120 प्रतिशत है तथा समेकित रूप से यह वृद्धि 126 प्रतिशत है ओ0बी0सी बैंक ने वृद्धि अर्जित की है समग्र रूप से देखा जाये तो रानी लक्ष्मी बाई ग्रामणी बैंक की कार्यक्षमता अध्ययन अवधि के दौरान काफी प्रभावशाली रही है।

तालिका न0 6.4

गठित स्वयं सहायता समूह की स्थिती वर्ष (2004 – 2005)

प्रथम ग्रेडिं में सफल समूहों की सं0 जिन्हें डी0आर0डी0ए0 द्वारा रिवाल्विंग फंड की धन–राशि	समूह की संख्या जिन्हें बैंक द्वारा नकद साख सीमा स्वीकृत कर दी गयी	द्वितीय ग्रेडिंग सफल समूहों की सख्या	समूहां की संख्या जिन्हें मुख्य क्रिया कलाप हेतु ऋृण दे दिया गया है।
पी0एन0बी0 – 216	161	85	57
सी0बी0 आई – 68	75	25	16
एस0बी0आई – 116	74	34	18
आर0आर0बी0 – 221	147	80	52
आई0 ओ0 बी0 – 1	0	0	0
डी0सी0बी0 – 37	16	13	10
योग 656	473	237	153

स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत समूहों को ऋृण स्थिति की तालिका का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि झाँसी जनपद में समूह गठित करने के लक्ष्य सर्वाधिक रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो कि जनपद मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में कार्यरत है जिनकी संख्या 221 थी जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2004 – 05 में 147 समूह गठित कये गयें। जिनमें सफल समूहों की संख्या 80 रही। और 52 को समूह ऋण दे दिया गया है या वितरित किया गया । क्षेत्रीय ग्रामीण बैक का यह कार्य जनपद मे स्थित अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक की तुलना में काफी सफल रहा है पी0एन0बी0 को छोड़कर जो कि इस क्षेत्र ग्रामीण बैंक का प्रर्वतक बैंक भी है।

इस प्रकार रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक झॉसी जनपद में अपनी महत्वपूण भूमिका का निर्वाहन कर रहा है लेकन जनपद के क्षेत्रफल जनसंख्या एव उसके पिछढ़ेपन को देखते हुयें यह लक्ष्य पर्याप्त नही हैं जिसे उत्तरोत्तर बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि जनपद के ग्रामीण अंचल में व्याप्त निर्धनता का उन्मूलन कर क्षेत्र का समग्र विकास किया जा सके। रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैक द्वारा जनपद के समग्र विकास के लिए अनेकानेक योजनायें चलाई जा रही है जिससे कई योजनायें जनपद के सर्वागीण विकास मे मील का पत्थर साबित हुयी है बैक द्वारा प्राथमिक क्षेत्र गैर प्राथमिक क्षेत्र लक्ष्य समूह गैर लक्ष्य समूह अनुसूचित जाति जनजातियों को विशेष कम्पोनेंट प्लान के तहत अल्पसंख्यक को लघु कृषकों एवं सीमान्त कृषकों एंव सीमान्त कृषकों एवं कृषि कार्य में संलग्न श्रमिकों समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, स्वर्णजयन्ती रोजगार योजना एवं केन्द्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनेक योजनाओ की क्रियान्विती क्षेत्रीय ग्रामीण बैक द्वारा की जा रही है अतः उक्त समस्त योजनाओ की प्रवाहकारिता का मूल्याकंन किया जाना नितान्त आवश्यक एवं वांछनीय है ताकि यह पता लगाया जा सके।

कि उक्त योजनाये अपने निर्धारित लक्ष्यो को पूरा करने मे कहां तक सफल सिद्व हुयी हैं प्रस्तुत शोध कार्य में उक्त समस्त योजनाओं की प्रवाहकारिता के मूल्यांकन का प्रयास किया गया है जिससे समग्र रूप मे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है सैद्धान्तिक रूप से उक्त समस्त योजनाये काफी प्रभावशाली है बशर्ते कि उनकी क्रियान्विती पूर्ण निष्ठा ईमानदारी एवं समर्पण की भावना से की जाये।

किसान क्रेडिट कार्ड

जनपद मे कुल 16500 के लक्ष्यो के सापेक्ष 31.01.05 तक 17538 कार्ड जारी किये गये।

स्पेशल कम्पोनेंनेट प्लान

यथा 31.01.05 तक बैंकों द्वारा 830 स्वीकृति केसों मे से 464 केसों मे ऋण प्रदान किया गया

खादी ग्राम उद्योग ब्याज उपादन योजना

20 के लक्ष्यों के सापेक्ष 20 केसों मे ऋृण वितरण किया गया।

के0बी0आई0सी0 मार्जिन मनी योजना

07 के लक्ष्यों के सापेक्ष 5 केसों मे स्वीकृति एवं वितरण किया गया।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (समूह)

यथा 31.01.05 तक जनपद में 153 समूहों को ऋण उपलब्ध कराया गया चालूवर्ष 221 समूहों में प्रथम ग्रोडिंग 147 समूहों मे सी0सी0एल0 एवं 80 समूहों में द्वितीय ग्रेडिंग की गयी। लाभार्थियों को ऋृण वितरण किया गया।

बैंक की योजनाओं के अन्तर्गत ब्याज दर — ब्याज दर

1. रानी लक्ष्मी बाई किसान क्रेडिट कार्ड योजना
   50,000 रूपये तक के लिये — 9.00 प्रतिशत
   50.001 से 2,00,000 तक — 12.00 प्रतिशत

2. रानी लक्ष्मी बाई किसान समृद्वि योजना
   50.000 तक .... 9.00 प्रतिशत
   50,001 से 2,00,000 तक .... 10.00 प्रतिशत
   2,00,000 से 5,00,000 तक .... 11.00 प्रतिशत

3. स्कीम फोरट्रेप वीह0 फॉर फारमर्स
   किसानो के लिए चार पहिया वाहन ऋृण योजना
   25,000 तक — 11.50 प्रतिशत
   25,001 से 2,00,000 तक — 11.50 प्रतिशत
   2,00,001 से 5,00,000 तक — 11.50 प्रतिशत

4. एग्रीकल्चर इम्पलीमेन्टस कृषि औजार
   ट्रेक्टर 25,000 — 11.50 प्रतिशत
   25,001 से 2,00,000 तक — 11.50 प्रतिशत
   2,00,001 से 10,00,000 तक — 11.50 प्रतिशत

5. लैण्ड परचेज स्कीम फार फारमर्स
   25,000 — 12.50 प्रतिशत
   25,001 से 2,00,000 तक — 13.50 प्रतिशत
   200,001 से 5,00,000 तक — 14.50 प्रतिशत

6. एलीड एग्रीकल्चर एण्ड ऐजी0 टर्मलोन
   25,000 — 11.50 प्रतिशत
   25,001 से 2,00,000 — 11.50 प्रतिशत
   2,00,001 से 10,00,000 — 12.50 प्रतिशत

7. रूल हावर्स कम स्व. स्कीम
   25.000 तक — 12.50 प्रतिशत
   25,001 से 30,000 तक — 13.00 प्रतिशत

8.	स्पेशन कम्पोनेंट प्लान	11.50 प्रतिशत
	50,000 तक	
9.	ग्रुप एण्ड अदर लोन अण्डर एस0जी0एस0वाई0	
	समूह एवं अन्य ऋृण योजना	
	50,000	9.00 प्रतिशत
	50,001 से 5,00,000	12.50 प्रतिशत
10.	ग्रुप लोन अण्डर जनरल स्कीम	
	50,000	9.00 प्रतिशत
	50,001 से 5,00,000 तक	12.50 प्रतिशत
11.	समूह सहेली रसोई गैस योजना	9.00 प्रतिशत
12.	रानी लक्ष्मी बाई स्वराजगिरी क्रेडिट कार्ड	9.00 प्रतिशत
	25,000	
13.	रानी लक्ष्मी बाई सरल लोन स्कीम	11.50 प्रतिशत
14.	मर्चेन्ट क्रेडिट स्कीम	
	25,00	11.50 प्रतिशत
	25,001 से 2,00,000 तक	13.00 प्रतिशत
	2,00,001 से 5,00,000	15.50 प्रतिशत
	5,00,001 से 5,00,0000	16.00 प्रतिशत
15.	लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड	11.50 प्रतिशत
16.	रानी लक्ष्मी बाई मुबीक लोन स्कीम	11.00 प्रतिशत
17.	लोन अगेन्सट रेन्ट किराये के सापेक्ष	14.00 प्रतिशत
18.	वर्किग कैपिटल एण्ड टर्म लोन	
	कार्यशील पूंजी एवं अवधि ऋृण	
	25,000	11.50 प्रतिशत
	25,001 से 2,00,000	11.50 प्रतिशत
	2,00,001 से 5,00,000	12.50 प्रतिशत
	5,00,000 से अधिक 10,00,000	12.50 प्रतिशत
	10,00,000 से अधिक	13.00 प्रतिशत
19.	रोड ट्रान्सपोर्ट आपरेटर फार वन ब्हील	
	25,000	11.50 प्रतिशत
	25,001 से 2,00,000	11.50 प्रतिशत

19.	2.00.000 से अधिक	12.50 प्रतिशत
	1 से 10 लाख तक व 2 लाख से अधिक अधिक	13.50 प्रतिशत
20.	लोन अगेन्सट एन0एस0सी / के0वी0पी0	
	टर्मलोन	12.50 प्रतिशत
	ओ / डी लिमिट	12.50 प्रतिशत
21.	लोन अगेन्सट एन0एस0सी0 / के0वी0पी0	
	स्टाफ टर्मलोन	10.00 प्रतिशत
	ओ0 / डी0लिमिट	11.50 प्रतिशत
22.	हाउसिंग लोन फार स्टाफ	
	10,000	5.00 प्रतिशत
	5,00,000 तक	10.00 प्रतिशत
	6,00,000 तक	11.00 प्रतिशत
23.	एस0बी0ओ0 / डी0	
	10,000	16.00 प्रतिशत
24	पर्सनल लोन स्कीम	
	2,00,000	12.00 प्रतिशत
25	रानी लक्ष्मी बाई एजुकेशन लोन स्कीम	
	4,00,000	11.50 प्रतिशत
	4,00,000 से अधिक	12.50 प्रतिशत
26	रानी लक्ष्मी बाई कम्प्यूटर लोन स्कीम	15.00 प्रतिशत
27	क्लीन ओवर ड्राफ्ट टू बैंक स्टाफ	10.50 प्रतिशत
28	लोन टू परचेज कार	
	5,00,000	10.00 प्रतिशत
29	पब्लिक हाउसिंग लोन स्कीम	
	10,00,000 से अधिक 5 सालों के लिए	8.25 प्रतिशत
	10 लाख से अधिक 5 से 10 सालों के लिए	8.75 प्रतिशत
	10 लाख से अधिक 10 से 15 सालों के लिए	8.75 प्रतिशत
	10 लाख से अधिक 15 से 20 सालों तक	9.25 प्रतिशत

तालिका 6.5

विशेष अंशदान योजना :— (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान प्रगति यथा 31.05.05 तक)

क्र0 सं0	बैंक का नाम	2002 – 2003			2003 – 2004			2004 – 2005		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1.	पी0एन0बी0	560	278	50	191	191	100	405	272	67
2.	एस0बी0आई0	490	271	55	228	228	100	335	298	89
3.	ओ0बी0सी0	25	1	4	22	22	100	25	24	96
4.	आई0ओ0वी0	40	26	65	19	19	100	35	26	74
5.	इलाहाबाद बैंक	40	2	5	1	1	100	40		
6	आर0आर0बी0	325	172	53	70	70	100	280	138	49
	योग	1480	750	232	531	531	600	1120	758	375

स्रोत : उर्पयुक्त बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट।

वर्ष 2002 – 2003 से वर्ष 2004 – 2005 निरन्तर बैंकों की उपलब्धियां दिखायी गयी है।

वर्ष 2004 – 2005 में पी0 एन0 बी0 की 405 का लक्ष्य रखा गया था जिसमें 272 की उपलब्धि रही। और इसी प्रकार एस0बी0आई0 335 का लक्ष्य था उपलब्धि 298 की रही। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का लक्ष्य 280 का था 138 की उपलब्धि रही जो कि 49 प्रतिशत रही।

यह योजना सबसे अधिक रानी लक्ष्मी बाई बैंक द्वारा चलायी गयी।

तालिका 6.6

खादी ग्रामोद्योग ब्याज उपादन योजना यथा – 31.03.05 (राशि लाखों मे)

क्र0 सं0	बैंक का नाम	लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्रों	स्वीकृत आवेदन–पत्र		वितरित आवेदन पत्र		लम्बित वास्ते		
				संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	स्वीकृत	वितरण	निरस्त वापस
1	पी0एन0बी0	10	20	10	15.15	10	15.15	0	0	10
2	भारतीय स्टेट बैंक	6	8	7	11.35	6	7.35	0	1	1
3	बैंक आफ बड़ौदा	1	2	1	1.00	1	1.00	0	0	1
4	ओ0बी0सी0	1	1	1	1.00	1	1.00	0	0	0
5	सी0जी0बी0	2	2	0	0.00	0	0.00	2	0	0
6	डि0को0 बैंक	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0
7.	उ0प्र0ग्रा0 विकास बैंक	0	4	4	6.20	4	6.20	0	0	0
	योग	20	37	23	34.70	22	30.70	2	1	12

स्रोत अग्रणी बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट।

उपर्युक्त सारिणी मे खादी ग्राम उद्योग योजना के अन्तर्गत रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैक का विभिन्न बैंकों के साथ विश्लेषण किया गया हैं पी0एन0वी0 बैंक ने 10 का लक्ष्य रखा जिसमे 20 आवेदन पत्र प्राप्त हुए और 10 स्वीकृत होने पर रूपये 15.15 लाख की धनराशि प्राप्त हुयी इसमें एक भी पेंडिग नही रहा। भारतीय स्टेट बैंक में 6 के लक्ष्य के सापेक्ष 8 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिसमें 7 आवेदन स्वीकृत किये गये जिसमे 6 वितरित करने पर 7.35 लाख रूपये की धनराशि प्राप्त हुयी यानि 1 आवेदन पत्र को निरस्त करना पड़ा। यह स्थिति बैंक ऑफ बड़ौदा की भी रही जिसमे 1 आवेदन पत्र को निरस्त करना पड़ा ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स में 1 के लक्ष्य पर 1 आवेदन आया रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मे 2 के सापेक्ष 2 आवेदन पत्र स्वीकृत नहीं किया गया और दोनों ही आवेदन पत्र पेन्डिंग पड़े रहे। डिस्ट्रिक को–आपरेटिव बैंक मे कोई लक्ष्य नही था उ0प्र0 ग्रामीण बैंक में भी एक भी लक्ष्य नहीं रखा गया।

तालिका 6.7

खादी ग्रामोद्योग ब्याज उपादन योजना यथा – 31.03.05 (राशि लाखों मे)

क्र0 सं0	बैंक का नाम	लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्रा	स्वीकृत आवेदन–पत्र संख्या	धनराशि	वितरित आवेदन पत्र संख्या	धनराशि	लम्बित वास्ते स्वीकृत	वितरण	निरस्त वापस
1.	पी0एन0बी0	3	7	2	2-80	2	2.80	0	0	5
2	भारतीय स्टेट बैंक	3	3	3	4.75	3	4.75	0	0	0
3	बैंक आफ बड़ौदा	1	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0
4	ओ0बी0सी0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0
5	सी0जी0बी0	0	5	2	2.50	2	2.50	0	0	3
6.	डि0को0 बैक	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0
7	उ0प्र0ग्रा0 विकास बैक	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0
	योग	7	15	7	10.05	7	10.05	0	0	8

स्त्रोत : उर्पयुक्त बैको की वार्षिक रिपोर्ट।

खादी ग्रामोद्योग की मार्जिन मनी योजना के अन्तर्गत पी0एन0वी0 बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा में क्रमशः 3.31 का लक्ष्य रखा गया जिसमें 3 पद 7 आवेदन आये और दूसरे में 3 के सापेक्ष 3 और बैंक आफ बड़ोदा में 1 पर कोई आवेदन पत्र नहीं आया। उपर्युक्त बैंकों की स्वीकृत धनराशि 2.80 , 4.75 व शून्य थी। पी0एन0वी0 बैंक के 5 आवेदन पत्र आये और रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में शून्य के लक्ष्य पर 5 आवेदन आये चूकिं इस योजना ने रानी लक्ष्मीबाई ग्रामीण बैंक मे कोई भी लक्ष्य निर्धारित नही किया परन्तु इसके लिए 5 आवेदन पत्र प्रेषित किये गये जिसमे दो आवेदन पत्रों को स्वीकृत करते हुए 3 को निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार यह योजना रानी लक्ष्मी बाई ग्रामीण बैंक में नवीन रूप से प्रारम्भ हुयी। अतः भविष्य में बैंक को अपने लक्ष्य निर्धारित करते समय इस योजना को भी अपने लक्ष्य मे शामिल करना चाहिए।

सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं की प्रवाहकारिता का मूल्यांकन अग्रलिखित सारिणियों द्वारा स्पष्ट किया गया है।

तालिका न0 6.8 (रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)

जनपद :— झाँसी

मांग, वसूली, एवं बकाया की स्थिति यथा जून 2003 (राशि लाखों मे)

क्र0सं0	सेक्टर कोड	क्रियाकलाप	मांग अतिदेय		चालू मांग		योग		वसूली		अतिदेय		अतदेय खाता वसूली प्रतिशत
			खाता	राशि	खाता	राशि	खाता	राशि	खाता	राशि	खाता	राशि	
1.	ए	अल्प सिंचाई	806	32.99	1242	55.65	1584	88.64	931	43.76	879	44.8	49.37
2.	सी	कृषि मशीनीकरण	58	11.26	85	22.54	94	33.80	60	18.10	52	15.70	53.55
3.	ई	पशुपालन / दुग्ध विकास	478	22.62	460	14.44	653	37.06	276	9.84	484	27.22	26.55
4.	एफ	पशुपालन / मुर्गीपालन	11	0.34	6	0.22	15	0.56	10	0.37	7	0.19	66.07
5.	जी	पशुपालन / अन्य	458	21.94	465	19.00	658	40.94	308	12.09	476	28.85	29.53
6.	एच	मत्सय पालन	4	0.24	4	0.22	8	0.46	3	0.17	6	0.29	36.96
7.	के	अन्य कृषि श्रृण	190	8.80	173	6.16	257	14.96	130	5.56	162	9.40	37.17
8.	एल	अकृषि क्षेत्र / लघु उद्योग	257	20.41	198	7.53	332	27.94	132	4.87	238	23.07	17.43
9.	एम	अकृषि क्षे0 अन्य प्राथमिकता क्षे0	560	28.91	469	18.07	717	46.98	321	13.62	504	33.36	28.99
10.	एन	फसली श्रृण	584	109.24	2605	749.53	2964	858.77	2324	672.10	773	186.67	78.26
		महायोग	3406	256.75	577	893.36	7282	1150.11	4495	780.48	3581	369.63	67.86
1	2 से 6	संग्राविका / एसजीएसवाई	1747	79.41	1885	56.26	2488	135.67	1334	49.65	1559	86.02	36.60
2	12	स्पेशल कम्पोनेंट	487	20.61	584	21.42	780	42.03	343	15.16	517	26.87	36.07
3	13	एससी / एसटी	755	32.44	907	31.61	1333	64.05	587	22.74	910	43.31	35.50
4	14	महिलायें	171	7.99	171	7.68	255	15.67	176	7.03	214	8.64	44.86
5.	16	अल्पससंख्याक	43	1.94	52	3.00	81	4.94	43	1.47	47	3.47	29.76
6.		अल्प सिंचाई	555	23.37	885	35.68	1093	59.05	691	30.07	602	28.98	50.92
7.		अकृषि / सीसी लिमिट	29	2.13	158	38.04	171	40.17	134	32.96	47	7.21	82.05
8.		अन्य सामान्य कृषि ऋण	238	27.09	783	243.85	1079	270.94	706	194.82	408	76.12	71.91
		ट्रैक्टर अल्प सिंचाई एवं सीसीएल खाते	0	0.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
9		अकृषि श्रृण सामान्य	3	8.62	2	0.15	4	8.77	3	0.21	1	8.56	2.39
10		ट्रेक्टर	24	9.30	42	19089	48	29.19	36	15.22	24	13.97	52.14
11		सडक परिवहन सामान्य	3	1.48	3	0.29	5	1.77	2	0.28	3	1.49	15.82
		महायोग	4055	214.38	5472	457.87	7337	672.25	4055	369.61	4332	302.64	54.98

स्रोत रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

तालिका 6.9

जनपद :– झाँसी   रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैक मांग ,वसूली एवं बकाया की स्थिति यथा जून 2004 (राशि लाखों मे)

क्र0सं0	सेक्टर कोड	क्रियाकलाप	मांग	अतिदेय	चालू	मांग	योग		वसूली		अतिदेय		वसूली प्रतिशत
			खाता	राशि	खाता	राशि	खाता	राशि	खाता	राशि	खाता	राशि	
1.	ए	अल्प सिंचाई	1015	44.81	1119	64.61	1615	109.42	1066	64.94	899	44.48	59.35
2.	सी	कृषि मशीनीकरण	53	15.71	66	19.39	75	35.10	58	19.88	45	15.22	56.64
3.	ई	पशुपालन / दुग्ध विकास	537	29.52	544	18.23	730	47.75	302	14.69	514	33.06	30.76
4.	एफ	पशुपालन / मुर्गीपालन	13	0.43	12	0.39	20	0.82	4	0.29	12	0.53	35.37
5.	जी	पशुपालन / अन्य	479	26.91	351	13.10	552	40.01	251	12.33	381	27.68	30.82
6.	एच	मत्सय पालन	5	0.23	5	0.34	12	0.57	3	0.18	5	0.39	31.58
7.	के	अन्य कृषि श्रृण	161	8.86	146	4.71	234	13.57	103	5.53	128	8.04	40.75
8.	एल	अकृषि क्षेत्र / लघु उद्योग	244	22.99	164	5.10	324	28.09	129	11.16	210	16.93	39.73
9.	एम	अकृषि क्षे0 अन्य प्राथमिकता क्षे0	518	34.32	449	15.65	867	49.97	239	13.94	455	36.03	27.90
10.	एन	फसली श्रृण	982	195.87	4023	1040.14	3978	1236.01	3679	987.77	992	248.24	79.92
		महायोग	4007	379.65	6879	1181.66	8407	1561.31	5834		3641	430.60	72.42
1	2 से 6	संग्राविका / एसजीएसवाई	1499	90.13	1312	44.77	1934	134.90	986	54.26	1374	80.64	40.22
2	12	स्पेशल कम्पोनेंट	541	28.61	471	20.11	788	48.72	381	16.35	520	32.37	33.56
3	13	एससी / एसटी	1070	62.06	891	66.24	1519	128.30	829	65.48	964	62.82	51.04
4	14	महिलायें	372	21.86	373	17.65	563	39.51	288	18.71	364	20.80	47.36
5.	16	अल्पसंख्यक	132	8.31	97	4.29	179	12.61	81	4.68	125	7.93	37.12
6.		अल्प सिंचाई	803	34.43	987	51.54	1228	85.97	790	52.04	656	33.93	60.53
7.		अकृषि / सीसी लिमिट	12	0.48	135	33.64	145	34.12	116	29.50	29	4.62	86.42
8.		अन्य सामान्य कृषि ऋण	266	43.79	943	250.04	1068	293.83	845	229.87	322	63.96	78.23
		ट्रैक्टर अल्प सिंचाई एवं सीसीएल खातें	106	13.28	765	221.39	547	234.67	689	201.47	152	33.20	85.85
9		अकृषि श्रृण सामान्स	1	8.56	0	1.00	1	9.56	1	5.65	1	3.91	59.10
10		ट्रेक्टर	18	11.44	31	14.44	31	25.88	27	14.72	18	11.16	56.88
11		सड़क परिवहन सामान्य	2	0.17	1	0.20	3	0.37	1	0.20	2	0.17	54.05
		महायोग	4822	323.13	6007	725.31	8006	1048.44	5034	692.93	4528	355.50	66.09

स्त्रोत रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैक

तालिका 6.10

जनपद :– झाँसी

मांग, बसूली एवं बकाया की स्थिति यथा जून 2005

(राशि लाखों मे)

क्र0सं0	सेक्टर कोड	क्रियाकलाप	मांग	अतिदेय	चालू	मांग	योग		वसूली		अतिदेय		वसूली प्रतिशत
			खाता	राशि	खाता	राशि	खाता	राशि	खाता	राशि	खाता	राशि	
1.	ए	अल्प सिंचाई	871	47.51	1335	74.64	1537	122.15	1014	79.66	696	42.49	65.21
2.	सी	कृषि मशीनीकरण	47	16.36	86	31.50	90	47.86	74	34.05	50	13.81	71.15
3.	ई	पशुपालन / दुग्ध विकास	505	33.25	375	25.29	668	58.54	332	25.27	419	33.27	43.17
4.	एफ	पशुपालन / मुर्गीपालन	6	0.17	4	0.08	6	0.25	3	0.14	3	0.11	56.00
5.	जी	पशुपालन / अन्य	433	33.76	320	22.09	577	55.85	295	22.64	402	33.21	40.54
6.	एच	मत्सय पालन	7	0.50	60	4.06	64	4.56	51	3.48	19	1.08	76.32
7.	के	अन्य कृषि ऋण	122	7.43	92	4.36	162	11.79	74	5.65	100	6.14	47.92
8.	एल	अकृषि क्षेत्र / लघु उद्योग	221	17.83	95	6.49	245	24.32	126	12.98	149	11.34	53.37
9.	एम	अकृषि क्षे0 अन्य प्राथमिकता क्षे0	776	76.01	444	155.60	961	231.61	628	195.79	467	35.82	84.53
10.	एन	फसली ऋण	998	243.43	5125	1367.56	5613	1610.99	4668	1312.86	1171	298.13	81.49
		महायोग	3986	476.25	7936	1691.67	9923	2167.92	7265	1692.52	3476	475.40	78.07
1	2 से 6	संग्राविका / एसजीएसवाई	1418	89.69	1000	55.26	1875	144.95	891	57.26	1202	87.69	39.50
2	12	स्पेशल कम्पोनेंट	445	27.45	346	15.09	589	42.54	315	16.62	376	25.92	39.07
3	13	एससी / एसटी	915	53.02	639	39.19	1222	92.21	622	35.71	867	56.50	38.73
4	14	महिलायें	296	17.32	305	23.32	477	40964	260	21.71	295	18.93	53.42
5.	16	अल्पससंख्याक	117	7.79	115	9.78	178	17.57	91	9.85	116	7.72	56.05
6.		अल्प सिंचाई	515	27.27	878	48.75	1001	76.02	650	48.30	487	27.72	63.54
7.		अकृषि / सीसी लिमिट	136	36.99	584	156.53	622	193.52	539	153.68	139	39.84	79.41
8.		अन्य सामान्य कृषि ऋण	167	20.89	821	196.54	930	217.43	728	185.26	233	32.17	85.20
		ट्रैक्टर अल्प सिंचाई एवं सीसीएल खातें	90	20.81	392	93.42	394	114.23	337	92.20	93	22.03	80.71
9		अकृषि ऋण सामान्य	11	2.68	385	110.33	393	113.01	329	107.45	22	5.56	95.05
10		ट्रेक्टर	18	11.11	45	24.05	47	35.16	39	22.93	19	12.23	65.22
11		सड़क परिवहन सामान्य	3	1.43	0	0.00	3	1.43	1	0.03	3	1.40	2.10
		महायोग	4131	316.45	5510	772.66	7731	1088.71	4802	751.03	3852	337.71	698.03

स्त्रोत रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

ग्राफ – 6.1

वर्ष २००५ की वार्षिक कार्ययोजनाओं की वसूली का प्रतिशत

ग्राफ – 6.2

वर्श २००५ की शासकीय योजनाओं की वसूली का प्रतिशत

जनपद रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मे विभिन्न प्रकार की योजनायें चलायी जा रही हैं जिनकी स्थिति विश्लेषण उपर्युक्त तीनों सारणियों मे किया गया है ये सारणियॉ वर्ष 2003 2004 व 2005 की स्थिति का विशलेषण करती है वर्ष 2003 से 2005 मे इन्हें वार्षिक कार्य योजनाओं व शासकीय योजनाओं मे वर्गीकृत किया गया है इन योजनाओं को सैक्टर कोडों सहित दर्शाया गया है अल्प सिंचाई के अन्तर्गत 806 खाते ऐसे थे जो पिछले बकाये थे। जिनकी राशि 32.99 लाख रूपये थी चालू वर्ष मे ये खाते 1.242 हो गये पिछले बकाये और चालू बकाये का योग करने पर 1584 खाते बकाया है जिनकी राशि 88.64 लाख रूपये है। जिनमें 931 खाते वसूल हुए व 49.37 लाख की राशि बसूल की गयी है शेष बकाया खाते 879 और राशि 44.88 लाख रूपये शेष रह गयी है जो 493.37 प्रतिशत है इसी प्रकार से उपयुर्क्त सारिणी मे प्रत्येक योजनाओं की स्थितियों का वर्णन किया गया हैं।

उपर्युक्त सारिणी मे बकाया वसूली प्रतिशत योजना वार दिया गया है जिनको दृष्टिगत रखते हुए कहा जा सकता है कि वर्ष 2003 मे प्रथम स्थान पर फसल ऋण है जिनकी बकाया वसूली प्रतिशत 78.26 प्रतिशत है और शासकीय येाजनाओं के तहत सबसे अधिक बकाया वसूली प्रतिशत अकृषि/ सी सी लिमिट की हैं और सबसे कम वसूली का प्रतिशत लघु उद्योगों का 17.43 प्रतिशत है व शासकीय योजनाओं मे अकृषि ऋण सामान्य का 2.39 प्रतिशत है

वर्ष 2004 मे प्रथम स्थान पर फसली ऋृण की वसूली 79.92 है और सबसे कम मत्सय पालन की है।

शासकीय योजनाओ के अन्तर्गत सबसे अधिक वसूली प्रतिशत अकृषि/ सी0सी0लिमिट का व सबसे कम स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की वसूली का 33.56 प्रतिशत है।

वर्ष 2005 मे सबसे अधिक वसूली अकृषि क्षेत्र/अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों की 84.53 प्रतिशत है दूसरे स्थान पर फसली ऋृण है जिसका प्रतिशत 81.49 है सबसे कम वसूली पशुपालन व अन्य कृषि की 40.54 प्रतिशत है शासकीय योजनाओ के अन्तर्गत सबसे अधिक वसूली अकृषि ऋृण समान्य की 95.08 प्रतिशत रही है। और दूसरे स्थान पर अन्य सामान्य कृषि ऋृणों की वसूली 85.20 प्रतिशत है। जिसके अन्तर्गत ट्रैक्टर अल्पसिंचाई व सी0सी0एल0 आदि के लिए ऋृण दिये जाते है यदि हम सबसे कम वसूली की तरफ ध्यान दें तो इनमे सबसे कम वसूली सड़क परिवहन सामान्य की हैं जो कि 2.10 प्रतिशत है।

वित्तीय सुविधा प्रदान करने की शर्तें

रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोटे छोटे किसानों, ग्रामीणो व अन्य लोगों के लिए अनेक योजनाओं को चलाता है ताकि उपयुर्क्त पिछडे वर्ग के व अन्य श्रेणी मे आने वाले लोग इससे लाभान्वित हो सके आज के इस वर्तमान युग मे जहां कुछ लोगों ने इन सब चीजों का पूर्णतया अभाव है चूंकि रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्देश्य पिछड़े व गरीब किसानों को उनके विकास हेतु सुविधायें दिलाना है लेकिन यदि उन्हें वित्तीय सुविधायें बिना किसी शर्त या प्रक्रिया के तहत दी जाये तो प्रत्येक कार्य मे अव्यवस्था फैल जायेगी ओर यह सुविधा ईमानदार व सरल जीवन व्यतीत करने वाले नही उठा पायेंगे क्योंकि इसके विपरीत लोंगें का उन पर दबाब रहेगा इसलिए हमारी सरकार ने इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए कुछ शर्ते रखी है यदि किसान उन शर्तो को पूरा करता है या उस पर खरा उतरता है तो यह सुविधा उसे प्रदान की जाती है आर वह अपने संपूर्ण विकास के प्रति उन्मुख होता है।

समूह सहेली गैस योजना की शर्ते

1. यह सुविधा सिर्फ महिला समूहों के सदस्यों को प्राप्त होती हे, जो कि प्रथम ग्रेडिंग मे उत्तीर्णहोकर सी सी प्राप्त कर चुके है तथा जिनकी सी0सी0एल0 खाता नियमित चल रहे हो।
2. ऋृण स्वीकृत करते समय शाखायें मुख्य्य कार्यालय द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित करती हैं
3. ऋृण स्वीकृत करते समय पूर्व शाखायें सुनिश्चित करें कि आवेदक की प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष समस्त देयतायें नियमित चल रही है।
4. शाखायें ऋृण राशि से प्राप्त किये गये गैस कनेक्शन प्रेशर कुकर तथा चुल्हे की रसीद की फोटो प्रति प्राप्त कर दस्तावेजों के साथ सुरक्षित रखे तथा ऋण राशि का सुदुपयोग कराना सुनिशिचत करें।
5. गैस चूल्हा तथा कुकर आई0 एस0आई0 मार्क का होना चाहिये।
6. गैस कनेक्शन तथा अन्य सहायक उपकरणें हेतु चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। तथा कुकर खरीदने के लिए नकद भुगतान किया जाता है।
7. शाखा ऋृण का नियमित फालोअप सुनिशिचत करना आदि।

रानी लक्ष्मी बाई किसान क्रेडिट कार्ड योजना के नियम, छूट व शर्ते

रानी लक्ष्मी बाई किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत कुछ शर्ते व नियम है जो कि निम्नलिखित है।

1. कमजोर वर्ग के कृषकों की जोत सीमा 2.5 एकड़ सिंचित या 5.00 एकड़ असिंचित को सदस्यता शुल्क में पूरी सीमा तक छूट प्रदान की गयी है अर्थात इस श्रेणी के कृषक से मात्र प्रवेश शुल्क ही लिया जाता है तथा तीन वर्षो हेतु दी जाने वाली सदस्यता शुल्क से मुक्त रहेंगे।
2. अदा किया गया सदस्यता शुल्क किसी भी परिस्थिति मे लौटाया नही जाता है। कार्डधारक, कार्ड की वैधता समाप्ति के दो माह पूर्व इसके नवीनीकरण हेतु इसे उस शाखा को भेजेंगे जहां उसका खाता है। यह नवीनीकरण भी तीन वर्षो की अवधि के लिए होता है।
3. प्रत्येक सदस्य अपनी वित्तीय स्थिति और परिवार की कृषि गोर कृषि और अन्य स्त्रोतो, से आय से सम्बंधित आंकड़े बैंक को प्रस्तुत करेगा। यदि मांगे जाने पर डाटा प्रस्तुत नही किये जाते तो बैंक अपने विवेकानुसार कार्ड की नवीनीकरण करने से इन्कार कर सकता है या कार्ड को रद्द कर सकता है।

कार्ड का प्रयोजन

1. रानी लक्ष्मी बाई किसान कार्ड बैंक की सम्पत्ति है और हसतांतरणीय नहीं है जारीकर्ता शाखा मे इसे प्रस्तुत किये जाने पर सकारा जायेगा।
2. बैंक केवल अपने विवेकानुसार बिना कोई कारण बताये आवेदन अर्स्वीकार कर सकता है।
3. आवेदन सेवा क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसकी आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
4. कार्डधारक को चाहिए कि वह अपने पते में या पहले प्रस्तुत की गयी सूचना मे परिवर्तन होने की दशा मे बैंक को लिखित रूप मे अविलम्ब सूचना दे।

5. कार्ड के अन्तर्गत बैक के प्रति समस्त बकाया तथा इससे सम्बंधित प्रासंगिक प्रभार कार्ड जारी कर्ता शाखा में कार्डधारक द्वारा रखे गये नकदी ऋण खाते को नाम लिखकर वसूल किये जाते है वर्ष के 10 महीने में सीमा का आहरण अनुमत है शेष दो महीनों के दौरान ब्याज सहित अवस्थित नामे अवशेष को जमा करना होता है कार्ड धाकर इससे पहले भी चुकौती करने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसी स्थिति में उसकी सीमा की गयी चुकौती माह का निर्धारण स्थानीय फसल पद्वति को ध्यान में रख कर किया जाता है रानी लक्ष्मी बाई किसान क्रेडिट कार्ड हेतु समस्त चुनौतियाँ जमा केवल कार्ड जारीकर्ता शाखा मे की जायेगी।

6. नाम अवशेष पर ब्याज का परिकलन दैनिक उत्पाद आधार पर वार्षिक अंतरालों पर निम्नलिखित दर से परिपत्र दिया जाता है।

साख सीमा	**वार्षिक ब्याज दर**
रूपये 25,000/– तक	12.5 प्रतिशत
रूपये 25,001 से रूपये 1,00,00 तक	13 प्रतिशत

उक्त उल्लिखित ब्याज दरों मे बैंक द्वारा समय समय पर परिवर्तन किया जा सकता है और कार्डधारक इस प्रकार संशोधित ब्याज दर का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा और हमेशा इसका अर्थ यह लगाया जायेगा कि कार्डधारक द्वारा भुगतान करने पर सहमति दी गयी ओर एतद् द्वारा प्रतिभूति है।

प्रतिभूति

खाते मे लेन देन फसल/मवेशी/चारे उर्वरक, कीटनाशक आदि के स्टाक कृषि मशीनरी एवं उपकरण/वर्तमान और भावी घरेलू सामान के दृष्टिबंधन एवं कृषि भूमि के द्वारा प्रतिभूति होगी।

कार्डधारक का बीमा

व्यक्तिगत दुर्धटना बीमा योजनान्तर्गत सामान्य बीमा कं0 की शाखा से प्रत्येक किसान क्रेडिट कार्ड धारक को रूपये 50,000 की राशि हेतु प्रत्येक कार्डधारक को बीमित कराया जाना अनिवार्य होता है तीन वर्षो हेतु निर्धारित प्रीमियम राशि को 2.1 में क्रमशः बैंक एवं

कार्डधारक द्वारा बहन किया जाता है प्रीमियम राशि मे भविष्य मे बीमा कम्पनी द्वारा संशोधित किये जाने पर बैंक एवं कार्ड धारक द्वारा 2:1 मे वहन की जाती है बीमा दावों का निस्तारण कार्ड धारक को उपलबध कराई गयी पॅालिसी के नियमों एवं शतो के अनुरूप होता है।

क्षेत्राधिकार :

सभी विवाद कार्ड जारी कर्ता शाखा के जिले के न्यायालय के क्षेत्रिाधिकार के अधीन है।

निबन्धनो और शर्तो में संशोधन

बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार से यदि आवश्यक समझे तो बिना कोई कारण बताये इन नियमों से परिवर्तन संशोधन कर सकता है और ये परिवर्तन सदस्यों के लिए बाध्यकारी होंगे।

इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं से सम्बंधित शर्तो को उन योजनाओं के साथ किया गया हैं

जनपद में वित्तीय सुविधा प्रदान किये गये अग्रिमों की वसूली का विश्लेषण :

रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा 1982 से लेकर सन् 2005 तक किसानों, पिछड़े वर्गो व्यवसायियों , शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र / छात्राओं महिला वर्गो अनुसूचित वर्गो आदि अन्य लोगें को अनेक वित्तीय सुविधायें प्रदान की गयी है अर्थात् अनेक प्रकार के ऋणों व अग्रिम प्रदान किये गये है जो कि इन्ही शर्तो के तहत प्रदान किये गये है इन ऋृणों एवं अग्रिमों की वसूली का विवरण इस अध्याय मे प्रस्तुत किया गया है।

कृषि व सरकारी योजनाओं के सम्बंध में ऋृण की वसूली।

ऋण की वसूली न आने पर सरकारी योजनाओं व कृषि मे आर सी जारी की जाती है यह तहसील के माध्यम से अमीनों द्वारा वसूल की जाती है जिसमे जितनी राशि का वह कर्जदार होता है उतनी राशि के साथ वसूली का 10 प्रतिशत कलैक्शन चार्ज लिया जाता है जा तहसील के खाते मे जमा होता हैं।

गैर सरकारी योजनाओं वाली राशियों की वसूली

इनकी वसूली जमानतदारों से होती ह यह कोर्ट के द्वारा उनकी सम्पत्तियों की नीलामी करके की जाती है।

विभिन्न योजनाओं मे वसूली की स्थिति

1. किसान क्रेडिट कार्ड की वसूली की दर 80 प्रतिशत

2. स्पेशन कम्पोनेंट प्लान की वसूली की दर 30 से 40 प्रतिशत तक है।

3. ग्रुप लोनिंग में वसूली की दर 30 से 40 प्रतिशत है।

4. बाकी अन्य योजनाओं मे वसूली की स्थिति 70 प्रतिशत तक है।

जिन योजनाओ की वसूली की स्थिति 50 प्रतिशत तक है।

वे योजनाये चल रही है उनकी स्थिति ठीक मानी जाती है ओर जिन योजनाओं के अन्तर्गत उनकी वसूली 30 से 40 प्रतिशत तक है वे योजनाये आगे कार्य नही कर पायेगी। इसका कारण है कि जिन योजनाओं के लिए ऋण लिया जा रहा है उसका उपयोग उन कार्यो के लिए नही किया जा रहा है जिससे उनकी वसूली स्थिति खराब है और जिन योजनाओं की वसूली स्थिति खराब है और जिन योजनाओं की वसूली 70 या 80 प्रतिशत चल रही है वे योजनाये सफल रही है और आगे भी ये अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करेगी।

तालिका न0 6.11 (मांग एकत्रीकरण, बकाया, व वसूली खाता जून 2000)

	मांग			योग एकत्रीकरण			बकाया
शाखाओं के नाम	खाता	रूपये	खाता	रूपये	खाता	रूपये	प्रतिशत
झाँसी मेन	1446	8047	450	3634	1896	11681	43
रानीपुर	196	611	337	2315	373	2926	87
उल्दन	306	1061	509	1448	531	2503	84
टपरा गंधीधर	716	4297	322	840	739	5137	38
मारकुंआ	—	316	—	1126	—	1442	72
मऊरानीपुर	312	705	399	1531	711	2236	76
बबीना	719	2406	301	719	807	3125	21
टहरौली खास	225	446	530	1108	755	1554	75
करगुंवा खुई	152	348	303	1531	339	1879	71
रक्शा	—	3188	—	1616	941	4804	41
समथर	200	692	173	1036	275	1728	55
इसकिल	153	667	248	999	290	1666	59
बरूआसागर	266	616	—	—	—	—	—
गरौठा	78	309	—	—	—	—	—
बंगरा	397	2053	—	—	—	—	—
वंडा	143	458	—	—	—	—	83
बम्होरी	333	1993	—	—	—	—	58
मोंठ	296	1250	363	2702	568	3952	70
चिरगांव	257	1254	—	—	—	—	56
गुरसंराय	248	574	—	—	—	—	54
सिमरधा	235	957	—	—	—	—	34

तालिका न0 6.12 (मांग वसूली बकाया की स्थिती यथा जून २००४ – २००३)
(केवल समस्त खाते)

जनपद – झाँसी

शाखा	मांग खाता	महायोग राशि	वसूली खाता	राशि	अतिदेय अविदेय खता	राशि	वसूली प्रतिशत	अपलिखित राशि	शुद्ध वसूली	अन्तरा प्रतिशत
झाँसी मेन	1837	7834	293	5050	1641	2784	64	3023	61	3
प्रेमनगर	315	3031	176	2262	18	769	75	20	74	1
मेडिकल	675	9320	206	6042	469	3278	65	18	64	1
गांधीधरटपरा	744	8338	305	4079	519	4259	49	57	48	1
रानीपुर	543	1111	399	9834	195	1277	89	—	89	—
उल्दन	664	11453	519	10164	205	1289	89	36	88	1
मारकुंआ	605	12687	451	9817	199	2870	77	78	88	1
मऊरानीपुर	934	14292	868	12584	65	1708	88	—	88	—
बबीना	933	11899	710	9185	578	2714	77	—	77	—
टहरौली	1086	19087	693	15675	527	3412	82	—	82	—
करगुवा खुर्द	568	11235	389	9422	191	1813	84	—	84	—
रक्शा	1025	6052	332	3608	669	2444	60	—	60	—
समथर	442	9121	373	8684	84	437	95	—	95	—
इसकिल	456	10063	355	8794	132	1269	87	67	86	1

क्रमशः :

बरूआसागर	399	4777	247	4350	152	427	91	—	91	—
गरौठा	609	12236	530	11535	77	701	94	—	94	—
बधेरा	593	10701	332	9631	262	1070	90	—	90	—
बन्द्रा	387	6911	261	5456	161	1455	79	—	79	—
वम्होरी	602	8896	386	7274	216	1622	82	—	82	—
मोंठ	714	14956	503	12867	270	2089	86	—	86	—
चिरगांव	882	19609	667	16997	307	2612	87	—	87	—
गुरसरांय	662	11273	502	10438	160	835	93	47	92	1
सिमरधा	446	6753	334	5714	185	1039	85	—	85	—
महायोग	16121	241635	8559	199462	7432	42113	83	25	82	1

स्त्रोत : रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैक वार्षिक प्रतिवेदन

तालिका न0 6.13 (रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बै मांग वसूली बकाया की स्थिती यथा जून 2004)

(केवल समस्त खाते)

जनपद – झाँसी

शाखा	मांग खाता	महायोग राशि	वसूली खाता	राशि	अतिदेय अविदेय खता	राशि	वसूली प्रतिशत	अपलिखित राशि	शुद्ध वसूली	अन्तरा प्रतिशत
झाँसी मेन	1715	10283	138	4675	1633	5608	45	68	45	–
प्रेमनगर	369	10430	257	5475	146	4955	52	119	51	1
मेडिकल	586	10464	229	8711	357	1753	83	–	83	–
गांधीधरटपरा	714	8028	193	38606	557	4222	47	–	47	–
रानीपुर	558	12474	430	11706	154	768	94	–	94	–
उल्दन	838	18212	77	17329	164	883	95	21	95	–
मारकुंआ	832	20480	747	18880	111	1528	93	–	93	–
मऊरानीपुर	1035	27757	907	25514	209	2243	92	–	92	–
बबीना	893	11132	548	8373	55	2759	75	98	74	1
टहरौली	1572	36539	1108	28602	464	7937	78	–	78	–
करगुवरावड	481	10122	329	8416	153	1706	83	23	83	–
रक्शा	920	9231	306	615	659	2616	72	304	68	4
समथर	506	11498	401	10257	126	1241	89	–	89	–
इसकिल	573	13230	458	12050	127	1180	91	46	91	–

क्रमशः

बरूआसागर	515	11225	369	10670	146	555	95	49	95	—
गरौठा	815	17443	775	16827	63	16	95	—	95	—
बगंरा	623	16072	424	13207	291	2865	82	70	81	01
बन्द्रा	519	9879	425	856	137	1311	87	—	87	—
वम्होरी	586	12324	473	1127	130	1197	90	9	90	—
मोंठ	647	13193	524	11893	178	1300	90	—	90	—
चिरगांव	868	19535	701	18226	226	1309	93	—	93	—
गुरसरांय	787	18142	721	17626	66	516	97	—	97	—
सिमरधा	526	10562	381	9007	181	1555	85	—	85	—
महायोग	17478	338184	11547	287560	6783	50623	85	807	84	1

स्त्रोत : रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैक वार्षिक प्रतिवेदन

तालिका न0 6.14 (रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मांग वसूली बकाया की स्थिती यथा जून 2003)

(केवल समस्त खाते)

जनपद – झाँसी

शाखा	मांग	महायोग	वसूली		अतिदेय अविदेय		वसूली प्रतिशत 2003	वसूली प्रतिशत 2002
	खाता	राशि	खाता	राशि	खता	राशि		
झाँसी मेन	1856	6474	282	3865	1576	2609	60	70
प्रेमनगर	343	2784	224	2002	162	782	72	65
मेडिकल	685	7180	157	4169	488	3011	58	52
गांधीधरटपरा	927	7255	267	2744	609	4509	38	22
रानीपुर	570	8657	457	8375	153	282	97	97
उल्दन	700	9059	568	7729	153	1330	85	73
मारकुंआ	473	9842	429	9165	99	677	93	94
मऊरानीपुर	652	10813	570	9400	202	1413	87	92
बबीना	996	6731	472	5320	524	1411	79	67
टहरौली	1175	16863	691	13859	488	3004	82	82
करगुवां खुर्द	561	10000	481	9463	116	537	95	89
रक्शा	763	4805	303	2580	849	2225	54	60
समथर	444	8404	362	7765	82	639	92	84

क्रमशः

बरूआसागर	203	1444	166	1197	127	247	83	88
गरौठा	605	8287	558	7877	47	410	95	97
बगंरा	597	8884	247	7874	247	1010	89	77
बन्द्रा	213	6291	180	5391	138	900	86	91
वम्होरी	421	7007	300	5498	188	1509	78	72
मोंठ	667	1298	434	10920	233	1178	90	91
चिरगांव	762	15589	568	14177	266	1412	91	86
गुरसरांय	604	8404	462	7564	142	840	90	74
सिमरधा	398	4798	290	3533	200	1265	74	65
महायोग	15020	189534	8825	157491	7204	32043	83	77

स्त्रोत : रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैक वार्षिक प्रतिवेदन

उर्पयुक्त तीनो सारणीयों मे जनपद झाँसी की शाखावार मांग, एकीत्रीकरण का विश्लेषण वर्ष 2001 से वर्ष 2003 तक किया गया है। इन सारणियो में शाखावार कुल वसूली का प्रतिशत दिया गया है वर्ष 2001 मे सबसे अच्छी वसूली गरौठा शाखा की है जो 93 प्रतिशत है यह गरौठा ब्लाक के अन्तर्गत आती है और सबसे कम वसूली प्राप्त करने वाली शाखा सिमरधा है वर्ष 2001 मे 23 शाखायें हैं जिनकी कुल वसूली 67 प्रतिशत है।

वर्ष 2002 में शुद्व बसूली की सबसे अच्छी स्थिति रानीपुर की 97 प्रतिशत है जिसका अन्तर शून्य है और सबसे कम वसूली प्रतिशत गंधीधर टपरा की है। जिसकी अपलिखित राशि से मूल्यांकन करने पर 2.16 प्रतिशत का अन्तर है। इसवर्ष की शुद्व वसूली 77 प्रतिशत रही इसकी तुलना यदि हम मारकुआं करने पर 2.16 प्रतिशत का अन्तर है इसवर्ष की शुद्व वसूली 77 प्रतिशत रही इसकी तुलना यदि हम मारकुंआ उल्दन से करे तो मऊरानीपुर की स्थिति सबसे अच्छी है जो कि 77 प्रतिशत है और दूसरे नम्बर पर मारकुंआ है जो कि 63.397 की वसूली प्रदर्शित करता है उल्दन की वसूली का प्रतिशत 73 प्रतिशत है।

अतः कुल रानीलक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की वसूली का प्रतिशत वर्ष 2002 में 77 प्रतिशत रहा।

अब हम वर्ष 2003 का अवलोकन करने पर पाते हे कि सबसे अच्छी वसूली प्रतिशत इस वर्ष भी रानीपुर की रही है ओर सबसे कम गंधीधर टपरा की जो कि 38 प्रतिशत है कुल प्रतिशत 83 प्रतिशत रहा।

2003 में यदि हम मोंठ, रानीपुर व समथर की स्थिति देखें तो यह प्रतिशत क्रमशः 90 97 92 प्रतिशत रहा इस वर्ष भी जनपद की स्थिति काफी अच्छी है।

वर्ष 2003 रानीलक्ष्मी बाई क्षेत्रीय गामीण बैंक की वसूली का प्रतिशत 83 प्रतिशत रहा।

तालिका न0 6.15 (वसूली प्रतिशत)
(केवल समस्त खाते)

जनपद – झाँसी

शाखा	जून 2000 प्रतिशत	जून 2001 प्रतिशत	जून 2002 प्रतिशत	जून 2003 प्रतिशत	जून 2004 प्रतिशत	जून 2005 प्रतिशत
झाँसी मेन	43	68	70	60	64	45
प्रेमनगर	22	47	65	72	75	52
मेडिकल	55	47	52	58	65	83
गांधीधरटपरा	38	54	22	38	49	47
रानीपुर	84	91	97	97	89	94
उल्दन	84	66	73	85	89	95
मारकुंआ	72	80	94	93	77	93
मऊरानीपुर	55	86	92	87	88	92
बबीना	21	55	67	79	72	75
टहरौली	75	70	82	82	82	78
करगुवा खुर्द	71	84	89	95	84	83
रक्शा	41	55	60	54	60	72
समथर	55	70	84	92	95	89
इसकिल	59	63	80	89	87	91

क्रमशः

बरूआसागर	25	45	88	83	91	95
गरौठा	75	93	97	95	94	95
बगंरा	12	45	77	89	90	82
बन्द्रा	83	85	91	8	79	87
वम्होरी	58	72	72	78	82	90
मोंठ	70	80	91	90	86	90
चिरगांव	56	75	86	91	87	93
गुरसरांय	54	33	74	90	87	93
सिमरधा	34	18	65	74	85	85
महायोग	57	67	77	83	83	85

स्त्रोत : रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन

तालिका सं0 6.16

जनपद – झाँसी

S.No.	Branch	NPA March	Prov, March	NPA March	PROV March
1.	झाँसी मेन	1789246	1147786	3402893	1356684
2.	रानीपुर	92057	128764	171339	41144
3.	उल्दन	1061165	375190	95886	539505
4.	मरकुंआ	287488	123983	371348	88697
5.	मऊरानीपुर	621407	298219	705985	284571
6.	समथर	456404	227826	385373	207519
7.	ढहरौली खास	2475887	1038240	1655527	1314719
8.	बबीना	1320427	455286	488876	318010
9.	करगुवा खुर्द	216212	121568	161196	93587
10.	रक्सा	2398899	1170051	1927446	1346161
11.	इसकिल	453710	168795	350223	187897
12.	वरूआसागर	121538	95480	352914	99580
13.	गरौठा	314592	132048	200190	97989
14.	सराफा झाँसी	6212062	5178762	6155206	5297146

क्रमशः

15.	वेगरा	1010366	460981	958125	373555
16.	वम्होरी	961132	493033	905527	517502
17.	प्रेमनगर	507284	228999	414689	210117
18.	मौंठ	728292	382728	533484	321549
19.	मेडिकल	2153453	815390	1910190	1085593
20.	ब्रन्द्रा	284752	125566	235784	113755
21.	गुरसराय	801035	263342	339368	138245
22.	चिरगांव	1166292	430262	705616	437505
23.	सिमधा	904979	375622	593165	323789
	महायोग	26338679	14237921	23910350	14794819

स्त्रोत : रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैक वार्षिक प्रतिवेदन

तालिका न0 6.17

रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैक

2004 – 05

S.No.	NPA Code	A/C	Out Standing	S.R. F/ Dicgs	Secured	un Secured
1.	M	147	381	120	3681	-
2	SS	147				
3-	D1	152	1597	31	156	-
4-	32	558	3712	29	3683	-
5-	D3	2850	18366	387	17979	-
6-	L	–	–	–	–	
7-	Unsecuret	6362	9998	115	-	9383
	Total	10069	36974	682	26909	9383

स्त्रोत रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैक वार्षिक प्रतिवेदन।

उपर्युक्त सारिणी में बैंक की गैर निष्पादक सम्पत्तियों का वर्ष 2004 व 2005 के सन्दर्भ मे विश्लेषण किया गया है। जो सम्पत्तियां किसी भी खाते मे 90 दिन तक अगर वसूल नही हो पाती तो वह खाता एन पी ए मे जाता है और वैंक उन पर ब्याज नहीं लगाता। कृषि के सम्बंध मे एक साल तक की अवधि है इस सारिणी में झाँसी जनपद की शाखावार एन पी ए की राशि को दर्शाया गया हैं और प्रावधान की रकम के अन्तर्गत इसका प्रावधान बैंक द्वारा किया जाता है झाँसी जनपद मे वर्ष 2004 मे की शाखा की सबसे कम एन पी ए है जिसके अन्तर्गत बैंक को 92057 लाख रूपये का प्रावधान करना है वर्ष 2004 मे एन पी ए का कुल योग रूपये 26338679 जिसमे बेंकों को 14237921 का प्रावधान करना था और वर्ष 2005 में कुल गैर निष्पादित सम्पत्तियां 23910350 थी जिसमे बैंक को 14794819 का प्रावधान करना है।

वित्तीय सुविधा प्रदान करने मे आने वाली समस्याओ एवं उनको दूर करने के लिए सुधार हेतु सुझाव

भारतीय किसान साल दर साल उधार लेता है परन्तु वह उनका भुगतान नहीं कर पाता क्योंकि या तो ये ॠण बहुत ही अधिक होते है या उसका कृषि उत्पादन इतना अधिक नही होता है कि वह ॠण का भुगतान कर सके परिणामतः किसान का ॠण बढ़ता चला जाता है इसे हम ग्रामीण ऋणग्रस्तता मे आने वाली समस्या कह सकते हैं भारत में यह एक प्रसिद्व कहावत है कि " भारतीय किसान ऋण मे जन्म लेता है ऋण मे जीवन व्यतीत करता है और ऋण मे जीवन त्याग देता है।" हम इस समस्या की सीमा कारणों एवं सरकार द्वारा इसके समाधान के लिए किये गये उपायों पर विचार करेंगे। यदि हम वित्तीय सुविधा प्रदान करने में आने वाली समस्याओ का वर्णन करें तो सबसे पहली समस्या है।

1. किसानों का अशिक्षित होना।
2. अशिक्षित होने के कारण ॠण लेने मे ॠण की शर्तो का पालन करने मे प्रपत्रों का सम्मिलित करने उनको सत्यापित या प्रमाणित करवाने मे उन्हे सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है।

झाँसी जनपद मे कृषि उत्पादन मे समस्यायें

1. जनपद मे सिचाँई की विशेष समस्या है रवी मे मात्र 91100 है0 क्षेत्र मे सिंचित दशा मे खेती होती है जबकि शेष क्षे.त्रफल वर्षो पर आधारित है आच्छादन के सापेक्ष मात्र 41.69 प्रतिशत सिंचित दशा मे खेती रवी मे की जाती है खरीफ की खेती पूर्ण तथा वर्षा आधारित है।
2. जनपद मे कृषि बंजर भूमि 13092 हे0 है तथा कृषि अयोग्य भूमि 10304 हे0 है
3. जनपद की भूमि मृदा कटाव से ग्रस्ति है जिसके कारण भूमि एवं जल संरक्षण की समस्या अति गंभीर है।
4. बेसल ड्रेसिंग के रूप मे उर्वरकों का कम प्रयोग होता है सन्तुलित उर्वरकों का प्रयोग भी कम होता हे उर्वरकों की खरीफ एवं रबी मे खपत प्रति0 है0 क्रमश 16.25 प्रति हे0 है।
5. जनपद में 89 राजकीय नलकूप है
6. खरीफ फसलें सामान्यतः वर्षा पर ही आधारित है।
7. जनपद में खेती वर्षा पर आधारित होने के कारण इस क्षेत्र हेतु प्रजातियो की आवश्यकता है जो कि कम पानी मे अधिक उपज दे सके तथा फसल की अवधि कम हो जिससे दो फसली क्षेत्र में वृद्धि की जा सके।
8. जनपद मे वर्तमान स्थिति मे पशुधन वृद्धि के बिना कृषकों की आय मे अपेक्षित वृद्धि करना सम्भव नही है क्षेत्र मे दुधारू पशुओं की हालत बेहद चिन्ताजनक है। समूचे क्षेत्र मे युद्व स्तर पर पशु सुधार कार्यक्रम लागू किया जाय तथा इसके साथ साथ चरागाहो का विकास भी जरूरी है।
9. जनपद मे शुष्क उद्यानीकरण एवं वृक्षारोपण की प्रबल संभावनाओं के कारण अभी तक अपेक्षित स्तर तक इस क्षेत्र मे प्रगति सम्भव नही हो पायी है अतः नीबू प्रजाति के फलदार पौधे जैसे संतरा मुसम्मी एवं इसके अतिरिक्त आंवला बेर, जामुन करौंदा आदि के फलदार पौधे बगीचो के जरिए लगाये जाये तथा वृहद वृक्षारोपण किया जाये जिससे नमी का संरक्षण किया जा सके मृदा का कटाव रोका जा सके।

10. जनपद मे सब्जी की खेती का आच्छादन अत्यन्त कम है जिसके कारण आम जनता को दैनिक पोषण आहार एवं भोज्य आदतों मे तत्वों का सन्तुलित सामावेश नही होता जनपद मे मिर्च टमाटर वैगन सौफ एवं धनिया की खेती सम्बंधी विशेष योजनाओ को चलाये जाने की आवश्यकता है।

11. भूमि एवं सिंचाई के कारण खेती अत्यन्त पिछड़ी है तथा अन्य स्थानों के सापेक्ष कृषि तकनीकी मे भिन्नता है यद्यपि भूमि में उत्पादन क्षमता विद्यमान है परन्तु उन्नति तकनीकी न अपनाये जाने के कारण कृषि उत्पादन में जनपद अत्यन्त पिछडा है।

12. जनपद मे नवीनतम तकनीकी को कृषकों तक पहुंचाने मे किसान सहायक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है जनपद मे 37 के सापेक्ष 37 किसान सार्थक कार्यरत है तथा जिसके द्वारा पूरे जनपद में कृषि तकनीकी का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा था परन्तु उन्हे शासनादेशो के अनुसार ग्रामीण पंचायत विकास अधिकारी के रूप मे स्थानान्तरित कर दिया गया जिससे कृषि नवीन तकनीकी का प्रचार प्रसार बाधित हैं

13. जनपद मे मृदा परीक्षण कि सुविधा हेतु प्रयोगशाला है ।

14. खरीफ में खपतवारो की अधिकता के कारण खरीफ की फसलों का उत्पादन बहुत कम प्राप्त होता हैं अतःफसलों के लिए तृणनाशक पर 50 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य किया जाये तथा कृषि रक्षा इकाइयों पर लाखों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी गयी।

15. सोयाबीन एवं मूंगफली की कम अवधि शीध्र पक कर अधिक उत्पादकता देने वाली प्रजातियां विकसित की जाये।

अतः उपर्युक्त समस्याओ के समाधान हेतु झाँसी जनपद की रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों मे कृषि सम्बंधित समस्याओं पर विचार करके इनका समाधान करना चाहिए। जिन चीजो की यहां आवश्यकता है जब तक उनकी पूर्ति नही होगी ये समस्यायें हमेशा बनी रहेगी।

वित्तीय सुविधा प्राप्त करने मे आने वाली अन्य सामान्य समस्यायें

1. ग्रामीण बैंकों की शाखाओं में वृद्वि तो हुयी लेकिन जरूरत मन्द ग्रामीणों के लिए ऋण उपलब्ध्ता की स्थिति में सुधार नही हुआ।
2. ग्रामीण बैंकों की दयनीय स्थिति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उनमे केवल एक कर्मचारी है तथा नियत्रण की कोई व्यवस्था नही है।
3. इन बैंको मे प्रायः ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी जो पूरी तरह प्रशिक्षित नही है तथा उन्हे ग्रामीण समस्याओं का कोई ज्ञान नही था।
4. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए गरीबों को ऋृण दिये तो जाते है लेकिन ऋण की वसूली ठीक ढग से नही हो पाती हैं।
5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व केन्द्र सरकार ओर राज्य सरकार के हाथो मे होता है अर्थात वित्तीय स्त्रोतों के लिए ग्रामीण बैंक को निर्भरता सरकार पर होती है।
6. कृषि विस्तार एजेंसियों ओर क्षेत्रीय बैंकों मे तालमेल का अभाव पाया जाता हे जिसके कारण कर्जदारों की आय बढती है।
7. बैकों को ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली जमाराशि की मात्रा काफी कम हैं
8. बैंकों पर .ऋृण वितरण के सम्बध मे दबाव होता है कि वे निश्चित समय मे ही निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करे जिसके कारण बैकों ऋण पाने योग्य लोगो का चुनाव ठीक ढंग से नही कर पाता है राजनीतिक दबाव के कारण ऋण वितरण प्रक्रिया मे स्वामित्व मानकों की प्रायः अवहेलना की जाती हैं

सुझाव

1. केवल संस्थागत स्त्रोतों से ही ऋण उपलब्धता होना चाहिए गैर संस्थागत स्त्रोतों पर ऋृण समबंधी निर्भरता पूर्णतया समाप्त होनी चाहिए संस्थागत ऋृणो का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि धनी और निर्धन दोनो प्रकार के किसान इससे लाभान्वित हो सके इसके द्वारा कृषि कुशलता एव उत्पादकता को बढ़ावा चाहिए।

2. रानी लक्ष्मीबाई ग्रामीण बैंकों ओर सहकारी समितियो का प्रबंध व संचालन प्रशिक्षित निष्ठावान व वचनवृद्व व्यक्ति के द्वारा होना चाहि जिसमे संस्थागत वित्त को सफल बनाया जा सके।

3. बैंकों द्वारा कृषि ऋण पर ब्याज की दरे कम होनी चाहिए किसानों के विभिन्न वर्गो के लिए ब्याज की अलग अलग दरे होनी चाहिए।

4. छोटे व सीमान्त किसान और भूमिहीन श्रमिकों के लिए अनुत्पादक ऋण भी आवश्यक है इसलिए इस स्तर पर इस प्रकार की ऋृण सुविधाये उपलब्ध करानी चाहिए ताकि लोगो को बंधुआ मजदूर बनने से रोका जा सके।

5. ग्रामीण बैकों को अपनी अधिशेष धनराशि की वैधानिक सरलता अनुपात की अनिवार्यता के अन्तर्गत सरकारी प्रतिभूतियो मे निवेश करने की प्रतिबद्वता से मुक्त कर दिया जाना चाहिए।

6. ग्रामीण बैकों को भी व्यवसायिक बैकों की तरह सभी प्रकार के बैंकिंग व्यवसाय मे शामिल होने की छूट होनी चाहिए।

7. बैको द्वारा किसानो को ऋृण देते समय जमानत देने पर अधिक जोर न दिया जाये बल्कि इस बात पर ध्यान रखा जाये कि ऋण चुकाने की क्षमता कैसी है।

अध्याय सप्तम

निष्कर्ष समस्यायें एवं सुझाव

निष्कर्ष समस्यायें एवं सुझाव

देश के आर्थिक विकास म बैंकिंग पद्धति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ऐसे आधुनिक समाज की आज कल्पना भी नही की जा सकती है जिसम संस्थायें न हो उन्नत देशों में मुद्रा बाजार का आधार स्तम्भ बैंकिंग संस्थायें होती है।

भारत का संपूर्ण आर्थिक विकास कृषि क्षेत्र के कुशल क्रियान्वयन एव प्रगति पर निर्भर करता है और कृषि क्षेत्र का विकास कृषको एव ग्रामीण जनता को मिलने वाली साख सुविधाओं पर होता हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का एकमात्र उददेश्य कृषि क्षेत्र को साख प्रदान करना था क्योंकि भारतीय कृषि क्षेत्र पूंजी अभाव से ग्रस्त है उत्तम किस्म के बीज रासायनिक खाद्य अच्छे औजार तथा कृषि उत्पादकों के लिए विपणन सुविधायें कृषि उद्योग की प्रमुख आवश्यकताये है इन सभी आवश्यक सुविधाओं की प्ररित के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है जिसका भारतीय कृषकों में सर्वथा अभाव है पूंजी के अभाव को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 26 सितम्बर 1975 को एक अध्यादेश जारी करके ग्रामीण क्षेत्रों मे किसानों की ऋृण सम्बंधी आवश्यकतायें पूर्ण करने के लिए एक नयी योजना प्रारम्भ की इस योजना के अन्तर्गत प्रादेशिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गयी।

क्षेत्रीय ग्रामीण की प्रगति अपनी स्थापना से लेकर अब तक उत्साह वर्धक रही है यदि आंकडों के आधार पर देखा जाय जो क्षेत्रीय ग्रामीर्ण बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की सेवा के विस्तार में उल्लेखनीय वृद्वि हुयी है भारत सरकार ने ये बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के उपबन्धों के अनुसार स्थापित किये है सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1975 को पूरे देश में केवल पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये और दिसम्बर 1975 में 6 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गये जिनकी 17 शाखायें खुल गयी जो धीरे धीरे बढकर 1976 में 19 ग्रामीण बैंक हुये जिनकी 112 शाखायें हो गयी जिसमें 94 शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गयी। यह संख्या बढकर 1980 में 85 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हो गये दिसम्बर 1985 मे बढकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिनकी शाखायें 12138 हो गयी जो बढकर 1987 में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गये और 1987 के बाद कोइ नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नही खोला गया लेकिन शाखाओं

की संख्या बढ़ती गयी जो मार्च 1995 में बढ़कर 14506 हो गयी मार्च 1997 में घटकर 14406 शाखायें हो गयी। जिसमें ग्रामीण शाखाये 12.033 थी जिनका 82.7 प्रतिशत था और मार्च 1997 मे बाद इनकी कोई शाखा नही खोली गयी।

वर्तमान में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 1 मार्च 2006 को भारतवर्ष के समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलयन उनके प्रवर्तक बैंकों के साथ कर दिया गया हैं और वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों की संख्या 28 रह गयी है।

एक ग्रामीण बैंक की अपनी विशेषता यह है कि वह शाश्वत उत्तराधिकारी तथा समान्य मुद्रा वाला प्रथम निर्गमित निकाय होते हुए भी उस वाणिज्य बैंक से घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है जो उसकी स्थापना से प्रस्तावक का प्रायोजक होता है वाणिज्य बैंक के आवेदन करने पर जब कोई केन्द्र सरकार कोई गग्रामीण बैंक स्थापित करती है तो वह उन सभी सीमाओं का भी उल्लेख करती है जिनके भीतर उस ग्रामीण बैक को कार्य करना होता है ऐसे अधिसूचित क्षेत्र में अन्दर ही किसी भी स्थान पर वह ग्रामीर्ण बैंक अपनी शाखायें एजेसियां खोल सकता है ।

ग्रामीण बैंक सामान्य बैंकिंग कारोबार करता है अर्थात बैंकिंग का वह काम काज जिसकी परिभाषा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 ,ख में दी गयी है ग्रामीण बैंक उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा एक में वर्णित काम काजों का करता है ग्रामीण बैंक निश्चित रूप से अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कार्य करता है।

1. कृषि कार्यो या कृषि प्रयोजनों या कृषि से सम्बंधित किसी अन्य प्रयोजनों के लिए विशेषकर छोटे तथा सीमान्त किसानों और खेतिहर मजदूरों को प्रथक – प्रथक अथवा समूह मे ओर सहकारी समितियों को जिनमे विपणन सम्पत्तियां कृषि परिष्करण समितियां या कृषक समितियां सम्मिलित है ॠृण तथा अग्रिम धनराशियां प्रदान करता है ताकि वे ग्राम क्षेत्रों में कृषि व्यापार वाणिज्य उद्योग विकसित कर सके।

2. विशेषकर शिल्पियां लद्यु उधमियों या कम संसाधन वाले ऐसे व्यक्तियों को जो ग्रामीण बैंक के अधिसूचित क्षेत्र के अन्दर व्यापार वाणिज्य या उद्योग या अन्य उत्पादक गतिविधियों में लगे हों बैंक ॠृण और अग्रिम धनराशियां देता है इस प्रकार इन बैंकों की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब तथा छोटे उधार कर्ताओं की आवश्यकता पूरी करना है इनके द्वारा प्रदान सहयता का काफी बड़ा भाग कमजोर वर्ग के लोगों को मिलता है।

प्रत्येक मामलों में मार्ग निर्देशन केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों से होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के निर्देशक मण्डल मे एक अध्यक्ष हेाता है। निदेशकों का मनोनयन केन्द्र सरकार करती है व एक निदेशक का मनोनयन वह व्यक्ति करता है जो भारतीय रिजर्व बैंक मे अधिकारी होता है दो दो निदेशकों की नियुक्ति प्रवर्तक बैंकों के अधिकारीयों द्वारा व दो दो निदेशकों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और एक निदेशक राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी को चुना जाता है इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैक में 9 सदस्यों का संचालक बोर्ड होता है ओर इन सभी की नियुक्ति कार्य भार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष पूर्व पहले की जाती है केन्द्रीय सरकार के गजट के अनुसार घोषित तिथि को या 31 दिसम्बर को अपनी पुस्तकें व आर्थिक चिट्ठे को बन्द करके अंकेक्षण करवाना होता है।

इस प्रकार की अधिकृत पूंजी 50 पचास करोड रूपये है इसकी समस्त समादत्त पूंजी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गयी है रिजर्व बैंक का एक डिप्टी गर्वनर इस निगम का अध्यक्ष होता हैं।

प्रारम्भ में प्रत्येक ग्रामीण बैंक की अधिकृत पूंजी एक करोड रूपये थी जो 100.0 एक सौ रूपये के एक लाख अंशों में विभाजित थी इस पूंजी का 50 प्रतिशत भाग भारत सरकार ने 15 प्रतिशत सम्बंधित राज्य सरकार ने तथ 35 प्रतिशत प्रायोजक बैंक द्वारा प्रदान किया गया था।

अब बैंक की अधिकृत पूंजी पांच करोड रूपये तथा प्रदत्त पूंजी एक करोड रूपये है। ग्रामीण बैंक का निदेशक मण्डल उस निर्गमित पूंजी को रिजर्व बैंक ओर प्रायोजक बैंक से परामर्श कर तथा केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेकर समय समय पर बढा सकता हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घ कालीन ऋृण प्रदान किये जाते है यह बैंक अन्य बैंकों की भांति प्राथमिक व गौण कार्य करके जन सामान्य को अनेक सुविधाये प्रदान करता हैं।

रानीलक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 30 मार्च 1982 को स्थापित हुआ था और बैंक को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रवर्तित ग्रामीण बैंक होने का गौरव प्राप्त हैं बैंक के कार्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य के झाँसी एव ललितपुर के अधीन 2 जनपद आते है बैक का प्रधान कार्यालय ग्वालियर झाँसी (जनपद झाँसी का मुख्यालय है) बैंक रिजर्व आफ इण्डिया अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में अनुसूचित वाणिज्य बैंक के रूप मे सम्मिलित है।

वर्तमान अध्ययन में रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की वित्तीय स्थिति एवं झाँसी जनपद में कृषि एवं ग्रामीण विकास में इस बैंक के योगदान को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है वित्तीय स्थिति का आंकलन बैंक के चिट्ठे पर आधारित वित्तीय अनुपातों के विश्लेषण पर आधारित है प्रथमतः यह अध्ययन सन् 1998 – 99 से 2005–06 तक के आंकड़ों के अन्तर विभागीय विश्लेषण पर आधारित है। वित्तीय विश्लेषण वित्तीय अनुपातों पर आधारित है यथा चालू अनुपात, स्वामित्व अनुपात , नकद समता, अनुपात, पूंजी दर प्रत्याय अनुपात, स्थायी सम्पत्तियों का स्वामित्व कोषों से अनुपात, चालू सम्पत्तियों का स्वामित्व कोषों से अनुपात, तरलता या त्वरित अनुपात इत्यादि। इस अध्ययन में रानीलक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक झाँसी के मुख्य कार्यालय जोकि झाँसी में स्थित है, द्वारा प्रकाशिति वार्षिक प्रतिवेदनों मे प्रकाशित आंकडों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है जिसमें प्रमुख रूप से बैंक का आर्थिक चिट्ठा एवं लाभ हानि खाते के आधार पर अध्ययन सम्पन्न किया गया हैं प्रस्तुत शोध ग्रन्थ की अध्ययन विधि में अनुपात विश्लेषण एवं अन्य तकनीकों की निष्कर्ष, अध्ययन विधि की सीमाओं एवं भावी शोध के लिए कतिपय प्रमुख सुझाव प्रस्तुत ग्रन्थ के इस अध्याय में सम्मिलित किये गये है। झाँसी जनपद के कृषि एवं ग्रामीण विकास मे योगदान के बारे में रानीलक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण के योगदन के रूप का निशिचित रूप से निश्चितता के साथ भविष्यवाणी करना सम्भव नही है। क्योंकि ऐसे अध्ययनों की भी अपनी सीमाएं होती है तथा अनेक परिवर्तनशील विविध तत्वों या घटकों प्रभाव कृषि एवं ग्रामीण विकास व बैंक कार्यप्रणाली पर पड़ता है क्योंकि उपलब्ध ऑकड़े वास्तविकता के धरातल से कई मायनों में मेल नही खाते है प्रस्तुत शोधग्रन्थ इस सामान्य सिद्धान्त का अपवाद नही है बल्कि प्रस्तुत ग्रन्थ में झाँसी जनपद के कृषि एव ग्रामीण विकास में रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय बैंक के विगत योगदान के रेखांकित करने का प्रयास किया गया है तथाउसके भावी विकास मे बैंक का क्या योगदान हो सकता है साथ ही बैंक समक्ष कौन कौन सी कठिनाइयां उत्पन्न होती है जो कि बैंक के विकास तथा जनपद के विकास में अवरोधक है इसका वर्णनात्मक अध्ययन प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में समाहित करने का प्रयास किया गया है। यद्यपि निष्कर्ष वस्तुनिष्ठता पर आधारित है तथा पर्याप्त रोचक एवं भावी नीति निर्धारण हेतु उपयोगी सिद्ध होंगे।

एक सामान्य स्तर पर निम्नलिखित घटक जनपद के कृषि एवं ग्रामीण में रानीलक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के योगदान का वर्तमान चित्र प्रस्तुत करने के लिए उत्तरादायी कहे जा सकते हैं

1. जनपद मे रानीलक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण की शाखाओं का अब्यवस्थित विकास हुआ है लगभग 500 से अधिक आबाद ग्रामों वाले झाँसी जनपद मे रानीलक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की मात्र 43 शाखाएं है जिनमें झाँसी मे 23 शाखाएँ ललितपुर में 20 शाखा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रो में शाखा विस्तार एवं तुरन्त कृषि एवं अन्य जरूरतों के लिए वित्त प्राप्ति में ग्रामीण क्षेत्रों की आम जनता को होने वाली कसक या टीस को समझा जा सकता है।

2. प्राथमिक संमकों के संकलन के पश्चात् यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि जनपद मे अशिक्षा का स्तर राष्ट्रीय औसत से भी कम होने के कारण लोगों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों से भी अन्य व्यवासायिक बैंकों की तरह ऋृण प्राप्त करने में कठिनाई होती है तथा सम्पूर्ण योजनाओं का लाभ जनपद के कृषक प्राप्त नही कर पाते हैं

3. जनपद के लोगों में शिक्षा के आभाव के कारण लघुउद्योग स्थापित कर जोखिम लेने का साहस नही है। इससे भी आय के स्त्रोत परम्परागत है तथा जनपद में गरीबी का बोलबाला है, लघुउद्योग का अभाव है तथा श्रम हेतु लोग महानगरों हेतु प्रस्थान करने के लिए विवश होते है।

4. कृषि बीजों व उन्नत तकनीकी व खाद पानी हेतु किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यद्यपि कृषि ऋृण सुलभ है परन्तु इसकी प्रक्रिया से अधिकाशं ग्रामीणों को दलालों का शिकार हो कर अपनी एक मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है तथा समय अधिक लगने पर कभी कभी ग्रामीण महाजनों व साहूकारों की शरण में जाना पड जाता है झाँसी जनपद मे महाजनों व साहूकारों से आज भी बड़ी तादात मे लोग ऋृण प्राप्त करते है जिससे उनका आर्थिक शोषण होता हैं

रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैक कि पंजाव नेशनल बैंक की प्रायोजित थी जिसका प्रधान कार्यालय झाँसी है तथा बैक का कार्य झाँसी ललितपुर जिलो के अन्तर्गत है।

भारत सरकार द्वारा इसका विलयन करे का निर्णय इसलिए भी लिया गया जिससे कि बैंको की संख्या कम हो और कैपिटल पूंजी का विस्तार हो सकें।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के अध्यायवाद प्रमुख निष्कर्ष निम्नवत् है।

प्रस्तुत शोध के प्रथम अध्याय में:शोध समस्या के बारे में उसका महत्व उद्देश्य अध्ययन विधि समस्या का स्वरूप व वर्तमान प्रसांगिकता समस्या के स्त्रोत तथा इसकी परिकल्पना को दर्शाया गया है।

झाँसी उ0प्र0 राज्य के दक्षिण पश्चिम के 25.13 औ 25.57 उत्तरी अंक्षाश एवं 78.48 – 79.25 पूर्वी देशान्तर रेखाओं के मध्य स्थित हैं

इसकी पश्चिमी तथ दक्षिणी सीमा पूरी तरह से म0प्र0 से घिरी हैं तथा उत्तर में जनपद जालौन एवं पूर्व में जनपद हमीरपुर स्थित है। इस शोध मे द्वितीयक संमकों का प्रयोग अधिक किया गया है।

द्वितीय अध्याय मे

झाँसी जनपद के रानीलक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वित्तीय विवरणों विश्लेषण को दर्शाया गया है।

वित्तीय विश्लेष की निम्नलिखित विधियां है अनुपात विश्लेषण कोष प्रवाह विश्लेषण नकद प्रवाह विश्लेषण, सम विच्छेद विश्लेषण कार्यशील पूंजी विश्लेषण, परन्तु उसमे अनुपात विश्लेषण पद्वति का प्रयोग किया गया हैं इसके अतिरिक्त इस अध्याय से उपर्युक्त विश्लेषण पद्वतियों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है।

किसी भी बैंक का वित्तीय विश्लेषण करने के लिए सबसे पहले सभी मदों के अलग अलग खाते बनाये जाते हैं फिर लाभ हानि खाता बनाया जाता हैं इसमें लेखांकन अवधि के आगमन व व्यय मदों का विवरण होता है। जिससे शुद्व आय व शुद्व हानि का पता चलता है। इसके प्रारूप को चार भागों मे विभक्त किया जाता है। उत्पादन खाता, प्यापार खाता, लाभ हानि खाता, व लाभ हानि नियोजन खाता, इसके बाद आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता हैं जो क बैंक की स्थिती को बताता हैं स्थिति विवरण को दो भागों मे विभक्त किया जाता है जिसमे एक पक्ष दायित्व पक्ष व दूसरा सम्पत्ति पक्ष कहलाता हैं दोनो पक्षों में 5–5 शीर्षक होते है इसके अतिरिक्त इस अध्याय में रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय गामीण बैंकों की स्थितियों में ग्राफों के माध्यम से दर्शाया गया है।

तृतीय अध्याय में

झाँसी जनपद की अर्थव्यवस्था एवं भौगोलिक आर्थिक व सामाजिक संरचना का वर्गीकरण किया गया हैं जनपद क भोगोलिक क्षेत्रफल 5024 वर्ग कि0मी0 हैं

जनपद की भौगोलिक, आर्थिक सामाजिक संरचना को निम्न प्रकार दर्शाया गया हैं जिसमें जनपद की स्थिति एवं विस्तार , भौतिक दशायें प्रशासनिक संरचना जलवायु, मिट्टी, जनसंख्या व व्यवसायिक वितरण, कृषि भूमि उपयोग की विधि, श्रोतों का आकार, फसल गहनता, प्रमुख फसलों का क्षेत्रफल उत्पादन व उत्पादकता, सिचन सुविधायें, रसायनिक उर्वरकों तथ उन्नशील बीजों का प्रयोग , व यंत्रीकरण की स्थिती व वित्तीय सुविधायें लद्यु एवं कुटीर धन्धे, पशु पंक्षी पालन एवं जनपद में ब्रहद उद्योग आदि का संक्षिप्त वर्णन किया गया है।

भारत वर्ष के उत्तरी क्षेत्र मे बसा उत्तर प्रदेश क्षेत्र की दृष्टि से देश का दूसरा और जनसंख्या की दृष्टि से देश का प्रथम प्रान्त है। उ.प्र. के औद्योगिक दृष्टि से अन्तयन्त पिछड़े हुये क्षेत्रों मे से एक हैं उत्तर प्रदेश की पश्चिमी दक्षिीण सीमा पर स्थित बुन्दलेखण्ड 5 जिलों जालौन, हमीरपुर, बांदा, झाँसी ललितपुर से मिलकर बना हुआ प्रशासन सम्भाग हैं

बुन्देलखण्ड आज भले ही राजनीति व सामाजिक स्तर पर पिछड़ा समझा जाता है पर वह सांस्कृतिक विरासत में बहुत धनी रहा है। इसके साक्ष्य के लिए बेतवा के किनारें प्राप्त, पुरातात्विक अवशेष पर्याप्त उदाहरण है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र भारत के हदृय कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में झाँसी को एक स्वर्णहार कहे तो कोई अब्युक्ति नही होगी। झाँसी। को विश्व के क्षितिज में ध्रवतारे के सदृश एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है ओर उसके श्रेय वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाइ को हैं, जिन्होने अपने शौर्य पराक्रम से झाँसी की स्वतन्त्रता का जीवित रखने के लिए अपने अपूर्व बलिदान से एक नया इतिहास लिखा।

शोध के चतुर्थ अध्याय में के अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विकास को दृष्टिगत रखा गया है। जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का मुख्य उद्‌देश्य कृषि क्षेत्र को साख प्रदान करना था। क्योंकि भारतीय कृषि क्षेत्र पूंजी के अभाव से

ग्रस्त है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी तीन प्रकार के प्रबन्ध स्तरों में बटां हुआ हैं शीर्ष प्रबन्ध महय प्रबन्ध व निम्नस्तरीय प्रबन्ध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ग्रामीण बैंकों की ग्रामीण बैंकों की 14508 शाखायें देश के 500 जिलो में कार्य कर रही है। इन बैंकों की 12003 शाखायें ताथा, 83.07 प्रतिशत शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में थी वर्ष 1999 में 14508 शाखायें ने 93672. 1 मिलियन का उधार लिया जिसमें 23597.1 मिलियन के जमा हुए और इसका ऋण जमा अनुपात 40 प्रतिशत रहा इस अध्याय में इसमें मुख्य उद्देशयों का वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ इसके महत्व, पूंजी संरचना, निदेशक मण्डलों का गठन, उसकी बैंठकों, प्रबन्ध व्यवस्था व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अन्य वाणिज्यिक बैंकों से भिन्नता का वर्णन किया गया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए वर्ष 1990–91 में 125 करोड रूपये का अल्पकालीन ऋण तथा 210 करोड़ रूपये का मध्य व दीर्घकालीन ऋण दिया गया था जिसका योग 335 करोड़ रूपये था। यह ऋण अवधिनुसार बढ़ते गये ओर वर्ष 2003–04 में 468 करोड रूपये का अल्पकालीन व 1400 करोड रूपये का मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण दिये गये थे जसका योग 6080 करोड रूपये है 1950 में ग्राम भारत मे महाजन का सबसे अधिक महत्व था ओर संस्थानात्मक स्त्रोतों द्वारा कृषि उधार की कुल आवश्यकताओं का 3 प्रतिशत से अधिक नही जुटाया जाता था चूंकि महाजन अभी भी महत्वपूर्ण है परन्तु उनका एकाधिकार बीते युग की बात हो गयी है। विभिन्न योजनाओं के अधीन कृषि उधार के अधिकाधिक सस्थनीकरण के कारण अल्पकालीन एवं मध्यकालीन उत्पादक उधार का 30 प्रतिशत एवं सहायक कार्य तथा सामान्य उपयोगिता सेवाओं को भी प्रदान करता है इसमे बैंक का लेखा व अंकेक्षण का भी वर्णन है जिसके अन्तर्गत केन्दीय सरकार के गजटानुसार घोषित तिथि को ये 31 दिसम्बर को यह अपनी पुस्तकें व चिट्ठे बन्द करते है और इसका अंकेक्षण चाटर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा होता है जिसका अनुमोदन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।

शोध : के पंचम अध्याय मे इसके अन्तर्गत निर्बल वर्ग की ऋण आवश्यकता का अनुमान को लिया गया है इसे दो भागों मे बाँटा गया है जो कि निम्न प्रकार है पहला कृषि कार्यो के लिए दूसरा व्यावसायिकरण व स्वरोजगार के लिए ।

ऋण कृषि हेतु :

खाद, बीज, पानी कृषि की प्रथम मूलभूत आवश्यकतायें है सीमान्त किसान खेतीहर मजदूर अपनी छोटी छोटी आवश्यकाओं की पूर्ति हेतु ऋण लेने की ओर प्रेरित होता है सरकारी आंकड़े कुछ ओर कहते है जो कि वास्तविकता से मीलों दूर होते है वर्ष 2006 के अन्त में विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित आंकड़े प्रदर्शित करते है कि खेतीहर, सीमान्त किसानों की मासिक आय नग्न है जो कि पत्येक परिवार के लिए 12 रूपये प्रतिदिन है राष्ट्रीय आंकड़े यही पर परिलक्षित करते है किसान सपरिवार आत्म हत्या करने को बाध्य हो रहे है सूखे की मार से पूरा बुन्देलखण्ड त्रस्त है गरीब किसान के पास खाद नही है बीज नही है और न ही आय स्त्रोत ।

70 से 80 प्रतिशत भारत की आबादी के आय के स्त्रोत किसान है और किसान आज भी भिन्न भिन्न कार्यो के सम्पादन हेतु ऋण लेने को बाध्य हे आय है नही मांगे विकराल है, शिक्षा, स्वस्थ्य मनोरंजन से कोसों दूर है।

बुन्दलेखण्ड सम्भाग के आधे से अधिक ग्रामीण अन्यायन प्रदेशों को , रोजी रोटी की तलाश मे , सपरिवार पलायन कर गये है।, करने को बाध्य है ऋृण रूपी दानव से किसान त्राहि त्राहि कर रहा है आशा कि कोई किरण दूर दूर तक नही है।

राष्ट्रीय कृषि आयोग की सूचना के अनुसार आज भी निर्धन, सीमान्त खेतीहर किसान, अपनी कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूति हेतु, महाजनी व्यवस्था पर आज भी आश्रित है।

संस्थागत ऋण हेतु ग्रामीण अंचलों में सहकारी बैंक सहकारी समितियों एव वाणिज्यक बैंक उपारोक्त समस्या के निदान हेतु प्रयत्नशील है परन्तु इनमें कानूनी कार्यवाही ही इतनी लम्बी होती है। जिससे बाध्य होकर किसान महाजनी व्यवस्था की ओर आर्कषित होती है कागज पर अंगूठा लगाओ ऋण ले जाओ निरक्षण किसान कर ही क्या सकता है। शोध के पष्ठम के अन्तर्गतः रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों के द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधायें का मूल्यांकन किया गया है इस अध्याय के अन्तर्गत ग्रामीण जनता को बैंक द्वारा मिलने वाली सुविधाओं व उनकी शर्तो का मूल्यांकन किया गया है बैंक द्वारा जिन योजनाओं को चलाया जा रहा है उनसे कितने लोग लाभान्वित हो रहे है ओर उनकी वसूली बैंक किस प्रकार कर रही है।

का वर्णन है इस अध्याय के निष्कर्षात्क विश्लेषण से पता चलता है कि रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का यदि हम अन्य बैंकों से तुलनात्मक अध्ययन करें तो किसान क्रेडिट कार्ड की उपलब्धियों 4925 रही हैं जबकि जिला सहकारी बैंक को छोड़कर अन्य की कम हो रही है।

खादी ग्रामोद्योग ब्याज उपदान योजना के अन्तर्गत 2 का लक्ष्य रखा गया है के आवेदन आये परन्तु एक भी स्वीकृति नही किये गये अतः दोनों ही पेंडिंग पड़े हैं।

खादी ग्रामोद्योग ब्याज उत्पादन योजना के अन्तर्गत 2 का लक्ष्य रखा गया के आवेदन आये परन्तु एक भी स्वीकृति नही किये गये अतः दोनों ही पेडिंग पड़े है।

खादी ग्रामोद्योग मार्जिन मनी योजना के अन्तर्गत बैंक मे कोई लक्ष्य नही था परन्तु आवेदन किया।

रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक झाँसी की वार्षिक कार्य योजनाओ के अन्तर्गत अल्पसिंचाई कृषि मशीनरीकरण, पशुपालन / दुग्ध विकास, पशुपालन / मुर्गीपालन, पशुपालन / अन्य मत्सय, पालन, अन्य कृषि ऋण, अकृषि क्षेत्र / लघु उद्योग , अकृषि क्षेत्र व फसली ऋण आदि के लिए खाते खोले गये। सबसे अच्छी वसूली फसली ऋणों की हुयी है यह योजना सफलतापूर्वक अपना कार्य कर रही है।

शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत एस0जी0एस0 वाई स्पेशल कम्पोनेन्ट एस0जी0 / एस0 बाई0 स्पेशल कम्पोनेन्ट एस0सी0 / एस0टी0 महिलाये, अल्पसंख्यक, अल्पसिंचाइ, अकृषि / सी0सी0 लिमिट, अन्य सामान्य कृषि अकृषि ऋण सामान्य ट्रेक्टर सड़क परिवहन आती है।

समस्यायें

किसी भी देश के आर्थिक विकास मे बैंकिंग पद्धति का महत्वपूर्ण योगदान होता है और ऐसे आधुनिक समाज मे कल्पना भी नही की जा सकती है जिसमे बैंकिंग समस्यायें न हो यद्यपि रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने बैंकिंग व्यवसाय की दृष्टि से काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली थी और निर्धन किसानों ओर खेतिहर मजदूरों को वित्तीय सुविधा प्रदान करके आर्थिक विकास मे योगदान कर रहा है तथापि बैंकिंग व्यवसाय के क्षेत्र मे समय समय पर निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने में यह पूर्ण रूप से सफल न हो सका है इसलिए ग्रामीण निर्धन कृषक महाजन एवं साहूकारों के चुंगल से पूर्णतया मुक्त नही हुए है रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मार्ग में समय समय पर अनुभव की गयी समस्याओ का विवरण निम्न प्रकार है।

1. सरकारी योजनाओं में समय की अवधि व लक्ष्य निर्धारित ऋृण वितरण के संदर्भ में दबाव

चूंकि इन बैंकों में सरकारी योजनाओं मे समय की अवधि लक्ष्यों के अन्तर्गत निश्चित अवधि में ऋण वितरण लक्ष्यों को पूरा करने का दबाब होता है जिसके कारण ऋण पाने वाले पात्र व्यक्तियों का चुनाव ठीक ढंग से नही हो पाता है और अपात्र लोगों को ऋृण प्राप्त हो जाता है और पात्र लोग उस ऋण से वंचित हो जाते है जिससे बैंकों की वसूली प्रभावित होती है और ग्रामीण बैंक का धन असुरक्षित हो रहा हैं।

लक्षयोंन्मुख एवं अनुदानित ऋण वितरण की खामियां

भारत सरकार ने खासकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को समनिवत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनदानित योजनाओं के लिए ऋण वितरण करने हेतु बाध्य किया इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धनता से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को किसी प्रकार की प्रतिभूति के बिना ऋण वितरण किये गये परन्तु ऋणी द्वारा ऋण का समुचित उपयोग नहीं किया गया तथा आय एवं उत्पादन बढ़ाने की क्षमता मे कोई वृद्धि नही हुयी है इसके फलस्वरूप एक ओर बैंक का ऋण वसूल नही हो सका है और दूसरी और ऋृणी की स्थिति सुधरने के स्थान पर ओर भी दयनीय हो गयी है ऋण के साथ अनुदान के लालच में ऋणों का मूल चरित्र ही बदल गया है इसलिए ऋृणी केवल ऋृण प्रात्प करने में रूचि रखता है ओर लौटाने मे उसी कोई रूचि नही होती है बैंकों के बकाया ऋणों का अधिकांश भाग अनुदानित ऋण योजनाओं का है जिसकी वसूली संदिग्ध में है।

3. ऋण वितरण से पूर्व सर्वेक्षण जांच एवं तदोपरान्त परावर्ती कार्यवाही का अभाव

रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा ऋण योजना बनाने से पूर्व जनपद में ऋण वितरण हेतु सर्वेक्षण सही नही किया जाता है तथा ऋण आवेदन पत्रों के साथ आवेदक की अच्छी तरह से जांच नही की जाती है और ऋण वितरण के उपरांत कार्यवाही जैसे ऋण का उपयोग एवं परिसम्पत्ति का सत्यापन नहीं किया जाता है जिसके फलस्वरूप ऋणों के दुरूप्रयोग की सम्भावना रहती हे एवं ॠणों की वसूली संदिग्ध हो जाती हैं।

4. ग्राहक सेवाओं की कमी

रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य जनपद क्षेत्र के निश्चित गावों तक सीमित है अन्य व्यवसायिक बैंकों की भांति बैंकों की ग्राहक सेवा जैसे बैंक ड्राफट मेल ट्रान्सफारमर बिलों का भुगतान क्रेडिट कार्ड खाता जनपद से अन्रूत्र ट्रान्सफर करने की स्वतंत्रता नही है जिससे बैकों की कुल कारोबार एवं आय प्राप्ति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और बैंक प्रगति की ओर नही बढ़ रहा है।

5. व्यय में वृद्वि की प्रवृत्ति

विगत वर्षों में बैंक के कार्य कलापों में वृद्वि के साथ बैंक के व्यय में भी वृद्धि हो रही है जिसके फलस्वरूप आय का मार्जिन घट रहा है बैंक की व्यय की प्रमुख मदें निक्षेपों पर ब्याज तथा प्रबन्धकीय व्यय है जब कि बैंक को ॠण व्यवसाय एवं निवेश से आय प्राप्त होती है। प्रशासनिक व्ययों में हाल के दशक में तीव्र गति से वद्वि हो रही हैं परिणाम स्वरूप बैंक के लाभ में आपेक्षित वृद्वि नही हा रही है।

6. कर्मचारियों तथा अधिकारियों के प्रशिक्षण का अभाव

रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्री ग्रामीण बैंक द्वारा कर्मचारियों तथा अधिकारियों की बैंकिंग कार्य एवं ग्रामीणों से सम्बंघित तथा कृषि से सम्बंधित कार्यो के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था नही की गयी जो ग्रामीण से सम्बंधित कृषि कार्य तथा कृषि से सम्बंधित कार्य प्रणाली के अनुरूप थे।

7. आन्तरिक निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था का शिथिल होना

रानीलक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की वित्तीय सुदृढता कार्य तथा दक्ष कार्यप्रणाली हेतु उसकी आन्तिरक निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था अत्यन्त प्रभावकारी और पारदर्शी होनी चाहिए किन्तु इसमें शिथिलता के कारण बैंकों के बकाया ऋृणों दुर्विनियोग के प्रकरणों के कारण बैंक की निष्पादित सम्पत्तियों में वृद्वि हो रही है जो बैंक की वित्तीय सुदृढता के लिए स्वस्थ्य लक्षण नही हैं

8. विभागीय नियंत्रण अत्यधिक

रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में रिर्जव बैंक आफ इण्डिया,नाबार्ड बैंक ,प्रवर्तक बैंक प्रदेश सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के काम काज पर पूरा नियंत्रण होता है । कभी कभी तो बैंक को इनके अनावश्यकत हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता हैं

9. नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकों का कार्य में प्रयोग

आधुनिक वैज्ञानिक युग में बैंकिंग व्यवसाय में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे है व्यापारिक बैंकों द्वारा नवीनतम सूचना प्रणाली कम्पयूटर फैक्स इन्टरनेट जैसी विधियों से सूचनायें एकत्र करने व्यवसाय बढ़ाने हेतु और प्रशासन मे सुधार लाने हेतु प्रयोग हो रहा है जिससे एक और उनके कार्यक्षमता में वृद्वि हो रही है और दूसरी ओर लागत घट रही है परन्तु रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इन नवीनतम तकनीकों का व्यवसाय मे प्रयोग करने की दृष्टि से वंचित है इसलिये बैंक की स्पर्धात्मक शाक्ति का विकास नही हो पा रहा है।

10. सुरक्षा व्यवस्था में कमी।

संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में कही भी सुरक्षा की उचित व्यवस्था नही है दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में बैंक के कर्मचारीं बिना किसी सुरक्षा के बैंक चलाते है सुरक्षा न होने से वर्तमान में लूटपाट की धटनायें अधिक सुनाई दे रही है।

11 जमा राशि संग्रहण में बाधायें

चूंकि ग्रामीण बैंक ग्रामीण जनता के कमजोर वर्गो को ऋण उपलब्ध कराते हैं तथा बैंक असाधरण तथा गरीब क्षेत्रों में स्थापित किये गये है जहां न तो ऐसे लोग बसते है जिनके पास न तो फालतू पैसा है न ही कोई लाभप्रद उद्योग है और सरकार की कुछ ऐसी योजनायें है जिसमे गरीब जनता आकर्षित हो जाती है इस कारण यह बैंक पर्याप्त जमा राशि जुटाने मे असमर्थ रहती है।

12. लाभकारी ऋृण व्यवसाय का न होना ।

यह जनपद उद्योग शून्य है व्यवसायिक गतिविधियो भी अपेक्षित स्तर की नही है कृषि अर्थतन्त्र भी अविकसित एंव अलाभकारी होने के कारण ऋण की कुल मांग सामान्य रूप से कम पाई जाती है विगत वर्षो में बैंक का ऋण व्यवसाय मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र मे कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों तक सीमित रहा जिस पर ब्याज दर अपेक्षाकृत कम होती हैं तथा बैंक के लिए लाभदायक नही होती है रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने ऋण योग्य कृषि का उपयोग करने की दृष्टि से पूर्णतः स्वतत्र नही होते है जिन्हें रिजर्व बैंक आफ इण्डिया नाबार्ड बैंक प्रवर्तक बैंक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही ऋण स्वीकृत करना होता है जिसकी ब्याज दर बहुत कम होती है।

अधिक ब्याज प्राप्त करने के लिए वे अपने कोषों का नये क्षेत्रों मे जो अपेक्षाकृत अधिक ब्याज प्रदान कर सकते है लगाने के लिए स्वतंत्र नही होते है।

13. राजनैतिक दबाब

राजनैतिक दबाब के कारण भी ऋण वितरण प्रक्रिया में स्थापित मानकों की प्रायः अवहेलना की जाती है क्योंकि ग्रामीण बैंक का स्वामित्व केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का होता है। इसलिए वित्तीय स्त्रोतों के लिए ग्रामीण बैंक की निर्भरता सरकार पर होती है इसके लिए भारतीय बैंकिंग उद्योग के साथ साथ सरकारी नीतियां भी आंशिक रूप से जिम्मेदार है कृषि एवं लघु क्षेत्रों के ऋणों की वसूली दर बुहत कम है यहां राजनैतिक रूप से संवेदनशील होने के कारण बैंक सक्रियता से अपनी अहम् भूमिका नही निभा पाती ऋृण वसूली प्रक्रिया में सरकार का हस्तक्षेप वढ जाता है तथा साथ ही ऋण काफी योजनाओं से बैंकों की वसूली प्रक्रिया प्रभावी होती है।

14. बकाया ऋणों की मात्रा में निरन्तर वृद्धि

रानी लक्ष्मी बाई ग्रामीण बैंक के बकाया ऋण की वसूली का दायित्व राजस्व विभाग को सौंपा जाता है जब ऋणकार्ता अधिक धनराशि का बकाया हो जाता है जिससे उसको जमा करने में बहुत कठिनाइयां होती है और ऋणीि कर्ता वसूली प्रक्रिया में शिथिलता व समय बढ़ाने के लिए थोडा पैसा अवैधानिक रूप से राजस्व विभाग के वसूली अमीनों को दे देता है ताकि वसूली में सख्ती न करे ओर कुछ समय का आश्वासन देकर टाल देता है इस दौरान ऋणीकार्ता न्यायालय की शरण में जाकर चौथाई या कुछ भाग जमा कर बैंकों की अनियमितताये बताकर स्थगन आदेश ले आता है और वर्षो तक अवैधानिक रूप से मुकदमे चलते रहते है मुकद्मो के दौरान बैंक को अनावश्यक रूप से खर्च करना पड़ता है तथा ऋणी कर्ता और अधिक ऋणी हो जाता है और बैकों की वसूली भी बन्द हो जाती है इस तरह ऋणों के बकाये में निरन्तर वृद्वि होती रहती है बढ़ते बकाया ऋणों के कारण जहां एक और बैंक की निष्पादित सम्पत्तियों मे वृद्वि होती है वही दूसरी और बैंक का वित्तीय आधार भी कमजोर होता है।

15. अनुत्पादक ऋण का अभाव

कुछ बैंकों ने गरीब लोगों के लिए अनुत्पादक आवश्यक ऋण की पूर्ति की है और कुछ बैंकों ने गौर अनुत्पादक ऋण जैसे शादी व्याह, चिकित्सा व्यय, जन्म मृत्यु व्यय शिक्षा, व्यय आदि ये सब अनुत्पादक ऋण है किसानां को सामाजिक रीतियों के अनुसार ये सब कार्य करने पड़ते है जिसके लिए बैंक से ऋण उपलब्ध नहीं होता है ओर किसान को इन सब कार्यो के लिए साहूकारों एवं महाजनों से अधिक ब्याज पर ऋण लेने की मजबूरी होती है ओर किसान साहूकार एवं महाजन के चंगुल में फस जाते है ओर फिर भी उनके कर्जे से मुक्ति नही मिलती है। कृषि व्यवसाय से इतनी अधिक आय नही होती है किसान इन सब कार्यो को अच्छी तरह से कर सके ।

सुझाव :

रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की उन्नति का आधार ऋणों की सामाजिक मागों के अनुरूप वसूली है क्योंकि ऋण वसूली पर ही ऋण वितरण उत्पादन ओर भण्डारण आदि निर्भर करते है ऋणों को उसकी आवश्यकता तथा क्षमता के अनुरूप ऋण प्रदान करना तथा समय से ऋण की वसूली करा एक दूसरे के पूरक कार्य है ऋणों की अवधि पार हो जाने के बाद प्रभावी कार्यवाही हेतु ऋण वसूली राजस्व विभाग को सौंप दी जाती है और बैंकों की ऋण वसूली राजस्व विभाग को सौपनें के बाद राजस्व विभाग ऋणीकर्ता ऋण एवं ऋण पर लगे ब्याज की टोटल धनराशि के साथ 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्ज अतिरिक्त वसूल करता है न देने पर उसे हवालात में बन्द कर देता है उस के कारण ऋण दाता ऐसी परिस्थितियों में साहूकार या महाजन से अधिक बजार ऋण लेता है ओर उसके न चुकने पर साहूकार या महाजन उसकी सम्पत्ति पर कब्जा कर लेते है या अपने यहां बंधुवा मजदूर बना लेते हैं । और फिर वह आगे अपने भविष्य में अपना या अपने परिवार का आर्थिक विकास नहीं कर पाता है।

रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्र ग्रामीण बैंक की सफलता वास्तव में सरकार की उपलब्धि है अगर सही समर्थन मिले लोच सहित दृष्टिकोण अपनाया जाये तो सरकार की कोशिश सफल हो सकती है सरकार के पास सर्वाधिक संसाधन है ओर वह ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति बन सकती है जरूरत है सिर्फ कुछ नीतियों मे परिवर्तन करने की ओर उसकी के अनुरूप इच्छाशक्ति तथा राजनैतिक नेतृत्व और सकारी तंत्र है स्तर पर कठिन परिश्रम करें अगर सही माहौल समर्थन और मागर्दशन मिले तो कृषक और समाज विकास और परिवर्तन के पथ पर चलने के इच्छुक हैं रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक झाँसी की उपरोक्त एवं अन्य समस्याओं के सामाधान हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये जाते है।

1. ऋण वसूली को कारगर बनाने के लिए समयवृद्व कार्य योजनानुसार कार्य कारना होगा

जैसे

क) ऋणी बार क्षेत्रवार बकाया मांग सूचियों का संकलन करना।

ख) क्षेत्रवार तथा शाखावार ऋण वसूली के लक्ष्यों का निर्धारण करना ।

ग) जनपद क्षेत्र की वसूली टीम बनाना।

ध) लक्ष्य पूर्ति की त्रैमासिक तथा तदनुसार कार्यवाही करें कार्यवाही केवल पत्रों द्वारा करने तक सीमित न रहे बल्कि ऋणकर्ता के पास वसूली की टीम स्वय मौकें पर जाकर ऋणी कर्ता से मिले और ऋण की किश्त जमा करने के लिए प्रेरित करे तथा यह सुनिश्चित करे कि ऋणकर्ता ने जिस उद्देश्य के लिए ऋण लिया है उसी में प्रयोग किया है अथवा नही और समस्त निरीक्षण की रिपोंर्ट उस क्षेत्र के शाखा प्रबन्ध को लिखित रूप से तथा किश्ते न जमा करने का कारण भी दे।

यदि इसके बाद भी ऋण की किश्त जमा नही होती है तो बैंक को केवल उतनी ही किश्तों की धनराशि की वसूली राजस्व विभाग को सौंपा देना चाहिए जब कम रूपयों क वसूली होगी तो आसानी से वसूल हो जायेगी। इसमें न ऋणी का साहूकार या महाजन से ऋण लेना पड़ेगा और न ही बैंकों की वसूली रूकेगी ऋण वसूली में इसी प्रकार की नीति अपनायी जाना चाहिए जब तक ऋण की पूरी धनराशी जमा नही हो जती हैं

2. भारत सरकार ने खासकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको से लाभान्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदानित योजनाओं के लिए ऋण वितरण करने में लक्ष्य अवधि निश्चि की है तथा प्रतिभूति नही ली जाती है अनुदानित ऋणों के लाभार्थियों का सबसे ज्यादा ऋण बाकी है उनकी वसूली अनुपा भी सबसे कम हैं इस प्रकार की ऋण वसूली को कारगर बनाने के लिए नियमों मे परिवर्तन करना होगा । जो निम्नवत् है।

क) ऋणां पर अनुदान की अपेक्षा ब्याज पर अनुदान दिया जाना चाहिए जिसके आकर्षण से ऋण वसूली पर प्रभाव पड़ेगा और अच्छे परिणाम सामने आयेंगे तथा ऋणों की अदायगी नियमित रूप से होगी।

ख) ऋण के विरूद्व प्रतिभूति अवश्यक ली जावे ताकि ऋणी कर्ता को ऋण चुकाने की चिन्ता रहे।

ग) ऋण देने से पूर्व ऋणों का निरक्षण साक्षात्कार तथा ऋण वसूली का आंकलन अच्छी तरह से कर लेना होगा।

घ) ऋण वितरण के बाद मौके पर जाकर निरीक्षण करना चाहिए ऋण कर्ता ने जिस उद्देशय के लिये ऋण लिया है वह कार्य कर रहा है अथवा नही यदि नही कार्य कर रहा तो तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करना चाहिए उसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर शाखा प्रबन्धक को देनी चाहिए ऋणीकर्ता की किश्तें यदि समय से नही है तो ऋण वसूली की टीम को मौके पर जाकर ऋणीकर्ता से संपर्क करें तथा ऋण की किश्त जमा करने के लिए प्रेरित करे और इसके बाद भी किश्तें नही आती तो बैंक उतनी ही किश्तों की वसूली विभाग को सौप देना चाहिए बैंक को इसी प्रकार की नीति अपनानी चाहिए जब तक ऋणी को पूरी धनराशि जमा नही हो जाती है।

3. रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बेंक की ऋण योजना बनाने से पहले उस क्षेत्र का सर्वेक्षण कर यह सुनिशचित करना चाहिए कि क्षेत्र में कृषि एवं कृषि से सम्बधित तथा अन्य योजनाओं द्वारा किस किस कार्य हेतु ऋण की आवश्यकता है और किस क्षेत्र में ऋण वितरण उपयोगी होगा पात्रों की गहन जांच एवं ऋण वसूली का आंकलन किया जाना आवश्यक है।

4. रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की आय मुख्य रूप से कृषि ऋण व्यवसाय से होती है बैंको द्वारा आधिकाश ऋण कृषि क्षेत्र को आवटित है जिन पर ब्याज की दर सामान्य रूप से कम होती है अतः व्यय की अपेक्षा आय मे वृद्वि करने के लिए व्यवसायिक बैंकों की भांति समी प्रकार के व्यवसायिक बैंकों को ऋण मे निवेश कर सकें तथा अपनी निधियों को अधिक लाभप्रद एवं सुरक्षित ऋण वितरण में प्रयोग कर सके इसके अतिरिक्त व्यय मे कमी करने हेतु आवश्यक है कि बैंक प्रशासनिक व्यय मं कटोती करने हेतु ठोस उपाय अपनाये।

5. रानी लक्ष्मी बाइ ग्रामीण बैंक द्वारा कृषि ऋण पर ब्याज की दरें कम होनी चाहिए किसानों के विभिन्न वर्गो के लिए ब्याज की अलग अलग दरें होनी चाहिए छोटे व कमजोर किसानों को ऋण देते समय इस बात का घ्यान रखनां चाहिए कि कृषकों के ऋण चुकाने की क्षमता कैसी है आंकलन करना चाहिए और उसी के अनुरूप ऋण की वापसी की समय सीमा किश्ते निर्धारित करना चाहिए।

6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाओं का विस्तार जो कुछ ही क्षेत्रों/ प्रान्तों तक सीमित है बैंक के कार्यक्षेत्र की सीमा का विस्तार किया जाना चाहिए जनपद से बाहर ड्राफट मेल ट्रान्सफर की सुविधा की जा सकें बिलों के भुगतान क्रेडिट कार्ड खाता ट्रान्फर की सुविधा प्रदान की जा सके बिलों के भुगतान क्रेडिट कार्ड खाता ट्रान्सफर आदि सुविधायें प्रदान करने हेतु इसे रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा अधिकृत करना चाहिए इसके फलस्वरूप बैंक का ब्यवसाय बढ़ने के साथ साथ ग्राहकों को सुविधा मिलेगी।

7. रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्रबन्ध व्यवस्था सूचना प्रणाली तथा कार्यप्रणाली के आधुनिकी की आवश्यकता है बैंक के प्रधान कार्यालयों को बैंकों की शाखाओं से सूचनायें संकलित करने तथा उन्हें सूचनों प्रेषित करने के लिए नवीनतम तकनीकी इन्टरनेट का प्रयोग करना चाहिए। कम्प्यूटर इस दृष्टि से महत्वपर्ण उपकरण है इसके लिए आवश्यकतानुसार कर्मचारियों का प्रशिक्षित किया जाना चाहिए तथा क्षेत्र. की समस्त ग्रामीण शाखाओ का कम्प्यूटरी कृत होना चाहिए तथा सुब्यवस्थित ढंग से आंकडों का संकलन एवं विश्लेषण भी किया जाना चाहिए।

8. रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोटे व सीमान्त किसानों को कुछ ऐसे कार्य कारने पड़ते है जो उन्हें ऋण लेने के लिए बाध्य करते है उदाहरणार्थ सामाजिक रीतियों के अनुसार शादी ब्याह, चिकित्सा ब्यय, मृत्यु आदि व्यय करते है। उदाहरणार्थ सामाजिक रीतियों के अनुसार शादी ब्याह, चिकित्सा, व्यय, मृत्यु आदि व्यय के लिए खर्च करने पड़ते है सामाजिक और धार्मिक उत्सव हमारे गांव के जीवन का महत्वपूर्ण अंग है इन पर किया जाने वाला व्यय किसानों को परामर्श देने से आसानी से कम नही किया जा सकता वास्तव में इसके लिए कुछ न कुछ संस्थात्मक वित्त प्रबन्ध करना चाहिए।

शादियों, मृत्यु धार्मिक खर्चो चिकित्सा व्यय शिक्षा आदि के लिए ग्रामीण बैंकों ऋण उपलब्ध करना चाहिए ताकि लोगों को बंधुआ मजदूर बनने से रोका जा सकें

9. बाढ या सूखा जैसी प्राकृतिक विपदाओं के कारण ऋण वापसी में चूक होने पर फसलों हेतु दिये गये ऋणों को 3 से पांच वर्ष तक सावधिक ऋणों में परिवर्तन किया जाना चाहिए और सावधिक ऋण हो तो उसके चुकाने का समय बढ़ाना चाहिए अथवा उसे नये सिरे से चरणबद्व किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार प्राकृतिक विपदाओं के सताये उधार कर्ताओं के मामले में प्रतिभूति की मूल्य से अधिक ऋण की रकम को ऐसे सावधिक ऋणों में परिवर्तन किया जाना चाहिए. जो एक उचित अवधि में प्रति संदेह हो इसके अतिरिक्त कार्यवाही पूंजी भी उपलब्ध करानी चाहिए और सावधिक ऋणों के अन्तर्गत देय किश्तो का समय बढ़ना चाहिए या उन्हें सिर से चरण बद्ध किया जाना चाहिए।

10. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रवर्तक बैंक पंजाबनेश्नल बैंक अपनी ग्रामीण शाखायें इन बैंको के क्षेत्रों में चला रहे है इस कारण कई प्रकार के नियंत्रण एवं प्रशासन पर होने वाले परिहार्य व्यय कम किये जा सकते है। ग्रामीण क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों के कार्य को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को सौंप देना चाहिए।

11. रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को सरल कारगर बनाया जाये स्थानीय लोगों की वरीयता दी जाये तथा स्टाफ को ग्रामीण जीवन की समस्याओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाये तो रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए उपयुक्त तथा ग्रामीण विकास की आधारशिला होगी।

12. बैंक कर्मचारियों को लगन निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करने के लिए उनकी वेतन विसंगतियों सुविधाओं एवं प्रोन्नित सम्बंधी समस्याओं का निदान करना चाहिए ताकि वे सही दिशा मे कार्य करें एवं जनता मे बैंक की साख बनाये रखें।

13. प्रत्येक ब्लाक स्तर पर सेमिनारों तथा ऐसे ही कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों तथा गरीबी उन्मूलन की अवधारणा के बारे मे जानकारी दी जाये तथा इसकी आवश्यकता के बारे मे उत्साह पैदा किया जाये तथा अपने कार्यक्षेत्र मे अधिक से अधिक बचतों को अपनी और आकर्षित करें।

14. रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में स्टाफ की संख्या का निर्धारण उस शाखा के निक्षेपों ऋण ब्यावसायों की मात्रा या सक्रिय खातों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए तथा समय समय पर उसकी पुनः समीक्षाकी जानी चाहिए।

15. रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को केवल संस्थागत श्रोतों से ही ऋण उपलबध होना चाहिए गैर संस्थागत स्त्रोंतोंपर ऋण सम्बंधी निर्भरता समाप्त होनी चाहिए संस्थागत ऋणों का वितरण इस प्रकार होना चहिए कि धनी एवं निर्धन दोनो प्रकार के किसान इससे लाभान्वित हो सके और इसके द्वारा कुशल ता व उत्पादकता को बढ़ाना चाहिए।

उपरोक्त उपायों को क्रियान्वित करने हेतु बैंक को अपनी उपविधियों मे उचित परिवर्तन करना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड बैंक एवं प्रवर्तक बैंक से अनुमोदन भी कराना होगा यदि इन उपायों पर सही ढंग से अमल किया जाये तो बैंक ऋण वितरण में तथा ऋण वसूली के क्षेत्र मे अच्छी प्रगति कर सकेगा बैंक कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढेगी तथा बैंक के कारोबार एवं लाभ मे आपेक्षित वृद्दि सम्भव हो सकेगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक झाँसी जनपद में रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिनिधत्व करता है इस बैंक की कार्य प्रणाली के बारे में ग्रमीण जनता से एक सैम्पल सर्वेक्षण किया गया जिसमे जनपद के चारों ब्लाक से दस दस ग्रामों का एक प्रतिचयन यादृच्छिक आधार पर लिया गया जिससे कई रोचक तथ्य बैक की कार्यप्रणाली के सन्दर्भ में प्राप्त हुये उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है।

1. नमूने मे चुने गये लोगों में से 90 प्रतिशत का मानना था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अन्य व्यवसायिक बैकों में नाम के अलावा क्या अन्तर है इन बैंकों को खोलने का क्या उद्देश्य है इस सबकी जानकारी उन्हे नही है इससे स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण जनता को प्रचार प्रसार, कार्याप्रणाली इत्यादी से अपने लक्ष्य उद्देश्य को स्पष्ट करने मे सफल हुये प्रतीत नही होते है।

2. नमूने/प्रतिदर्श में चुने हुये लोगों मे से 80 प्रतिशत ग्रामीण जनता का मानना था कि बैंकों को ग्रामीण कृषकों को कृषि ऋण के साथ ही साथ कम ब्याज दर पर शादी व अन्य धार्मिक रीति रिवाजों को सम्पन्न करने हेतु ऋण देना चाहि जिससे कि वे साहूकार व महाजनो के चंगुल मे न फसें इस हेतु वे प्रतिभूति के रूप में कृषि भूमि व अन्य अचल सम्पत्तियों की प्रतिभूति की बात भी करते है मेरे स्वयं के विचार से भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जनता को यह लाभ दिया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण महाजनों के जाल मे न फंस सकें व आर्थिक उत्पीडन की पीड़ा से मुक्ति पा सके।

3. नमूने/प्रतिदर्श में चुने हुये लोगों में 60 प्रतिशत लोग समय पर अपना ऋण चुकाते पाये गये जबकि 40 प्रतिशत समय पर ऋण का भुगतान नही कर पाये जबकि उनका आर्थिक स्तर नियमित भुगतान करने वालों की तुलना मे किसी भी दृष्टि से कमजोर नही था बल्कि इस 40 प्रतिशत मे लगभग 30 प्रतिशत लोग राजनैतिक दृष्टि से किसी न किसी दल से सम्बन्धित रहे हैं व ग्रामीण पंचायतों में प्रतिनिधित्व भी करते है या किया है इससे यह तथ्य प्रकट होता है कि राजनैतिक दृष्टि या आर्थिक दृष्टि से प्रभाशली लोग बैंक ऋण का नियमित भुगतान करने हेतु ज्यादा सचेष्ट नहीं होते शायद बैक वसूली से सम्बंन्धित प्रशासनिक मशीनरी उन पर अपना दबाब बनाने में कामयाब नही हो पाती है।

4. प्रतिदर्श के लोगो में लगभग 90 प्रतिशत की राय में कृषि के विकास हेतु " किसान क्रेडिट कार्ड योजना" को श्रेष्ठतम मानते हैं

5. सर्वेक्षण के दौरान अधिकाश ग्रामीण ने स्वीकार किया है कि विभिन्न योजनाओं हेतु ऋण के लिय बैंक द्वारा पूर्ण करायी जाने वाली कागजी प्रक्रिया अनपड ग्रामीण कृषकों से बाहर है। साथ ही बैंक स्टाफ कार्यवाही मे अनवाश्यक देरी करते है। यद्यपि उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि कई बैंक अधिकारी उन्हें अच्छी प्रकार से सलाह मशविरा देते है परन्तु कागजी कार्यवाही को प्रक्रिया का अग बता कर आवश्यक मानते हैं

6. प्रतिदर्श के लोगो मे 70 प्रतिशत अपनी जरूरतों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको व अन्य बैंकें के अतिरिक्त अपनी अन्य अनुत्पादक आवश्यकताओं की पूति हेतु साहूकार / महाजन अपनी निकटतम आर्थिक रूप से सम्पन्न रिश्तेदारों से ऋण प्राप्त करते हैं

7. प्रतिशत में 80 प्रतिशत लोगो का मानना था कि बैंकों को स्वंय सहायता समूहों के माध्यम से गरीबी हटाने हेतु योजनाओं के लिए पर्याप्त ऋण देना चाहिए तथा उनकी उचित मोनीटरिंग रखनी चाहिए।

8. समग्र दृष्टि कोण अधिकांश लोग रानी लक्ष्मीबाई क्षे. ग्रामीण बैंक की कार्यप्रणाली से संतुष्ट दिखे लेकिन साथ ही कई महत्त्वपूर्ण कमियों के बारे में, जिनका कि मैं इस अध्याय मे उल्लेख कर चुका हूँ अपनी बेबाक राय से इस अध्याय को सार्थक रूप प्रदान करने मे मेरी मदद की।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध कि झाँसी मे आधार भूत संरचना का विस्तृत विवेचन किया है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि झाँसी जनपद में आधारभूत संरचना तो है परन्तु प्रगति अत्यन्त धीमी है यही कारण है कि जनपद मे आज भी अशिक्षा गरीबी, बेरोजगारी व आर्थिक असमानता, निम्न स्वास्थ्य दशायें व उद्यमिता का

अभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है इस सम्बध मे जहा तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों के योगदान का प्रश्न है तो इस सम्बंध मे समस्त सरकारी विभागों के दोष बैकिंग कार्यप्रणाली मे भी आ गये हे बैक अधिकारियों/ कर्मचारियों की दोषपूर्ण मनोवृत्ति के कारण बैकों मे भी कठोर नियम वाधिता, अदूरदर्शिता , भ्रष्टाचार व पारदर्शिता का अभाव इत्यादि बुराइयां जन्म ले चुकी है देश के ग्रामीण व कृषि विकास क का काया कल्प केवल तभी सम्मव हे जबकि योग्य एवं कुशल नेतृत्व के अन्तर्गत दूरी पारदर्शिता से क्षेत्रीय आवश्कताओं के अनुरूप योजनाओं हेतु पक्ति के अन्तिम सदस्य तक ऋण योजनाओं का लाभ पहुचे इस हेतु अकल्पित आचरण ईमानदारी , समाजिक सेवा भावना तथा व्यापारिक , प्रबन्ध के ज्ञात की ठोस आवश्यकता है यदि कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु क्षत्रीय ग्रमीण बैंको की स्थापना के उदृश्यों व लक्ष्यों को सार्थक करना है तो केलव इनका नाम बदल देने से कुछ भी होने वाला नही है जब तक कि इनमे पूर्ण निष्ठा समर्पण व उच्च चरित्र वाले योजनाकारों प्रबन्धकों कर्मचारियों व नागरिकों का सहयोग नही हो अत इस दिशा में सरकार को व समाज के सदस्यों को ठोस शुरूआत करनी होगी व इन बैंकों को क्षेत्रीय जनता की मांग व आवश्यकता के अनुसार ऋण योजना बनाने व उसके अनुसार वित्त पोषण करने के मामले में पूर्ण स्वायत्ता दी जानी चाहिए तथा अन्य प्रकार की शक्तियों बाहरी व राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

(प्रश्नावली)

(कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप मे रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैक का योगदान)

नाम :–

स्थायी पता :–

व्यवसाय :–

– बैंक द्वारा कृषि कार्यो के लिए दिये जाने वाले ऋणों से आप लाभान्वित है अथवा नही ?
हां ☐ या नही ☐

– क्या रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण की सुविधाओं से आप सन्तुष्ट है ?
हां ☐ या नही ☐

– बैंक द्वारा चलायी जाने वाली योजनायें आपके लक्ष्योद्वश्यों की पूर्तिनुरूप है अथवा नही ?
हां ☐ या नही ☐

– किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से आप लाभान्वित है अथवा नही ?
हाँ ☐ या नही ☐

– क्या लघु उद्योगों के लिए ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है ?
हां ☐ या नही ☐

– क्या आप ग्रामीण किसान की श्रेणी में आते है ?
हां ☐ या नही ☐

– क्या आप बैंक की कथनी व करनी में अन्तर पाते है ?
हां ☐ या नहीं ☐

– बैक द्वारा ऋण लेने जमा करने या पैसा निकालने के सम्बंध में वहां के कर्मचारी जानकारी प्रदान करते है। अथवा नहीं

हां ☐ या नही ☐

– क्या आप ऋण का पैसा समय पर चुकाते है ?

हां ☐ या नही ☐

– बैंक के ऋण देने की पद्धति दोषपुण है अथवा नहीं ?

हां ☐ या नही ☐

– क्या आप समय पर ब्याज देते है ?

हां ☐ या नही ☐

– बैंक जिन शर्तो के अनुसार ऋण प्रदान करते है वे कठोर है अथवा सामान्य ।

हां ☐ या नही ☐

– क्या ऋृण प्राप्त करने में अधिक समय लगता है।

हां ☐ या नही ☐

– जिस कार्य के लिए आपने ऋण लिया है क्या उसका उपयोग उसी कार्य में करते है?

हां ☐ या नही ☐

– बैंक के कर्मचारियों का व्यवहार आपके प्रति कठोर है या समान्य।

हां ☐ या नही ☐

– क्या बैंक द्वारा अनुत्पादक कार्यो शादी, त्यौहार, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए ऋण दिया जाना चिाहिए।

हा ☐ या नही ☐

– बैंक द्वार ऋृण चुकाने की अवधि को बढ़ाना चाहिए अथवा नही।

हां ☐ या नही ☐

– क्या बैंक की नीति पक्षपातपूर्ण है ?

हां ☐ या नही ☐

– यदि नही तो क्या आप ऋृण का पुर्नभुगतान सही समय पर देते रहते है।

हां ☐ या नही ☐

– ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन हेतु बैंक के किस प्रकार की ऋण योजना चलानी चाहिए।

– क्या अपकी रायी राय में रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को प्रर्वतक बैंक में मिलना उचित होगा
हां ☐ या नही ☐

– क्या ऋृण लेते समय अधिक औपचारिकताओं की पूर्ति करनी पडती है ?
हां ☐ या नही ☐

– क्या आपके गांव में लगे बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी श्रोत से ऋण प्राप्त करते है ?
हां ☐ या नही ☐

– क्या आप रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से अलग करते है।
हां ☐ या नही ☐

– आपकी राय में रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैक की कार्यप्रणाली में क्या क्या दोष है ? प्रमुख पांच लिखो।
1. 2. 3 4 5

– कृषि के विकास हेतु आपको कौन सी ऋृण योजना श्रेष्ठतम लगती है कृपया अपनी पसन्दगी का क्रम अंकित करें।
हां ☐ या नही ☐

– ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के विकास हेतु आपकी राय म रानीलक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कौन सी योजना चलानी चाहिए।

– क्या आपके गांव में रानीलक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बेंक की शाखा की आवश्यकता होती है?
हां ☐ या नही ☐

– आपकी राय में रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय बाइ ग्रामीण बेक की कार्यप्रणाली में क्या क्या दोष है ? प्रमुख पांच लिखो ?

सूचनादाता
हस्ताक्षर **Respondent**

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

दत्त रूद एवं सुन्दरम के0पी0 एस	–	भारतीय अर्थ व्यवस्था
एस0पी0सिंह	–	पावर्टी फूड एण्ड न्यूट्रीशन इन इण्डिया
त्रिपाठी बद्री विशाल	–	भारतीय कृषि भारतीय
मिश्रा पी0	–	ग्रामीण अर्थशास्त्र
गिरिअप्पा सोनू	–	इन्कम सेविंग एण्ड इन्टसेटमेन्ट पेटर्न इन रूरल इण्डिया
सिंह आर0पी0पी0	–	इण्डियन एग्रीकल्चर एण्ड इकोनोमिक इफीसिएन्सी
सिंह अमरजीत तथा साथु ए0एन0	–	एग्रीकल्चर पोब्लम इन इण्डिया
मामोरिया सी0बी0	–	रूरल क्रेडिट इन इण्डिया
विद्यार्थी एल0पी.प्रसाद आर0के0	–	चेजिंग डाइटरी पेटर्न एण्ड हेक्टिम
अली निसार	–	एग्रीकल्चरल डब्लपमेन्ट एण्ड इन्कम डिस्ट्रीव्यूसन
खटकर आर0के0	–	रूरल डिबलमपेन्ट
त्रिपाठी बद्री विशाल	–	भारतीय अर्थ व्यवस्था
आर0एल0पाटनी	–	ग्रामीण अर्थशास्त्र
ग्रामीण विकास मंत्रालय	–	करूक्षेत्र
अली मोहम्मद	–	सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर फूड एण्ड न्यून्यूट्रीशन इन रूरल इण्डिया
सिंह सुदामा	–	भारतीय अर्थव्यवस्था समस्याएं एवं नीतियां
रतनाम सिंह	–	डेयरी डिबलपमेन्ट
सलीम मोहम्मद	–	रूरल इन्नोवेन्स इन एग्रीकल्चर
अमर्त्य के0सेन	–	पावर्टि इनठक्वैलिटि एण्ड इनठमपलीमेन्ट इकॉनोमिक एण्ड पालिट्रिक्ल वीकली, वाल्यूम – 8
सिन्हा बी0एन	–	एग्रीकल्चरल इर्फासियेन्सी इन इण्डिया इन ज्योग्राफर वाल्यूम 15 स्पेशन आई0जी0यू0 बाल्यूम
अध्यक्ष ए.एण्ड सिद्उकी एम0एफ0	–	क्राय ऐसोएिएशन पेटर्न इन दि लूनीवेसिन दि ज्यसोग्राफर बाल्यूम
अली मोहम्मद	–	फूड एण्ड न्यूट्रीशन इन इण्डिया के0वी0 पिब्लिकेशन नई दिल्ली।
धीगंरा ईश्वर	–	ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुल्तान चन्द एण्ड सन्स नई दिल्ली पी0सी0 159

दत्त एवं सुन्दरम (1992) – " भारतीय अर्थव्यवस्था चांद एण्ड दिल्ली

ओल्हड़म आर0डी0 (1917) – " दि स्ट्रक्चर ऑफ हिमालय गेंगेटिव प्लेंन मेमोर्स अर्थ जियोतोजिकल सर्वे आफ इण्डिया वाल्यूम

रिपोर्ट एण्ड जर्नल्स

- फाइनेन्शियल एक्सप्रेस न्यू देहली।
- रिजर्व बैंक आफ इडिया बुलेटिन, बाम्बे।
- योजना मार्च 1996, अक्टूबर वर्ष 1999, 2005
- साहित्य भवन प्रतियोगिता पत्रिका – मासिक जनवरी 2006
- नेशनल काउन्सिल आफ एप्लाइड इकॉनामिक रिसर्च।
- द टाइम्स आफ इण्डिया
- प्रतियोगिता दर्पण
- रिजर्व बैक आफ इण्डिया बुलेटिक (मासिक)
- इण्डस्ट्रियल टाइम्स बाम्बे।
- कोम्पाइस इकनोमिक एण्ड इण्डस्ट्रीयल गाइड आफ इण्डिया (वाल्यूम 31 एण्ड वाल्यूम) 32 स्पेथियर सन्स मद्रास।
- इण्डियन काउन्सिल आफ सोशल साइन्स रिसर्च ए सर्वे आफ रिसर्च आफ इन इकनोमिक्स इन्डस्ट्री (वाल्यूम 5 एलीड पब्लिशर्स)
- इकनोमिक एण्ड साइन्टिफिक रिसर्च फाउण्डेशन रिसर्च टैक्नालॉजी एण्ड इन्स्ट्री न्यू देहली।
- कम्पनी न्यूज एण्ड नोट्स जनर ल आफ द डिपार्टमेन्ट आफ कम्पनी अफेयर, गवर्नमेन्ट इण्डिया न्यू देहली।
- एनुवल सर्वे आफ इन्डस्ट्री – सेन्ट्रल स्टैटिकल आरगनाइजेशन डिपार्टमेन्ट आल स्टैटिक्स मिनिस्ट्री आफ प्लानिंग, गवरमेन्ट आफ इण्डिया न्यू देहली।
- कामर्स एण्ड नम्बर बाम्बे।

- इकॉनोमिक टाइम, बाम्बे एण्ड न्यू देहली।
- फाइनेन्शियल एक्सप्रेस रिसर्च ब्यूरन सीमेन्ट यूनिट प्रोफिट अप जनवरी 29–1978
- रिजर्व बैंक आफ इण्डिया रिपोर्ट आन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स (बाल्यूम 1 वाल्यूम 2)
- रिजर्व बैंक आफ इण्डया, सिलेक्टिड एण्ड अदर रिलेशन आफ प्राइवेट कारपोरेशन सेक्टर 1970 – 71 एण्ड 1975 – 1976 बाम्बे, अक्टूबर 1978
- करुक्षेत्र (मासिक पत्रिका)

Sharma MD and chosal .N Economic growth and commercial banking in a developing economic Scientific Book Agency Calcutta 1956. Sharma O P rural reconstruction in India. Anmol Publication Delhi 1987. Subhramanya K.N Modern Banking in India Deep& deep Publication New Delhi. 1985 Shrma HC Growth of Banking in a Developing Economy Sahityya bhawan Agara 1969. Subhramanya s. banking in India Deep& Deep publication new Delhi 1986 subhramanya s and sundram IS growth ofn Agricultural and rural Development in India deep & deep publication New delhi 1987 tiberg Thomas a the marwaris Vikas Publishing House pvt Ltd. New Delhi 1978 Verma ML rural banking in India Oxforde and IBH Publishing co. New delhi 1975 Verma ML Rural Banking in India Rawat publishing jaipur 1988. wadhwa Charan Drral banking and rural developing Macmillan Company of India Ltd. New delhi 1980.

Journals magazines report dailies etc.

Banker rao b ramcharan rural Banking for Rural developing Vol xxi No.6 August 1984 .Bank of baroda ,Weekly review issue Before RRBs August 1977 PP1-2 Commerce Hrushikesava rao P regional Rural banks . problems and Perspecties 33(3) Sept 1980.

_Thinglaya NK the regional rural Banks and Agricultural 139(377) Annual Number 1979 pp 115-119 .Regional ruiral Banks vol 139 No 3577 Annual Number Viability of regional rural Bank 143(3659) August 1, 1988 p. 232 Economics times Raj Panadikar VA regional rural bank June 26, 1982 II pp 6-8

Rao Venkata B Nabard and RRb s November 5, 1982 P-7

Prabha a N RRB s in red October 15 1984 P-4

Agrawal KP regional Rural bank Challenges Ahead December 19, 1985 P1

Strenthen RBs april 18 1990 Editorial

RRbs not to be Merged with sponser banks August 21 1989

Dantwala ML Rural Credit march 31, 1990 P.9

Eastern Economist Vora B.K Innovation in Rural Financing Vol. 71 No 11 Septmber 15, 1978 PP 534-535

Daudamini nagar .regional Rural Bank Rajasthan Experience vol 72 No 24 June 15, 1979 1281-82

Financial Express Regrajan V Rural Vaning problems And perspectives July 2, 1985p .5

Prabhakar M.r Viabilityu of RRBs april 24, 1986, p5

Government of India report of the banking comision new delhi 1972
Report of the working group on banks (Narsimmaha commitee)1975
Census of India and rajasthan 1971 ,1981
Report of the working group of regional rural bank (Kelkar Commitee)1986
Government of rajasthan Basick statics of rajasthan 1981-83 india 1989
Journal of India institute of Bankers Joshi Pn RRBs Vol 47(2)April June 1976 pp72-76
Joshi ,Navin Chandra Regional Rural Bank Vol 53(2) April june 1982 pp 67-71
Planning commission Five Years Plans.
Prajnan-Patel K.V and Shete NB Regional Rural Bank Performwence and prospects Vol 9(1)January March 1980pp 1-40
RBI Annual report 1981-82 Supplement to RRB Bulletin June 1982 p 37
Monthly Bulletins.
Regional Rural banks Report of the Review committee (Dantwala Committee) 1977
Agrawal A.N Indian economy Vikas Publishing House New Delhi 1985
Agrawal H.N.A Portrait of nationalized banks. Iner Publication New Delhi 1985
Ajit singh Rural development and Banking in India Deep & deep Publication New Delhi 1985.
Bhattachrya B.N Indian rural economics Metropolitan Book co New delhi 1983
Bilgrami SAR Growth of public sector bank Deep & Deep Publications new delhi 1982
Bapna MS Regional rural Banks in Rajasthan Publishing House Bombey 1989
Brahmanand P.R Dimensioins Of rural development of India Narayan B.K & Himalaya House New Delhi 1987
Choubey ,B. N Agricultural banking in India national Publishing House new Delhi 1983
Danga A.K Bank Credit in India classic Publishing co. New delhi 1986
Dasai s.S .M Rural Banking in India Himalaya Publishing house New Delhi 1986
Dasai vasant A study of Rural Economics Himalaya Publishing House New delhi 1983
Dhingra IC Rural Banking in india Sultan chan & co. New delhi 1987
Elic AN Operational problems of rural banking Vora & Co. Bombey1987
Eric. L. Kohler A dictionary for Accountanta Prentice hall of India private Ltd. New Delhi 1972
Ghatak Subrata Rural Money .Market in India Masmillan co. India New delhi 1976
Goyal K.G Rural development and abnk Prateeksha Publications jaipur 1987
Gupta Shiv lal Monay lendings Rajasthan Bafna Book Depot jaipur 1977
Ghosal S.N Agricultural Financing in India, Asia Publishing Housebombey 1966.

Hoshiar singh Rural development in India , Printwell Publisher jaipur 1985
Hussain Farhat , publick sector Commercial banking in India deep & Deep Publishing New Delhi 1986
Joshi Naveen Chandra Indian Banking Ashish Publishing House new delhi 1978
Joshi Naveen Chadra Indian rural economy YoungAsia Publication New delhi 1980
Karka , Gopal , Persective in India banking popular Prakashan Bombey 1977
Kurulkar , R. P Agricultural finance in a backword Region Himalaya Publishing House Bombey 1983
Lewis Arthur W. development Planning George Ajjen & Unwin Ltd London 1970
Mathur O.P Public sector banks In India's Economy sterling Publisher Pvt. Ltd. New Delhi 1978
Mehata NC and Panadikar v.A PaiRural banking national institure of bank management Pune1974
Nigam BML Banking and Economic growth Vora & Co. Bombey 1967
Padhy Kishore C. Commercial Bank and Rural development asia Publication service New delhi 1980
Panadhikar S.G and D.M banking in Indian oriental Longmans Ltd. Bombey 1974
Prasad ,M And gangreja H.D rural economics B.R Publishing Corporation New Delhi 1984